लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी-संस्करण

(चौदहवां सत्र)

7th Lok Sabha



(खंड 48 में अंक 41 से 52 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य: चार रुपये

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

बुधवार, 25 अप्रैल, 1984/5 वैशाख, 1906 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

विषय सूची, पृष्ठ i, पंक्ति 17, "मेधा" के स्थान पर "लेखा" पढ़िये।

विषय सूची, पृष्ठ iii, पंक्ति 7, "श्री भीमा भाई" के स्थान पर "श्री भीखा भाई" पढ़िये।

विषय सूची, पृष्ठ iv, नीचे से पंक्ति 4, "खंड 316 और।" के स्थान पर "खंड 2 न 6 और।" पढ़िये।

पृष्ठ 1, पंक्ति 8, "मैंने" के स्थान पर "मैं" पढ़िये।

पृष्ठ 1, पंक्ति 11, "आय" के स्थान पर "आप" पढ़िये।

पृष्ठ 1, पंक्ति 17, "कैसे डिस्क्रिमिनेशन कैसे कर" के स्थान पर "कैसे डिस्क्रिमिनेशसे कर" पढ़िये।

पृष्ठ 2, पंक्ति 3, के नीचे सदस्य का नाम "श्री जगपाल सिंह" भी पढ़िये।

पृष्ठ 5, प्रथम पंक्ति, "का" के स्थान पर "को" पढ़िये।

पृष्ठ 17, पंक्ति 15, "मुरादाबाद" के स्थान पर "मुर्शिदाबाद" पढ़िये।

पृष्ठ 19, पंक्ति 4 और पृष्ठ 23, पंक्ति ii, "बगदाद" के स्थान पर "बगदाह" पढ़िये।

पृष्ठ 20, पंक्ति 16, "सोलामढ़ी" के स्थान पर "सीतामढ़ी" पढ़िये।

पृष्ठ 25, प्रथम पंक्ति, "वहोदय" के स्थान पर "महोदय पढ़िये तथा पंक्ति 24, "देता हूँ" के स्थान पर "देती हूँ" पढ़िये।

पृष्ठ 29, पंक्ति 25, ता० प्र० संख्या "810" के स्थान पर "810" पढ़िये'

पृष्ठ 35, प्रथम पंक्ति "बाराबती" के स्थान पर "वाराणसी" पढ़िये।

पृष्ठ 35, पंक्ति 19, "उद्यमों" के स्थान पर "उद्यम" पढ़िये।

पृष्ठ 35, पंक्ति 21, "श्री जायल अवेदिन" के स्थान पर "श्री जायनल अवेदिन"" पढ़िये।

पृष्ठ 35 अंतिम पंक्ति, "प्रशासनीक" के स्थान पर "प्रशासनिक" पढ़िये।

पृष्ठ 36, पंक्ति 15, "प्रो० नरायण" के स्थान पर "प्रो० नारायण" पढ़िये।

पृष्ठ 41, पंक्ति 6, "श्री लक्षमण वर्मा" के स्थान पर "श्री लक्ष्मण कर्मा" पढ़िये

पृष्ठ 47, पंक्ति 2, "गोमांगों" के स्थान पर "गोमांगो" पढ़िये।

पृष्ठ 47, पंक्ति 16, "श्री ए० नीलायोहितदसन" के स्थान पर "श्री ए० नीलालोहित दसन" पढ़िये।

पृष्ठ 51, पंक्ति 15, "श्री राम प्रसाद आहिरवार" के स्थान पर "श्री राम प्रसाद अहिरवार" पढ़िये ।

पृष्ठ 61, पंक्ति नीचे से 4, "श्री सत्यनारायण जाटिया" के स्थान पर "श्री सत्यनारायण बटिया" पढ़िये ।

पृष्ठ 62, पंक्ति 3, "श्री राम दुलारी सिन्हा" के स्थान पर "श्रीमती रामदुलारी सिन्हा" पढ़िये ।

पृष्ठ 63, पंक्ति 5, "खनन मंत्रालल" के स्थान पर "खान मंत्रालय" पढ़िये ।

पृष्ठ, 63, पंक्ति 16, "श्री अर्जन सेठी" के स्थान पर "श्री अर्जुन सेठी" पढ़िये ।

पृष्ठ 65, पंक्ति 16, "श्री लक्ष्मण मल्लिक" के स्थान पर "श्री लक्ष्मण मलिक" पढ़िये ।

पृष्ठ 66, पंक्ति 13, "श्री अनन्त रामुत्व मल्लु" के स्थान पर "श्री अनन्त रामुलु मल्लु" पढ़िये ।

पृष्ठ 66, अंतिम पंक्ति, "श्री एन० ए० हीरो" के स्थान पर "श्री एन० ई० होरो' पढ़िये ।

पृष्ठ 71, पंक्ति 20, "श्री सुशीला भट्टाचार्य" के स्थान पर "श्री सुशील भट्टाचार्य पढ़िये ।

पृष्ठ 75, पंक्ति 11, "नियम्बनाधीन" के स्थान पर "निलम्बनाधीन" पढ़िये ।

पृष्ठ 76, पंक्ति 25 तथा पृष्ठ 115, पंक्ति 9, "पट्टाभिराम राव" से पूर्व "एस० बी०" शब्दों का लोप कीजिए ।

पृष्ठ 79, पंक्ति 2, "श्री राकेश कुमार सिंह" के स्थान पर "श्री राजेश कुमार सिंह" पढ़िये ।

पृष्ठ 82, पंक्ति 20, "श्री रामबिहारी बहेरा" के स्थान पर "श्री रासबिहारी बहेरा" पढ़िये ।

पृष्ठ 83, पंक्ति 6, "श्री बाबूराम पराजपे" के स्थान पर "श्री बाबूराव पराजपे" पढ़िये ।

पृष्ठ 85, पंक्ति 19, "श्री राम कृष्ण भोरे" के स्थान पर "श्री रामकृष्ण मोरे" पढ़िये ।

पृष्ठ 85, पंक्ति 27, "श्री शिवराज वी० पाटिल" के स्थान पर "श्री शिवराज वी० पाटिल" पढ़िये ।

पृष्ठ 89, पंक्ति 16, "कक्चे" के स्थान पर "कच्चे" पढ़िये ।

पृष्ठ 91, पंक्ति 10, "सतिन्येन्द्रन" के स्थान पर "सतियेन्द्रन" पढ़िये ।

पृष्ठ 95, पंक्ति 17, "अन्तक" के स्थान पर "अन्तर" पढ़िये ।

पृष्ठ 96, पंक्ति 12, "876" के स्थान पर "8776" पढ़िये ।

पृष्ठ 97, पंक्ति 11, "श्री रो० बेंकटसुब्बय्या" के स्थान पर "श्री पी० बेंकटसुब्बय्या" पढ़िये ।

पृष्ठ 97, पंक्ति 14, "पेटेंटो कार्यालय" के स्थान पर "पेटेण्ट कार्यालय" पढ़िये ।

पृष्ठ 97, पंक्ति 17 के अंत में "लिये" अंत: स्थापित करिये ।

पृष्ठ 97, पंक्ति 19, "कन्ट्रीन" के स्थान पर "कन्ट्रीज" पढ़िये ।

पृष्ठ 98, पंक्ति 13, "गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री" के स्थान पर "गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री" पढ़िये ।

पृष्ठ 109, पंक्ति 2, "श्री गिरिवर गौमांगों" के स्थान पर "श्री गिरिधर गोमांगो" पढ़िये ।

पृष्ठ 110, पंक्ति 8, "श्री गिरिधर गोमांगो से पूर्व अ० प्र० संख्या "8787" जोड़िये ।

पृष्ठ 114, पंक्ति 2, "प० नि० द्वीप समूह" के स्थान पर "अंडमान निकोबार द्वीप समूह" पढ़िये ।

पृष्ठ 127, पंक्ति 11, "एक" से "सी" ग्रेड" के स्थान पर "ए" से "सी" ग्रेड" पढ़िये ।

पृष्ठ 144, पंक्ति 16, "श्री के० एस० स्वामी" के स्थान पर "श्री के० ए० स्वामी" पढ़िये ।

पृष्ठ 147, पंक्ति 3, "देवनागिरी" के स्थान पर "देवनागरी" पढ़िये ।

पृष्ठ 150, पंक्ति 12, "उत्पान्द" के स्थान पर "उत्पन्न" पढ़िये ।

पृष्ठ 150, पंक्ति 17, "आपय" के स्थान पर "आशय" पढ़िये ।

पृष्ठ 157, पंक्ति 6, "विभाग" के पश्चात "में" अंतःस्थापित करिये ।

पृष्ठ 165, पंक्ति 11, "राजस्धा" के स्थान पर "राजस्थान" पढ़िये ।

पृष्ठ 176, पंक्ति 19, "श्री बाबूराम परांजपे" के स्थान पर "श्री बाबूराव पराजपे" पढ़िये ।

पृष्ठ 117, पंक्ति 25 के पश्चात प्रश्नों के मौखिक उत्तर की समाप्ति के लिये डबल चिन्ह लगाइये तथा उसके नीचे बाईं ओर समय "12.00 मध्याह्न" अंतःस्थापित कीजिये ।

पृष्ठ 179, पंक्ति 4, "प्रो० सैफुद्दीद सोज" के स्थान पर "प्रो० सैफुद्दीन सीज" पढ़िये ।

पृष्ठ 180, पंक्ति 19, "खुपिया" के स्थान पर "खुफिया" पढ़िये ।

पृष्ठ 183, पंक्ति 2 के पश्चात बाईं ओर समय "12.21 म० प०" अंतः स्थापित करिये ।

पृष्ठ 187, पंक्ति 18, "इलैक्ट्रानिकल्स ट्रेड" के स्थान पर "इलैक्ट्रानिक्स ट्रेड" पढ़िये ।

पृष्ठ 187, पंक्ति 19, "198-83" के स्थान पर "1982-83" पढ़िये ।

पृष्ठ 187, पंक्ति 21, "इलैक्ट्रानिकस" के स्थान पर "इलैक्ट्रानिक्स" पढ़िये ।

पृष्ठ 219, नीचे से पंक्ति 2, "श्री निहाल सिजैन" के स्थान पर "श्री निहाल सिंह" पढ़िये ।

पृष्ठ 220, अंतिम पंक्ति, "बैंके क्या" के स्थान पर "बैंक तथा" पढ़िये ।

पृष्ठ 221, पंक्ति 2, "बताने के लिए बाध्य है" के स्थान पर "बुलाने के लिए बाध्य हो गयी हैं" पढ़िये ।

पृष्ठ 221, पंक्ति 14, "शवाकाशी" के स्थान पर "शिवकाशी" पढ़िये ।

पृष्ठ 222, पंक्ति 25, "राष्ट्राय" के स्थान पर "राष्ट्रीय" पढ़िये ।

पृष्ठ 222, पंक्ति 26, "निनुमोदन" के स्थान पर "निरनुमोदन" पढ़िये ।

पृष्ठ 222, पंक्ति 27, "सभापति होदय" के स्थान पर "सभापति महोदय" पढ़िये ।

पृष्ठ 223, पंक्ति 7, "श्री सूरजभान" के पश्चात "श्री" का लोप कीजिये ।

पृष्ठ 226, प्रथम पंक्ति, "प्राइप मिनिस्टर" के स्थान पर "प्राइम मिनिस्टर" पढ़िये ।

पृष्ठ 226, पंक्ति 10, "श्री सूरज भान" के बाद "सिंह" का लोप कीजिये तथा पंक्ति 11 यहीं से पढ़िये ।

पृष्ठ 227, पंक्ति 15, "मैं आपसे पूछना चाहता हूं" से पूर्व "श्री सूरज भान" अन्त:स्थापन कीजिए ।

पृष्ठ 235, पंक्ति 10 तथा पृष्ठ 261, पंक्ति12, "श्री चित्र वसु" के स्थान पर "श्री चित्त वसु" पढ़िये ।

पृष्ठ 271, पंक्ति 8, "अध्यक्ष महोदय" के स्थान पर "उपाध्यक्ष महोदय" पढ़िये ।

पृष्ठ 278, पंक्ति 19, "श्री शिवराज पाटिल" के स्थान पर "श्री शिवराज वी० पाटिल" पढ़िये ।

पृष्ठ 285, पंक्ति 14, "विधेयक" और पारित शब्दों के बीच से "में" का लोप कीजिये ।

पृष्ठ 286, प्रथम पंक्ति "थहां" के स्थान पर "यहां" पढ़िये ।

पृष्ठ 286, पंक्ति 18, "980" के स्थान पर 1980" पढ़िये ।

पृष्ठ 286, पंक्ति 29, "दयनात्मक" के स्थान पर "दमनात्मक" पढ़िये ।

पृष्ठ 288, पंक्ति 7, "कांग्रेस का सरकार" के स्थान पर "कांग्रेस की सरकार" पढ़िये ।

विषय-सूची

सप्तम माला, खण्ड 48, चौदहवां सत्र, 1984/1906 (शक)

अंक 43, बुधवार, 25 अप्रैल, 1984/5 वैशाख, 1906 (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या : 800 से 802, 804 और 808 से 810	...	2-31
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या : 803, 805 807, 811 से 813 और 815 से 819	...	31-40
अतारांकित प्रश्न संख्या : 8717 से 8779 और 8781 से 8855	...	40-85
सभा पटल पर रखे गये पत्र	...	85-187
राज्य सभा से सन्देश	...	188
संघ राज्य क्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक		
राज्य सभा द्वारा यथापारित	...	188
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति		
76 वां प्रतिवेदन— प्रस्तुत किया गया	...	188
लोक सेवा समिति		
199वाँ और 200वां प्रतिवेदन—प्रस्तुत किये गये	...	189

*किसी नाम पर अंकित यह †चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

प्राक्कलन समिति

82वाँ प्रतिवेदन और कार्यवाही, साराश तथा सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 66वां प्रतिवेदन—प्रस्तुत किए गए ... 189

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति

87वां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश— प्रस्तुत किए गये ... 189-190

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

47वां और 48वां प्रतिवेदन तथा सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 49वां प्रतिवेदन—प्रस्तुत किए गए 190-192

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

शीत लहर, वर्षा और ओलावृष्टि के कारण फसलों को हुए भारी नुकसान के समाचार

श्री रशीद मशूद ... 192-201

राव बीरेन्द्र सिंह ... 192-214

प्रो० अजीत कुमार मेहता ... 201-207

श्री राजेश कुमार सिंह ... 207-210

श्री मनीराम बागड़ी ... 210-212

श्री चन्द्रपाल शैलानी ... 214-217

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) बिहार के वैशाली जिले में बौद्ध अवशेषों की रक्षा करने की आवश्यकता

श्रीमती कृष्णा साही ... 217-218

(दो) सब्जियों पर विषाक्त कीटनाशक दवाइयों के अत्याधिक प्रयोग को विनियमित करने की आवश्यकता

प्रो० पी० जे० कुरियन ... 218

(तीन) सहजावन तथा दौहरी घाट के बीच एक रेल लाइन बनाने की मांग

श्री महाबीर प्रसाद ... 218-219

(चार) भारतीय तेल निगम में उसके कर्मचारियों के स्थानान्तरण के संबंध में एक स्पष्ट नीति अपनाने की आवश्यकता

श्री भीमा भाई ... 219

(पांच) आगरा के लोगों को पीने के लिए दूषित जल की सप्लाई होने के आरोप की जांच करवाने की आवश्यकता

श्री निहाल सिंह जैन ... 219-220

(छः) तमिलनाडु तथा पश्चिस बंगाल के हौजरी उद्योग के मजदूरों की हड़ताल

श्री ईरा मोहन ... 220

(सात) मध्य प्रदेश में बैंकों द्वारा भुगतानों में तथा बैंकों के सामान्य कार्यकरण के लिए उन्हें पर्याप्त धनराशियाँ देने में विलम्ब

डा० बसन्त कुमार पंडित ... 220-221

(आठ) शिवकाशी में दियासलाई बनाने के कारखानों को बैंड रौलों की अनियमित सप्लाई

श्री एन. सुन्दरराजन ... 221

(नौ) सिग्नल तथा दूरसंचार कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करना

श्री बसुदेव आचार्य ... 221-222

(दस) जम्मू तथा काश्मीर में रक्षा प्रयोजनों के लिए सड़कें केवल अकृष्य भूमि पर ही बनाने के बारे में नीति सम्बन्धी निर्णय लेने की आवश्यकता

प्रो. सैफुद्दीन सोज ... 222

राष्ट्रीय सुरक्षा (संशोधन) अध्यादेश तथा राष्ट्रीय सुरक्षा (संशोधन) विधेयक के निरनुमोदन के बारे में सांवधिक संकल्प

विचार किये जाने का प्रस्ताव

श्री सूरज भान	...	222-224
श्री पी० बेंकट सुब्बैया	...	224-231
श्री सोमनाथ चटर्जी	..	231-236
श्री आर. एस. स्पैरो	...	236-241
श्री राजेश कुमार सिंह	...	241-246
श्री रिजक राम	...	246-249
श्री रवीन्द्र शर्मा	...	249-256
श्री चिरंजी लाल शर्मा	...	256-261
श्री चित्त बसु	...	261-263
श्री हरिकेश बहादुर	...	263-265
श्री नारायण चौबे	...	265-268
प्रो० सैफुद्दीन सोज	...	268-271
श्री चन्द्रजीत यादव	...	272-278
श्री पी. बेंकटसुब्बैया	...	279-284

राष्ट्रीय सुरक्षा (संशोधन) विधेयक

खंड 3 16 और 1

पारित किए जाने का प्रस्ताव

श्री वेंकट सुब्बैया	...	285
श्री रामावतार शास्त्री	...	285-288

लोक सभा

बुधवार, 25 अप्रैल, 1984/5 वैशाख, 1906 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

अध्यक्ष महोदय : श्री मंगल राम प्रेमी···

श्रीमती प्रमिला दंडवते (बम्बई उत्तर मध्य) : मैंने नियम के अन्तर्गत सूचना दी है·····

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसे अस्वीकार कर चुका हूं। (**व्यवधान**)**

अध्यक्ष महोदय : कोई बात नहीं मानी जायेगी। मेरी अनुमति के बिना कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जायेगा। (**व्यवधान**)**

अध्यक्ष महोदय : इसी विधेयक पर चर्चा होगी। आप उस समय जो चाहें, कर सकते हैं। (**व्यवधान**)**

अध्यक्ष महोदय : स्वीकृति नहीं दी गई है। मैंने एक शब्द भी बोलने की अनुमति नहीं दी है। (**व्यवधान**)**

श्री राम विलास पासवान : मैंने भी एक नोटिस दिया था, क्या वह भी रिजैक्ट कर दिया है ?

अध्यक्ष महोदय जी हाँ, आपके साथ मैं कैसे डिस्क्रिमिनेशन कैसे कर सकता था ? सवाल ही पैदा नहीं होता। (**व्यवधान**)

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

सीमेंट के आयात पर रोक

*800. **श्री मंगल राम प्रेमी** † : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सीमेंट के आयात पर रोक लगाने के लिए कोई ठोस कदम उठाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो ऐसा करने में क्या कठिनाई है;

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) सीमेंट के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने अथवा अन्यथा रोक लगाने पर सीमेंट की अनुमानित मांग और पूर्ति के आधार पर विचार किया जाता है ।

विगत समय में सीमेंट के आयात की अनुमानित मांग और देश में उत्पादन के अंतर के कुछ अंश को पूरा करने के लिए दी गई थी । विद्यमान क्षमता का बेहतर उपयोग करके तथा अतिरिक्त क्षमता की स्थापना के लिये स्वीकृति देकर जिससे अन्त में जाकर आयात बंद हो सके, सीमेंट की मांग और उत्पादन के अंतर को कम करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे सीमेंट का यथासंभव कम से कम आयात करना पड़े ।

श्री मंगल राम प्रेमी : अध्यक्ष महोदय, मैं उद्योग मंत्री जी से पूछना चाहता हूं पहले ही किसानों और छोटे-छोटे मज़दूरों के लिए सीमेंट की किल्लत रहती है, उनको एक बोरा सीमेंट मिलना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन सरकार की नीति है कि सीमेंट का निर्यात बन्द किया जाये, क्या सरकार सीमेंट की आयात और निर्यात नीति में फेर-बदल करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो यह फेर-बदल कब तक किया जायेगा ?

देश में सीमेंट के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये और कारखाने लगाने तथा आम जनता को आसानी से सीमेंट दिलाने हेतु क्या सरकार कोई ठोस कदम उठायेगी ? इसका मंत्री महोदय पूर्ण विवरण दें ।

श्री नारायण दत्त तिवारी : शासन का विचार सीमेंट के आयात को रोक देने का नहीं है, जैसा कि मैंने अपने उत्तर में स्पष्ट किया है । हमारा यह प्रयास रहा है कि सीमेंट का उत्पादन बढ़ाया जाये । छठी योजना में लगभग 2 करोड़ टन नये सीमेंट को उत्पादित करने की क्षमता बनाने का कार्यक्रम पूरा हो चुका है । सीमेंट का उत्पादन 1983-84 में 1,80 लाख टन से बढ़ कर 2,70 लाख टन होने की पूरी सम्भावना है । इसका अर्थ यह है कि पिछले चार सालों में सीमेंट का उत्पादन लगभग 90 लाख टन बढ़ा है । सीमेंट की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए और अधिक प्रयास किए जा रहे हैं । कुल मिलाकर 8 50 लाख टन क्षमता या तो लाइसेंस कर दी गई है, या उसके लिए लैटर्ज आफ इनटेन्ट दिए गये हैं, या डी.जी.टी.डी. के अन्तर्गत उनका रजिस्ट्रेशन कर दिया गया है, जिनमें मिनी सीमेंट प्लांट भी शामिल है ।

अगले वर्ष लगभग 3,80 लाख टन आवश्यकता अनुमानित की गई है। उस के विपरीत उत्पादन 3,20 लाख टन संभावित है। इसलिये आवश्यकता की पूर्ति में लगभग 50 लाख टन की कमी रह जाती है। इसी कारण सीमेंट का आयात भी किया जाता है। पिछले सात आठ सालों में आयात किया गया है। आयात को कम करने की सम्भावना तब होगी, जब हमारी उत्पादन क्षमता के आधार पर उत्पादन और अधिक होने लगेगा, जिसके लिए नए सीमेंट कारखानों के लिए आशय पत्र दिये गये हैं या लाइसेंस दिए गये हैं, या आशयपत्र लाइसेंस में परिवर्तित किए गये हैं, या डी जी टी डी के यहां रजिस्ट्रेशन हुआ है। उस स्थिति में आयात को बन्द करने पर अवश्य विचार किया जा सकता है।

श्री मंगल राम प्रेमी: क्या मंत्री महोदय नए यूनिटों के नाम सभा-पटल पर रखेंगे, जिनको लाइसेंस दिए जा रहे हैं ? क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश, या उत्तर प्रदेश के किसी भाग, मैं सीमेंट के नये कारखाने लगाये जा रहे हैं ? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में करीब करीब सब पहाड़ी एरिया है। वहां के पत्थर की जांच की जाए कि क्या वह सीमेंट बनाने के योग्य है। क्या सरकार के पास पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई सीमेंट कारखाना लगाने की कोई योजना है; यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

एक माननीय सदस्य : और यदि है, तो क्यों ?

श्री मंगलराम प्रेमी : क्या मत्री महोदय के पास कोई योजना है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कारखान लगाया जाए ?

श्री नारायण दत्त तिवारी : यह सूचना मेरे पास है कि किन-किन नए यूनिटों को आशय-पत्र या लासेंस दिये गये हैं और मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ उसे सदन के पटल पर रखने के लिये प्रस्तुत हूं।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य की प्रसन्नता का भी ध्यान रखें।

श्री नारायण दत्त तिवारी : जहां तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सीमेंट के कारखाने लगाने का प्रश्न है, वहां लाइम स्टोन, चूने का पत्थर, उपलब्ध नहीं है, इस लिये वहां सीमेंट के कारखाने लगाने में कठिनाई होती है। लेकिन देहरादून में, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जुड़ा पर्वत है क्षेत्र का एक जिला है सीमेंट के कारखाने के लिये आशयपत्र दिये गये हैं, जिनमें 4 लाख टन के एक और मिनी सीमेंट प्लांट का एक आशयपत्र भी है।

डा० कृपा सिन्धु भोई : मंत्री महोदय ने यह उत्तर दिया है कि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान विद्यमान प्रतिष्ठापित क्षमता में 200 लाख टन की वृद्धि कर दी जायेगी। उन्होंने यह भी बताया है कि देश में सीमेंट संयंत्र लगाने के लिए विभिन्न कम्पनियों को 850 लाख टन के लाइसेंस दिये गये हैं। क्या मत्री जी यह बताएंगे कि क्या यह 850 लाख टन की प्रतिष्ठापित क्षमता सातवीं पंचवर्षीय योजना में बढ़ा दी जायेगी या छठी पंचवर्षीय योजना में इसमें कितनी वृद्धि हो जायेगी ? उन्हें इस बात का जवाब देना है। दूसरी बात यह है कि क्या उनके मंत्रालय ने समूचे देश भर में सीमेंट ग्रेड के चूना पत्थर के कुल निक्षेप के बारे में भारतीय भूगर्भ

सर्वेक्षण सस्थान की रिपोर्ट पर ध्यान दिया है और क्या उनके मंत्रालय ने यह देखने के लिए उसका विश्लेषण किया है कि क्या बड़े या लघु सीमेंट संयंत्रों की स्थापना के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है ? क्या उनके मंत्रालय ने देश में चूना पत्थर के तीनों का निर्धारण किया है तथा किन-किन क्षेत्रों में क्षमता का उपयोग किया जा सकता है ? पांचवी पंच वर्षीय योजना के दौरान केवल 17 लाख टन क्षमता बढ़ाई गई थी तथा चार वर्षों में क्षमता में केवल 100 लाख टन की वृद्धि हुई । क्या उनके मंत्रालय के लिए यह सम्भव है कि आगामी कुछ वर्षों के भीतर ही वह 100 लाख टन की क्षमता और प्रतिष्ठापित कर दे ?

अध्यक्ष महोदय : सरल अनुपूरक प्रश्न पूछिए ताकि मंत्री उसका जवाब दे सके ।

माननीय मंत्री किसी एक प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं ।

श्री नारायण दत्त तिवारी : मैंने 850 लाख टन के आंकड़े का उल्लेख नई क्षमता या भविष्य में हो जाने वाली कुल क्षमता के रूप में किया था । विद्यमान प्रतिष्ठापित क्षमता 368,9 लाख टन की है । औद्योगिक लाइसेंस अर्थात आशय-पत्र, जो औद्योगिक लाइसेंस के रूप में परिवर्तित कर दिए गए हैं से 111.6 लाख टन की क्षमता पैदा होगी । आशय पत्र 357.3 लाख टन क्षमता के हैं । लघु सीमेंट संयंत्रों के लिए एल· जी. टी. अ· पंजीकरण 23.5 लाख टन का है । यह सब मिलाकर 857 3 लाख टन बैठता है। अब, सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक यह आशा की जाती है कि क्षमता में 178.4 लाख टन की और वृद्धि होगी, जिससे सातवीं पंच-वर्षीय योजना के अन्त तक अर्थात् वर्ष 1989-90 तक कुल प्रतिष्ठापित क्षमता 620 लाख टन हो जाएगी। 850 लाख टन में से शेष रही क्षमता की पूर्ति आठवीं पंचवर्षीय में की जाएगी ।

जहां तक माननीय सदस्य ने भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण संस्थान की रिपोर्ट का जो हवाला दिया है, उसके सम्बन्ध में इस मद को उचित महत्व दिया गया है । हम हमेशा इसका ख्याल रखते हैं । इसके बिना हम नए सीमेंट संयंत्र नहीं लगा सकते और मैं यह आशा करता हूं कि सातवीं पंचवर्षीय योजना का कार्य दल निश्चित रूप से भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण संस्थान की रिपोर्ट को ध्यान में रखेगा ।

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती प्रमिला दंडवते । यह इस सम्बन्ध में अन्तिम प्रश्न होगा ।

श्रीमती प्रमिला दंडवते : पांच मिलियन टन सीमेंट की कमी की वजह से देश को आयात करना पड़ेगा, यह आप ने कहा है । तो सीमेंट का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए मैं इतना ही पूछना चाहती हूं कि महाराष्ट्र में कितने प्रोजेक्ट्स आपने तय किए हैं कि जिस से महाराष्ट्र में इस प्रकार के कारखाने लग सकें ?

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : सीमेंट में वहां घपला बहुत होता है, महाराष्ट्र को जरूरत नहीं है ।.....(**व्यवधान**).....

श्री नारायण दत्त तिवारी : मेरे पास महाराष्ट्र के आंकड़े इस समय उपलब्ध नहीं हैं । मैं माननीय सदस्य महोदया के पास बाद में भेज दूंगा ।

अनुसूचित जाति और जनजातीय समुदायों का लाभ देना

*801 **श्री अनादि चरण दास : क्या गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह आम शिकायत है कि सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को दिए जाने वाले फायदों का बड़ा भाग सम्पन्न अनुसूचित जाति समुदाय और जनजातीय समुदाय को प्राप्त हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इन समस्याओं का गभीरता पूर्वक अध्ययन करने पर विचार कर रही है और इन्हें हल करने का प्रयत्न कर रही है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) कोई ऐसी आम शिकायत ध्यान में नहीं आई है। अधिकांश अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां गरीब हैं और सरकार की सभी प्रयासों में यह चेष्टा होती है कि गरीबी की जो रेखा से नीचे हैं, उन्हें ऊपर उठाया जाये। कुछ योजनाओं के लिए साधनों की जांच भी निर्दिष्ट की गई है ताकि लाभ वास्तव में पात्र लोगों को मिले। तथापि इस मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों के सामाजिक आर्थिक विकास संबंधी कुछ अध्ययन न्यस्त किये हैं और अन्तिम रिपोर्टों की प्रतीक्षा है।

श्री अनादि चरण दास : जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार हमारे देश में विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की सूची में लगभग 949 अनुसूचित जाति और 605 अनुसूचित जनजाति समुदाय सम्मिलित हैं, जिनकी कुल जनसंख्या क्रमशः 10.48 करोड़ और 5·16 करोड़ है। इनमें से कुछ समुदाय पिछड़े हुए है, कुछ कम पिछड़े हुए हैं और कुछ समुदाय थोड़े विकसित है। उदाहरणार्थ, अनुसूचित जातियों में कुछ अछूत माने जाते हैं तथा कुछ अनुसूचित जातियां, थोड़ी, ऊंची उठी हुई हैं। अनुसूचित जनजातियों के बारे में भी ऐसे मामले पाए जाते हैं। इस सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जनजाति समुदायों के बारे में खासतौर से उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति को देखते हुए उनके दर्जे का कोई वर्गीकरण किया हुआ है ?

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : छठी योजना के दौरान मुख्य जोर इस बात पर दिया गया है कि परिवारों के लिए लाभकारी विशिष्ट कार्यक्रमों के माध्यम से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जनजाति से सम्बद्ध परिवारों का आर्थिक स्तर उठाया जाए ताकि अन्ततः उन्हें गरीबी की रेखा से ऊपर लाया जा सके। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत सहायता के लिए समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के मानदंड अपनाए गए हैं। ऐसे परिवारों को सहायता दी गई है, जिनका आय-स्तर 3500/-रुपया या उससे कम है, जैसे कि समेकित ग्रामीण बिकास कार्यक्रम के मानदंड हैं। इस प्रकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो समुदाय इस वर्ग के अन्तर्गत आते हैं, उन्हें इसका लाभ दिया जाना है और दिया जा रहा है।

श्री अनादि चरणदास : अनुसूचित वर्गों में सामाजिक क्रम में सबसे निचले समुदायों को सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाएं प्राप्त नही हो रही हैं। इसके अलावा इन समुदायों को अपने

पिछड़ेपन अन्धविश्वास आदि के कारण सरकार के कार्यक्रमों की जानकारी नहीं है । क्या मुझे ऐसे उपायों से अवगत कराया जाएगा, जो सरकार ने उन समुदायों को इन योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ उठाने के लिए आगे आने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए उठाए हैं ? क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या इस सम्बन्ध में कोई अध्ययन किया गया है । इस बात में कोई सन्देह नहीं है कि सरकार ने लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाने के निष्ठापूर्वक प्रयास किए हैं, लेकिन वे अनुसूचित जाति और अनसूचित जनजाति समुदाय अन्धविश्वास पिछड़ेपन और हीन भावना से ग्रस्त है । उनके सुधार के लिए और उन्हें उचित स्तर तक लाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाने का विचार किया है ? इसके आलावा क्या मैं यह जान सकता हूँ कि अब तक कितने परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाया जा चुका है ?

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : जहां तक अध्ययन करने सम्बन्धी एजेन्सियों का सम्बन्ध है अनुसंधान और प्रशिक्षण संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत गिरि विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ, गांधी समाज विज्ञान सस्थान, वाराणसी तथा क्षेत्र विकास और कार्य अनुसंधान अध्ययन केन्द्र, नई दिल्ली जैसे कुछ अनुसधान संगठनों को अनुसूचित जातियों के विकास संबंधी कई सामाजिक-आर्थिक अध्ययन सौंपे गए हैं । मैं पहले भी एक दिन माननीय सदस्य के इसी प्रकार के एक प्रश्न का उत्तर दे चुकी हूं । उत्तर प्रदेश के इलाकों में किए गए अध्ययन के बारे में गिरि संस्थान से हाल में प्रारूप रिपोर्ट प्राप्त हुई है और इस पर विचार किया जा रहा है ।

छठी पंचवर्षीय योजना में आदि वासी उपयोजना क्षेत्र में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे लगभग कुल 57 लाख आदिवासी परिवारों में से 23 लाख आदिवासी परिवारों को सहायता प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित है, रिपोर्टों से यह सकेत मिलता है कि फरवरी, 1984 के अन्त तक लगभम 30.6 लाख परिवारों को सहायता दी जा चुकी है। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान अनुसूचित जाति से सम्बद्ध 96,44,763 परिवारों को सहायता देने का लक्ष्य निर्धारित है, जिनमें से जनवरी, 1984 के अन्त तक लगभग 65, 38, 58 परिवारों को सहायता दी चुकी है ।

श्री माधव राव सिन्धिया : अध्यक्ष जी, योजनायें वास्तव में प्रशसनीय हैं । इन प्रगतिशील योजनाओं के लिए, विशेषकर हमारे सर्वहारा वर्ग के लिए जो योजनाएं बनाई हैं, हमारी सरकार उसके लिए बधाई की पात्र है । पर इन योजनाओं में मुख्य समस्या इनके क्रियान्वयन में होती है । मैं सोचता हूं कि जब तक आप शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्ज की स्थानीय यालीडरशिप प्रतिनिधित्व इन योजनाओं के साथ सम्बद्ध नहीं करेंगे, तब तक इनके कार्यान्वयन में काफी बाधाएं आयेंगी । मेरा सुझाव है कि या तो ब्लाक स्तर पर या डिस्ट्रिक्ट स्तर पर स्थानीय मोनिटरिंग बोर्ड्स सैट-अप किए जायें और उन बोर्ड्स को स्थानीय नेतृत्व और स्थानीय प्रतिनिधित्व दिया जाए, ताकि इन योजनाओं को अपनाया जाए न कि थोपा जाए । इसलिए मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या ऐसे मोनिटरिंग बोर्ड्स स्थापित करने की योजनायें सरकार के समक्ष विचाराधीन हैं ? अगर नहीं है, तो क्या सरकार इस सुझाव पर विचार करेगी ?

गृह मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी) : अध्यक्ष महोदय, जहां तक मोनिटरिंग बोर्ड्स का सवाल है, मोनिटरिंग बोर्ड प्रत्येक राज्य में मौजूद हैं। इस के अलावा सेन्ट्रल गवर्नमेंट के आफिसर्स इसको मोनिटर करने के लिए समय समय पर जाते रहते हैं। जहां तक लोकल लीडर्स के इन्वाल्वमेंट का सवाल है, हाल ही में मैंने सभी दलों के शैड्यूल्ड ट्राइब्ज मैम्बर्स की मीटिंग बुलाई थी और इसी प्रकार शैड्यूल्ड कास्ट मैम्बर्स को बुलाता हूँ। ताकि इन का उसमें इन्वाल्वमेंट हो और उनके सुझावों पर अमल किया जा सके। सातवें प्लान की स्ट्रैटजी को हमने इस मीटिंग में डिसकस किया है।

श्री ए० के० राय : अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों को सुविधाएं प्रदान करने सम्बन्धी नीति इन समुदायों के लोगों को विकसित समाज के बराबर लाने के लिए उन्हें अस्थायी प्रोत्साहन प्रदान करती है, लेकिन इसका लाभ मुट्ठी भर ऐसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए लोग उठा रहे हैं जो पहले ही सम्पन्न हैं। अत: समस्या यह है कि इन सुविधाओं का लाभ सभी लोगों तक कैसे पहुंचाया जाय। इस बात को दृष्टि में रखते हुए मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से सम्बद्ध ऐसे परिवारों को, जिन्हें नौकरी अथवा अन्य किसी प्रकार का एक बार लाभ प्राप्त हो चुका है, विकसित मानने सम्बन्धी कोई मानदण्ड निर्धारित किए जाने चाहिए तथा इसके बाद नौकरी सम्बन्धी या ऋण सम्बन्धी अगली सुविधा अन्य दूसरे ऐसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की दी जानी चाहिए जिन्हें पहले सुविधा प्राप्त न हुई हो ? इसका अर्थ यह है कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित कोई भी परिवार उन सुविधाओं का दो बार लाभ न उठाए, जो सरकार इस पूरे समुदाय को देना चाहती है। तो क्या ऐसी कोई योजना या प्रक्रिया तैयार की गई है, यही मैं जानना चाहता हूं।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि जहां तक समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का सम्बन्ध है, उन परिवारों को सहायता दी जाती है, जिनका आय-स्तर 3500/-रुपये अथवा इससे कम है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने विशेष रूप से यह पूछा है कि यदि एक परिवार को एक सुविधा प्राप्त हो चुकी है, तो उसे ऐसी दूसरी सुविधा नहीं मिलनी चाहिए। यही वह जानना चाहते हैं।

श्री प्रकाश चन्द सेठी : इस बात पर कड़ी नजर और निगरानी रखी जा रही है कि किसी भी परिवार को योजना के लिए निर्धारित सहायता दो बार प्राप्त न हो। प्रत्येक परिवार को यह सहायता वर्ष में एक बार मिलनी है।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, जब शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्ज लोगों को बेनिफिट मिलता है तो दूसरे लोगों को जलन होती है। मैं सरकार से सीधा सा सवाल पूछना चाहता हूं कि सरकार के पास क्या कोई आँकड़ा है, 1947 से जब से हिन्दुस्तान आजाद हुआ था, तो कितने प्रतिशत शैड्यूल्ड कास्ट गरीबी की रेखा से जीवन व्यतीत कर रहे थे और आज कितने प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन व्यतीत कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : इस सवाल का जवाब इस वक्त नहीं आ पाएगा।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरा सवाल पूछ रहा हूं। सवाल सिर्फ रिजर्वेशन्स और सुविधाओं का नहीं है, इसका कारण आर्थिक नहीं है सामाजिक भी है। सरकार आर्थिक क्षेत्र में कर रही है तो क्या सामाजिक विषमताओं को खत्म करने के लिए सरकार के पास क्या विशेष योजनायें हैं ? क्या सरकार ने कुछ निर्धारित किया है कि एक दिन वर्ग विहीन समाज की स्थापना संविधान के अनुसार हो जाएगी ? क्या सरकार ने इसके लिए कोई विशेष कार्यक्रम बना रखा है ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : हमारा लक्ष्य यही है कि वर्ग-विहीन समाज की स्थापना हो और इस दिशा में न केवल इकानामिक एफर्ट्स किये जाते हैं बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी इन का उत्थान करने का पूरा प्रयास किया जाता है।

श्री राम विलास पासवान : क्या किया जाता है ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : उनके लिए स्कूल चल रहे हैं .....

श्री राम विलास पासवान : जाति और वर्ण व्यवस्था को समाप्त करने की क्या क्या योजनायें सरकार के पास हैं ?

अध्यक्ष महोदय : अभी तक तो बगैर जातिवाद के बात ही नहीं करते हैं। हमें जाति-भेद से ऊपर उठ कर काम करना है तो इसी हिसाब से सोचना चाहिए। इस पर आप डिस्कशन करायें तो बात बनेगी, इस सवाल का इतना लम्बा-चौड़ा जवाब यहां नहीं आयेगा।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : आपने इस सम्बन्ध में एक 'आधे घन्टे की चर्चा' की अनुमति दी है;

अध्यक्ष महोदय : जी हां, मैंने अनुमति दी है।

श्री अटल विहारी वाजपेयी : हमें भेद मिटाना है या भेद से ऊपर उठना है ?

अध्यक्ष महोदय : भेद मिटाकर भेद से ऊपर उठना है।

श्री विलास मुत्तेमवार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं.....

अध्यक्ष महोदय : मेरे माध्यम से तो भेद मिट जाता है।

श्री विलास मुत्तेमवार : अध्यक्षमहोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं हमारे विदर्भ में हल्वा और माना दो जातियां हैं, जो तीस-चालीस लाख के दरमियान हैं और जिनका सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन आदिवासियों की तरह है, कल तक उनको आदिवासी कह कर सब सहूलियतें मिलती थीं, लेकिन दो साल से सहूलियतें बन्द कर देने से उनके बच्चों को शैक्षणिक जीवन में बड़ी कठिनाई उठानी पड़ रही है जिसके लिए उन्होंने आन्दोलन की बात कही है। क्या उनको आदिवासियों की लिस्ट में लाने के लिए सरकार कोई विचार कर रही है या ऐसी सभी जातियों के लिए जो आदिवासी कहलाने का करती हैं, उनके बारे में सरकार कोई विचार कर रही है ?

श्री प्रकाशचन्द सेठी : जो जातियां शैडयूल्ड कास्ट्स में पहले से ही मौजूद हैं उनको यदि कोई सहायता महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने विदर्भ में देना बन्द कर दिया है तो उसकी जानकारी लेकर हमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट से कहना पड़ेगा कि वे इस प्रकार का काम नहीं कर सकते हैं। जहां तक अन्य जातियां जोड़ने का सवाल है उसके लिए कांस्टीचूशनल अमेण्डमेन्ट आवश्यक है।

हल्के वाणिज्यिक वाहनों का उत्पादन

*802. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा हल्के वाणिज्यिक वाहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कदम उठाए गये हैं;

(ख) यदि हां तो इस समय सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र में हल्के वाणिज्यिक वाहनों का उत्पादन करने वाले एककों के नाम तथा संख्या कितनी है;

(ग) गत तीन वर्षों में इन एककों का कार्य निष्पादन कैसा रहा है;

(घ) हल्के वाणिज्यिक वाहनों के उन उत्पादन एककों द्वारा अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हां। वर्तमान एककों के बिस्तार की स्वीकृति सहित सरकार ने हल्के वाणिज्यिक वाहनों के निर्माण के लिए चार नए एककों को लाइसेंस दिये हैं।

(ख) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(ख) तथा (ग) इस समय निजी क्षेत्र में पांच एककों द्वारा हल्के वाणिज्यिक वाहनों का निर्माण किया जा रहा है। इन एककों का हल्के वाणिज्यिक वाहनों के सम्बन्ध में पिछले तीन वर्षों का उत्पादन तथा विक्रय कार्य, इस प्रकार है :-

(आंकड़े संख्या में)

एकक	1981-82		1982-83		1983-84	
	उत्पादन	विक्रय	उत्पादन	विक्रय	उत्पादन	विक्रय
1	2	3	4	5	6	7
मैं. महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा लि0, बम्बई	8067	8043	9676	8634	8808	9710

1	2	3	4	5	6	7
मै. बजाज टैम्पो लि. पुणे	9957	9767	9537	9716	12105	11804
मै. स्टैन्डर्ड मोटर्स प्रोडक्ट्स आफ इन्डिया लि. मद्रास	4720	4720	4793	4793	5556	5556
मै. प्रीमियर आटोमोबाइल्स लिमिटेड, बम्बई	665	640	689	680	394	427
मै. हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड, कलकत्ता	—	—	126	105	72	91
योग	23409	23170	24821	23928	26935	27588

(घ) से (ङ) हल्के वाणिज्यिक वाहनों के निर्माण करने वाले तीन बड़े एककों ने अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये हैं :—

(1) वर्तमान एकक अकुर्दी (पुणे) में 20,000 वाहन प्रतिवर्ष के विस्तार के अतिरिक्त मैसर्स बजाज टेम्पो लिमिटेड 10 000 प्रतिवर्ष की क्षमता वाले एक नये एकक की स्थापना जिला धार, मध्य प्रदेश में कर रहा है ।

(2) मै. स्टैन्डर्ड मोटर प्रोडक्ट्स आफ इण्डिया को अपनी निर्माण करने की क्षमता 12,500 वाहन प्रतिवर्ष तक बढ़ाने के लिए लाइसेंस दिया गया है ।

(3) पुन: स्वीकृत योजना के अधीन मै· महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा ने हल्के वाणिज्यिक वाहनों की अपनी उत्पादन क्षमता को 10,000 से 13,000 प्रतिवर्ष तक बढ़ा दिया है ।

श्रीमती जयंती पटनायक : हमें इस बात की खुशी है कि सरकार ने तीन एककों की क्षमता बढ़ाने की अनुमति देने के अतिरिक्त चार नए एककों को भी लाइसेंस दिए हैं । मैं यह जानना चाहूंगी कि वर्तमान मांग कितनी है . यदि मन्त्री महोदय भी मांग के आंकड़े देते हैं तो क्षमता उससे नहीं अधिक होगी । निर्माण और बिक्री, दोनों मामलों में भारी कर लगाने तथा प्रारम्भिक निवेश की लागत अधिक होने के कारण अब मांग में कमी आ गई है । उत्पादन में कमी के लिए यही बातें जिम्मेदार है । इस के साथ-साथ वित्तीय संस्थाओं और बैंकों द्वारा की जाने वाली कर्जे की वसूली का भी उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है । इन सभी बातों ने उत्पादन पर बुरा प्रभाव डाला है । हल्के वाणिज्यिक वाहनों के अधिकांश संचालक स्व रोजगार प्राप्त है और उनमें से कुछ छोटे व्यापारी हैं और वे कष्ट उठा रहे हैं । इस प्रकार हल्के और भारी दोनों प्रकार

के ही वाणिज्यिक वाहनों के निर्माता बुरे समय से गुजर रहे हैं। क्या इस उद्योग की विशिष्ट समस्याओं का कोई अध्ययन किया गया है ? क्या उन्होंने उपभोक्ताओं के सम्पूर्ण हित में इसे न्यायोचित बनाने की संभावना पर विचार किया है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी : महोदय, योजना आयोग द्वारा ओटोमोबाइल उद्योगों के बारे में गठित उप दल द्वारा मांग परियोजनाओं के बारे में लगाए गए अनुमान के अनुसार वर्ष 1984 85 में इन वाहनों की मांग 40,000 वाहनों की होगी तथा 1989-90 तक 75,000 वाहनों की मांग होगी। एक विख्यात परामर्शदात्री कम्पनी फरगूसन एंड कम्नी द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार उपरोक्त अवधि में वाहनों की अनुमानित मांग लगभग 81,000 से 109 000, वाहनों तक की होगी इस प्रकार वर्ष 1990 तक अर्थात् सातवीं योजना के 1 वर्ष बाद यह मांग 110,000 वाहनों तक की होगी। इसलिए मेरा विचार है कि जितनी क्षमता के लाइसेंस हमने दिये हैं उससे मान-नीय सदस्य द्वारा उल्लिखित मांग पूरी हो सकेगी।

जहां तक ऋण देना कम करने का प्रश्न है तो उसके बारे में तो माननीय सदस्या को इस सम्बन्ध में वित्तीय संस्थाओं द्वारा उठाए गए कदमों और ओटोमोबाइल क्षेत्र में विशेष कर ट्रैक्टरों और वाणिज्यिक वाहनों के लिए दिए गए ऋण देने में कड़ाई की कुछ उदार बनाने के लिये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गत वर्ष जारी किए गए मार्ग निर्देशों की जानकारी है ही, बजट में भी, माननीय सदस्या को याद होगा कि मंझौले और भारी वाणिज्यिक वाहनों के निर्माण पर उत्पादन शुल्क में कमी कर दी गई है।

जहां तक उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं का प्रश्न है, हमने उपभोक्ताओं से सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं तथा सुरक्षा पहलुओं का पता लगाने के लिए सात अध्ययन दल गठित किए हैं। एक दल सुरक्षा सम्बन्धी पहलुओं को अंतिम रूप दे रहा है; दूसरा दल प्रदूषण मानकों को। अंतिम रूप दे रहा है; तीसरा दल वाहनों के निर्माण के लिए आवश्यक क्षमता को अंतिम रूप दे रहा है, चौथा दल वाहन के ढांचे के वजन में कमी करने पर विचार कर रहा है, पांचवा दल बस की विद्युत क्षमता में सुधार करने के बारे में विचार कर रहा है, छटा दल टर्बो चार्जिग के बारे में विचार कर रहा है तथा सातवां दल हलके वाहनों पर डीजल इंजन के प्रयोग से होने वाले लाभों का अध्ययन कर रहा है।

श्रीमती जयंती पटनायक : जबकि भारतीय ओटोमोबाइल उद्योग उत्पादन और आधुनिकीकरण, दोनों ही क्षेत्रों में भारी प्रगति की ओर अग्रसर है तो इसके साथ ही ओटो कल पुर्जा उद्योग चुनौतियों और अवसरों का सामना करने के लिए अपनी तैयारी कर रहा है। मैं यह जानना चाहूंगी कि क्या वाहनों के लिए कलपुर्जों का आयात किया जा रहा है या उन्हें स्वदेश में ही निर्यात किया जा रहा है। मैं यह भी जानना चाहूंगी कि क्या सहयोग कर्ता देशों से कलपुर्जों के अप्रतिबन्धित आयात करने से स्वदेशी एककों पर बुरा प्रभाव पड़ा है और उनका उत्पादन सीमित हो गया है। इन सब बातों के अलावा मैं यह भी पूछना चाहूँगी कि क्या इस समय ऊंची कीमतों पर, जो कभी-कभी अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमतों के मुकाबले ढाई गुना से भी अधिक होती हैं, कच्चे माल की उपलब्धता उत्पादन के अनुकूल है ? सरकार द्वारा, विशेषकर कच्चे

माल की कीमतों को न्यायोचित बनाने के सम्बन्ध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं जिससे कि वाहनों के कल-पुर्जों का प्रतियोगी आधार पर उत्पादन हो सके ।

श्री नारायण दत्त तिवारी : महोदय, मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि कल-पुर्जा उद्योग में, विशेषकर वाहन क्षेत्र में विकसित प्रोद्योगिकी अपनाने की तुरन्त आवश्यकता है। इसलिए, हम इस बात के लिए सभी संभव कदम उठा रहे है कि कल-पुर्जा उद्योग के क्षेत्र में भी विकसित प्रोद्योगिकी अपनाई जाए। हम देखते हैं कि संपूर्ण रूप से परियोजनाओं में प्रोद्योगिकी का विकास हुआ है और नई प्रोद्योगिकी अपनाई जा रही है जब कि सहायक उद्योगों में अभी भी हम पुरानी प्रोद्योगिकी से ही कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार वाहन की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है क्योंकि एक भी पुर्जा पुराने मांडल का है तो वह नए मॉडल के पुर्जों के साथ नही जोड़ा जा सकता है । इसलिए हम अन्य मन्त्रालयों के सहयोग के साथ-साथ डी.जी.टी डी., भारी उद्योग मंत्रालय तथा औद्योगिक विकास मन्त्रालय के साथ बैठकें कर रहे हैं ताकि हम अपने ओटोमोबाइल क्षेत्र के लिए सहयोगी परियोजनाओं को आधुनिक बना सके । इस सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्य का भी सहयोग लेना चाहूंगा ।

श्री जेवियर अराकल : महोदय, हल्के वाहन बनाने और स्वदेशी बाजार में उनकी भरमार होने के बारे में एक समाचार था । मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ने स्वदेशी बाजार में ऐसे वाहनों की भरमार होने की संभावना के बारे में कोई अध्ययन किया है ? और यदि हां, तो सरकार का विचार निर्यात किया जा सकने वाले क्षेत्रों में इनका निर्यात बढ़ाने के लिए क्या उपाय करने का है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी : महोदय, मुझे तो नहीं लगता कि हल्के वाणिज्यिक वाहनों की कोई भरमार हो जायेगी और जहां तक निर्यात का संबन्ध है, तो उस पर वाणिज्यिक मन्त्रालय द्वारा निरन्तर निगरानी रखी जा रही है और हम भी इस बारे में गौर कर रहे हैं वाणिज्यिक वाहनों का हम मामूली निर्यात तो कर ही रहे हैं, परन्तु इसमें बृद्धि करनी होगी ।

राजस्थान में कागज मिल की स्थापना

*804. **श्री विरदा राम फुलवारिया** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में कुल कितनी कागज मिलें कार्य कर रही है;

(ख) क्या मांउट आबू में कागज उत्पादन के लिए वृक्ष लकड़ी आदि उपलब्ध होने के बावजूद भी वहाँ कागज मिल स्थापित नहीं की जा रही है;

(ग) क्या पहले एक फर्म ने वहां कागज मिल स्थापित करने का काम शुरू किया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) सम्प्रति राजस्थान में सात एकक कागज तथा कागज गत्ते का उत्पादन कर रहे हैं ।

(ख) माउण्ट आबू में कागज मिल स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि बनों से नियमित आधार पर पर्याप्त मात्रा में कच्ची सामग्री उपलब्ध होने की पुष्टि नहीं की गई है।

(ग) और (घ) माउण्ट आबू में कागज का उत्पादन करने के लिए नया एकक स्थापित करने के लिए कोई औद्योगिक लाइसेंस स्वीकृत नहीं किया गया है।

श्री विरदा राम फुलवारिया : अध्यक्ष महोदय, माउण्ट आबू की अरावली पहाड़ियों में लकड़ी काफी तादात में है। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि माउण्ट आबू में कागज की मिल स्थापित करने की मेहरबानी करें। वहां से पहले इस बारे में काफी मांग भी हुई थी, उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की और उस के बारे में क्या जवाब दिया ? क्या सरकार अब इस पर विचार करने की मेहरबानी करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : माउण्ट आबू में आप यह लगवा रहे हो, वहां लोग जाना बन्द हो जाएंगा।

श्री पट्टाभिराम राव : महोदय, उन्होंने जो पूछा है उसके बारे में मैं पूरी बात बताऊंगा।

(व्यवधान)

राजस्थान में कुल वन क्षेत्र राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 9 प्रतिशत है और इस बन क्षेत्र में भी सघन वन नही हैं। इसके अतिरिक्त राजस्थान में वनों पर अधिकारों और रियायतों का भारी बोझ है तथा राज्य सरकार राज्य में इन छूट प्राप्त कर्ताओं की मांग को पूरा करने में भी सक्षम नही है। राज्य के डिपार्टमेंटल आप्रेशन सर्किल द्वारा बांसों का मानक औसत वार्षिक उत्पादन केवल 59.87 लाख बासों स्टेंडर्ड का है। इन बांसों का अधिकतर उपभोग टोकरियां बनाने वाले स्थानीय लघु उद्योगों द्वारा किया जाता है तथा कुछ अन्य घरेलू आवश्यकताओं के लिए भी उनका उपयोग होता है। इस प्रकार राजस्थान के वन कागज मिलों के लिए पर्याप्त मात्रा में कच्चे माल की सप्लाई करने में सहायक नहीं हो सकते क्योंकि लकड़ी या बांसों पर आधारित कागज मिलों की आर्थिक गतिशीलता के लिए कागज 1.5 लाख टोन का होना चाहिए। भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने भी राजस्थान के उदयपुर वन संभाग के वन संसाधनों का सर्वेक्षण करने पर कागज मिलें लगाने की संभावना बहुत क्षीण बताई है। इसके अतिरिक्त राजस्थान में माउण्ट आबू के आस-पास के बन क्षेत्र को, जिसके बारे में वह पूछ रहे हैं, अभयारण्य घोषित किया गया है तथा इस अभयारण्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार वनों के काटे जाने पर प्रतिबन्ध है। (व्यवधान)

पश्चिम बंगाल और बिहार के सीमा वर्ती क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि

*808 **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**

श्री सूरज भान : क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल और बिहार में सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित उन गांवों, नगरों और

कस्बों के क्या नाम हैं जहां 1971 और 1981 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में (एक) 40 से 99 प्रतिशत तक; (दो) 100 प्रतिशत तथा उससे अधिक तक की वृद्धि हुई है; और

(ख) उसके क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में क्या आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) अपेक्षित सूचना का विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

(ख) इन क्षेत्रों में जनसंख्या में वृद्धि जनसंख्या के तीन तत्वों, अर्थात जनन-क्षमता, मृत्यु दर और प्रवास के संयुक्त प्रभावों के परिणाम स्वरूप है। किसी एकल तत्व को जनसंख्या की वृद्धि का कारण मानना कठिन है।

विवरण

(1) (क) पश्चिमी बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्रों* में स्थित गांवों के नाम जहां 1971 और 1981 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में 40 से 99% तक वृद्धि हुई है।

जिला तथा पुलिस स्टेशन का नाम जहां पर ग्राम स्थित है		
जिला	पुलिस स्टेशन	ग्राम का नाम
1	2	3
कूच बिहार	हल्दीबाड़ी	1. बड़ा हल्दीबाडी
		2. हेमकुमारी
		3. दरीबास
		4. दक्षिण मेखलीगंज
		5. मेखलीगंज
	मखलीगंज	1. बजेजमा कचलीबाडी
		2. बडा कचलीबाडी
		3. उत्तर अन्दरन कचलीबाडी
		4. उत्तर उपनयोकी कचलीबाडी
		5. फुलकर दबरी कसियाबाडी
		6. पूर्वा मोटबाडी
		7. पूर्वा फुलकर डबरी
		8. दक्षिण फुलकर डबरी

1	2	3
		9. उत्तर फुलकर डबरी खारखरिया
		10. कामत चंग्रबंधर
		11. दोरा डबरी
		12. जमालदाह
		13. पनीशला प्रथम खंड
		14. बुराबुरी दोबीत्तर
		15. बुराबुरी पकठहरा
	मथाभंगा	सतगाँव मनाबाड़ी शीतल लहीरी
	शीतलकुची	1. नलग्राम
		2. खसबास खालीसामरी
		3. सोनारचालुम
		4. जतामाडी
		5. पुलिया बाडा मसिया
		6. पगलीमाडी
	दीनहटा	1. पनगुडी
		2. छित मदनाकुड़ा
		3. दकुरहट
		4. किसामत कराला द्वितीय खंड
		5. भोनाथपुर
		6. श्यामगंज
		7. हट चौको
		8. छोटा सालमाड़ा
	सीतई	1. खामेर सीतई
		2. कयातरबाड़ी
		3. दक्षित सिंगीमाड़ी

टिप्पणी 1.* अन्तराष्ट्रीय सीमा पर बसे एककों से सम्बन्धित

2. कोई ऐसे नगर और कस्बे नहीं हैं।

1	2	3
जलपाईगुड़ी	राजगंज	1. बीन्नागुड़ी
		2. किस्मत सुकनी
	जलपाईघुड़ी	अर्जी मरिया कमला पुखाड़ी
	नगराकटा	1. गतिया टी. गार्डन
		2. करोन टी. गार्डन
	बनारहट	चारमुरची टी. गार्डन
	कलोहीनी	1. उत्तर बड़ाझर फोरेस्ट
		2. तोरसा टी गार्डन
दार्जिलिंग	खाड़ीबाड़ी	1. रंगमुनी
		2. मदान
	नकसलबाड़ी	मंझा
	गरूबाथान	रंगू फोरेस्ट
पश्चिम	होमताबाद	महीशगांव
दिनांजपुर**	कालियागंज	1. भुरकुटपाड़ा
		2. चांदगांव
		3. मलजुम
		4. गोटगांव
	कुशमुण्डी	मोलाई
	गंगारामपुर	1. कन्ताबन
		2. पूर्वा बिष्नुपुर
	कुमारगंज	1. नवाग्राम
		2. भोमार
		3. दबीपुर
	तपन	1. छत्राहाटी
		2. कर्नेल

1	2	3
	बलूरघाट	1. भुलकीपुर
		2. पीरीजपुर
	हिल्ली	चाक गोपाल
मालदा	बामनगोला	1. खूटादाह
		2. रंगपतीया
		3. अदातल
	हबीबपुर	1. आगरा
		2. चाकली
	मालदा	मबारकपुर
	इंगलिश बाजार	1. सतगदा
		2. नजीरखानी
		3. मोसलेमपुर
	कानियाचाक	चाकमेलपुर
मुरादाबाद	समशेरगंज	1. लोहारपुर
		2. दक्षिण वैद्यनाथपुर
	भगवानगोला	दक्षिण जजीरा चार दुपरीया
	नानीनगर	1. चार राजानगर
		2. शिबनगर
	जालंगी	1. हजराहटी
		2. उदयनगर दयार
		3. पारसपुर
		4. मुरादपुर जालंगी

टिप्पण:** पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा किए गए व्यवस्थापन के परिणामस्वरूप अधिकार क्षेत्र में हुए परिवर्तनों के कारण पश्चिम दिनाजपुर जिले के चौपड़ा, गोलपोखर, करंदीघी और इस्लामपुर पुलिस स्टेशनों में स्थिति सीमावर्ती गांवों के बारे में 1971-81 के दौरा वृद्धिध कर देना सम्भव नहीं है।

1	2	3
	रघुनाथगंज	खापरा
नदिया	करीमपुर	1. फुलबाडी
		2. गंदिना
		3. कर्मदिया
		4. उत्तर ताजपुर
		5. नन्दनपुर
		6. रोसबती
		7. ओदिया
		8. पाइकसा
		9. चाक पीपुलबाडिया
		10. मथुरापुर
		11. बेर रामचन्द्रपुर
		12. सेखपाडा मेघना
		13. रामनगर
	लोहद्दा	1. खंजेपुर
		2. मुबारकपुर
		3. बेतई
		4. बेतई जीतपुर
		5. बगाखली
		6. शाहापुर
		7. पत्थर घाट
	चपरा	1. सुन्तीया
		2. महाखोला
		3. मलवापाडा
	कृष्णागंज	1. कादीपुर
		2. दिगम्बरपुर
		3. चान्दपुर
		4. उतीखली

1	2	3
	हसंखली	उमरपुर
	रनघाट	कालूपुर
चौबीस परगना	बगदाद	1. चरमनदलबाग
		2. पथूरिया
		3. माथाभंग
		4. कुटिया
		5. राजकोल
		6. काशीपुर
		7. जीतपुर
		8. झीकरा
		9. माधोपुर
		10. पूर्व पंचबडिया
		11. बयरा
		12. सालक
		13. मेहरानी
		14. बंसघाट
	बौगांव	1. पाईकपाडा
		2. जयन्तीपुर
		3. सतरापोल
		4. पुराना बौगांव
	गईघाट	1. नोरदाह
		2. जावदंग
	स्वरूपनगर	1. गोबरा
		2. गुनराजपुर
		3. अरसिकरी
		4. हकीमपुर
	बसीरहाट	1. सोलदाना
		2. हरीहरपुर

(1) (ख) बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित गांवों/कस्बों के नाम 1971 और 1981 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में 40 से 99% तक वृद्धि हुई है।

जिला तथा सी. डी. ब्लाक का नाम जहां पर ग्राम/कस्बा स्थित है		
जिला	सी. डी. ब्लाक	ग्राम/कस्बे का नाम
1	2	3
पश्चिम चम्पारन	सिधौ	1. बाल्मिकीनगर
		2. थारही
		3. रामपुरवा
	मैनातनर	भाँगहा
पूर्बी चम्पारन	रक्सौल	रक्सौल बाजार कस्बा
	अदपुर	1. मुरतिया
		2. धर्मनगर
	घोड़ासहन	1. घनुखी
		2. झनझारा
सीलामढ़ी	बेरगनिया	बेरगनिया (एन०)
	सोनबरसा	चितरा
	परिहर	1. गोरहरी
		2. बराही
मधुबनी	हरलखी	कमलपतपत्ती
	लोकाहा	बासदेवपुर
सहरसा	निरमाली	1. बिलन्दी
		2. धरहाड़ा
	बसन्त	1. भीमनगर
		2. लालपुर
		3. खन्ताह
		4. फतेहपुर

टिप्पणी 1.* अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर बसे एककों से सम्बन्धित

2. कस्बा रेखांकित है।

3. कोई ऐसे नगर नहीं है।

1	2	3
पूर्णिया	नरपतगंज	1. पथराहा
		2. भोरहार
		3. कुछगांव
	फोरबिसगंज	हटवा
	कुरसकट्टा	1. भागपरसई
		2. सिकटिया
		3. चाइता
	सिकटी	1. माजराख
		2. मुरारीपुर
	दीघलबंक	1. लोहारगढ
		2. पालसा
		3. हरबीभीटा
		4. घनटोला
		5. महामारी
		6. बरभंग
	ठाकुरगंज	1. कोरीपा
		2. राजगांव
		3. सोबोड़गी
		4. सुखनी
		5. टाटपोवा

(II) (क) पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित गांवों के नाम जहां 1971 और 1981 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में 100% तथा उससे अधिक तक की वृद्धि हुई है।

जिला तथा पुलिस स्टेशन का नाम जहां पर ग्राम स्थित है ।

जिला	पुलिस स्टेशन	ग्राम का नाम
कूच बिहार	मेखलीगज	1. झार सिधेश्वर*
		2. दक्षिण जमालदाह बालापुखारी
		3. दक्षिण मेखलीगंज*
		4. दक्षिण हेमकुमारी
		5. पूर्बा निजतरफ
		6. मोकरारी जमालदाह
		7. बुराबुरी
	दीनहटा	1. कोरई
		2. जरी धाला नदी
		3. उत्तर छाट लोटाफेला
जलपाईगुढी	जलपाईगुढी	शक्ति
	बीरपाडा	नेपानिया
	कलचीनी	जयगांव
दार्जिलिंग	खारीबाडी	1. चीकू
		2. बाजारूड़ छात
	नक्सलबाड़ी	1. धाकना
		2. छोटा पनीरम
	सुखिया पोखड़ी	सिहलीला फोरेस्ट
पश्चिम	कालियागंज	खाइलतोर
दिनाजपुर	हिल्ली	1. उजल
		2. नालंदंगा
मालदा	बामनगोला	पथार शिमला
	इंगलिश बाजार	1. धरमहाली*
		2. कृष्णाप्रसाद निज*
	कालियाचाक	देवनापुर

1	2	3
मुर्शिदाबाद	रघुनाथगंज	1. नवादतुली
		2. सिबपुर
		3. नारू खाकी
		4. इन्द्रनारायणपुर
		5. पश्चिम चार गोथा*
	रानीनगर	दक्षिण मझहरदियार
नदिया	करीमपुर	1. दक्षिण ताजपुर*
		2. धारा*
	कृष्णगंज	नालुपुर
चौबीस परगना	बगदा	कुलानन्दपुर
	बसीरहाट	1. बीबीदिया*
		2. गोलहटी

टिप्पणी— 1. *अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर बसे एककों से सम्बन्धित
2. इस प्रकार के कोई नगर तथा कस्बे नहीं हैं।
3. *1971 की जनगणना में गैर-आबाद

(II) (ख) बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों * में स्थित गांवों/कस्बों के नाम जहां 1971 और 1981 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में 100% तथा उससे अधिक तक की वृद्धि हुई है।

जिला तथा सी. डी. ब्लाक का नाम
जहां पर ग्राम/कस्बा स्थित है

जिला	सी. डी. ब्लाक	ग्राम/कस्बे का नाम
1	2	3
सीतामढ़ी	सोनबरसा	1. मुरहाघाट
		2. पिपरा कल्याण
सहरसा	बसंतपुर	धरापट्टी अज रकबे चन्दीप
पूर्णिया	नरपतगंज	1. गोरपूछडी

1	2	3
		2. पोखड़िया
		3. कामत पत्थराहोर पत्थरा अराजी
	कोरबिसगंज	जोगबनी कस्बा
	दिगलबैंक	1. सिंगीमाडी
		2. दिगलबैंक (306)
		3. मलतोली
		4. दिगलबैंक (308)
	ठाकुरगंज	1. गिलाबाडी
		2. चुर्ली
		3. सिंगीमाडी
पश्चिम चम्पारन	मैनतनर	धूपातनर

टिप्पणी:— 1. * अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर बसे एककों से सम्बन्धित

2. कस्बा रेखांकित है।
3. कोई ऐसे नगर नहीं हैं।
4. दिगलबैंक सी. डी. ब्लाक में कालम सं० 3 में क्रम सं० 2 तथा 4 पर उल्लिखित ग्रामों के लिए कोष्ठों में दिए गए आँकड़ों अर्थात 306 तथा 308, दिगलबैंक के उसी नाम के गांवों की थाना संख्या से सम्बन्धित हैं।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, इस सवाल में से पूरक प्रश्न पूछूं इससे पहले मैं आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूँ कि मेरे प्रश्न के अंश (ख) का जो दूसरा भाग है, उसका उत्तर नहीं आया है। जनसंख्या वृद्धि के कारण हैं और इस सम्बन्ध में क्या आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं, इसको सरकार गोल कर गई है।

अध्यक्ष महोदय : गोल मत करिये, सीधा करिये। गोलमोल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : पहले से इसका जवाब दे दें, फिर में पूरक प्रश्न पूछूं।

अध्यक्ष महोदय : बताइए, कारण बताइए।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : सप्लीमेंट्री पूछिए।

श्री मनीराम बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, अगर मंत्री पूरा जवाब न दे तो आप कस्टोडियन हैं मेंबर्स के। आपको पूरा जवाब दिलवाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आपका क्या सवाल है कि मैं यहां पर कत्थकली कर रहा हूं ?

गृह मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब दिया गया है बी का कि जनसंख्या बढ़ोतरी के तीन कारण हैं। एक तो ग्रोथ रेट आफ फर्टिलिटी, मार्टेसिटी और माइग्रेशन। जहां तक माइग्रेशन को रोकने का सवाल है, इसका उत्तर कई बार दिया जा चुका है। सरकार माइग्रेशन को रोकने के लिए प्रयत्नशील है।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, जब मैंने यह प्रश्न दिया तो इसका आधार समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरें थीं ये खबरें बड़ी चिन्ताजनक थीं। क्या इस देश के अन्दर ऐसे भी इलाके हैं जहां आबादी 49 फीसदी से लेकर सौ फीसदी तक बढ़ गई है। मंत्री महोदय ने माना है कि पश्चिमी बंगाल में और बिहार में ऐसे क्षेत्र हैं जहां आबादी 49 फीसदी से सौ फीसदी तक बढ़ा है। कहीं कहीं तो सौ फीसदी से भी ज्यादा बढ़ी है मंत्री महोदय उसका कारण दे रहे हैं फर्टिलिटी, मार्टेलिटी और माइग्रेशन। मैं पूछना चाहता हूं कि जहां तक मार्टेलिटी और फर्टिलिटी का सवाल है, क्या यह सारे देश पर लागू नहीं होती। केवल इन्हीं इलाकों के लिए जहां की आबादी सौ फीसदी बढ़ गई है, इन तत्वों का उल्लेख कैसे किया जा सकता है ? क्या यह सत्य नहीं है कि सरकार सारे मामले पर लीपा पोती करने की कोशिश कर रही है ?

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : लीपापोती की कोशिश सरकार नहीं करती है। मार्टेलिटी और फर्टिलिटी के साथ साथ जहां तक माइग्रेशन का सम्बन्ध है, इण्टरनल और एक्सटर्नल माइग्रेशन की वजह से भी जनसंख्या बढ़ी है।

एक माननीय सदस्य : यह इंटरनल माइग्रेशन क्या है ?

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : एक जिले से दूसरे जिले में कोई जाकर बस गया, कोई एक स्टेट में दूसरी स्टेट में जाकर बस गया। दूसरा एक्सटर्नल माइग्रेशन है जैसा बाजपेयी जी कह रहे हैं। (व्यवधान)

मैं वाजपेयी जी को पूरा कर देता हूं।

अध्यक्ष महोदय : पूरा मत करिये, आधा ही रहने दीजिये।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : अध्यक्ष महोदय. मैंने सुना नहीं, क्या करने के लिए इन्होंने कहा है।

अध्यक्ष महोदय : मैं पूरा करने की इजाजत नहीं दे सकता।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : जवाब पूरा कर देती हूं।

अध्यक्ष महोदय : हां जवाब पूरा दे दीजिए।

संसदी कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटासिंह) : आज तक तो बाजपेयी जी का कोई जवाब ही नहीं था।

श्री रतन सिंह राजदां : हमें दोनों की ही सुरक्षा की चिन्ता है।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : 40 से 99 प्रतिशत वृद्धि के सम्बन्ध में जिलों की सख्या इस प्रकार है : पश्चिम बंगाल—8 और बिहार—6 ग्रामों की संख्या है : पश्चिन बंगाल—141 और बिहार—391 कस्बों की संख्या : पश्चिम बंगाल—शून्य और बिहार—2।

शत प्रतिशत और उसमें अधिक वृद्धि वाले जिलों की संख्या इस प्रकार है : पश्चिम बंगाल—8 और बिहार—4। ग्रामों की संख्या : पश्चिम बंगाल—37 और बिहार—14, कस्बों की संख्या : पश्चिम बंगाल—शून्य और बिहार—1 है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह तो हमने भी पढ़ लिया है।...(**व्यवधान**)

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : पढ़ लिया तो ठीक है।

.....(**व्यवधान**)

श्रीअटल बिहारी बाजपेयी : यह तो मैं स्वयं कह रहा हूँ कि सरकार ने अपने जवाब में मान लिया है कि बिहार और पश्चिम बंगाल में ऐसे ज़िले और गांव हैं, जहां जनसंख्या में असाधारण वृद्धि हुई है। मगर, उसके कारणों का जो विवेचन किया गया है, वह सही नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जहां तक फर्टिलटी मार्टेलिटी का सवाल है, वह तत्व सारे देश में लागू होते हैं। लेकिन माइग्रेशन की वजह से जो जनसंख्या में असाधारण वृद्धि हुई है, क्या सरकार उसके बारे में कोई विशेष मरदमशुमारी का प्रस्ताव रखती है कि इन क्षेत्रों में जाकर पता लगा लेंगे ?

श्री प्रकाश चन्द सेठी : जहां तक मरदमशुमारी का सवाल है, आसाम को छोड़ कर हाल ही में सारे देश में मरदमशुमारी पूरी हुई है। उसके विभिन्न जातिगत आंकड़ों का ब्रेक-अप अब हमको मिलने जा रहा है। इसलिए, यह सवाल पैदा नहीं होता है कि मरदमशुमारी नहीं की जा रही है। मरदमशुमारी से ही हमको पता लगता है कि कितनी जनसख्या कहाँ बढ़ी है और किन-किन सैकशन्स में बढ़ी है।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। इस असाधारण जनसंख्या वृद्धि को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार जिन जिलों और गांवों का उल्लेख किया गया है, उनमें कोई स्पेशल सैन्सस करायेगी, यह पता लगाने के लिए कि माइग्रेशन के कारण फर्टिलिटी और मार्टेलिटी की वजह से कितनी जनसंख्या बढ़ी है ? क्या आप इसे गम्भीर मामला नहीं समझते ?

श्री प्रकाश चन्द सेठी : माननीय सदस्य का सुझाव है कि जहां-जहां जनसंख्या असाधारण रूप से बढ़ी है, वहां स्पेशल सैन्सस कराया जाय। इसके लिए मैं सैन्सस कमीशन के पास आपका प्रस्ताव जरूर पहुंचा दूंगा और उनसे निवेदन करूंगा कि वह जरूर इस कार्य को करें।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : चूंकि गृह मन्त्री ने कहा है कि यह चुनाव आयुक्त से परामर्श करेंगे (**व्यवधान**) क्षमा करें मेरा मतलब था जनगणना आयुक्त से। उन्होंने कहा है कि चुनाव जून में होंगे। क्या यह प्रमाणित है?

अध्यक्ष महोदय : इनकी बातों पर ज्यादा विश्वास करोगे तो मार खा जाओगे।

(व्यवधान)

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या वह इस प्रकार का कोई निर्णय लेने से पूर्व समय, तथ्य जानने के लिए पश्चिम बंगाल और बिहार की राज्य सरकारों से परामर्श करेंगे।

श्री प्रकाश चन्द सेठी : हम इन क्षेत्रों में विशेष जनगणना करवाने से पूर्व निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल और बिहार की राज्य सरकारों से परामर्श करेंगे।

श्री अमर राय प्रधान : श्रम मंत्री महोदय इन मामलों को जनगणना आयुक्त को सौंपने से पुर्व 1961, 1971 और 1981 की जनगणना रिपोर्ट भी जांच करेंगे और उनकी परस्पर तुलना करेंगे ? 1961 और 1971 की रिपोर्टों के बीच अधिक अन्तर नहीं है। क्योंकि 1971 का वर्ष एक नाजुक वर्ष था और इसी वर्ष के दौरान बंगला देश का स्वतन्त्र आन्दोलन आरम्भ हुआ था। तब जनगणना का कार्य ठीक प्रकार से नहीं किया जा सका। इसलिए क्या मन्त्री महोदय इस तथ्य की ओर ध्यान देंगे।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : हम माननीय सदस्य के सुझाव पर विचार करेंगे।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर खर्च की जाने वाली धनराशि

*809. **श्री भीखा भाई** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर खर्च की जाने वाली धनराशि बताने के निदेश दिये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजायियों की पर्याप्त जनसंख्या वाली राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को इन योजनाओं के लिए धनराशि निर्धारित करके अनुसूचित जातियों और जनजातियों के विकास के लिए विशेष संघटक योजना (एस सी पी)/जनजाति उपयोजन (टी एस पी) तैयार करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। ब्यौरे प्रत्येक वर्ष विभिन्न राज्य अनुसूचित सरकारों/संघशासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा तैयार की गई एस सी पी और टी एस पी में उपलब्ध हैं।

श्री भीखा भाई : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया है कि जिन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या काफी संख्या में है, उन्हें विशेष घटक योजना और आदिवासी उप-आयोजना तैयार करने के निदेश दिए गए हैं। क्या मैं मंत्री महोदय से यह पूछ सकता हूं कि पिछले वर्षों के दौरान सभी राज्यों में विशेष घटक योजना और आदिवासी उप-योजना के अन्तर्गत कितनी राशि व्यय की गई है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए राज्यों को कितनी विशेष केन्द्रीय सहायता दी गई है। यदि वह हमें राज्य-वार आंकड़े दे सकें तो बेहतर हैं नहीं तो वह हमें कुल अथवा समेकित आंकड़े दे सकती हैं।

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : सभी राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों में विशेष घटक योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के लिए 1980-81 से लेकर आगे गत चार वर्षों के दौरान लगभग 2600 करोड़ रुपए व्यय किए गए। गृह मंत्रालय द्वारा, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की पिछले 4 वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों के विकास के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में, छठी पंचवर्षीय योजना के लिए निश्चित किए गए 600 करोड़ रुपयों में से 460 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।

प्रथम चार वर्षों के दौरान राज्य योजना निधियों से 2554 करोड़ रुपए और बाकी उप/आयोजना को दिए गए। इस अवधि के दौरान राज्यों को, छठी योजना अवधि के लिए निर्धारित की गई 485 50 करोड़ रुपए की राशि में से 340 करोड़ रुपए की विशेष केन्द्रीय सहाता दी गई है।

श्री भीखा भाई : अध्यक्ष महोदय, आदिवासी उप-आयोजना क्षेत्रोन्मुखी योजना है। जबकि विशेष घटक योजना परिवारो-मुखी योजना है। मैं जानना चाहता हू कि क्या सरकार का यह विचार करने के लिए कार्यकारी दल गठित करने का प्रस्ताव है कि क्या संघठक योजना के नमूने पर जनजातीय उप-आयोजना तैयार की जा सकती है? और इसके साथ साथ छठी योजना के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए विशेष घटक योजना और जनजातीय उप-आयोजन के लिए कितनी राशि की व्यवस्था की गई है और यदि इसे परिवारोन्मुखी बनाया जा रहा है, जैसा कि विशेष घटक योजना के मामले में किया गया है, तो सातवीं योजना के लिए कितनी राशि की व्यवस्था किए जाने का प्रस्ताव है।

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : किसी राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र के लिए वार्षिक विशेष संगठन योजना अथवा जनजातीय उप-आयोजन के आकार का निर्धारण, योजना आयोग और गृह मंत्रालय द्वारा प्रत्येक वर्ष योजना आयोग, गृह मंत्रालय और राज्य सरकारों के बीच विस्तृत बातचीत के पश्चात किया जाता है। ऐसा करते समय पिछले वर्ष के दौरान इसी क्षेत्र में राज्य के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन भी किया जाता है।

शेष प्रश्न क्या है? मैं भूल गयी हूँ।

श्री भीखा भाई : अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए कितने धन की व्यवस्था की गयी है ?

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान जनजातीय उप-आयोजना के कार्यान्वयन के लिए कुल परिव्यय 3980.50 करोड़ रुपए हैं। इस राशि में गृहमंत्रालय से प्राप्त 485.50 रुपए की विशेष केन्द्रीय सहायता भी शामिल है।

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 96,44,723 अनुसूचित जाति परिवारों को सहायता देने का लक्ष्य है जिन में से जनवरी, 1984 तक 65,32,584 परिवारों को सहायता दी जा चुकी है। मैं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के बारे में बोल रही हूं। छठी योजना के दौरान विशेष संघटक योजना के लिए कुल परिव्यय लगभग 4,483.44 करोड़ रुपये है और केन्द्रीय सहायता 600 करोड़ रुपए हैं।

श्री दलीपसिंह भूरिया : अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने बताया कि आदिवासियों के लिये बहुत सारी योजनायें हैं। मैं खासकर के उनसे जानना चाहता हूं कि बहुत सी जातियां आदिवासियों की ऐसी है जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड में जरवा और सैंटनली दो ऐसी कास्ट्स हैं जो आज भी दुनियां से नहीं मिलना नहीं चाहती, और हमारे मध्य प्रदेश में मेरी कांस्टीट्यूऐंसी में जो क्रिमिनल ट्राइब्स हैं...

अध्यक्ष महोदय : अब कार्ड क्रिमिनल ट्राइब्स नहीं हैं।

श्री दलीप सिंह भूरिया : मेरा कहने का मतलब है कि ऐसी ट्राइब्स है जिनमें अज्ञानता और अविश्वास है और इस कारण से आपस में लड़ते हैं और इस योजना से जो उनको लाभ होना चाहिये वह नहीं मिलता है। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसी जो ट्राइब्स हैं उनके लिये शासन ने कोई योजना बनायी कि उनको कैसे सुधारा जाय ?

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : उसका आधार बना हुआ है उसके अन्दर जो भी शेड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल ट्राइब्स आते हैं वह उससे लाभान्वित होते हैं।

टायरों पर अनिवार्य मूल्य नियंत्रण

810 **श्री के. लकप्पा :**

श्री धर्मदास शास्त्री : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इंडिया टायर डीलर्स फैडरेशन ने निर्माताओं द्वारा मूल्य वृद्धि को वापस लेने के सरकारी निर्देशों का पालन न करने पर सरकार से अनुरोध किया है कि वे टायरों पर अनिवार्य मूल्य नियंत्रण लागू नहीं करें ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा कब तक निर्णय ले लिये जाने की संभावना है ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)

(क) से (ग) टायरों के मूल्यों को घटाने के लिए विभिन्न उपायों का सुझाव देते हुए अभी हाल ही में एक अभ्यावेदन आल इन्डिया टायर डीलर्स फैडरेशन से प्राप्त हुआ है, जिसमें अन्य सुझावों के साथ-साथ एक सुझाव कीमतों पर अनिवार्य नियंत्रण लागू करना भी है। सरकार उत्पादकों द्वारा घोषित संशोधित मूल्यों को आस्थगित रखने के प्रश्न पर उनके साथ पहले ही बातचीत आरंभ कर चुकी है।

श्री के. लकप्पा : इस समय, ट्यूबों और टायरों के निर्माताओं और प्रभोक्ताओं के बीच युद्ध चल रहा है। ट्यूबों और टायरों के निर्माता अधिक से अधिक कीमत बढ़ाना चाहते हैं और उपभोक्ता उसे उचित दर पर प्राप्त करना चाहते हैं।

इस युद्ध में भारत सरकार को ट्यूबों और टायरों के अधिक मूल्य वसूल किए जाने से उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए।

इस समय 8 से 10 बडी कम्पनियों की टायर बनाने के लिए लाइसेंस दिए गए हैं और यही बड़ी कम्पनियां सम्पूर्ण स्थिति पर नियंत्रण किए हुए हैं और सरकार पर अपनी शर्तें थोप रही हैं। टायरों और ट्यूबों से उत्पादन में, इस देश में कुछ बड़ी कम्पनियों का यह एकाधिकार उपभोक्ताओं के लिए अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है। टायरों और ट्यूबों का उत्पादन करने वाली कुछ एकाधिकारवादी कम्पनियों को अपनी मर्जी से मूल्य बढ़ाने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। ट्यूबों और टायरों के उत्पादन में संलग्न इन कुछ एकाधिकारवादी कम्पनियों द्वारा किए जाने वाले कदाचारों मैं के बारे में पता लगने पर भारत सरकार ने उद्योग मंत्रालय में निर्माताओं को निदेश जारी किया मैं इस सदन को पढ़कर सुनाता हूं कि निदेश में क्या कहा गया है।

> "इन में से कुछ कहाचारों से राज्य को भी भारी हानि हो रही है इसलिए, टायर कम्पनियों की वर्तमान प्रणाली की, प्रमुखतः यह निश्चित करने के लिए जांच करने का निर्णय लिया गया है कि क्या इससे टायरों के वर्तमान मूल्य पर कोई प्रभाव पड़ता है।

भारत सरकार द्वारा जारी किए गए निदेश में सभी टायर कम्पनियों को सलाह दी गई है कि वे जनवरी, 1984 में किए गए संशोधित मूल्यों को लागू न करे।

किन्तु भारत सरकार द्वारा अभी तक टायरों और ट्यूबों के मूल्यों को युक्तियुक्त बनाने के लिए कोई कार्यवाई नहीं की गई है।

मैं उद्योग मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि, भारत सरकार के संयुक्त सचिव द्वारा

निदेश दिए जाने के बावजूद भी अब तक कोई कार्रवाही क्यों नहीं की गई है। भारत सरकार द्वारा जारी किए गए निदेश को कार्यान्वित करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

उपभोक्ताओं के हितों में टायर ट्यूबों के मूल्यों को तुरन्त न्याय संगठन बनाया जाना चाहिए। ये निदेश, भारत सरकार के संयुक्त सचिव द्वारा जारी किए गए थे। मैं जानना चाहता हूं कि कार्रवाई करने में विलम्ब क्यों हुआ है, भारत सरकार द्वारा मूल्यों की युक्ति संगत बनाने के लिए कोई कार्रवाही क्यों नहीं की गई।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हो गया है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

नयी सिंचाई योजनाओं का मंजूर न किया जाना

*803. **श्री रवीन्द्र वर्मा :**

श्रीमती किशोरी सिन्हा : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने सिंचाई मंत्रालय की सलाह से यह फैसला किया है कि कुछ समय तक कोई भी नयी सिंचाई परियोजना मन्जूर नहीं की जायेगी;

(ख) यदि हां, तो इस बारेमें तथ्य क्या हैं;

(ग) इस प्रकार का फैसला करने के क्या कारण हैं; और

(घ) यह फैसला कब तक लागू रहेगा और इस फैसले को कब तक सन्शोधित किये जाने की सम्भावना है ?

योजना मन्त्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

दिल्ली में पुलिस हिरासत में बलात्कार की घटनाएं

*805. **श्री बापू साहिब परुलेकर :**

डा. सुब्रहमण्यम स्वामी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ शासित क्षेत्र, दिल्ली में गत एक वर्ष के दौरान पुलिस हिरासत में बलात्कार की अनेक घटनाएं हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो इनमें के प्रत्येक घटना का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस बारे में जिन पुलिस कर्मियों को दण्ड दिया गया उनकी संख्या और ब्यौरा क्या है तथा उनमें से प्रत्येक को दिये गये दंड का ब्यौरा क्या है; और

(घ) भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या विशेष कदम उठाये गये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकटसुब्बय्या) : (क) गत एक वर्ष के दौरान अर्थात 1-4-1983 से 31-3-1984 तक पुलिस हिरासत में बलात्कार का एक मामला दिल्ली पुलिस को सूचित किया गया है।

(ख) दो महिलाओं को, जिन्हें 23-3-1984 से 29-3-1984 तक थाना करौल बाग के एक मामले में रिमांड पर पुलिस हिरासत में रखा गया था, 29 मार्च, 19 4 को मैट्रोपोलिटन मजिस्टेट, करौल बाग के न्यायालय में पेश किया गया था। उनमें से एक महिला ने न्यायालय में एक आवेदन पत्र दिया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि 25 मार्च, 1984 को जांच अधिकारी द्वारा उसके साथ बलात्कार किया गया था।

(ग) भारतीय दंड संहिता की धारा 376/506 के अधीन एक मामला दर्ज किया गया है और उसकी जांच की जा रही है। सम्बन्धित उपनिरीक्षक को निलम्बित कर दिया गया है।

(घ) ऐसे अनुदेश पहले ही विद्यमान है कि यदि कोई महिला पूछताछ/जांच के लिये थाने में लाई जाती है तो उसको महिला पुलिस अधिकारी की हिरासत में रखा जाये।

बांगलादेशियों को भारतीय नागरिकता दिया जाना

*807. **श्री राम जेठमलानी** : क्या **गृह मन्त्री** बांगलादेशियों के राजधानी में बसने के बारे में दिनांक 18 अप्रैल, 1984 के तारांकित प्रश्न संख्या 728 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बांगला देश के कितने लोगों को भारत में प्रवेश करने के बाद भारतीय नागरिकता प्रदान की गई है;

(ख) दिल्ली क्षेत्र में रह रहे बांगला देश के कितने लोगों के अपने नाम मतदाताओं की सूची में दर्ज करा लिये हैं; और

(ग) इनमें से ऐसे लोगों के प्रति सरकार की क्या नीति है जिनके मामले में भारतीय नागरिकता निश्चित नहीं हो सकी है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी. वेंकटसुब्बय्या) : (क) दिल्ली में रह रही 5 महिलाओं सहित 372 बंगलादेशी महिलाओं को जिन्होंने भारतीय नागरिकों से विवाह किया था, 1971 से 21 अप्रैल, 1984 तक की अवधि के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 5 (1) (ग) के अधीन भारतीय नागरिकता प्रदान की गई थी।

(ख) इस सम्बन्ध में सही सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) 25 मार्च, 1971 के बाद जो अवैध रूप से आए हैं उनका निर्वासन किया जाना है।

हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची में अध्यापकों में असंतोष

*811. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या **उद्योग मन्त्री** हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची में सत्याग्रह के बारे में 27 अप्रैल, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8947 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हेवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन के प्रबन्धकों द्वारा समझौते की तारीख अर्थात 5 मार्च, 1983 से बकाया धनराशि की अदायगी के लिए क्या कदम उठाए गये हैं;

(ख) सुपरवाइजरों और अध्यापकों को बकाया धनराशि की अदायगी में अत्याधिक देरी के क्या कारण हैं और असन्तोष और औद्योगिक अशांति को दूर करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) विलम्ब करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध तथा दुबारा श्रमिक अशांति की संभावित पुनरावृत्ति को रोकने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

उद्योग मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) तथा (ख) प्रबन्धकों ने संघ के पदधारियों को बताया था कि वे पहले से ही कार्यान्वित किये गये वेतन-सन्शोधन के अलावा 1-1-1982 से प्रतिमास 36 रुपये की अतिरिक्त राशि के लिये उनके अनुरोध पर विचार करेंगे और इस मामले को सरकार के पास उठायेंगे। सरकार द्वारा इस मामले की जांच की गई थी लेकिन इस अनुरोध को स्वीकार करना सम्भव नहीं पाया गया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

लघु सीमेंट संयंत्रों की स्थापना के लिए लाइसेंस

*812. **डा. कृपा सिंधू भोई** : **क्या उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983-84 के दौरान कुल कितने औद्योगिक लाइसेन्स जारी किये गये;

(ख) वर्ष के दौरान लघु सीमेंट संयंत्र स्थापित करने के लिये कितने लाइसेन्स दिये गये;

(ग) राज्य-वार दिये गये लाइसेन्सों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कुछ बेनामी लोगों ने लाइसेन्स प्राप्त कर लिये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों पर नियंत्रण रखने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

उद्योग मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) वर्ष 1983-84 के दौरान 1042 औद्योगिक लाइसेन्स जारी किये गये थे।

(ख) से (ङ) उपयुक्त अवधि के दौरान मिनी सीमेंट संयंत्रों (वार्षिक क्षमता-66,000 मी० टन प्रति संयंत्र) की स्थापना के लिये जारी किये गये 15 आशयपत्रों को औद्योगिक लाइसेन्सो में बदला गया था। आशयपत्रों को औद्योगिक लाइसेन्सों में बदलते समय योजनाओं के कार्यान्वयन में प्रवर्तक का हित बना रहे, इसका ध्यान रखा जाता है। सरकार को किसी भी बेनामी लाइसेन्सों की जानकारी नहीं है। किन्तु यदि किसी भी बेनामी कारोबार का कोई भी मामला जानकारी में लाया जाता है तो सरकार द्वारा उस पर उपयुक्त कार्यवाई की जा सकेगी। स्वीकृत किये गये 15 लाइसेन्सों का राज्यवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

क्र०सं०	पार्टी का नाम	स्थापना-स्थल	
		जिला	राज्य
1.	मै. हिमाद्रि सीमेंट्स लि.	कृष्णना	आन्ध्र प्रदेश
2.	श्री बी. एम. दयाशंकर	कुरनूल	आन्ध्र प्रदेश
3.	मै. राधाकिशन सीमेंट लि.	बांसकंठा	गुजरात
4.	मै. पंचमहल सीमेंट कं. लि.	पंचमहल	गुजराज
5.	मै. कामदार सीमेंट प्रा. लि.	जूना गढ़	गुजरात
6.	मै. अमीरगढ़ सीमेंट लि.	बांसकंठा	गुजरात
7.	मै. के.एन. सीमेंट्स लि.	सिरमूर	हिमाचल प्रदेश
8.	मै. कर्नाटक सीमेंट्स लि.	गुलबर्गा	कर्नाटक
9.	कर्नाटक मिनरल्स एन्ड मैन्युफैक्चरिंग कं.	चित्रदुर्ग	कर्नाटक
10.	मै. शिव मिनरल्स एन्ड सीमेंट इंडस्ट्री प्रा. लि.	चित्रदुर्ग	कर्नाटक
11.	मै. श्री क्वालिटी सीमेंट्स लि.	बीजापुर	कर्नाटक
12.	धार सीमेंट लि.	धार	मध्य प्रदेश
13.	मै. भारत फूड इन्डिया लि.	सीधी	मध्य प्रदेश
14.	मै. कल्याण सुन्दरम् सीमेंट इन्डस्ट्रीज लि.	बांसवाड़ा	राजस्थान
15.	मै. जन लघु सीमेंट उद्योग लि.	सीकर	राजस्थान

गोरखपुर और वाराणासी में सरकारी क्षेत्र के उद्योग स्थापित करना

*813. **श्री कृष्ण चन्द्र पाण्डे** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोरखपुर और वाराणसी देश के सबसे अधिक पिछड़े क्षेत्र हैं; और

(ख) उन उद्योगों के नाम क्या हैं जिन्हें सरकार ने वर्ष 1983-84 और 1984-85 में में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और वाराणसी डिवीजनों में सरकारी क्षेत्र में स्थापित किया/स्थापित करने का विचार है ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) उद्योग मंत्रालय द्वारा गोरखपुर डिवीजन के बस्ती, आजमगढ़ और देवरिया तथा वाराणसी डिवीजन के जौनपुर, बलिया तथा गाजीपुर जिलों को पिछड़े हुए जिले घोषित किया गया है।

सरकारी क्षेत्र की केन्द्रीय परियोजनाओं के स्थापना-स्थल का निर्णय विशद तकनीकी-आर्थिक बातों के आधार पर किया जाता है सरकार की नीति यह रही है कि तकनीकी-आर्थिक बातों को देखते हुए केन्द्रीय परियोजनाओं की स्थापना में अपेक्षाकृत औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए क्षेत्रों को अधिमान दिया जाए।

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बी. एच. ई. एल.) द्वारा वारणसी में एक भारी उपकरण मरम्मत कार्यशाला (हेवी इक्विपमेंट रिपेयर शाप) स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। किन्तु, गोरखपुर डिवीजन में वर्ष 1983-84 में न तो कोई केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजना स्थापित की गई थी और न 1984-85 में ऐसी कोई परियोजना स्थापित करने का प्रस्ताव ही है।

लघु एककों की रक्षा करने के लिये सरकारी उद्यमों ब्यूरो की खरीद नीति

*815 **श्री अजित कुमार साहा :**
श्री जायल अबेदिन : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की नीति लघु उद्योगों की रक्षा करने और उनके हित को प्रोत्साहन देने की है;

(ख) क्या इस नीति को ध्यान में रखते हुए सरकारी उद्यम ब्यूरों ने 1978 में खरीद नीतियों के बारे में स्पष्ट मार्ग निदेश तैयार किए थे;

(ग) क्या अनेक बड़े सरकारी उद्यम, सरकारी उद्यम ब्यूरो की नीतियों का पालन नहीं कर रहे हैं जिससे लघु उद्योगों को हानि हो रही है;

(घ) क्या दुर्गापुर आसनसोल क्षेत्र के लघु उद्योग, नीति के इस प्रकार के उल्लंघन से खासतौर पर बुरी तरह प्रभावित हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो दोषी उद्यमो के कार्य में सुधार करने और छोटे उद्योगों तथा उनके श्रमिकों की रक्षा करने के लिए क्या तत्काल प्रशासनीक उपाय किए जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हां।

(ख) सरकारी उद्यम ब्यूरो ने वर्ष 1978 में सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में सहायक उद्योगों की वृद्धि और विकास के लिए सशोधित और अद्यतन मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए थे।

(ग) जी, नहीं। सरकार के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर, केन्द्रीय सरकारी उत्पादक उद्यम सहायक उद्योग विकास कार्यक्रम के मामले में, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ क्रय-संविदाएं तथा मूल्य निर्धारण नीति सम्मिलित हैं, सामान्यत: सरकारी उद्यम ब्यूरो के मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुपालन कर रहे हैं।

(घ) और (ङ) उपलब्ध सूचना के अनुसार पश्चिम बंगाल की दुर्गापुर-आसनसोल पट्टी में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के विद्यमान 8 उद्यमों ने वर्ष 1982-83 में 1236 लघु और सहायक एककों को क्रयादेश दिए थे और 18.64 करोड़ रुपये मूल्य की खरीद की थी, जबकि वर्ष 1981-82 में 1149 लघु और सहायक एककों से 17.88 करोड़ रुपये की खरीद की गई थी। विकास आयुक्त (लघु उद्योग) और सरकारी उद्यम ब्यूरो लघु और सहायक एककों के हित संरक्षण के लिए केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के प्रबंधकों से सम्पर्क बनाए रखते हैं।

नमक खानों का विकास

*816. **प्रो. नरायण चन्द पराशर** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान नमक खानों के विकास का अध्ययन करने के लिए यूरोपीय देशों के दौरे पर गये एक अध्ययन दल का कोई प्रतिवेदन प्राप्त किया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रतिवेदन के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं और सरकार द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई हैं;

(ग) क्या हिमाचल प्रदेश के मण्डी जिले दरांगक्षेत्र की नमक खानों में रिसने के कारण प्रतिदिन 150 टन होने वाली नमक की हानि का भी प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा वहां की स्थितियों को सुधार ने तथा नमक उत्पादन में होने वाली हानि को बचाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) पश्चिम जर्मनी, फ्रान्स, स्विटजरलैंड और अस्ट्रेलिया द्वारा द्रव खनन तकनीकों आदि द्वारा नमक खनन के विकास हेतु अपनाई गई प्रौद्योगिकियों का अध्ययन करने के लिए उन देशों का दौरा करने वाले दल ने एक अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

(ख) और (ग) दल ने पाया है कि मण्डी नमक खानों के विकास के लिए तत्काल ध्यान देना अपेक्षित है क्योंकि इन खानों से पर्याप्त मात्रा में नमक का क्षरण हो रहा है। किन्तु, मै. हिन्दुस्तान साल्ट्स कि ने सरकार को सूचित किया है कि खारे पानी का रिसाव काफी कम हो गया है और क्षरणता भी शून्य है।

(घ) व्यापक परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हो जाने तथा इसकी आर्थिक जीव्यता स्थापित हो जाने के बाद ही सरकार द्वःरा मण्डी स्थित नमक की खानों के विकास संबधी प्रस्ताव की जांच की जाएगी ।

पिथोरागढ़ में भारत रिफ्रेक्ट्रीज लिमिटेड परियोजना की प्रगति

*817. **श्री हरीश रावत :** क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के जिला पिथोरागढ़ में भारत रिफ्रेक्ट्रीज लिमिटेड की निर्माणाधीन परियोजना के कार्य में संतोषजनक प्रगति हो रही है; और

(ख) यदि नहीं, तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि निर्माण कार्य अपेक्षित गति से चले, उनके मंत्रालय के क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मुहम्मद खां) : (क) और (ख) पिथौरागढ़ परियोजना में अपरिष्कृत मेग्नेसाइट का खनन कार्य करने और एक रोटरी क्लिन में मेग्नेसाइट के "डेड बर्निन" के लिए संयंत्र की स्थापना करने की परिकल्पना की गई है। मिलाई में भारत रिफेक्ट्रीज लिमिटेड के संयंत्र में बेसिक तापसह ईंटों के उत्पादन के लिए डेड बर्न्ट मेग्नेसाइड एक प्रमुख कच्चा माल है। इस प्रकार की तापसह ईंटें बनाने के लिए पिथौरागढ़ का मेग्नेसाइट उपयुक्त पाया गया है। इस परियोजना को 15-9-86 तक पुरा करने कार्यक्रम है ।

कम्पनी के 4.39 वर्ग किलोमीटर का एक खनन-पट्टा लिया हैं । मिट्टी की जांच का कार्य पूरा हो गया है . भूमिअर्जन का कार्य चल रहा है। 24 एकड़ भूमि अधिग्रहित की जा चुकी है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड ने निर्माण और परिचालन कार्य के लिए बिजली देने की मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश जल निगम ने जल आपूर्ति के लिए लागत अनुमान तैयार कर लिए हैं। इष्टतम विस्फोटन प्राचलों के लिए एक रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। डिजाइन इंजीनियरी और परियोजना पर्यवेक्षण के लिए मेटलर्जीकल एंड इंजीनियरिंग कन्सलटेंट्स (इंडिया) लिमिटेड (मेकन) को परामर्शता के रूप में नियुक्त किया गया है सभी प्रमुख उपकरणों के लिए तकनीकी विशिष्टियां तैयार कर ली गई हैं। उपकरणों की सप्लाई और निर्माण-कार्य के लिए कई निविदाएं भी जारी कर दी गई हैं। खनन कार्य को निर्धारित कार्यक्रम से पहले पूरा करने लिए प्रयास किये जा रहे हैं। इससे पिथौरागढ़ में उत्पादन और मिलाई में तापसह ईटें बनाने के कार्य को शीघ्र ही इष्टतम स्तर पर लाने में सहायता मिलेगी ।

औद्योगिकी लाइसेंसीकरण में नीति परिवर्तन

*818. **श्री बी. वी. देसाई :** क्या **उद्योग मत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विद्यमान लाइसेंस देने सम्बन्धी नीति में बड़ा परिवर्तन करने के बारे में विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसी नीति बनाने से पहले नरसिम्हन् समिति की सिफारिशों पर क्या ध्यान दिया जाएगा ;

(ग) विद्यमान औद्योगिक लाइसेंस देने सम्बन्धी नीति में मूल परिवर्तन करने के संबंध अन्य उपायों पर विचार किया जा रहा है ;

(घ) क्या लाइसेंस देने सम्बन्धी वर्तमान नीति में किसी बड़े संशोधन की आवश्यकता है ; और

(ङ) यदि हां, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करते समय इस बारे में क्या परिवर्तन किए जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्री(श्री नारायण दत्त तिवारी):(क) से (ङ) सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ आर्थिक नियत्रणों के वित्तीय नियंत्रणों में संभव परिवर्तन करने में निश्चित सिद्धान्तों की जांच करने के लिए श्री नरसिम्हा की अध्यक्षता में जनवरी, 1984 में एक समिति की नियुक्ति की है समिति को अभी अपनी सिफारिशों को अन्तिम रूप देना है। तदनुसार, किसी भी अनुवर्न्ती कार्रवाई के लिए किए जाने प्रश्न ही नहीं उठता।

यह सुनिश्चय करने के लिए कि औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति औद्योगिक विकास को बढ़वा देने के लिए एक सकारात्मक उपकरण का कार्य करती रहेगी, सरकार द्वारा समय-समय पर इस नीति की समीक्षा की जाती है। इसका एक प्रमुख उद्देश्य औद्योगिक निवेश का विनिमय भी करना है, ताकि इस समय निर्माणाधीन सातवीं पंचवर्षीय योजना सहित पंचवर्षीय योजनाओं की प्राथमिकताओं और लक्ष्यों को निश्चित किया जा सके।

पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षत्रों में सीमेंट फैक्ट्रियों की स्थापना

*819 : **श्री जगपाल सिंह** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में कोई नई सीमेंट फैक्ट्रियां स्थापित करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो यह फैक्ट्रियां कब और कहां स्थापित की जाएंगी और उन पर कितनी राशि व्यय किये जाने का विचार है ; और

(ग) यदि उत्तर प्रदेश में कोई सीमेंट फैक्ट्री स्थापित नहीं की जायेगी तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) जिला मिर्जापुर में मै. यू. पी. स्टेट सीमेंट कारपोरेशन लि. नामक राज्य सरकारी उपक्रम के तीन कारखानों और

जिला देहरादून में विद्यमान एक निजी क्षेत्रों में सीमेंट संयंत्र के अलावा उत्तर प्रदेश के विभिन्न भागों में सरकारी तथा निजी क्षेत्रों में सीमेंट अथवा लघु (मिनी) सीमेंट संयंत्रों की स्थापना हेतु 12 और योजनाएं स्वीकृति की गई हैं। इन 12 योजनाओं का ब्यौरा सभापटल पर रखे गए विवरण में दिया गया है।

विवरण

उत्तर प्रदेश में सीमेंट एककों की स्थापना करने के लिये आशय-पत्रों/तकनीकी विकास के महानिदेशालय में पंजीकरण के माध्यम से रद्द कर दी गई अनुमतियों का ब्यौरा।

क्रमांक	एकक का नाम	स्थापना स्थल	वार्षिक क्षमता लाख मी. टन	आशय-पत्र / तकनीकी विकास के महानिदेशालय में पंजी करण
1.	2.	3.	4.	5.
1.	यू. पी. स्टेट सीमेंट कारपोरेशन लि.	बारूवाला, देहरादून	4.00	आशय-पत्र
2.	-वही-	देहरादून	0.66	-वही-
3.	गढ़वाल मंडल विकास निगम	पुरकुलगांव, देहरादून	0.66	-वही-
4.	कुमाऊं मंडल विकास निगम	उत्तराखंड क्षेत्र	0.66	-वही-
5.	-वही-	रानी खेत	0.66	-वही-
6.	-वही-	गंगोलीहाट-I	0.66	-वही-
7.	-वही-	गंगोलीहाट-II	0.66	-वही-
8.	श्री गिरीश शास्त्री	बिल्ली, मिर्जापुर	0.66	वही-
9.	शिवालिक सीमेंट	मारुचेटी, पौड़ी-गढ़वाल	0.33	पंजीकृत

1	2	3	4	5
10.	एम. के. फूड प्रोडक्ट्स लि.	राजपुरा, देहरादून	0.66	पंजीकृत
11.	वीनस सीमेंट	देहरादून	0.15	पंजीकृत
12.	श्री जे. पी. जैन	कुल्हन, देहरादून	0.50	पंजीकृत

टिप्पणी : विभिन्न आकारों के सीमेंट संयत्रों की स्थापना करने लिए वर्तमान मूल्यों पर प्रति मी. टन का अनुमानित निदेश निम्नलिखित हैं :—

(1) लघु (मिनी) संयंत्र—.00 टी पी डी क्षमता वर्टिकल शाफ्ट किल्न प्रोद्योगिकी — रु. 600 मा. टन

(2) लघु (मिनी) सीमेंट संयंत्र—200 टी पी डी क्षमता रोटरी किल्न प्रौद्योगिकी — रु. 1120/मी. टन

(3) 5 लाख मी. टन की क्षमता का सीमेंट संयंत्र — रु. 1250—1500/मी. टन

(4) 10 लाख मी. टन की क्षमता का सीमेंट संयंत्र — रु. 1300/मी. टन

बिहार में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिये धनराशि

8717. **प्रो. अजित कुमार मेहता** . क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार सरकार को राज्य में रोजगार योजनाओं की क्रियान्विति के लिए पर्याप्त धन राशि नहीं गयी है ; और

(ख) यदि हां तो बिहार राज्य की मांग की तुलना में उसको किए गए आवंटन का उल्लेख करते हुए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और मांग को पूरी तौर से पूरा न किए जाने के क्या कारण हैं ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी, नहीं । राज्य सरकार ने अपनी वार्षिक योजना 1984-85 के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 26.90 करोड़ रु० के परिव्यय का प्रस्ताव रखा था जिसे पूर्ण रूप से मान लिया गया है। क्योंकि यह 50 : 50 के आधार पर कार्यान्वित की जाने वाली केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है, इसलिए इससे मिलती-जुलती केन्द्रीय सहायता राज्यों को भी दी जाती है । वर्ष 1984-85 के लिए बिहार राज्य को इस कार्यक्रम के लिए 32.74 करोड़ रु. की केन्द्रीय सहायता आवंटित की गई थी जिसे पूरी तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है बशर्ते कि राज्य सरकार अपनी योजना में परिव्यय इस हद तक बढ़ा ले ।

उपयुक्त के अलावा, राज्य को वर्ष 1984-85 के दौरान ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के लिए जो शत प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम है, लगभग 57 करोड़ रु. की केन्द्रीय सहायता देने की भी संभावना है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

बस्तर जिले में लघु सीमेंट संयंत्र

8718. **श्री लक्ष्मण वर्मा** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बस्तर जिले में लघु सीमेंट सयंत्र स्थापित करने के लिये विभिन्न फर्मों से, तारीख-वार, कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं और उन फर्मों के नाम क्या हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि रुद सीमेंट लिमिटेड ने बस्तर जिले में एक लघु सीमेंट संयंत्र स्थापित करने के लिए आवेदन किया था ; और

(ग) यदि हाँ, तो सरकार ने विभिन्न फर्मों के आवेदन पत्रों पर क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि रामाराव) : (क) से (ग) वर्ष 1979 से 1983 के दौरान बस्तर जिले में मिनी सीमेंट संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रस्तावों की स्वीकृति हेतु विभिन्न पार्टियों से प्राप्त आवेदनों संबंधी सूचना और इन पर की गई कार्रवाई को नीचे दिया गया है :—

क्रमांक आवेदन की तिथि	पार्टी का नाम	की गई कार्रवाई
1 2	3	4
1. 22.11.79	मैसर्स इन्टरनेशनल इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी सर्विसीज	अस्वीकृत
2. 15.11.80	श्री विश्व नाथ घोष	-वही-
3. 4.6.83	थी सुल्तान कुरेशी	-वही-
4. 21.7.83	मैसर्स स्ट्र सीमेंट लि.	तकनीकी विकास के महानिदेशालय में 33,000 मी. टन वार्षिक क्षमता के लिए पंजीकरण हेतु स्वीकृति।

1	2	3
5. 20.12.83	श्री बंजरंगलाल अग्रवाल (मैसर्स जय बजरंग सीमेंट लि.)	तकनीकी विकास के महानिदेशालय में 27,000 मी. टन वार्षिक क्षमता के फजीकरण हेतु स्वीकृति ।

पाला मऊ के खान श्रमिकों की दशा

8719. **श्री ए. के. राय** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 4 मार्च, 1984 के स्टेट्स मैन में "प्लाइट आफ पाला-मऊ "ज" "माइन वर्कर्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें भावना थपुर और तुलसीदामर स्थित बोकारो स्टील लिमिटेड की रक्षित चूना पत्थर और डोलो-माइट खानों में मौजूद स्थिति का उल्लेख किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त स्थिति के सम्बन्ध में तथ्य क्या हैं और उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या एक प्रमुख नियोक्ता होने के नाते बोकारो स्टील लिमिटेड की इन कदाचारों को समाप्त करने की कोई जिम्मेदारी है जिनसे मौजूदा स्थिति उत्पन्न हुई है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या उपाय किए गये हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, हां ।

(ख) 8 जुलाई, 1983 को ठेकेदारों, श्रम-ठेके का प्रतिनिधित्व करने वाली मान्यता प्राप्त यूनियन और सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गये थे । इस समझौते में भावनाथपुर और तुलसीदमार की खानों में ठेकेदारों के कामगारों को दी जाने वाली मंजूरी की दरों और मंजूरी के अभिकलन के तरीके का भी उल्लेख किया गया है ।

10 अगस्त, 1983 बोकारो इस्पात कारखाने की भावनाथपुर की खान में कामगारों के एक वर्ग ने काम बन्द कर दिया था और काम करने इच्छुक कामगारों को काम पर जाने से रोका । इस झगड़े में ग्रुपों के बीच गोली चली और दो कामगारों की मृत्यु हो गयी । 27-'-84 से काम पुन: शुरु हो गया और 933 हड़ताली ठेका-श्रमिकों में से 500 कामगार काम पर वापिस आ गए हैं ।

श्रम मंत्रालय ने इस विवाद को न्याय-निर्णय के लिए भेज दिया है ।

समाचारपत्र में छपे समाचार में कहा गया है कि "दिनांक 2 सितम्बर, 1982 के भारत के राजपत्र के अनुसार खान में कार्यरत प्रत्येक कामगार प्रतिदिन वेतन के रूप में 11 रुपये और कैंटीन भत्ते के रूप में 0.50 पैसे पाने का हकदार है"। भारत सरकार की उल्लिखित अधिसूचना के द्वारा चूनापत्थर और डोलोमाइट की खानों में काम करने वाले अर्धकुशल कामगारों के लिए न्यूनतम दैनिक मंजूरी 11 रुपये और अकुशल कामगारों के लिए न्यूनतम दैनिक मंजूरी 8.75 रपये निर्धारित की गई है। बाद में दिनांक 19.10.83 की एक अन्य सरकारी अधिसूचना के द्वारा मजूरी की ये दरें बढ़ा दी गई हैं। इस अधिसूचना के द्वारा अर्धकुशल और अकुशल श्रेणी के कामगारों की न्यूनतम दैनिक मंजूरी बढ़ाकर क्रमश: 12.25 रुपये और 9.75 रुपए कर दी गई है।

भावनाथपुर और तुलसीदमार की खानों के ठेका-श्रमिकों को मजूरी का भुगतान उजरती आधार पर किया जा रहा है। नवीनतम समझौते में उत्पादन के मानदंड द्विपक्षीय समझौतों के द्वारा निश्चित किए गये हैं और इन्हें पिछले तीन वर्षों में किए गये औसत उत्पादन को ध्यान में रखकर निश्चित किया गया है। कामगारों की मंजूरी की दरों में संशोधन के बारे में 26-3-84 को दो समझौते-एक भावनाथपुर की चूनापत्थर की खानों और एक तुलसीदमार की डोलोमाइट की खानों के लिये किये गये हैं। कानूनी रूप से नियत की गई नवीनतम न्यूनतम मजूरी को ध्यान में रखते हुए ऐसा करना जरूरी हो गया था। इन समझौतों के अनुसार भवनाथपुर में प्रत्येक कामगार द्वारा प्रतिदिन 1.2 घनमीटर खनन के मानखड की शत प्रतिशत पूर्ति करने पर अर्धकुशल कामगारों को प्रतिदिन 15 30 रुपये मिलेगे (कैंटीन भत्ता और अन्य भत्ते शामिल हैं) और अकुशल कामगारों को निर्धारित मानदडों के अनुसार उत्पादन करने पर प्रतिदिन 11.50 रुपए से लेकर 12.71 रूपये तक (कैंटीन भत्ता भी शामिल है) मिलेगे। तुलसीदमार में अर्धकुशल कामगारों को प्रत्येक व्यक्ति द्वारा प्रतिदिन एक घनमीर खनन के लिए 12.75 रुपये मिलेगे और अकुशल कामगारों को निर्धारित मानदड के अनुसार उत्पादन करने पर प्रतिदिन 12.38 रुपये से लेकर 13 रुपये (कैंटीन भत्ता शामिल है) मिलेगे। इन दरों को 19.10.83 अर्थात जब से भारत सरकार की अधिसूचना के द्वारा न्यूनतम मजूरी में सशोधन किया गया था, लागू किया गया है। इस प्रकार यह पता चलेगा कि मंजूरी की ये दरें इन दोनों खानों के लिए कानूनीरूप से निर्धारित न्यूतम मंजूरी से अधिक हैं। छ: दिन लगातार कार्य करने के पश्चात् वेतन सहित एक दिन की छुट्टी दी जाती है जैसा कि कानून में व्यवस्था है।

केन्द्रीय सरकार समय-2 पर मजूरी के भुगतान की व्यवस्था की जांच करती रहती है और यदि कोई निसंगतियां पाई जाती हैं तो उन्हें शीघ्र दूर कर दिया जाता है। ठेकेदार के श्रमिकों को मंजूरी का भुगतान बोकारो इस्पात कारखाने के प्रबन्धन के प्राधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में कार्य दिवसों में किया जाता है। भावनाथपुर और तुलसीदमार दोनों खानों में मंजूरी का भुगतान प्रत्येक सप्ताह किया जाता है और इसलिए यह आरोप ठीक नहीं है कि "पिछले वर्ष अक्तूबर के आखिरी दिनों तक (जब इस सवांददाता ने उनसे बातचीत की थी) उन्हें सितम्बर महीने की मंजूरी का भुगतान नहीं किया गया था"। यह आरोप कि कामगारों को प्रतिदिन केवल 5 रुपये से 6 रुपये तक का भुगतान किया जाता है, सही नहीं है।

कामगारों को उनकी सुरक्षा के लिए हेलमेट, जूते और चश्में जैसे सुरक्षा उपकरण दिये जाते हैं लेकिन ऐसा देखा गया है कि कभी-कभी ये दिये गये सुरक्षा उपकरणों का इस्तेमाल स्वयं नहीं करते हैं।

जहां तक चिकित्सा सुविधाओं का सम्बन्ध है बोकारो इस्पात कारखाने के भवनाथपुर स्थित 15-बिस्तर वाले हस्पताल में बाह्य रोगी और अन्तरंग रोगी के रूप में ठेका-श्रमिकों के इलाज की व्यवस्था है। इस हस्पताल में आवश्यक सुविधाएं हैं और ठेका श्रमिकों के इलाज पर आये खर्च को ठेकेदारों से वसूल किया जाता है। ठेका-श्रमिकों के इलाज पर हुए खर्च की पूर्ति ठेकेदारों के बिलों में से की जाती है। इसके अलावा "सेस वेलफेयर आर्गेनाइजेशन" की एक 'मोबाइल मेडिकल यूनिट' है जो ठेकेदारों के श्रमिकों की देखभाल के लिए सप्ताह में दो बार खानों का दौरा करती है।

प्रबन्धकों/ठेकेदारों द्वारा भवनाथपुर के विभिन्न क्षेत्रों में खानों में ही कल्याण सम्बन्धी निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध करायी गई हैं :—

(क) यंत्रीकृत और हस्तचालित खानों के लिए एक साझी कैंटीन है।

(ख) एक शिशु-गृह है जिसमें एक आया है। इसमें खटोलों, पंखों, स्नानगृह आदि जैसी सभी सुविधाएं हैं। यह शिशु गृह खानों से लगभग 100 मीटर पर स्थित हैं।

(ग) नहाने और कपड़े धोने के लिए पुरुषों और औरतों के लिए क्रमशः 2-2 स्थान हैं।

(घ) । पुरुषों और औरतों के लिए क्रमशः 8—8 मूत्रालय हैं।

(ङ) ठेकेदारों द्वारा पीने के साफ पानी के लिए 6 टंकियां उपलब्ध कराई गई हैं।

(च) चार पक्के विश्राम-गृह और तीन अस्थाई विश्राम-गृह हैं।

(छ) प्रथमोपचार के लिए पांच बक्स रखे गये हैं कानूनी तौर पर आवश्यक कल्याण सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

जहां तक तुलसीदमार की डोलोमाइट की खानों का सम्बन्ध है, कानूनी रूप से आवश्यक कल्याण सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। जिनमें अन्य बातों के साथ साथ कार्य-स्थल के समीप शिशुगृह की व्यवस्था करना शामिल है।

जहां तक दुर्घटनाओं के लिए मुआवजा देने का संबंध है, दुर्घटना के उन सभी मामलों, जो प्रबन्धकों के ध्यान में आये हैं और जिनमें मुआवजे का भुगतान किया जाना है, के सम्बन्ध में कार्यवाही की गई है। समाचार पत्र में छपे समाचार में यह कहा गया है कि "ऐसे भी मामले हुए हैं जिनमें पत्थर के उठते हुए टुकड़ों से कामगारों की आंखों को क्षति पहुंची है, जिनमें प्राधिकारियों द्वारा आमतौर पर नाममात्र मुआवजा दिया गया है। प्रबन्धकों को आंखों को क्षति पहुंचने के केवल दो मामलों की सूचना मिली है। आंख को क्षति के एक मामले में मुआवजे के रूप में संबंधित कामगार को 9408 रूपये दिये गए है और दूसरे मामले में कामगार प्रतिकर

आयुक्त के पास 14.2.1984 को 10,752 रुपए का एक रिमांड ड्राफट जमा करा दिया गया है। भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसरण में खनन और विस्फोटन कार्य का पूरी तरह से विभागीय करण कर दिया गया है और जैसाकि आरोप लगाया गया है कि इन कार्यों के लिए ठेका-श्रमिक नहीं लगाये जाते हैं। सभी संविदओ में प्रबन्धको ने ठेकेदार के कानूनी उत्तर-दायित्वों के बारे में विशेष रूप से एक धारा रखी है। इसके अलावा कम्पनी एक घनमीटर खनन के लिए निश्चित दर का कुछ हिस्सा उस समय तक अपने पास रखती है जब तक ठेकेदार इस बात का प्रमाण नहीं दे देता कि उसने ठेका-श्रमिकों के प्रति अपने सभी दायित्व निभा दिए हैं ठेकेदार को इस राशि का भुगतान तभी किया जाता है जब प्रबन्धक इस बात से संतुष्ट हो जाते हैं कि ठेकेदार ने अपने दायित्व निभा दिये हैं। भविष्य निधि के अंतर्गत आने वाले ठेकेदारों को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा कोड नम्बर दिए गये हैं और क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा सचालित भविष्य विधि फंड में कामगारों का भविष्य निधि का अंशदान और संबंधित ठेकेदारों का अंशदान सिलाकर जमा करा दिया जाता है। इसे सुनि-श्चित करने के लिए ठेकेदार द्वारा क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पास भविष्य निधि जमा कराने के चालान जमा कराने पर ही ठेकेदार को बकाया राशिका भुगतान किया जाता है। इसी प्रकार छुट्टी के लिए राशि का भुगतान करने से पहले छुट्टी और मन्जूरी का विधिवत ढग से भरा गया रजिस्टर कम्पनी को दिखाना होता है। बोनस और प्रसूति लाभ की राशि भी रख ली जाती है।

(ग) और (घ) ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के अन्तर्गत बोकारो इस्पात कारखाने को मुख्य नियोक्ता के रूप में ठेकेदारों द्वारा अपने कामगारों को किए गये भुगतान के साक्ष्य के लिए एक प्रतिनिधि नामित करना होता है जो यह प्रमाणित करता है कि राशि का भुगतान कर दिया गया है। यदि ठेकेदार निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं करता है अथवा कम भुगतान करता है, तो बोकारो इस्पात कारखाना पूरी मंजूरी का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार हैं। कारखाना ठेकेदार से ऐसी राशि बाद में वसूल कर लेता है।

इसके अलावा यदि ठेकेदार द्वारा निर्धारित अवधि में कैंटीन, विश्राम-गृहों, पीने के साफ पानी, शौचालयों, मूत्रालयों, नहाने और कपड़े धोने की सुविधाओं और प्रथमोपचार की व्यवस्था नहीं की जाती है तो बोकारो इस्पात कारखाना मुख्य नियोक्ता के रूप में इन सुविधाओं की व्यवस्था करता है और इन सुविधाओं पर खर्च की गई धनराशि ठेकेदार से काट लेता है।

ऊपर दिये गये ब्यौरे से यह पता चलेगा कि बोकारो इस्पात कारखाना मुख्य नियोक्ता के रूप में यह सुनिश्चित करता है कि सभी आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है और ठेका-श्रमिकों को देय राशि का भुगतान किया जाता है और ठेकेदारों द्वारा सभी कानूनी उत्तर-दायित्व निभाये जाते हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अधीन रोजगार

8720. **श्री बाबूराव परांजपे** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अधीन पैदा किए गए रोजगार के अवसर जो वर्ष 1980-81 में 42 करोड़ श्रम दिवस थे वर्ष 1982-83 में घटकर 33.7 करोड़ श्रम दिवस रह गए हैं और वर्ष 1983-84 के लिए लक्ष्य कम करके 32.1 करोड श्रम दिवस रखा गया है;

(ख) क्या दिसम्बर 1983 तक के निष्पादन से यह पता चला है कि वर्ष 1983-84 के लिए वास्तविक आंकड़े केवल 25 करोड़ श्रम दिवस के लगभग होंगे;

(ग) वर्ष 198-81 से लेकर अब तक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के कार्य निष्पादन में कमी के कारण क्या हैं;

(घ) क्या यह भी सच है कि एक नमूना सर्वेक्षण से यह पता चला है कि समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का अधिकांश लाभ, निर्धनतम किसानों को न मिलकर अपेक्षाकृत धनी किसानों को मिल रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो सर्वेक्षण किसके द्वारा किया गया था और इसे रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

योजना मन्त्री (श्री एस.बी. चव्हाण) : (क) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (रा. ग्रा. रो. का.) केअन्तर्गत सृजित किए गये रोजगार अवसर। 1980-81 में 413.58 मिलियन श्रम दिवस और 1982-83 में 350.10 मिलियिन श्रम दिवस थे। 1983-84 के लिए लक्ष्य 322 मिलियन श्रम दिवस था।

(ख) जी, नहीं।

(ग) काम के बदले अनाज कार्यक्रम (1980-81) के अन्तर्गत कोई सामग्री अवयव नहीं था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत जो वास्तव में 1981-82 से प्रभावी हुआ था मजदूरी सामग्री अनुपात 40 : 60 रखा गया था। कार्यक्रम के अंतर्गत सृजित परिसंपत्तियों का और अधिक स्थायित्व सुनिश्चित करने के लिए 1983-84 के दौरान इसे संशोधित कर 50 : 50 कर दिया गया। इसके अतिरिक्त विभिन्न राज्यों में न्यूनतम मजदूरी भी संशोधित कर बढ़ाई गई। ये दो कारण मुख्य रूप से रोजगार उत्पन्न करने में कमी के कारण हैं। उल्लेखनीय है कि छठी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य प्रति वर्ष रोजगार के 300-400 मिलियन श्रम दिवस प्राप्त करना था। इसके अतिरिक्त वर्तमान योजना के अन्त तक ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत रोजगार के लगभग 300 मिलियन श्रम दिवस उत्पन्न होने की सम्भावना है। यह कार्यक्रम। 1983-84 में मारम्भ किया गया था।

(घ) और (ङ) कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का अखिल भारतीय मूल्यांकन अध्ययन आरंभ किया था जिसके परिणाम की प्रतीक्षा है।

वनों में बसे गांवों की जनसंख्या

8721. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय वनों में बसे गांवों की वास्तविक सख्या कितनी है और उनकी राज्यवार जन संख्या कितनी है;

(ख) वनों में इस प्रकार गांवों को बसाने के क्या कारण हैं;

(ग) यदि ये गाँव मानव सभ्यता के शुरु होने समय से ही बसे हुए हैं, तो इन गांवों के विकास के लिए केन्द्र और राज्यों द्वारा योजना अवधियों के दौरान क्या कदम उकदम उठाए गये हैं; और

(घ) वनों में बसे उन गांवों में रहने वाले लोगों का व्यवसाय और जीवदमापन के साधन क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जनगणना के लिए गांवों का "आबाद और गैर-आबाद" में वर्गीकरण किया जाता है। आंकड़े सामान्यत: इस ढंग से प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं, जिनमें "वन गांवों" को पृथक दर्शाया गया हो।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठते।

भारतीय पेटेन्ट के नवीकरण शुल्कों में वृद्धि

8722. **श्री ए. नीलाहोहितदसन नाडार** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भारतीय पेटेन्ट के नवीकरण शुल्कों, जो कि ब्रिटिश की अपेक्षा अधिक हैं, में वृद्धि करने पर विचार कर रही है। हालांकि भारतीय इन्वेन्टर अपने समकक्षों ब्रिटिश इन्वेन्टर की तुलना में आर्थिक दृष्टि से बहुत ही अशक्त है भारतीय और ब्रिटिश पेटेन्ट के क्रमश: वर्ष 1970 और 1971 के अधिनियमों पर आधारित;

(ख) क्या भारतीय पेटेन्ट के मामले में नवीकरण शुल्क तीसरे वर्ष से प्रारम्भ होता है, जबकि पेटेन्ट पांचवी वर्ष में मंजूर किया जाता है, जबकि ब्रिटिश पेटेन्ट सामान्यत: तीसरे वर्ष में मंजूर किया जाता है तथा प्रथम वर्षों के लिए कोई नवीकरण शुल्क नहीं लिया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार नवीकरण शुल्कों में कटौती करने पर विचार कर रही है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) सरकार के सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) भारत में, किसी पेटेन्ट को पूरे समय तक चलाते रहने के लिए उसका पेटेन्ट कराने वाले को तीसरे वर्ष से नवीकरण शुल्क का भुगतान करना होता है; जबकि यू० के० में पेटेन्ट नियमावली, 1978 के अन्तर्गत पेटेन्ट कराने वाले को, दोनों मामलों में पेटेन्ट की मंजूरी में लगने वाले समय पर ध्यान दिए बिना, पांचवें वर्ष से नवीकरण शुल्क देना पड़ता है। भारतीय

पेटेन्ट नियमावली, 1972 के अन्तर्गत तीसरे से पांचवें वर्ष अर्थात् तीन वर्षों के लिए कुल नवीकरण शुल्क 350 रुपए है; जबकि यू० के० के 1978 के इसी प्रकार के नियमों के अन्तर्गत केवल पांचवें वर्ष के लिए नवीकरण शुल्क 40 पौंड है यद्यपि भारतीय पेटेन्ट नियमावली 1972 के अधीन नवीकरण शुल्क का भुगतान तीसरे वर्ष से आरंभ हो जाता है किन्तु भारतीय पेटेन्ट कराने वाले को पेटेन्ट को 14 वर्ष की पूरी अवधि तक चलाते रहने के लिए कुल मिलाकर 4,450 रुपए की राशि का भुगतान करना होता है। एक ब्रिटिश पेटेन्ट कराने वाले को उक्त अवधि अर्थात् 14 वर्षों के लिए 616 पौंड का भुगतान करना होता है।

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

ब्रिटिश पेटेन्टों के अनुसार औषधों और फर्मास्युटिकल के लिए पेटेन्टों की समीक्षा

8723. **श्री टी. एस. नेगी** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषधों और फर्मास्युटिकल पेटेन्टों के लिए भारतीय पेटेन्टों की अवधि 7 वर्ष है तथा अन्यों के लिए 14 वर्ष है;

(ख) क्या भारत में पेटेन्टों की प्रभावी अवधि क्रमशः केवल ढाई वर्ष और साढ़े नौ वर्ष की होती है;

(ग) क्या ब्रिटिश पेटेन्टों की यह अवधि 20 वर्ष है और वहां पेटेन्टों की प्रभावी अवधि 17 वर्ष है; और

(घ) क्या सरकार अपनी नीतियों की समीक्षा करेगी और इनमें एक रूपता लायेगी जिससे भारतीय पेटेन्ट धारकों को प्रोत्साहन मिलेगा ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) खाद्य, औषधि एवं भेषज बनाने सम्बन्धी प्रक्रिया के लिए भारतीय पेटेन्टों की अवधि पेटेन्ट कराने की तारीख (अर्थात् पूर्ण विशिष्टियां प्रस्तुत करने की तारीख) से 7 वर्ष या पेटेन्ट को सील किए जाने की तारीख से 5 वर्ष, इसमें जो भी कम हो, हैं। अन्य पेटेन्टों के लिए यह अवधि पेटेन्ट कराने की तारीख से 14 वर्ष है।

(ख) औसतन खाद्य, औषधि एवं भेषजों के क्षेत्र में प्रक्रिया सम्बन्धी पेटेन्टों की अवधि सील किए जाने के पश्चात् 4 से $4\frac{1}{2}$ वर्ष और अन्य पेटेन्टों की अवधि सील किए जाने के पश्चात 10 से 11 वर्ष होती है।

(ग) यद्यपि ब्रिटेन के 1977 के कानून के अधीन पेटेन्ट की अवधि 20 वर्ष होती है, किन्तु सरकार को ऐसे पेटेन्टों की प्रभावी अवधि मालूम नहीं है।

(घ) पेटेन्ट अधिनियम, 1970 राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। सरकार ऐसा आवश्यक नहीं समझती कि इसे अन्य देशों के कानूनों के समान बना दिया जाए।

बाघों की गणना

8724. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में हाल ही में बाघों की गणना की गई थी;

(ख) यदि हां, तो विशेषकर पश्चिम बंगाल मे सुन्दर वन क्षेत्र में उनकी कुल संख्या कितनी है; और

(ग) इन जातियों को सुरक्षित रखने और उनके वर्तमान प्राकृतिक वास का संरक्षण करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पर्यावरण विभाग में उपमंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) तथा (ख) देश में बाघों की आबादी की गणना इस समय प्रगति पर है। इस माह के अंत तक कार्य के समाप्त होने पर परिणामों का सारणीयन किया जाएगा।

(ग) बाघ रिजर्वों की संख्या को तथा बाघ परियोजना में आने वाले क्षेत्र को क्रमश: 11 से 15 तथा 15,600 वर्ग किलोमीटर से 24,712 वर्ग किलोमीटर तक बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा देश भर के तंत्र में 47 राष्ट्रीय उद्यान तथा 210 अभ्यारण्य के अधिकतर रिजर्व बाघ तथा इसके प्राकृतिक वास को सुरक्षा प्रदान करते हैं।

अण्डमान और निकोबार द्वीप-समूह में पुनर्वास विभाग के कर्मचारियों को नियमित किया जाना

8725. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गृह मंत्रालय ने ग्रेट निकोबार द्वीप-समूह में इस समय नियुक्त पुनर्वास कर्मचारियों को योजना शीर्ष से गैर-योजना शीर्ष में अंतरित करने और कर्मचारियों को अण्डमान और निकोबार द्वीप-समूह से विभिन्न विभागों में खपाने का एक आदेश जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या पुनर्वास विभाग के उन नैमित्तिक मजदूरों को जिन्होंने दस वर्ष से अधिक की सेवावधि पूरी कर ली है; नियमित प्रतिष्ठानों में नहीं खपाया गया है;

(घ) यहि हां, तो क्या सरकार का विचार उन्हें नियमित करने और उनकी सेवाएं प्रशासन के किसी अन्य विभाग में अन्तरित करने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) और (ख) योजना शीर्ष से गैर योजना शीर्ष में मुख्य विकास संगठन एवं पुनर्वास आयुक्त (सी. डी. आर. सी.) के पदों को अंतरित करने के लिए 25 अगस्त, 1983 को आदेश जारी किए गए थे। अंडमान और निकोबार

प्रशासन द्वारा इन आदेशों को कार्यान्वित किया गया है और इन कर्मचारियों को अण्डमान और निकोबार प्रशासन के विभिन्न विभागों में अन्तरित किया गया है।

(ग) और (घ) सी. डी. आर. सी. के भूतपूर्व संगठन के आकस्मिक मजदूरों को 1 मार्च, 1984 से कृषि विभाग में अन्तरित किया गया है। उनको नियमित करने के प्रश्न को अब भारत सरकार से सम्बन्धित मंत्रालय के साथ उठाया जाएगा।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

राज्य बिजली बोर्डों द्वारा भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स को बकाया धनराशि का भुगतान

8726. **श्री अजित बाग** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों के राज्य बिजली बोर्डों की और भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स के करोड़ों रुपए बकाया हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने बकाया राशि को वसूल करने के लिए क्या उपाय किए हैं अथवा करने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) तथा (ख) 31-3-1984 को राज्य बिजली बोर्डों पर बकाया राशियों के अस्थायी आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) सरकार ने राज्यों से शीघ्र भुगतान करने के लिए कहा है।

विवरण

राज्य बिजली बोर्डों पर बकाया राशियां

(आंकड़े अनन्तिम हैं)
(रुपए लाख में)

क्रमांक	बिजली बोर्ड	1-4-1984 को बकाया राशियां	समझौताधीन राशि	शुद्ध बकाया राशियां
1	2	3	4	5
1.	उत्तर प्रदेश	9,065	1,215	7,850
2.	तमिलनाडु	4,181	78	4,103
3.	पंजाब	3,335	58	3,277
4.	बिहार	3,044	—	3,044
5.	राजस्थान	2,184	91	2,093

1	2	3	4	5
6.	गुजरात	1,399	175	1,224
7.	हरियाणा	1,370	130	1,240
8.	मध्य प्रदेश	1,393	581	812
9.	महाराष्ट्र	1,043	431	612
10.	असम	549	68	481
11.	आन्ध्र प्रदेश	518	112	406
12.	मेघालय	610	95	515
13.	पश्चिम बंगाल	167	51	116
14.	केरल	160	12	148
15.	उड़ीसा	148	127	21
16.	अन्य	636	30	606
	योग :	29,802	3,254	26,548

दिल्ली और पांडिचेरी में पुलिस संघ को मान्यता

8727. **श्री राम प्रसाद आहिरवार :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली और पांडिचेरी में पुलिस का कोई मान्यता प्राप्त संघ नहीं है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन संघों को मान्यता प्रदान करने का कोई विचार था; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और इनको मान्यता न देने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी हां, श्रीमान्, कोई मान्यता प्राप्त संघ नहीं हैं।

(ख) पुलिस बल के सभी पदों के प्रतिनिधियों को लेकर संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी में अप्रैल, 1 82 में कर्मचारी परिषद् के रूप में शिकायतें दूर करने वाले तंत्र गठित किया गया है। इसी प्रकार संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों की शिकायतें दूर करने के लिए उपायुक्तों द्वारा अर्दली कक्षों और सम्पर्क सभाओं का आयोजन किया जाता है जिनमें पुलिस

यूनिट के सभी पदों के प्रतिनिधि उपस्थित होते हैं। शिकायतें दूर करने के लिए इन प्रबन्धों को पर्याप्त समझा गया है।

(ग) पुलिस संघों को मान्यता देने का कोई बिचार नहीं है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ऊर्जा भविष्य निधि निरीक्षक की भर्ती के लिए ली गई परीक्षा

8728. **श्री पी. नामग्याल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी चयन आयोग ने ऊर्जा भविष्य निधि निरीक्षकों की भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की थी, जिसके लिए मई, 1983 में रोजगार समाचार में भर्ती नोटिस संख्या 7/83/(एच. क्यू.) जारी किया गया था;

(ख) क्या उक्त पद के लिए लिखित परीक्षा साक्षात्कार ले लिए गए हैं और यदि हां, तो कब;

(ग) लिखित परीक्षा साक्षात्कार के लिए उम्मीदवारों को बुलाने के मापदण्ड क्या हैं; और

(घ) क्या अभी तक परीक्षा आयोजित नहीं की गई है और यदि हां, तो विलम्ब के कारण क्या हैं और यह परीक्षा कब आयोजित की जायेगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (घ) कोयला खान भविष्य निधि संगठन में भविष्य निधि निरीक्षक के पदों के लिए लिखित परीक्षा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 20 मई, 1984 को आयोजित की जाएगी। सभी उम्मीदवारों को जो हर प्रकार से पात्र हैं, लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा तथा जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर लेंगे उन्हें साक्षात्कार में उपस्थित होना पड़ेगा। परीक्षा के आयोजन में विलम्ब का कारण यह है कि कर्मचारी चयन आयोग पहले से ही चल रही अपनी परीक्षाओं से अत्यधिक व्यस्त रहा है।

ट्रैक्टरों का निर्माण

8729. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जो ट्रैक्टरों का निर्माण कर रही है;

(ख) वर्ष 1982-83 और 1983-84 के दौरान प्रत्येक कंपनी ने कितने ट्रैक्टरों का निर्माण किया;

(ग) क्या ट्रैक्टरों की मांग दिन-प्रतिदिन घट रही है और निर्माताओं के पास काफी तादाद में टैक्टर जमा हो गए हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार को कुछ खास ब्रांडों के ट्रैक्टरों में तकनीकी दोषों के बारे में कुछ शिकायतें मिली हैं;

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) तथा (ख) एक विबरण संलग्न है।

(ग) तथा (घ) 1982-83 में अस्थायी रूप से ट्रैक्टरों की मांग में गिरावट आई थी। यह मुख्यतः ऋण प्रतिबन्धों के कारण थी। सुधारात्मक उपाय किए गए हैं और ट्रैक्टरों की मांग में सुधार हुआ है।

(ङ) मैं० पंजाब ट्रैक्टर्स लिमिटेड द्वारा निर्मित सरताज 19 एच. पी. ट्रैक्टर के कार्य के बारे में एक शिकायत सरकार को श्री हुकमदेव नारायण यादव, संसद-सदस्य से प्राप्त हुई है।

(च) यह शिकायत मुख्यतः इस बारे में थी कि सरताज ट्रैक्टर का ढुलाई सम्बन्धी कार्य तो संतोषजनक है जबकि इस ट्रैक्टर का जुताई सम्बन्धी कार्य असंतोषजनक है।

(छ) बुदनी में शिक्षण तथा परीक्षण के लिए सेन्ट्रल फार्म मशीनरी इन्स्टीच्यूट में इस ट्रैक्टर का परीक्षण किया गया था और इसके जुताई सम्बन्धी कार्य को इसकी 19–एच. पी. क्षमता के अनुरूप पाया गया था।

विवरण

संगठित क्षेत्र में ट्रैक्टर निर्माताओं का ब्यौरा तथा 1982-83 एवं 1983-84 में उनका एककवार उत्पादन

	उत्पादन	
एकक का नाम	1982–83	983-84
1	2	3
1. एस्कार्ट्स लिमिटेड, फरीदाबाद	9,406	12,729
2. एस्कार्ट्स ट्रैक्टर्स लि., फरीदाबाद	6,930	8,076
3. महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा लि. बम्बई	9,855	13,999
4. आइशर गुडअर्थ लि., फरीदाबाद	0,819	9,539
5. आइशर फार्म मशीनरी लि., परवानू	2,389	3,537

1	2	3
6. एच. एम. टी. लि., पिंजोर	8,890	11,780
7. पंजाब ट्रैक्टर्स लि., रोपड़	6,016	5,866
8. किर्लोस्कर ट्रैक्टर्स लि. नासिक	575	1,126*
9. गुजरात ट्रैक्टर लि. वड़ोदरा	867	1,350
10. ट्रैक्टर एण्ड फार्म इक्यूपमेंट लि., मद्रास	8,387	6,830
11. आटो ट्रैक्टर्स लि., प्रतापगढ़	381	732
12. आइशर डीजल लि., अलवर	—	161
13. प्रताप स्टील एण्ड रोलिंग मिल्स लि., बल्लभगढ़	—	41
14. हर्ष ट्रैक्टर्स लि., गाजियाबाद	115	158*
15. यूनाइटेड आटो ट्रैक्टर्स, हैदराबाद	—	—
16. पित्ती ट्रैक्टर्स लि.,	42	—
17. बिहार एग्रो इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन, पटना	25	2*
	62,888	75,916

*आंकड़े अनुमानित हैं।

बोकारो इस्पात संयंत्र में सामान की चोरी और छुटपुट चोरियों से हुई हानि

8730. **श्री ए० के० राय : क्या इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बोकारो इस्पात संयंत्र में छुटपुट चोरियों के कारण गत पांच वर्षों में वर्ष-वार, अलग-अलग कितनी हानि हुई है;

(ख) कितना माल बरामद किया गया और कितने मामलों में कार्यवाही शुरू की है ;

(ग) कितने मामलों में कितने कर्मचारी और अधिकारी इन कदाचारों में शामिल पाये गये हैं;

(घ) क्या किन्हीं कर्मचारियों और अधिकारियों को कोई सजा दी गई है; यदि हां, तो उनके ब्यौरे क्या हैं;

(ङ) क्या छुटपुट चोरियों के कारण नुकसान बढ़ रहा है; और

(च) यदि हां, तो इसको रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मुहम्मद खां) : (क) और (ख) जानकारी नीचे दी गई है :—

वर्ष	हानि (लाख रुपये)	वर्ष के दौरान वसूली (लाख रुपये)	कितने मामले चलाए गए
1979	1.86	3.04	52
1980	4.48	3.68	57
1981	4.53	6.15	60
1982	23.55	4.21	52
1983	6.12	3.11	48

(ग) इन मामलों में शामिल कर्मचारियों/अधिकारियों की संख्या नीचे दी गई है :—

वर्ष	कार्यालय	गैर- कार्यपालक	केन्द्रीय औद्योग सुरक्षा बल	(जो बोकारो इस्पात कारखाने के कर्मचारी नहीं है)
1979	—	1	—	
1980	6	10	2	
1981	—	13	1	
1982	—	7	1	
1983	—	9	—	

(घ) जी, हां । कम्पनी के नियमों/स्थायी आदेशों के अन्तर्गत निम्नलिखित कर्मचारियों तथा केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कर्मचारियों को दंडित किया गया है । यह दंड पुलिस तथा न्यायिक कार्यवाही के परिणामस्वरूप दिए जाने वाले दंड के अतिरिक्त है :

1979 (गैर- कार्यपालक)

1. श्रीकान्त सिंह, एम. टी. ओ. — नौकरी से बर्खास्तगी

1980 (गैर-कार्यपालक)

1. अतुलचन्द गोस्वामी, इलैक्ट्रिकल फिटर — नौकरी से बर्खास्तगी

2. श्री अब्दुल अजीज अनसारी इलैक्ट्रिशियन	नौकरी से बर्खास्तगी
3. श्री उमाशंकर उपाध्याय, ड्राइवर	नौकरी से बर्खास्तगी
4. श्री राम बलि तिवारी, ड्राइवर	दो वेतन–वृद्धियां रोकी गई
5. श्री मोहन प्रसाद	परिनिन्दा की गई

1980 (गैर कार्यपालक) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कार्मिक

1. श्री ओ. एन. दत्त शर्मा, हेड कांन्सटेवल, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल	दंड़े दंड के रूप में वेतन में कटौती कर दी गई
2. श्री लाल मोहन राय, क्रान्सटेवल, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल	

1981 (गैर-कार्यपालक)

1. श्री जावेद हुसेन अन्सारी, खलासी	नौकरी से बर्खास्तगी
2. श्री त्रिभुवन प्रसाद सिंह, सहायक स्टोर कीपर	नौकरी से बर्खास्तगी
3. श्री के. सी. वौरी, पम्प आपरेटर	नौकरी से बर्खास्तगी
4. श्री महेन्द्र सिंह शिपिंग असिस्टेन्ट	नौकरी से बर्खास्तगी
5. श्री जियाउर रब सेम्पलर	दो वेतन-वृद्धिया रोक दी गई इनका संचयी प्रभाव होगा।

1981 (गैर-कार्यपालक) केन्द्रीय औद्योगिक

सुरक्षा बल के कार्मिक

1. श्री एस. एन. तिवारी, सुरक्षा गार्ड	नौकरी से बर्खास्तगी

1982 (गैर-कार्यपालक)

1. श्री काशी नाथ राजवर, खलासी	नौकरी से निकाला गया
2. श्री भुवनेश्वर सिंह, खलासी	नौकरी से निकाला गया
3. श्री लक्ष्मण डोम, खलासी	नौकरी से निकाला गया
4. श्री चन्द्र राय, ड्राइवर	नौकरी से बर्खास्तगी
5. श्री एम. डी. बल्लू अन्सारी, ड्राइवर	नौकरी से बर्खास्तगी
6. श्री फन्तु राम, स्टोर कीपर	परिनिन्दा की गई

1982 (गैर-कार्यपालक) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कार्मिक

1. श्री एस. एस. भोई, कान्सटेबल, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल	नौकरी से बर्खास्गी

1983 (गैर–कार्यपालक)

1. श्री मधु सिंह, क्रेन आपरेटर	नौकरी से निकाला गया
2. श्री बी. पी. श्रीवास्तव, चार्जमैन	नौकरी से निकाला गया

(ङ) और (च) जैसाकि आंकडों से पता चलेगा चोरी आदि की घटनाओं में वृद्धि नहीं हुई है। घटनाओं का क्रम एक जैसा नहीं रहा है। बोकारो इस्पात कारखाने में चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

1. कारखाने में शस्त्र कार्मिकों द्वारा नियमित रूप से गश्त की जाती है तथा अपराधियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए चोरी की सभावनाओं वाले क्षेत्रों, विशेष रूप से भंडारण क्षेत्र में सशस्त्र बल की पंक्की चौकियां स्थापित की गई हैं।

2. कारखानों के द्वारों पर सुरक्षा और मजबूत की गई तथा रात्रि पारी में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के वरिष्ठ अधिकारी तैनात किये जा रहे हैं।

3. बेहतर नियंत्रण के लिए रात्रि 11.00 बजे से प्रात: 5.00 बजे तक कारखाने के तीन मुख्य द्वार खोले जाते हैं-तथा शेष सभी द्वार बन्द कर दिए जाते हैं।

4. दिन की समाप्ति कर मुख्य भंडार गृह को बोकारो इस्पात कारखाने तथा केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से सील किया जाता है। इसी प्रकार अगले दिन भंडार गृह को खोलते समय भंडार गृह की सील की संयुक्त रूप से चैकिंग की जाती है :

पुलिस थानों में मामलों का दर्ज न किया जाना

8731. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुलिस थानों में मामले दर्ज न करने के बारे में लोगों से विशेष कर अनुसूचित जातियों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लोगों से बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त होती रहती है;

(ख) यदि हां, तो देश के विभिन्न भागों में गत चार वर्षों के दौरान ऐसी कितनी शिकायतें प्राप्त हुई; और

(ग) इन्हें दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाये गये हैं या उठाये जाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) विधि और व्यवस्था मुख्य रूप से राज्य सरकार का विषय है। ऐसी सूचना भारत सरकार द्वारा नहीं रखी जाती है।

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का कार्यान्वयन

8732. **श्री नवीन रावणी** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को अपनाया है :

(ख) क्या कुछ राज्यों ने उन राज्यों में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को कार्यान्वित नहीं किया है :

(ग) यदि हां, तो ऐसे राज्यों के नाम क्या हैं और इस कार्यक्रम का सारे देश में प्रारम्भ करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही हैं :

(घ) कार्यक्रम के अन्तर्गत 1981-82, 1982-83 और 1983-84 में प्रत्येक राज्य को किये गये आवंटन का ब्यौरा क्या हैं : और

(ङ) 1984-85 के लिये कितना आवंटन किया गया है,

योजना मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम सभी राज्यों में कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

(ङ) वर्ष 1984-85 के लिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के लिए आवंटनों का हिसाब लगाया जा रहा है।

विवरण

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम-अनुमोदित परिव्यय-राज्य
(1981-82 से 1983-84)

(लाख रु०)

राज्य	वार्षिक योजना 1981-82	वार्षिक योजना 1982-83	वार्षिक योजना 1983-84
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	4437.10	5400.00	23112 00
असम	3419.552	3488.00	4544.00
बिहार	8850 00	8421-70	9197 00
गुजरात	5-60.00	3889.00	4616.00
हरियाणा	1844.00	2079.50	3051.00
हिमाचल प्रदेश	1758.00	2090.20	2396.00
जम्मू और काश्मीर	2259.70	2191.91	2436.00
कर्नाटक	3590.19	4881.00	6333.00
केरल	2251·50	2238.00	2382.00
मध्य प्रदेश	5328.00	5645.00	7796.00
महाराष्ट्र	7278.00	9091.00	10851.00
मणिपुर	906.15	956.00	971 00
मेघालय	766.51	752.20	846.00
नागालैंड	453.60	506.58	598.00
उडीसा	2553.00	2571·00	3031.00
पंजाब	2329.95	1778.70	2252.00
राजस्थान	4459.00	4569.00	5145.00

1	2	3	4
सिक्किम	359.00	547.00	722.00
तमिल नाडू	3855.00	4741.00	6373.00
त्रिपुरा	981.00	1047.00	1246.00
उत्तर प्रदेश	12868.00	14605.00	15218.00
पश्चिमी बंगाल	5733.00	5676·00	5860.00
जोड़-राज्य	81740.16	87164.79	118976.00

गोआ मुक्ति संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों को स्वतंत्रता सेनानी पेंशन दिया जाना

8733. **श्री रामावतार शास्त्री : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोआ मुक्ति संग्राम के कितने स्वतंत्रता सेनानियों को अब तक पेंशन मंजूर की गई है और कितने व्यक्तियों के आवेदन पत्र लंबित हैं;

(ख) उनमें से कुछ स्वतंत्रता सेनानियों के आवेदन पत्रों को नामंजूर करने के क्या कारण हैं; और

(ग) लंबित आवेदन पत्रों पर अन्तिम निर्णय कब तक लिया जायेगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) मंजूर किए गये आवेदन पत्रों की संख्या—643 लंबित आवेदन पत्रों की संख्या—748

(ख) ऐसे आवेदन पत्रों को नामंजूर कर दिया जाता है जिनके सम्बन्ध में स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना के अधीन अपेक्षित स्वीकार्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं होते हैं।

(ग) लंबित मामलों को राज्य जांच रिपोर्टों के प्राप्त होते ही और/अथवा आवेदकों द्वारा स्वतन्त्रता संग्राम के दौरान यातना के अपने दावों के समर्थन में स्वीकार्य साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने पर अन्तिम रूप दिया जाएगा।

डल झील को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाना

8734. **श्री कृष्ण कुमार गोयल : क्या प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डल झील के सौंदर्य का अनुसरण करने और उसमें वृद्धि करने तथा वहां अनधिकृत प्रवेश, प्रदूषण और गाद को रोकने के लिए इस झील को संरक्षित क्षेत्र घोषित करने का विचार है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण विभाग में उप-मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) अनधिकृत प्रवेश रोकने के लिए परिधि के साथ-साथ सड़कों का निर्माण करना, झील में गाद जाने से पहले इसे रोकने के लिए तलछट बेसिन का निर्माण करना, अपतृण विकास को नियंत्रित करने के लिए चयनात्मक अपतृण, जल संचालन में सुधार के लिए अड़-चनों को दूर करना, अवाह क्षेत्र में भू संरक्षण तथा हाउस बोट का उपयुक्त रूप से पुन: स्थान निर्धारण करना ताकि इन्हे मलजल पद्धति के साथ जोड़ा जा सके, उठाये जा रहे बिभिन्न उपायों मे से हैं।

सातवीं योजना के दौरान उड़ीसा को वित्तीय सहायता

8735. **श्री के० प्रधानी** : क्या **योजना मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उड़ीसा उद्योगीकरण के क्षेत्र में अन्य राज्यों से पिछड़ा हुआ है, इसे भारत के औद्योगिक नक्शें पर एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर सकने के लिये 1985 और 1990 के बीच कम से कम 2000 करोड़ रुपए के निवेश की आवश्य-कता होगी; और

(ख) यदि हां, तो क्या वह उड़ीसा के लिए सातवीं पन्चवर्षीय योजना के आवंटन का निर्धारण करते समय उड़ीसा की आवश्यकताओं को ध्यान में रखेंगे और इस पिछड़े राज्य को अधिकतम वित्तीय सहायता देना सुनिश्चित करेंगे ?

योजना मंत्री (श्री एस.बी. चव्हाण) : (क) और (ख) योजना आयोग इस समय सातवीं योजना का नीति पत्र तैयार करने में लगा हुआ है। यह, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित कर दिये जाने पर वह आधार होगा जिस पर केन्द्र और राज्यों द्वारा योजना तैयार करने का विस्तृत कार्य शुरू किया जाएगा। उड़ीसा के लिए सातवीं योजना में औद्यो-गिक क्षेत्रक के लिए अपेक्षित धनराशियों का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा योजना प्रस्तावों को प्रस्तुत करने के बाद और योजना आयोग द्वारा जांच करने के बाद उपलब्ध होगा।

राज्य की सातवीं योजना को अन्तिम रूप देते समय राज्य के अपेक्षाकृत पिछड़ेपन और वित्तीय संशोधनों की उपलब्धता सहित पारस्परिक प्राथमिकताओं के सदर्भ में विभिन्न क्षेत्रकों की आवश्यकताओं पर उचित ध्यान दिया जाएगा।

सरकारी उपक्रमों की परीक्षाओं में हिन्दी को एक माध्यम के रूप में मान्यता प्रदान करना

8736. **श्री सत्यनारायण जाटिया** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या राजभाषा हिन्दी को सभी सरकारी उपक्रमों की परीक्षाओं में एक माध्यम के रूप में मान्यता प्रदान की गई है और क्या इसका कोई अपवाद भी है, तथा यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ख) राजभाषा हिन्दी के प्रयोग की अवहेलना के मामले में क्या सांविधिक प्रावधान है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम दुलारी सिन्हा) : (क) मन्त्रालयों/विभागों को निर्देश दिये जा चुके हैं कि वे हिन्दी भाषी क्षेत्रों में स्थित अपने कार्यालयों द्वारा ली जाने वाली सीधी भर्ती की परीक्षाओं में हिन्दी माध्यम का विकल्प दे दें। ये निर्देश राजभाषा (सघ शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के प्रावधानों के अनुसार केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रणाधीन निगमों और कम्पनियों पर भी लागू होते हैं। अहिन्दी भाषी लोगों की कठिनाइयों को देखते हुए अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में स्थित कम्पनियों/निगमों की भर्ती परीक्षाओं में हिन्दी के वैकल्पिक माध्यम के बारे में अभी निर्देश नहीं दिए गए हैं।

(ख) राजभाषा अधिनियम 1963 और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

गांव और डाकखाना घेवरा, दिल्ली के खोये हुए व्यक्ति

8737. **श्री दया राम शाक्य** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गांव और डाकखाना घेवरा, दिल्ली के कितने व्यक्ति 1 सितम्बर, 1981 से 31 अक्टूबर, 1981 और 1 अक्टूबर, 1982 से 31 अक्टूबर, 1982 तक गुम हो गए/खो गए हैं; और

(ख) सरकार द्वारा खोये हुए व्यक्तियों की तलाश के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी वेंकटसुब्बय्या) : (क) घेवरा गांव के एक व्यक्ति के 1-9-81 से 31-.0-1981 की अवधि के दौरान खो जाने की सूचना दी गई थी और इसी गांव के एक दूसरे व्यक्ति के 1-10-1982 से 31-10-1982 की अवधि के दौरान खो जाने ही सूचना दी गई थी।

(ख) भारत में पुलिस अधीक्षकों, दिल्ली में स्टेशन हाउस अधिकारियों को बेतार-सन्देश जारी किए गए थे। खो गए व्यक्तिओं के दस्ते को इन खो गए व्यक्तियों को रेलवे स्टेशनों, बस-स्टाप होटल आदि पर ढुढने के लिये सूचना दी गई थी। इनका पता लगाने के लिए समाचार पत्रों के माध्यम से विस्तृत प्रचार किया गया है तथापि उनका अभी तक पता नहीं चला है।

नये इस्पात संयंत्र की स्थापना

8738. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में नया इस्पात संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या इस बारे में किसी अन्य देश ने सहायता देने की पेशकश की है, यदि हां,

तो उन देशों के नाम क्या हैं तथा पेशकश की गई सहायता और शर्तों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या इस संबंध में कोई समझौता किया गया है, यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खनन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मुहम्मद खां) : (क) सरकार ने कर्नाटक में विजयनगर और उड़ीसा में दैतारी में इस्पाज कारखानों स्थापित करने के बारे में सिद्धान्त रूप से निर्णय ले लिया है। प्रस्तावित इस्पात कारखानों में इस्पात के उत्पादन के लिए लागत की दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त प्रौद्योगिकी का निर्धारण करने के लिए कई वैकल्पिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जा रहा है। आशा है इन इस्पात कारखानों के कार्यान्वयन के लिए आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य योजना का शीघ्र पता लगा लिया जाएगा।

(ख) ब्रिटेन, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी और रूमानिया के कुछ अभिकरणों ने विजयनगर और दैतारी के इस्पात कारखानों के लिए संयंत्रों और उपस्करों की सप्लाई करने/वित्तीय सहायता देने में अभिरुचि दिखाई है। ये मात्र जांचपड़ताल से संबंधित हैं।

(ग) जी, नहीं।

ई. सी. ग्रेड अल्यूमीनियम के आवंटन के लिए नयी प्रणाली

8739. **श्री अर्जन सेठी** : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने नए वित्तीय वर्ष के दौरान ई. सी. ग्रेड अल्यूमीनियम आवंटन के लिए हाल ही में नये मार्ग निर्देश और प्रकिया सम्बन्धी परिवर्तन लागू किए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मंत्री श्री आरिफ मोहम्मद खान (क) और (ख) नई पुनर्जीवित इकाइयों की क्षमता के बेहतर उपयोग तथा उत्पादन वृद्धि को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से केबुल और कंडक्टर निर्माताओं को ई. सी. ग्रेड एल्यूमिनियम के वितरण करने हेतु 1984-85 में मार्गदर्शी नियमों में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए हैं —

(1) 1975-76 से 1982-83 तक की 8 वर्ष की अवधि में किसी भी वर्ष के दौरान यूनिटों को 75% आवंटन उनकी अधिकतम खरीद पर तथा 25% आवंटन क्षमता पर किया जाता है, जबकि पिछले वर्षों में 50-50 क्षमता तथा खरीद पर आयंटन किया जाता था। इस परिवर्तन से उन सभी यूनिटों को लाभ होगा जिन्होंने गत आठ वर्षों में किसी वर्ष भी अच्छा क्षमता उपयोग हासिल किया है।

(2) नई तथा पुनर्जीवित यूनिटों का उत्पादन बढ़ने के उद्देश्य से, उन्हें गत 50% क्षमता उपयोग के बदले 75% क्षमता उपयोग के आधार पर आवटन किया जाता है।

(3) एल्यूमिनियम उत्पादकों से धातु की पूर्ति के लिए लगातार 2 प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती थी, और उसमें आवंटी के लिए घन की व्यवस्था करने हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की थी। यदि वे प्रस्तावों पर अनुकूल प्रतिक्रिया व्यक्त करने में असफल रहते थे, तो आवंटन रद्द हुआ समझा जाता था। नए मार्गदर्शी नियमों में, धातु उठाने के लिए धन की व्यवस्था हेतु आवंटी को एक महीने के नोटिस का प्रवधान किया गया है, ताकि उत्पादक इकाइयों विशेषकर लघु पैमाने के क्षेत्र की इकाइयों को मदद मिल सके।

विभिन्न परियोजनाओं का मूल्यांकन

8740. **श्री के. मालन्ना** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पी. एल. 480 परियोजना आपरेशय फ्लड 1 और 2 तथा बलूसा तिलहन परियोजनाओं जैसी विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के सबध में कुछ मंत्रालयों में मूल्यांकन कक्ष स्थापित किए गए हैं ;

(ख) क्या सरकार ने विभिन्न परियोजनाओं के संबंध में उनके स्पष्ट लक्ष्यों एवं उद्देश्यों और वास्तविक कार्य निष्पादन और समय-सीमा आदि पर निगरानी रखी है और उसका मूल्यांकन किया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्री (श्री एस. बी चव्हाण) (क) कोई विशिष्ट एकक स्थापित नहीं किया गया है। लेकिन, योजना आयोग का कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन सामान्यत: लाभग्राही अभिमुख और कृषि, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, परिवार नियोजन ग्रामीण विद्युतीकरण आदि के क्षेत्र में अन्य कार्यक्रमों तथा पंचायत जैसी संस्थाओं से सबंधित कार्यक्रमों का भी व्यापक समवर्ती और कार्योत्तर मूल्यांकन करता है।

(ख) और (ग) विदेशी सहायता प्राप्त कृषि विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन का परियोजना कार्यान्वयन प्राधिकारयों/प्राधिकरणों द्वारा नियमित रूप से प्रबोधन किया जाता है जो अधिकांशत: संबंधित राज्य सरकारों में होते हैं। भारत सरकार का कृषि मंत्रालय भी किन्ही सहकारिताओं तथा अड़चनों को दूर करने की दृष्टि से इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति का आवधिक रूप में प्रबोधन करता है ताकि परियोजना की यथासंभव शीघ्रता से कार्यान्वित किया जा सके।

आपरेशन फ्लड-1 परियोजना का कार्यान्वयन 31 मार्च, 1981 तक पूरा हो गया था। परियोजना का मूल्यांकन किया गया है और निष्कर्ष यह रहा है कि आपरेशन फ्लड-1 परियोजना सामान्यरूप से सफल रही है। आपरेशन फ्लड-1 परियोजना का उद्देश्य 4 महानगरीय

शहरों में दुग्ध बाजारों बड़े भाग पर नियन्त्रण करना था। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मार्च, 1981 को संगठित क्षेत्रक ने सभी 4 प्रमुख नगरों को मिलाकर बाजार के लगभग 53 प्रतिशत भाग पर नियंत्रण कर लिया था। सभी महानगरी शहरों में संगठित क्षेत्रक द्वारा बेचे जाने वाले पौष्टिक दूध की कीमत निजी व्यापारियों द्वारा बेचे जाने वाले दूध के न्यूनाधिक मुकाबले की रही है।

आपरेशन फ्लड 2 कार्यक्रम की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है जो इस समय कार्यान्वित किया जा रहा है और इस परियोजना के समग्र प्रबोधन के लिए सचिव (कृषि तथा सहकारिता) की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है। आपरेशन फ्लड 2 कार्यक्रम के समग्र निष्पादन की समीक्षा करने के लिए भारत सरकार ने हाल ही में श्री एल. के. झा की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की है।

सयुक्त राज्य अमरीका की सहकारिता लीग रे सहायता प्राप्त राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड तिलहन परियोजना का राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड/बलूसा/भारत सरकार/संयुक्त राष्ट्र सहायता प्राप्त परियोजना दल द्वारा हाल ही में मूल्यांकन मूल्यांकन किया गया था। इस दल की रिपोर्ट की कृषि तथा सहकारिता मंत्रालय में जांच की जा रही है।

सरकारी उपक्रमों में घाटा

8741. **श्री लक्ष्मण मल्लिक** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उनके मंत्रालय के अधीनस्थ संरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को पिछले तीन वर्षों के दौरान हुए घाटों की ओर ध्यान दिया है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार हुए घाटे का ब्यौरा क्या है ;

(ग) उनके मंत्रालय के अधीनस्थसरकारी क्षेत्र के उन उनक्रमों, जिनको गत तीन वर्षों घाटा हो रहा है, के कार्यकरण को सुधारने के लिए क्या ठोस कदम उठाये गए हैं अथवा उठाने का विचार है ; और

(घ) क्या सरकार उन एककों, जिनको घाटा हो रहा है, के प्रबंधकों के विरुद्ध एककवार कार्यवाही करना चाहेगी ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि रामा राव) : (क) और (ख) जी, हां। उद्योगमंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणार्थ में आने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को वर्ष 1980-81, 198'-82 और 1982-83 में हुए लाभ/हानि का ब्यौरा वर्ष 1981-82 और 1982-83 के सरकारी उद्यम सर्वेक्षण नामक प्रकाशित दस्तावेज में उपलब्ध हैं, जिसे लोक सभा पटल पर पहले ही रखा जा चुका है।

(ग) और (घ) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्य निष्पादन में सुधार करने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ पुराने संयंत्र और मशीनों

का नियमित और योजनाबद्ध आधार पर नवीकरण और बढ़ाना, बिजली की कमी को दूर करने के लिए डी. जी. सेटों की स्थापना करना, उत्पादन के नये क्षेत्रों में विविधीकरण लाना, उनकी कार्यशी पूंजी सम्बन्धी आवश्यकताओं को यथासंभव पूरा करने के लिए सरकार द्वारा पर्याप्त निधियों की व्यवस्था करना तथा उनकी कच्चेमाल और कोयले की निविष्टियों की पूर्ति करने सहायता प्रदान करना शामिल है। इसके अतिरिक्त उनकी कार्य प्रणाली, कार्य-विधियों और योजना बनाने तथा उन्हें लागू करने के ढंग में सुधार करने के लिए विशेष प्रयास किये गए हैं और निरन्तर किए जा रहे हैं। उपक्रमों को अधिष्ठापित सुविधाओं का इष्टतम उपयोग करने, सम्मलित योजनाएं बनाने और अपनी वित्तीय व्यवस्था में सुधार करने के लिए विशिष्ट प्रकार की उपयुक्त कार्रवाई करने की सलाह दी गई है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्य की निरंतर समीक्षा की जाती और जहाँ कहीं आवश्यक होता है, उपचरात्मक कार्रवाही की जाती है।

अन्त :—निर्मित सहायक पुर्जों की व्यवस्था

8742. **श्री अनन्त रामुत्वु मल्लु** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चुने गए क्षेत्रों में सभी प्रमुख नई परियोजनाओं में अन्तः निर्मित सहायक पुर्जों की व्यवस्था का निर्णय लिया है ; और

(ख) यदि हां तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने देश के पिछड़े जिलों/क्षेत्रों में केन्द्रस्थ संयंत्रों के रूप में कार्य करने के लिए बड़ी परियोजनाएं स्थापित करने हेतु प्रोत्साहत देने संबंधी एक योजना की घोषणा की। इन केन्द्रस्थ संयंत्रों को चुनींदा सहायक एककों के माध्यम से संयंत्र में ही 50% उत्पादन प्राप्त करने का अन्त: निर्मित प्रावधान करना पड़ेगा। इस प्रकार के केन्द्रस्थ सयंत्रों के लिए केन्द्रीय निवेश राजसहायता की दर श्रेणी "क" के बारे में अधिकतम 25 लाख रुपये तक 25% श्रेणी "ख" के लिए अधिकतम 20 लाख रुपये तक 20% और श्रेणी "ग" जिलों/क्षेत्रों के लिए अधिकतम 15 लाख रुपये तक 15% निर्धारित कर दी गई है। किन्तु, एकाधिकार अवरोधक व्यापारिक व्यवहार विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम कंपनियाँ श्रेणी "ग" जिलों/क्षेत्रों में केन्द्रस्थ संयंत्रों के लिए उपयुक्त राजसहाता पाने की पात्र नहीं है।

राजसहायता के उद्देश्य हेतु श्रेणी "क" जिलों/क्षेत्रों में उद्योग रहित जिले व विशेष क्षेत्र (118 जिले) शामिल हैं, श्रेणी "ख" में श्रेणी "क" में सम्मिलित जिलों को छोड़कर हाल ही में केन्द्रीय राजसहायता के लिए पात्र जिले 55 जिले शामिल हैं, तथा श्रेणी "ग" में श्रेणी "क" और "ख" के अन्तर्गत आने वाले जिलों को छोड़कर रियायती वित्त पाने के पात्र विद्यमान 246 जिले शामिल हैं।

पुराने उपकरण, संयंत्र और मशीनों का आयात

8743 **श्री एन. ई. होरो** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान अपनी परियोजनाओं के लिए कुछ पार्टियों को पुराने उपकरण, संयंत्र तथा मशीनें आदि के आयात के लिए अनुमति दी गई थी ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार अनुमति से सम्बद्ध उपकरण की शर्तों सहित तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) पुराने उपकरण का आयात करने को अनुमति प्रदान करने के क्या कारण हैं ; और

(घ) उपकरण के देय मूल्य उचित तथा तर्कसंगत होने बारे में तथ्य तथा आकार क्या हैं और इच्छुक पार्टियों को किस रूप में संतुष्ट कियाजायेगा ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) जी, हां।

(ख) आवश्यक जानकारी इकट्ठी की जा रही है और शीघ्र ही सभापटल पर रख दी जाएगी।

(ग) और (घ) स्वदेशी उपलब्धता और आयातित पुराने संयंत्रों की शीघ्र सुपुर्दगी से मूल्य और लागत में आने वाली कमी से होने वाले लाभों को ध्यान में रखकर पुराने उपकरणों के आयात की अनुमति दी जाती है।

यह सुनिश्चय करने हेतु कि आयात किए जाने वाला प्रस्तावित पुराना उपकरण तकनीकी और कार्य-संचालन की दृष्टि से अच्छा है तथा मूल्य भी उचित है, आयातक को पुराने (गत प्रयोग) पूंजीगत साल के आयात हेतु आवेदनपत्र के साथ जिस देश से मशीनों का आयात किया जा रहा है, उसके व्यावसायिक चार्टर्ड इंजीनियर से निम्नलिखित जानकारी देते हुए एक प्रमाण-पत्र भेजना अपेक्षित है :—

1. संयंत्र और मशीनरी के निर्माता का नाम :
2. विनिर्माण का वर्ष ;
3. प्रमुखत: पुन: जीर्णोद्धार/मरम्मत करने की लागत तथा विदेशी फर्म का जिसने पुन:जीर्णोद्धार/मरम्मत का कार्य किया था।
4. संयंत्र और मशीनों की विद्यमान दशा तथा उसका अवशेष जीवन तथा इस प्रकार के आयात में किस प्रकार की प्रौद्योगिकी निहित है इसको स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया जाना चाहिए ; तथा
5. यदि इसी प्रकार का नया पूंजी गत माल खरीदा जाये तो उसका लागत बीमा भाड़ा मूल्य।

नीति में यह भी व्यवस्था है कि पुराने संयंत्र और मशीनरी तथा मूल्य सहित इसके फोटोग्राफ (यदि उपलब्ध हो) की पूर्ण विशिष्टियों तथा मूल्य अर्थात् पूंजीगत माल का मूल्य, प्रोफामों बीजकों के साथ-साथ भाड़ा, बीमा और खोलने की लागत ब्यौरा भी भेजा जाना चाहिए।

अध्यापकों के वेतनमानों के सम्बन्ध में इस्पात मजदूर संघ का भिलाई प्रबन्ध मण्डल के साथ समझौता

8744. **श्री जार्ज फर्नान्डीज:** क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अध्यापकों के वेतन से संबंधित विवाद के बारे में 1972 में भिलाई के प्रबन्धकों द्वारा इस्पात कर्मचारी संघ के साथ किए गए समझौते का ब्यौरा क्या है;

(ख) अध्यापकों को किस कानून के अन्तर्गत 'कामगार" की परिभाषा में रखा गया है और इस्पात मजदूर संघ को अध्यापकों के विवादों के सम्बन्ध में समझौता करने का अधिकार दिया गया है; और

(ग) क्या अध्यापकों को इस्पात मजदूर संघ के माध्यम से श्रम न्यायालयों से न्याय की मांग करने का अधिकार दिया गया है और यदि हा, तो कब से ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मुहम्मद खां) : (क) अध्यापकों के वेतनमानों के बारे में 1972 में भिलाई इस्पात कर्मचारी सघ के साथ कोई समझौता नहीं किया गया था।

(ख) भिलाई इस्पात कारखाने में "कामगार" की परिभाषा के लिए जो कानून लागू होता है वह है 'मध्य प्रदेश औद्योगिक सम्पर्क अधिनियम"। इस अधिनियम के अन्तर्गत अध्यापक कामगारों की परिभाषा के अन्तर्गत नहीं आते हैं।

(ग) चूंकि अध्यापक 'मध्य प्रदेश औद्योगिक सम्पर्क अधिनियम' के अन्तर्गत नहीं आते हैं अत: वे श्रम-न्यायालयों में जाने के हकदार नहीं हैं।

पालामऊ और मधुबनी में उद्योगों की स्थापना

8745. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **उद्योग मंत्री** पालामाऊ और मधुबनी में उद्योगों की स्थापना के बारे में 4 अप्रैल, 1984 के तारांकित प्रश्न संख्या 556 के उत्तर के संबध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार द्वारा औद्योगिक परियोजनाओं के प्रस्तावों पर निर्णय कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो कुल सूची और संख्या सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो बिलम्ब के क्या कारण हैं;

(घ) क्या बिहार सरकार ने मधुबनी और पालामाऊ में न्यूविलएज संयंत्रों के बारे में परियोजना रिपोर्ट तैयार करने की कार्यवाही पूरी कर ली है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इन न्यूक्लिएज संयंत्रों के बारे में कृतिम बल के विशिष्ट प्रस्ताव क्या हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) बिहार राज्य सरकार के उपक्रमों अर्थात बिहार स्टेट फार्मेस्युटिकल्स एंड केमिकल्स डेवलपमेंट कारपोरेशन लि० और बिहार स्टेट इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लि० से क्रमश: कन्वेयर बैल्टों और गैल्वनाईडड शीटों के विनिर्माण के लिए दो आवेदन-पत्र सरकार के विचाराधीन हैं।

(ग) जब तक सरकार अन्तिम निर्णय नहीं ले लेती, समान्यतया आवेदन-पत्रों के निपटान से संबंधित ब्योरा नहीं बताया जाता।

(घ) से (च) एक विवरण सलग्न है।

विवरण

पालामऊ और मधुबनी जिलों में कृतिम बल द्वारा सिफारिश किये गए केन्द्रस्थ संयंत्र और क्या राज्य सरकार द्वारा इनकी परियोजना रिपोर्टें तैयार की गई हैं—की स्थिति दर्शाने वाला विवरण।

क्रम सं०	केन्द्रस्थ संयंत्र का नाम	क्या राज्य सरकार द्वारा परियोजना रिपोर्ट बनाई गई है या नहीं.
1	2	3
	पालामऊ	
क.	**गढ़वा रोड**	
1.	रेयन पल्प एण्ड स्टैप्ल फाइबर संयंत्र	—
2.	पेरा-नाइट्रो क्लोरो बेन्जीन	—
3.	केल्सियम कार्बाइड/पी.वी.सी. कम्प्लेक्स	—
4.	बेन्जीन हेक्सा क्लोराइड	—
ख.	**डाल्टन गंज**	
1.	कार्बन बांडेड एण्ड क्ले बांडेड ग्रेफाइट कुस्बिल्स	-
2.	मोबाइल एक्सरे संयंत्र	—
3.	मेथानोल	—

1	2	3
ग.	**लतेहर**	
1.	साल्वेंट एक्ट्रेक्शन संयंत्र	हाँ
2.	माडल टैनरी यूनिट	हाँ
3.	माइनिंग एण्ड अर्थ भूविंग मशीनें	—
4.	मकेनिकल इक्विपमेंट और थर्मल पावर प्लांट के लिए स्पेयर पार्टस	—
5.	अल्युमिनियम एक्स्ट्रगन, कास्टिंग एंड बायर रांड यूनिट	—
6.	सेरामिक कंप्लेक्स	—
	मधुबनी	
क.	**पंडोल**	
1.	कांटन स्पिनिंग मिल	हाँ
2.	स्टार्च एण्ड ग्लुकोज	हाँ
3.	साइकिल कंप्लेक्स	—
4.	लेदर कंप्लेक्स	हाँ
5.	मधुबनी पेंटिंग्स, सिक्की वस्तुओं और हैंडलूम वीविंग के लिए सामान्य सुविधा केन्द्र	—
6.	आर्थर बटलर एक्पैंशन	—
7.	रेलवे कोच फैक्टरी	—
8.	एक्स.एल.पी.ई. केबल यूनिट	—
9.	वैगनों, कोचों, लोको पैक्स आदि के लिए भारतीय रेलवे रिपेयर वर्कशप	—
10.	ट्रांसमिशन लाइन हार्डवेयर	—

दिल्ली में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवार

8746. **श्री मनोहर लाल सैनी : क्या योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 8 अप्रैल, 1984 के "टाइम्स ऑफ इण्डिया" में "वोपेन बर्न्स हरसेल्फ, 3 किल्स डंयु. टू. पोवरटी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में कितने परिवार गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं और उनको गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के लिए क्या उपाय करने का विचार है; और

(ग) क्या योजना आयोग का विचार बड़े-बड़े औद्योगिक और व्यापार-गृहों से यह निदेश देने का है कि वे अपने उत्पादों का, बिक्री हेतु, विवरण शिक्षित बेरोजगारों के माध्यम से करें जिससे कि रोजगार कार्यक्रम का बोझ भी कम हो और धन के कुछ ही लोगों के पास जमा होने पर भी अंकुश लगे ?

योजना मन्त्री (श्री एस.बी. चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1977-78 के लिए घरेलू उपभोगता व्यय से संबंधित राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के सर्वेक्षण के अनुसार उस समय दिल्ली की 17.31 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे रह रही थी। तत्पश्चात दिल्ली के लिए कोई अनुमान तैयार नहीं किया गया है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, अनुसूचित जातियो के लिए विशेष संघटन योजना, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रय और ग्रामीण भूमिहीनों के लिए रोजगार गारन्टी कार्यक्रम जैसे विशिष्ट कार्यक्रमों और सामान्यत: योजना कार्यक्रमों का उद्देश्य सम्पूर्ण देश में लोगों के जीवन-स्तर में सुधार करना है।

(ग) जी, नहीं।

पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान जारी किये गये औद्योगिक लाइसेंस

8747. **श्री सुशीला भट्टाचार्य** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ से प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रत्येक राज्य को लघु और बड़े उद्योगों हेतु कितने लाइसेंस जारी किए गए ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : चौथी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ अर्थात 1969 से 1985 तक की अवधि में प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के उपबंधों के अधीन स्वीकृत औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्ष 1969 से 1983 की अवधि में जारी किए गये औद्योगिक लाइसेंसों का राज्यवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण ।

क्र० सं०	राज्य/संघ प्रशासन का नाम	जारी किये गए औद्योगिक लाइसेंसों की वर्षवार संख्या														
		1969	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83
1.	आँध्र प्रदेश	6	14	39	28	29	61	61	51	27	17	17	42	39	26	63
2.	अंडमान और निकोबार	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—
3.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
4.	असम	1	1	5	12	4	9	9	6	2	1	21	5	4	1	22
5.	बिहार	8	22	24	18	9	24	15	17	16	12	3	4	10	9	29
6.	चंडीगढ़	—	—	—	—	—	3	4	2	—	1	—	1	1	3	3
7.	दादरा और नगर हवेली	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8.	दिल्ली	2	3	12	13	13	17	11	10	5	6	6	5	2	7	18

	1969	79	70	71	72	73	74	75	76	78	79	80	81	82	83
9. गोवा, दमन और दिव	—	—	—	2	4	6	8	7	1	2	—	2	5	7	3
10. गुजरात	19	37	67	61	75	89	98	83	60	46	48	85	79	59	115
11. हरियाणा	6	27	33	38	27	61	62	27	23	13	16	20	21	21	59
12. हिमाचल प्रदेश	—	—	1	—	2	2	5	3	2	4	1	2	1	6	5
13. जम्मू और कश्मीर	—	—	2	—	1	5	3	3	1	2	2	1	3	3	10
14. कर्नाटक	5	17	22	42	46	66	64	43	45	26	24	40	25	34	65
15. केरल	2	10	7	12	10	19	25	25	16	7	11	11	15	9	22
16. मध्य प्रदेश	3	2	20	12	11	45	35	18	7	8	8	18	15	9	30
17. महाराष्ट्र	81	106	168	138	171	265	255	143	150	101	111	107	114	95	171
18. मणिपुर	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—
19. मेघालय	—	—	—	1	—	3	2	1	1	—	—	—	—	—	—
20. नागालैंड	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2
21. उड़ीसा	3	4	8	3	1	12	11	7	2	2	6	8	5	10	14
22. पांडिचेरी	—	—	1	—	1	3	2	—	—	—	—	—	1	1	3

	1969	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83
23. पंजाब	1	11	13	16	15	46	43	25	23	9	13	18	17	14	169
24. राजस्थान	—	7	16	18	8	36	24	16	17	10	8	15	26	14	25
25. तमिलनाडु	12	35	52	35	63	99	141	61	32	28	26	37	30	41	76
26. त्रिपुरा	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
27. उत्तर प्रदेश	8	26	48	53	60	116	72	51	41	26	33	30	24	22	98
28. पश्चिम बंगाल	64	41	84	14	41	107	74	56	40	23	29	23	34	27	71
29. राज्य का उल्लेख नहीं किया गया है एकाधिक राज्य	—	—	3	4	4	3	1	—	6	3	2	1	4	4	—
योग :	22	363	625	563	590	1099	1027	662	518	348	365	475	476	432	1075

निलम्बन के दौरान एक सरकारी कर्मचारी का पद-दर्जा

8748. **श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक सरकारी कर्मचारी को निलम्बित कर दिए जाने पर उसका पद-दर्जा क्या होता है और क्या इस अवधि के दौरान वह किसी आचार संहिता से प्रतिबंधित है : और

(ख) यदि हां, तो वह किस आचार संहिता से प्रतिबंधित है और आचार संहिता का ब्यौरा क्या है और क्या इस संबिषय से संबंधित नियमों अथवा आदेशों की प्रतियों के संबन्धित उदाहरणों को सभा पटल पर रखा जायेगा ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. बेंकटसुब्बय्या) : (क) तथा (ख) कोई भी निलम्बनाधीन सरकारी कर्मचारी, अपने सरकारी कर्मचारी के दर्जे को कायम रखता है। केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 में नियमों के लागू किए जाने के प्रावधान में अथवा "सरकारी कर्मचारी" की परिभाषा में नियम्बनाधीन सरकारी कर्मचारी और ऐसे सरकारी कर्मचारी के बीच कोई भेद-भाव नहीं रखा जाता जो निलम्बनाधीन नहीं है। तदनुसार, कोई सरकारी कर्मचारी जो निलम्बनाधीन है, वह भी इन्हीं नियमों से शासित होता है।

सोवियत संघ को इस्पात का निर्यात

8749. **श्री एन. के शेजवलकर** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिनांक 28 मार्च, 1984 के "बिजनेस स्टेंडर्ड" के समाचार के अनुसार सोवियत सघ भारत से 60,000 टन इस्पात की खरीद करेगा;

(ख) यदि हां, तो दोनों देशों के बीच हुए समझौते का ब्यौरा क्या है;

(ग) सोवियत संघ ने किस मूल्य को पेशकश की है और भारत ने क्या मूल्य स्वीकार किया हैं;

(घ) दोनों दलों के अन्य सदस्यों के नाम और पदनाम सहित दोनों पक्षों की ओर से समझौते पर हस्ताक्षर करने वालों के नाम और पदनाम क्या हैं; और

(ङ) भारत से इस्पात की पहली खेप और अंतिम खेप कब तक जायेगी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मुहम्मद खां) : (क) से (ङ) इस्पात के निर्यात के बारे में सोवियत संघ से अभी कोई करार नहीं हुआ है। जब और जैसे करार हो जायेगा तभी मात्रा, मदों, मूल्य तथा लदान कार्यक्रम के बारे में पता चल सकेगा।

खनिज ससाधनों के विकास पर वन संरक्षण अधिनियम का प्रभाव

8750. **श्री मनमोहन टुडु** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को खनिज संसाधनों पर वन (संरक्षण) अधिनियम के प्रभावों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान वन (संरक्षण) अधिनियम के कारण खनन उद्योग को किन मुख्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है; और

(ग) समस्या के समाधान हेतु उनके मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाए गए है अथवा उठाने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) जी हां ।

अधिनियम के प्रवर्तन का पर्यावरण सन्तुलन और पर्यावरणस्थिरता पर प्रभाव हुआ है। वनों स्थित खनिजधारी क्षेत्रों के संबंध में खनिज पट्टों के अनुदान और नवीकरण में पेश आ रही कठिनाइनयां अनिवार्यत: प्रक्रिया संबंधी रही हैं ।

वन क्षेत्र या उसके किसी हिस्सों में पट्टा का अनुदान/नवीकरण में आ रही कठिनाइयों को देखते हुए, कृषि मंत्रालय ने हाल में ही आवेदनों की शीघ्र निपटान की प्रक्रिया को सरल बनाने विषयक मार्गदर्शी नियम जारी किए है ।

सेरामिक उद्योग के लिए भट्टी तेल ईंधन की कीमत में वृद्धि

8751. **श्री राम विलास पासवान** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में भट्टी तेल जो "सेरामिक उद्योग के लिए मुख्य ईंधन है, की कीमत में बहुत अधिक वृद्धि हो गई है;

(ख) क्या इसका सेरामिक उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और सेरामिक के निर्यात में काफी कमी आई है;

(ग) क्या सेरामिक दल या कोई समिति निर्यात संवर्धन का पता लगाने के पश्चिम एशिया गई है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस उद्योग की स्थिति सुधारने हेतु सहायता उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस. बी. पट्टाभि राम राव) : (क) पिछले कुछ वर्षों के दौरान भट्ठी तेल (फर्नेस आयल) के मूल्य में कुछ वृद्धि देखने में आई है ।

(ख) वर्ष 1979-80 से 1982-83 के दौरान मृत्तिका (सिरैमिक) उद्योग के निर्यात को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि भट्ठी तेल के मूल्य में वृद्धि से यह उद्योग बुरी तरह प्रभावित नहीं हुआ है । वर्ष 1982-83 के दौरान निर्यात में थोड़ी कमी उद्योग द्वारा आवश्यक ईंधन प्राप्त करने में आने वाली बाधाओं और इनके मूल्यों में वृद्धि के कारण आई प्रतीत होती है ।

(ग) हाल ही में 4 सदस्यों के एक संयुक्त बिक्री-सह-अध्ययन दल ने पश्चिम एशिया क दौरा किया है। इस दल की रिपोर्ट का इन्तजार किया जा रहा है ।

(घ) सरकार इस उद्योग के उत्थान के लिये आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी का उन्नयन, उत्पादन शुल्क में कमी आदि जैसे कई उपाय कर रही है ।

महानगरों के प्रदूषित क्षेत्रों में मौतें

8752. **श्री सतीश अग्रवाल** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनाँक 26 मार्च, 1984 के बम्बई से प्रकाशित "फ्री प्रेस जर्नल" के समाचार की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें बताया गया है कि देश में महानगरों के प्रदूषित क्षेत्रों में मौतों का प्रमुख कारण प्रदूषण है;

(ख) क्या एक विशेषज्ञ दल द्वारा आरम्भ किए गए वायु प्रदूषण सम्बन्धी "पायोनियरिंग हैल्थ स्टडी" में इस बात का संकेत है कि वर्ष 1976-80 के दौरान देश के अधिकांश महानगरों में ठंड, खांसी, श्वसनी शोध, सांस लेने की समस्या सहित सांस सम्बन्धी विभिन्न बीमारियों और कैंसर के मामले भी अपेक्षा कृत अधिक हैं; और

(ग) सरकार इस दिशा में क्या कदम उठा रही है ?

पर्यावरण विभाग में उप-मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) देश में ऐसे विशेष आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं जिससे वायु प्रदूषण को इन बीमारियों का एकमात्र कारण ठहराया जा सके । किन्तु अन्य घटकों की पुष्टि से प्रदूषण ने महानगरीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य को प्रभावित किया है ।

(ग) सरकार संघ शासित क्षेत्रों के तथा राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के कृत्यकारी को मजबूत बना रही है । प्रदूषण नियंत्रण के लिए कुछ प्रोत्साहनों की भी व्यवस्था की जा रही है ।

1981 की जनगणना के सम्बन्ध में प्रकाशन जारी करना

8753. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनगणना विभाग द्वारा 1981 की जनगणना के सम्बन्ध में भाषा वार प्रकाशित किये गये और जारी किए गए प्रकाशनों की संख्या तथा ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ये प्रकाशन संसद सदस्यों को भेजे जाते हैं, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी क्या ब्योरा है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) अनुमानत: कितने प्रकाशन तत्सम्बन्धी ब्यौरे सहित, और प्रकाशित करने का विचार है और इसमें कितना समय लगने की संभावना है;

(घ) जनगणना विभाग कब तक काम करता रहेगा और इसका कितना कार्य अभी भी बाकी पड़ा है;

(ङ) क्या बाद में किए जाने वाले कार्य के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(च) इस विभाग में अब तक (श्रेणीवार) कुल कितना खर्चा हुआ है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) (क) से (च) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथावधि सदन के पटल पर रखदी जायेगी।

सीमेंट का जमा हो जाना

8754. **श्री बृजमोहन महन्ती :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सीमेंट कंपनियों को आधा उत्पादन खुले बाजार में बेचने की अनुमति देने का है और यदि हां, तो इस छूट के क्या कारण हैं;

(ख) क्या उपभोक्ताओं से सीमेंट की माँग कम होने के कारण सीमेंट उत्पादकों के पास भारी मात्रा में सीमेंट जमा हो गई है और यदि हां, तो वर्ष 1983-84 के अंत तक कुल कितनी मात्रा में सीमेंट जमा हुई;

(ग) क्या सीमेंट उत्पादकों के लिए सीमेंट के निर्धारित मूल्यों से बहुत कम मूल्यों पर बाजार में सीमेंट बिक रहा है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सीमेंट का बढ़ा हुआ उत्पादन जारी रखने के लिए सरकार द्वारा सीमेंट उत्पादकों के पास जमा सीमेंट को कम करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं या उठाये जाने का विचार है; और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) 28-2-1982 को सीमेंट के आंशिक विनियंत्रण की लागू की गई नीति की ध्यान-पूर्वक निगरानी और पुनरीक्षा की जाती है और सीमेंट उद्योग को सरकार द्वारा किये गए नीति परिवर्तनों, यदि कोई हों, सम्बन्धी निर्णयों से पूर्णत: अवगत कराया जाता है। नीति में किये जाने वाले प्रस्तावित परिवर्तनों, यदि कोई हों, के ब्यौरे को अभी बता पाना संभव नहीं है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) लेवी सीमेंट के मूल्य सरकार द्वारा नियंत्रित किये जाते हैं। गैर-लेवी सीमेंट के मूल्य और वितरण पर कोई नियंत्रण नहीं है। फिर भी, सीमेंट मैन्युफैक्चर्स एसोसिएशन ने यह सूचित किया है कि गैर-लेवी सीमेंट के मूल्यों में हाल में कमी की प्रवृत्ति देखी गई है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली के पांच सितारा होटलों में वेश्यावृत्ति के गिरोहों का पकड़ा जाना

8755. **श्री राकेश कुमार सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान दिल्ली के होटलों में वेश्यावृत्ति के कितने गिरोह पकड़े गए और संबंधित होटलों के नाम क्या हैं; और

(ख) इस प्रकार का धन्धा चलाने वाले होटलों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री पी. वेंकटसुब्बय्या) : (क) पिछले दो वर्षों अर्थात् 1982, 198३ और 31-3-1984 तक दिल्ली पुलिस के ध्यान में ऐसा कोई गिरोह नहीं आया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

सरकारिया आयोग पर व्यय

8756. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारिया आयोग को किस तिथि से नियुक्त किया गया था और क्या इस आयोग ने 1 फरवरी, 1984 तक कोई ज्ञापन प्राप्त किया है; और

(ख) यदि प्राप्त किये हैं, तो उनकी संख्या क्या है और इस आयोग पर अब तक कितना व्यय किया गया और इस आयोग द्वारा क्या प्रगति की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) केन्द्र-राज्य संबंधों के बारे में आयोग की स्थापना 9 जून, 1983 को की गई थी। 1 फरवरी, 1984 तक आयोग द्वारा प्राप्त किए गए ज्ञापनों की संख्या 36 थी। 31 जनवरी, 1984 तक इस आयोग पर किया गया व्यय 10,68,805.67 रुपये है। आयोग ने पृष्ठ-भूमि सूचना एकत्र करने के बाद उसे अन्तिम रूप दिया और उसके समक्ष मुद्दों पर एक प्रश्नावली जारी की प्रश्नावली के उत्तर प्राप्त हो रहे है और उनका विश्लेषण किया जा रहा है।

पाकिस्तान और बांग्ला देश के नागरिकों का भारत में निश्चित अवधि से अधिक समय तक ठहरना

8757. **डा. बसन्त कुमार पंडित** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980, 1981, 1982 और 1983 के दौरान वीजा लेकर कुल कितने (एक) पाकिस्तानी नागरिक, (दो) बांग्ला देश के नागरिक भारत में आए;

(ख) वीजा की समाप्ति के बाद भी कितने (एक) पाकिस्तानी नागरिक और (दो) बांग्ला देश नागरिक भारत में रह रहे हैं;

(ग) क्या उनमें से अधिकतर लोगों का या तो पता नहीं चल रहा है या वे फरार हो गए हैं अथवा उनका नाम ऐसी सूची में है जिनकी तलाश जारी है;

(घ) यदि हां, तो उन लोगों के विरुद्ध जो दोनों देशों से भारत में पिछले एक वर्ष अथवा उससे अधिक समय से रह रहे हैं क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए क्या सावधानियां बर्ती गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकटसुब्बय्या) : (क) 1980-83 के दौरान वीजा लेकर भारत आए (1) पाकिस्तानी और (2) बंगलादेशी नागरिकों की कुल संख्या इस प्रकार है :—

वर्ष	पाकिस्तान	बंगलादेशी
1980	2,39,223	2,21,068
1981	2,22,066	1,94,356
1982	2,19,511	1,98,867
1983	2,06,609	2,05,748

बंगलादेशियों से सम्बन्धित आंकड़ों में वे शामिल नहीं है जो मेघालय की चैकपोस्टों से होकर भारत में आए हैं।

(ख) इस संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) जो व्यक्ति पुलिस प्राधिकारियों के पास अपने आपको दर्ज करा लेते हैं उनमें से कुछ भूमिगत हो जाते हैं और उनके मामलों में उन्हें तलाश करने के नोटिस जारी किए जाते हैं।

(घ) विदेशी अधिनियम, 1946 के तहत उन व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है जो पुलिस प्राधिकारियों के पास दर्ज होते हैं और भारत में वास में वृद्धि नहीं मांगते।

(ङ) चैक पोस्ट और जिला प्राधिकारी एक दूसरे से समन्वय करके यह सुनिश्चित करते हैं कि जो व्यक्ति पुलिस प्राधिकारियों के पास दर्ज हों वे अनधिकृत रूप से भारत में न रहने पाएं।

विदिशा और रायसेन जिलों (मध्य प्रदेश) के स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन के लम्बित मामले

8758. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश के विदिशा और रायसेन जिलों के स्वतन्त्रता सेनानियों और उनके पति/पत्नी को पेंशन देने के कुछ मामले भारत सरकार के पास लम्बित पड़े हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इन मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग) अधिकांश मामले राज्य सरकार से सत्यापन रिपोर्ट/स्पष्टीकरण न मिलने के कारण लम्बित हैं। राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट भेजने के लिए समय-समय पर अनुस्मारक भेजे जाते हैं।

राजधानी में तीन व्यक्तियों की गोली मार कर हत्या

8759. **श्री एम. राम गोपाल रेड्डी** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि 27 मार्च, 1984 को राजधानी में गोली कांड में तीन व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकटसुबब्य्या) : (क) तथा (ख) राजौरी गार्डन में एक शो रूम के एक हिस्से को लेकर मालिक और किरायेदार के बीच 27 मार्च, 1984 को गोली चलने की इस घटना में दो व्यक्ति मारे गए और दो अन्य व्यक्तियों को बन्दूक की गोली लगने से चोटें आईं

(ग) इस सम्बन्ध में दो मामले—एक आई. पी. सी. की धारा 147, 148, 149, 307, 302, 323, 427, 452 और दूसरा आई. पी. सी. की धारा 302 के अधीन—राजौरी गार्डन पुलिस थाने में दर्ज किये गए हैं। तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और अपराध में इस्तेमाल किये गए हथियार कब्जे में लिये गए हैं। मामलों की जांच चल रही है।

सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबन्ध संस्थान द्वारा सरकारी कर्मचारियों को सीधे भर्ती किए गए कर्मचारियों के रूप में प्रशिक्षण

8760. **श्री कमला मिश्र मधुकर** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबन्ध संस्थान ने पिछले तीन वर्षों के दौरान सीधे भर्ती किये गये कर्मचारियों और पुनश्चर्या पाठ्यक्रम के रूप में कितनी श्रेणियों के कर्मचारियों और अधिकारियों को और कितने समय के लिए कौन से स्थानों पर प्रशिक्षण दिया है;

(ख) क्या संस्थान में प्रशिक्षण देने का माध्यम केवल अंग्रेजी है;

(ग) क्या प्रशिक्षण के बाद ली जाने वाली परीक्षा के प्रश्न पत्र केवल अंग्रेजी में तैयार किए जाते हैं;

(घ) यदि हां, तो राजभाषा नीति के उल्लंघन के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस नीति का उल्लंघन करने के जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध तथा इस अनियमितता को दूर करने के लिए कब तक कार्यवाही की जाएगी ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा): (क) एक विवरण संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या एल. टी. 8251/84]**

(ख) जी हां। तथापि अनुभाग अधिकारियों/सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारियों/भारतीय विदेश सेवा (ख)/रेलवे बोर्ड (परिवीक्षाधीन), सहायक (सीधी भर्ती वाले) और आशुलिपिकों (सीधी भर्ती वाले) के आधारिक कार्यक्रम में कार्यात्मक हिन्दी में भी प्रशिक्षण दिया जाता है।

(ग) केवल अनुभाग अधिकारियों/सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारियों/भारतीय विदेश सेवा (ख)/रेलवे बोर्ड (परिवीक्षाधीन), सहायक (सीधी भर्ती वाले) और आशुलिपिकों (सीधी भर्ती वाले) के लिए ही पाठ्यक्रमोत्तर परीक्षा होती है। कार्यात्मक हिन्दी के सिवाए, प्रश्नपत्र अंग्रेजी में तैयार किए जाते हैं किन्तु प्रशिक्षार्थियों को हिन्दी में उत्तर देने की छूट होती है।

(घ) राजभाषा नीति का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। चूंकि सेवाओं के विभिन्न ग्रेडों के सीधी भर्ती वाले बहुत से व्यक्ति अहिन्दी भाषी क्षेत्रों से होते हैं, और उन्हें हिन्दी का काम-चलाऊ प्रारम्भिक ज्ञान भी नहीं होता इसलिए हिन्दी के माध्यम से प्रशिक्षण देना न तो व्यवहार्य है और न ही राजभाषा नीति के अनुकूल ही है।

(ङ) भाग (घ) के उत्तर को देखते हुए, यह प्रश्न नहीं उठता।

सातवीं योजना में क्षेत्रीय असंतुलन दूर करना

8761. **श्री रामबिहारी बहेरा** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्यों में क्षेत्रीय असतुलन दूर करने के लिए किसी विशेष योजना पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या पश्चिमी उड़ीसा विशेष कर कालाहांडी जिले के बारे में जो कि (कोठारी आयोग की रिपोर्ट के अनुसार) साक्षरता की दृष्टि से एक पिछड़ा तथा आदिवासी क्षेत्र है, कोई अध्ययन किया जा रहा है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उनके क्या कारण हैं ?

योजना मत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) जी, हां। योजना इस समय सातवीं योजना के लिए नीति पत्र तैयार करने में व्यस्त है। राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा इसको अनुमोदन हो जाने पर, यह वह आधार बनेगा, जिस पर केन्द्र और राज्यों द्वारा योजना तैयार करने का विस्तृत कार्य शुरू किया जाएगा।

(ख) राज्यों में क्षेत्रीय असंतुलनों को दूर करने संबन्धी किसी भी विशेष स्कीम को शामिल करने पर टिप्पणी करना अभी सम्भव नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

दुभाषी समिति की सिफारिश

8762. **श्री बाबूराम परांजपे** : क्या **योजना मन्त्री** कार्यक्रम मूल्यांकन संस्थान द्वारा अनेक कार्यक्रमों के मूल्यांकन के बारे में 24 अगस्त, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4717 के भाग (ग) के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रो. आर. दुभाषी समिति की अन्य सिफारिशों को अब तक स्वीकार कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उन्हें कब तक मन्जूर और क्रियान्वित किये जाने की संभावना है और तत्सम्बन्धी सिफारिश-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसमें असाधारण विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

योजना मन्त्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) से (ग) सिफारिशों की जांच अभी पूरी नहीं हुई है। संगठन के स्टाफ के सुदृढीकरण से सम्बन्धित सिफारिशों के निहितार्थों में विस्तृत अध्ययन की मांग की गई है।

इस्पात संयत्रों की क्षमता का उपयोग

8763. **श्री उत्तम राठौड़** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों में क्षमताओं की गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कितने प्रतिशत उपयोग हुआ है;

(ख) क्या उनमें क्षमताओं का कम उपयोग हुआ है; यदि हां तो इन इस्पात संयंत्रों के कार्य निष्पादन को सुधारने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) क्या वर्तमान इस्पात संयंत्रों का आधुनिकी करण करने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां): (क) सरकारी क्षेत्र के सर्वतोमुखी इस्पात के कारखानों में गत तीन वर्षों में क्षमता का उपयोग इस प्रकार रहा :—

(प्रतिशत)

कारखाना	1981-82		1982-83		1983-84	
	इस्पात पिंड	विक्रेय इस्पात	इस्पात पिंड	विक्रेय इस्पात	इस्पात पिंड	विक्रेय इस्पात
भिलाई इस्पात कारखाना	85	93	85	94	73	80
दुर्गापुर इस्पात कारखाना	58	63	60	66	50	41
राउरकेला इस्पात कारखाना	67	89	64	81	60	70
बोकारो इस्पात कारखाना	72	75	73	76	67	65
इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (इस्को)	60	61	62	63	54	55
कुल : "सेल"	71	78	71	79	63	66

(ख) क्षमता का उपयोग निर्धारित क्वालिटी तथा पर्याप्त मात्रा में कच्चे माल की उपलब्धि बिजली की उपलब्धि, उपस्करों के रख-रखाव, मालिक-मजदूर सम्बन्धों तथा बाजार की मांग पर निर्भर करता है। जब क्षमता का पूरी तरह उपयोग नहीं होता तब इसके लिए इन कारणों में से एक या अधिक कारण उत्तरदायी हो सकते हैं।

उपयुक्त क्वालिटी तथा पर्याप्त मात्रा में कच्चे माल की सप्लाई सुनिश्चित करने, रक्षित स्रोतों तथा सार्वजनिक स्रोतों से पर्याप्त मात्रा में बिजली प्राप्त करने, उपस्करों की समय पर मरम्मत तथा रख-रखाव, बाजार की मांग के अनुरूप प्रॉडक्ट-मिक्स में परिवर्तन करने तथा मालिक-मजदूर सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण बनाये रखने के लिए निरन्तर प्रयास किए जाते हैं।

(ग) और (घ) कारखाने की सुविधाओं का आधुनिकी करण (प्रौद्योगिकीय दृष्टि से सुधार) करना तथा उनमें सुधार करना एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है और इसके लिए योजनाएं बनाई जाती हैं और कार्यान्वित की जाती हैं।

राउरकेला इस्पात कारखाने में कई योजनाएं शुरू की गई हैं। इन योजनाओं में बिगंधकी करण सुविधाओं की व्यवस्था, सेकेन्डरी स्टील रिफाइनिंग, सिलिकन इस्पात का उत्पादन, पाइपों का सीम नार्मलाइज करना, जस्ती करण में जेट कोटिंग तथा 60-60 मेगावाट के दो रक्षित

विद्युत संयंत्र लगाने की योजनाएं शामिल हैं। इन योजनाओं पर कुल 340 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है ।

इसी प्रकार दुर्गापुर इस्पात कारखाने में परिवर्तन तथा संशोधन की गई योजनाएं चल रही हैं। इन योजनाओं में कोक को काटने की सुविधाओं की व्यवस्था, पहिए तथा धुरी के संयंत्र के लिए अनुपूरक सुविधाओं की व्यवस्था, दोलानी में अयस्क के चूरे को शोधित करने तथा 60-60 मेगावाट के दो रक्षित विद्युत संयंत्र लगाने की योजनाएं शामिल हैं। इन योजनाओं पर कुल 96 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

मिश्र इस्पात संयंत्र का विस्तार करने के कार्यक्रम के अन्तर्गत 65.98 करोड रुपये की अनुमानित लागत से इस कारखाने की इस्पात बनाने की सुविधाओं का आधुनिकीकरण किया जा रहा है जिससे इस कारखाने की वार्षिक क्षमता 1,60,000 टन से बढ़कर 2,60,000 टन हो जाएगी।

इसके अलावा राउरकेला तथा दुर्गापुर के इस्पात कारखानों की प्रौद्योगिकी में सुधार करने, इन्हें सशक्त बनाने तथा इन कारखानों का आधुनिकीकरण करने के सम्बन्ध में योजनाएं बनाई गई हैं ताकि ये कारखाने संभावित न्यूनतम लागत से स्थापित क्षमता पर उत्पादन कर सकें। ये प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं।

इस्को के बर्नपुर स्थित कारखाने का आधुनिकीकरण और इसमें प्रौद्योगिकीय सुधार करने के लिए शक्यता रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

कोटा परमाणु ऊर्जा परियोजना के सम्बन्ध में समिति की सिफारिशें

8764. **श्री राम कृष्ण भोरे** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान परिमाणु ऊर्जा परियोजना कोटा काफी लम्बे अर्से से ठीक तरह काम नहीं कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि इसके कार्यकरण की जांच के लिए नियुक्त समिति ने सिफारिश की है कि परमाणु ऊर्जा परियोजना को बंद कर दिया जाए; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध मे समिति की सिफारिशें क्या हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, इलेक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज बी. पाटिल) : (क) तथा (ख) राजस्थान परमाणु बिजलीघर का पहला यूनिट एक एंड-शील्ड की मरम्मत के लिए 4.3.1982 से बंद है। दूसरी यूनिट का कार्य-निष्पादन बहुत संतोषजनक है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

पर्यावरण अनुरक्षण के लिए तिवारी समति की रिपोर्ट

8765. **श्री के.ए. स्वामी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्यावरण के अनुरक्षण के लिए प्रशासी और विधायी सुधारों के सम्बन्धों में तिवारी समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ख) उन सिफारिशों को किस सीमा तक कार्यान्वित किया गया है; और

(ग) उनमें से शेष सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

पर्यावरण विभाग में उप-मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) तिवारी समिति की प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं :—

कानूनी स्कन्ध, एक पर्यावरणीय प्रवोधन, आसूचना तथा शीघ्र चेतावनी देने वाली प्रणाली सहित केन्द्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना;

पर्यावरणीय सुरक्षा से सम्बन्धित कार्यों की योजना बनाने तथा समन्वय के लिए राज्य सरकारों द्वारा एक उचित प्रशासनिक विभाग का बनाना;

सभी प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा जिनके कार्यक्रमों का पर्यावरण श्रोयों पर असर पड़ता है पर्यावरणीय अनुप्रभाव आंकलन विशेषज्ञता का विकास;

एक केन्द्रीय भू-आयोग की स्थापना साथ ही साथ राज्य भू-आयोग बोर्ड के कार्यों में तेजी लाना।

पर्यावरण पर मंत्रिमन्डल समिति का गठन।

एक राष्ट्रीय पर्यावरण नीति संकल्प का अपनाया जाना चाहिए।

7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में पर्यावरणीय सुरक्षा को शामिल किया जाना चाहिच।

पर्यावरणीय प्रबन्धकों के प्रशिक्षण हेतु सुविधाओं का विकास: तथा

पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए प्रासंगिक 12 सुझाये गए क्षेत्रों हेतु, यदि आवश्यक हो तो नये कानून का बनाया जाना।

(ख) तथा (ग) तिवारी समिति की सिफारिशों पर बनाये गये पर्यावरण विभाग ने अधिकतर सिफारिशों का क्रियान्वयन पहले ही कर दिया है तथा अन्य गृह मंत्रायय, कानून, उद्योग तथा शिक्षा मंत्रालय से परामर्श के साथ-साथ कार्यवाही की विभिन्न अवस्थाओं में है।

राज्यों में भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति पर राज्य सरकारों द्वारा विरोध

8766. **श्री अमरराय प्रधान** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की भर्ती की जा रही है और उन्हें विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में नियुक्त किया जा रहा है;

(ख) क्या किन्हीं राज्य सरकारों ने इस व्यवस्था का विशेष किया है और यह अनुरोध किया है कि राज्य प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए इन अधिकारियों को राज्यों में नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा और इन आई.पी.एस. और आई.ए.एस. अधिकारियों को राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में नियुक्त करके केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों की मांग की निरन्तर उपेक्षा किये जाने के क्या कारण है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

राज्यों में भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति के बारे में राज्य सरकारों द्वारा विरोध।

अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम 1951 की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त व्यक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने सम्बधिन्त राज्य सरकारों से परामर्स करने के पश्चात अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 बनाए थे। उपर्युक्त भर्ती नियमों के नियम 4 तथा 7 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जा रही प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा इन दो सेवाओं में सीधी भर्ती करती है। इन सेवाओं के विभिन्न राज्य/संयुक्त संवर्गों में सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों का आबंटन सम्बन्धित राज्य सरकार अथवा राज्य सरकारों के परामर्श से, भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) नियमावली 1954 के नियम 5 के उपबन्धों के अनुसार किया जाता है। राज्यों में इन अधिकारियों की तैनाती सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा की जाती है। किसी भी राज्य सरकार ने इन व्यवस्थाओं के प्रति आपत्ति व्यक्त नहीं की है, क्योंकि ये व्यवस्थाएं उनके परामर्श से की गई हैं।

सेलम इस्पात संयंत्र में इस्पात का उत्पादन

876. **श्री सी.टी. दण्डपाणि** : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेलम इस्पात संयंत्र में इसके शुरू होने के बाद इस्पात का कितना उत्पादन हुआ है;

(ख) इस संयंत्र में कुल कितने मूल्य के इस्पात का उत्पादन हुआ है;

(ग) इस संयंत्र में किस किस्म के इस्पात का उत्पादन किया गया है; और

(घ) क्या इस के विस्तार का कोई कार्यक्रम है यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मुहम्मद खाँ) : (क) सेलम इस्पात कारखाने में 13 मार्च, 1982 से वाणिज्यिक उत्पादन होना शुरू हो गया था और तब से लेकर 31 मार्च, 1984 तक इस कारखाने में 14,551 टन बेदाग इस्पात की ठंडी बेलित चादरों/क्वायल का उत्पादन हुआ है।

(ख) 14,551 टन का मूल्य 72.99 करोड़ रुपये बैठता है।

(ग) सेलम इस्पात कारखाने में 0.30 मिली मीटर से 3.15 मिली मीटर मोटाई की बढ़िया और वाणिज्यिक किस्म की चादरों/क्वायल का उत्पादन किया जाता है।

(घ) जी, नहीं। इस्पात कारखाने के विस्तार के प्रश्न पर तभी विचार किया जाएगा जब वर्तमान सेंडजमीर मिल के उत्पादन में स्थिरता आ जाएगी, कारखाने के उत्पादों की बाजार में मांग बढ़ जाएगी और विस्तार की स्वयंशोधिता प्रमाणित हो जाएगी।

त्रिपुरा के लिए परिवहन राज सहायता योजना

8768. **श्री बाजूबन रियान** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परिवहन राज सहायता योजना के अन्तर्गत कौन-कौन से जिलें/क्षेत्र हैं; और

(ख) क्या सम्पूर्ण त्रिपुरा इस योजना के अंतर्गत है;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) परिवहन राजसहायता योजना में जम्मू तथा कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम के सम्पूर्ण राज्यों, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप के सम्पूर्ण संघ शासित प्रदेशों और उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र, जिसमें देहरादून, नैनीताल, अल्मोड़ा, पोढ़ी गढ़वाल, टिहड़ी गढ़वाल, पिथौरगढ़, उत्तर काशी और चमोली जिले सम्मिलित हैं।

(ख) जी, हाँ।

खनन के कारण पारिस्थितिकीय और पर्यावरण के खतरे

8769. **श्री हरिहर सोरन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में खनन के कारण पारिस्थितिकीय और पर्यावरण के खतरों को जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो खनन के कारण पारिस्थितिकीय और पर्यावरण के खतरों का ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में खनन से पारिस्थितिकीय और पर्यावरण के खतरों को रोकने के लिए क्या विभिन्न उपाय करने का विचार है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण विभाग में उप-मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) खनन के मुख्य पारिस्थितिकी खतरे ये हैं;

—भूमि निम्नीकरण;

—वन कटाई; और

—वायु, जल तथा ध्वनि प्रदूषण।

(ग) और (घ) निम्नलिखित उपाय प्रस्तावित हैं :

(1) खनन तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1957 का संशोधन ताकि यह सुनिश्चित हो सके :

—पट्टेदारों द्वारा खान क्षेत्रों का अनिवार्य पुनरूद्धार,

—पर्यावरणीय तर्कों पर खनन पट्टों की समय से पूर्व समाप्त करना,

—खान क्षेत्रों के सुधार के लिए विकास उपकर का सृजन

(2) छोड़े गए खान क्षेत्रों का सुधार शुरू करना।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों हेतु कच्चे माल/ऋण के लिए कोटे का आरक्षण

8770. **श्री जी. वाई. कृष्णन** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औद्योगिक उद्यम शुरू करने के लिये अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये कच्चे माल/ऋण/शेडस स्थनों के मामले में कोटा आरक्षित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को इस संबंध में कुछ अनुदेश भी जारी किये गये हैं और यदि हां, तो उन निदेशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उन उद्यमियों को जो उद्योग स्थापित करने के लिये आवश्यक कुल धन के केवल 5 प्रतिशत का ही प्रबन्ध करने की स्थिति में है, ऋण देने के संबंध में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा केन्द्रीय वित्तीय संस्थानों को निदेश जारी किये जाने संबंधी प्रयास की पुष्टि की है; और

(घ) क्या सरकार ने उन राज्यों के संबंध में जानकारी एकत्र की है, जहां ये अनुदेश कार्यान्वित किये जा रहे है;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (घ) जिला उद्योग केन्द्र अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के समुदायों के व्यक्तियों द्वारा चलाए जा रहे बहुत छोटे (टाइनी) एककों के निवेश के हकदार अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा 15 प्रतिशत तक सीमांत धन-राशि की सहायता देते हैं, बशर्ते कि वह राशि 30,000 रुपये से अधिक न हो। राज्य और संघशासित क्षेत्रों की सरकारों को भी ऋणों के वितरण, प्रशिक्षण और अन्य सहायता से संबंधित मामलों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उद्यमियों को खास तरजीह देने देने की सलाह दी गई है। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों से व्यक्तियों द्वारा चलाए जा रहे एककों के लिए कच्चे माल का कोटा आरक्षित करने के लिए लघु उद्योग विकास संगठन ने कोई निर्देश आदेश जारी नहीं किए हैं। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने ऋण देने के पात्र संस्थानों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों द्वारा प्रवर्तित जीव्य परियोजनाओं में प्रवर्तकों के अंशदान में मूल पूंजीगत सहायता सहित परियोजना की लागत के 5 प्रतिशत तक की कमी करने की सलाह दी है। प्रवर्तकों के अंशदान में दी जाने वाली यह रियायत 25,000/-रु. तक के मिश्रित ऋणों सहित सांवधिक ऋणों को पुनर्वित्त व्यवस्था के लिए भी लागू की गयी है। सभी राज्य वित्त निगमों और पुर्नवित्त योजना के अधीन पात्र बैंकों को इन मार्ग-दर्शी सिद्धांतों को कार्यान्वित कमने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं।

मध्य प्रदेश के बिना उद्योग वाले जिलों में उद्योगों की स्थापना

8761. **कुमारी पुष्पादेवी सिंह** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में पता लगाये गये उद्योग रहित जिलों की सख्या कितनी है;

(ख) उद्योग रहित जिलों में उद्योगों की स्थापना के लिये पिछले दो वर्षों में बड़े और मध्यम औद्योगिक एककों को कितने आशय पत्र जारी किये गये हैं;

(ग) मध्य प्रदेश में उद्योग रहित जिलों के नाम क्या हैं; और

(घ) बिना उद्योग वाले जिलों में स्थापित किये जाने वाले उद्योगों, जिनके लिये इन वर्षों के दौरान आशय पत्र जारी किये गये हैं, का ब्यौरा क्या है;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (च) मध्य प्रदेश के निम्नलिखित 18 जिलों को उद्योग रहित जिले मान गया है:—

1. बालाघाट	2. भिंड
3. छत्तरपुर	4. छिंदवाड़ा
5. दमोह	6. दतिया
7. धार	8. गुना
9. झबुआ	10. मंडला
11. नरसिंहपुर	12. पन्ना

13. राजगढ़ 14. सिओनी

15. शिवपुरी 16. सिद्ही

17. सुरगुजा 18. टीकमगढ़

1982 और 1983 के दौरान मध्य प्रदेश, के उद्योग रहित जिलों में उद्योग स्थापित करने के लिए जारी किये गये आशय-पत्रों की संख्या क्रमश: 29 और 22 है।

उपक्रम का नाम विनिर्माण की वस्तु और स्थापना-स्थल संबंधी सभी आशय-पत्रों के ब्यौरे भारतीय निवेश केन्द्र के "मन्थली न्यूज लेटर", जिसकी प्रतियां संसद भवन के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं, में प्रकाशित किये जाते हैं।

लोहिया मशीन्स द्वारा स्कूटर एडवांस को अन्य कार्यों में अन्तरित किया जाना

8772. **श्री एम. एस. के. सतियेद्रन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोहिया मशीन लिमिटेड से वेस्पा (एक्स ई) स्कूटरों के आवटन हेतु एकत्रित की गई बड़ी धनराशि अन्य विभिन्न कार्यों में अन्तरित कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) तथा (ख) मेसर्स लोहिया मशीन्स लिमिटेड ने सलाह दी है कि स्कूटरों की बुकिंग के लिए ली गई राशि का उन्होंने निम्नलिखित ढंग से उपयोग किया है:—

(क) बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और संख्याकी क्षेत्र के उपक्रमों के पास	—	49.54%
(2) गैर-सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों के पास	—	46.73%
(3) कार्यसंचाधन पूंजी में	—	3.73%
योग		100%

उद्योगों को लाइसेंस देने और उनके विनियमन के लिए राज्यों को अधिक शक्तियां प्रदान करना

8773. **श्री चिंता मणि पाणिग्रही** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उद्योगों को लाइसेंस देते और उनके विनियमन के लिए राज्यों को अधिक शक्तियाँ प्रदान करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव कब तक कार्यान्वित करने की आशा है;

(ग) उपर्युक्त प्रस्ताव को कार्यान्बित करने में विभिन्न क्षेत्रों से सरकार को क्या सुझाव दिये गये हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार का क्या कार्यक्रम है;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री पट्टाभि राम राम) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

राजधानी में दुपहिया स्कूटरों की चोरी

8774. **डा. ए. यू. आजमी** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 2 अप्रैल, 1984 की रात को राजधानी के विभिन्न भागों में, विशेषकर सदर बाजार, दिल्ली कैन्ट और चांदी महल से कितने दुपहिया स्कूटर चोरी गये थे, और उससे पहले स्टैपनियो के चोरी जाने की घटनाये हुई थी;

(ख) यदि हां, तो 1 अप्रैल, 1984 को विशेष रूप से पुलिस स्टेशन वार कुल कितने स्कूटर चोरी गये और 1 जनवरी, 1984 से अब तक कितनी चोरियों का पता लगाया गया तथा शेष मामलों का पता लगाने के लिये क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 4 अप्रैल, 1984 के "इण्डियन एक्स प्रैस' में "राबर्स लूट हाउस इन आर के पुरम" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है और यदि हां, तो लोगों के, विशेषकर सरकारी आवासीय कालोनियों में, जीवन और सम्पत्ति की की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये जाने का विचार है ?

गह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकटसुब्बय्या) : (क) और (ख) 2 अप्रैल 1984 को दिल्ली में कुराए गए दुपहिए स्कूटरों के मामलों की संख्ता का एक विवरण और 1-1-84 से 15-4-84 तक की अवधि के दौरान विभिन्न पुलिस स्टेशनों में सूचित स्कूटर चोरी की कुल संख्या और उनमें से हल किए गए मामलों की सख्या संलग्न विवरण में दी गई है। शेष दुपहिए स्कूठरों को बरामद करने के लिए सभी संभव उपाय किए जा रहे हैं।

(ग) समाचाम देखा गया है। सरकारी रिहायशी कालोनियों में दिन और रात्रि गस्त को गहन किया गया है। सामरिक महत्व के स्थानों पर बेतार तत्रों के साथ लैस सशस्त्र टुकड़ियों को तैनात किया गया है। फेरिवालों, मालियों, मोचियों और चौकीदारों के चरित्र और पूर्व-वृत्त की जांच आरंभ की गई हैं।

विवरण

स्कूटर चोरी/हल किए गए मामलों की कुल संख्या का विवरण, थानेवार।

क्र. सं.	थाने का नाम	सूचित मामले			
		2-4-1984 को सूचित मामलों की सं.	हल किए गए मामलों की संख्या	1-1-84 से सूचित मामलों की सं.	15-4-84 तक हल किए गए मामले।
1	2	3		4	5
1.	शहादरा	...	...	4	...
2.	सीलमपुर	...	...	...	...

1	2	3	4	5	6
3.	यमुनापुरी	...	...	1	...
4.	गांधी नगर	...	...	3	...
5.	शकरपुर	...	...	...	...
6.	कल्याणपुरी	...	...	...	...
7.	फरश बाजार	...	...	1	...
8.	कृष्ण नगर	...	...	4	2
9.	सीमापुरी	...	...	...	...
10.	तिलकनगर	...	...	...	4
11.	जनकपुरी	...	...	3	1
12.	नजफगढ	...	...	1	...
13.	मोतीनगर	...	...	9	6
14.	राजौरी गांर्डन	...	...	3	...
15	पंजाबी बाग	...	...	7	6
16	नांगलोई		...	2	1
17.	मंगोलपुरी	...	...	1	1
18.	सुल्तानपुरी	...	...	...	...
19.	दिल्ली छावनी	1	1	4	1
20	आर के पुरम	...	...	1	...
21.	नरायणा	...	...	4	1
22.	बसंत बिहार	...	...	5	1
23.	हौजखास	...	...	17	8
24.	विनय नगर	1	...	10	6
25.	महरौली	...	...	...	...
26.	डिफेंस कालोनी	...	...	5	3
27	एच एन दीन	...	...	4	3

1	2	3	4	5	6
28.	लोदी कालोनी	....	...	4	3
29.	लाजपतनगर	...	...	17	2
30.	कालकाजी	...	...	5	1
31.	श्रीनिवासपुरी	...	...	3	...
32.	बदरपुर	...	...	...	...
33.	चाँदनी महल	1	1	7	4
34.	मरया गंज	...	...	23	11
35.	जामा मस्जिद	...	...	2	1
36.	कमला मार्किट	....	...	4	3
37.	हौजखास	...	...	7	6
38.	पहाड़गंज	...	...	6	4
39.	ओरिजिनलरोड़	...	...	3	2
40.	करौल बाग	...	...	9	5
41.	पटेल नगर	...	...	2	2
42.	राजेन्द्र नगर	...	...	1	...
43.	पी ए पी	....	...	1	...
44.	प. स्ट्रीट	...	...	2	1
45.	कनाट प्लेस	...	...	10	3
46.	मंदिर मार्ग	...	...	3	2
47.	चाणक्य पुरी	...	...	1	...
48.	तुगलकरोड़	...	....	...	...
49.	तिलक मार्ग	...	...	3	1
50.	कोतवाली	....	...	7	3
51.	लाहौरी गेट	...	....	3	...

1	2	3	4	5	6
52.	सदर बाजार	...	...	5	5
53.	बाडा हिन्दू राव	...	...	...	...
54.	कश्मीरी गेट	...	...	5	1
55.	सब्जी मंडी	1	...	5	2
56.	सिविल लाइन	...	...	1	1
57.	रोशन आरा	...	...	7	2
58.	के डब्ल्यू कैंप	...	...	10	8
59.	आदर्श	...	...	3	1
60.	अलीपुर	...	...	1	...
61.	नरेला	...	...	...	...
62.	अशोक विहार	...	...	3	2
63.	सराय रोहिल्ला	...	...	4	...
64.	लारेंस रोड	...	...	5	4
कुल जोड :		4	1	265	124

छुट्टी आदि पर जाने के कारण हुए खाली स्थानों के लिए तदर्थ आधार पर पदोन्नति और स्थानीय आधार पर व्यवस्था में अन्तक

8775. **श्री डूमर लाल बैठा** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छुट्टी पर जाने, प्रशिक्षण, अल्पावधि के लिए प्रतिनियुक्त और अल्पावधि के नियमित खाली स्थानों आदि को भरने के लिए तदर्थ आधार पर पदोन्नति करने और स्थानीय आधार पर व्यवस्था करने में क्या अन्तर है;

(ख) क्या उच्च ग्रेड संवर्ग से वर्ग में तदर्थ/स्थानीय आधार पर स्थानापन्न रूप कार्यरत किसी अधिकारी को बिना नियमित व्यक्ति के और/या तदर्थ/स्थानीय व्यवस्था के आधार पर पदोन्नत अन्य व्यक्ति के कार्य-भार ग्रहण करने पर पदोन्नत किया जा सकता है, यदि हां, तो ऐसा किन नियमों और परिस्थितियों के अन्तर्गत किया जाता है; और

(ग) उच्च ग्रेड/संवर्ग में स्थानापन्न रूप से कार्यरत किसी अधिकारी को अन्य पद/स्टेशन पद तदर्थ/स्थानीय आधार पर पदोन्नत किसी अन्य अधिकारी के बदले स्थानान्तरित

किया जा सकता है, और यदि हां, तो ऐसा किन नियमों और परिस्थितियों के अन्तर्गत किया जाता है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) छुट्टी आदि जैसी अल्पावधि की रिक्तियों पर की गई स्थानीय व्यवस्थाएं भी तदर्थ नियुक्तियों के अन्तर्गत आती हैं।

(ख) चूंकि ऐसी व्यवस्थाएं पूर्णत: अस्थायी तथा तदर्थ स्वरूप की होती हैं इसलिए ऐसी व्यवस्थाओं को समाप्त करने में सूक्ष्म प्राधिकारी पर कोई रोक नहीं है।

(ग) किसी कर्मचारी के अन्य पद/स्टेन पर स्थानांतरित हो जाने पर हुई किसी रिक्ति पर भर्ती के लिए नियमित व्यवस्थाएं किए जाने तक, तदर्थ/स्थानीय व्यवस्थाएं की जा सकती हैं, यदि लोक हित में रिक्ति का तत्काल भरा जाना आना आवश्यक समझा जाता है।

अनुभाग अधिकारी ग्रेड की चयन सूची (वरीयता कोटा) में शामिल करने के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की ओर से अभ्यावेदन

8 76. **श्री अनवर अहमद** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गृह मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों को परामर्श दिया है कि उन उम्मीदवारों में से, जो जोन में हैं परन्तु उन्हें चयन सूची (वरीयता कोटा) में शामिल नहीं किया जा सकता है, अनुभाग अधिकारी ग्रेड में दीर्घावधि की अस्थायी नियुक्तियाँ कर समयते अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के दावों को ध्यान में रखाए जाए;

(ख) यदि हां, तो भाग (क) में उल्लिखित अनुदेशों का गृह मत्रालय संवर्ग (मुख्य) में लागू किया गया है;

(ग) उक्त भाग (क) में उल्लिखित अनुदेशों के क्रियान्वयन के लिए गृह मंत्रालय को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कितने अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) क्या गृह मंत्रालय (मुख्य) ने अभ्यावेदन देने वालों को अपने निर्णय से सूचित कर दिया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ङ) समय-समय पर अनुभाग अधिकारी ग्रेड की चयन सूची तैयार करते समय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावों को, सेवा के नियन्त्रण प्राधिकारी द्वारा ध्यान में रखा जाता है। संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारियों को दीर्घावधि और तदर्थ रिक्तियों के लिए पदोन्नतियां करते समय आरक्षण आदेशों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। गतवर्ष आरक्षित श्रेणी के 3 सहायकों को तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी ग्रेड में पदोन्नत किया गया था। तीनों सहायकों को अब वर्ष 1982 के अनुभाग अधिकारी ग्रेड की चयन सूची में शामिल कर लिया गया है। हाल ही में आरक्षित श्रेणी के 3 और सहायकों को तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी ग्रेडों में पदोन्नत किया गया है।

सदन के एक माननीय सदस्य के एक पत्र सहित कुछ अभ्यावेदन आरक्षित श्रेणी के सहायकों की अनुभाग अधिकारी ग्रेड में पदोन्नति के सम्बन्धित माननीय सदस्य को उत्तर भेजा गया था।

दण्ड विधि संशोधन (अधिनियम, 1983 और दण्ड विधि) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1983 पर ध्यान दिया जाना

8777. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि कुछ न्यायालय अभी भी दण्ड विधि (संशोधन) अधिनियम, 1983 और दण्ड विधि (द्वितीय संशोधन), 1983 पर ध्यान नहीं दे रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन अधिनियमों पर उचित ध्यान देने और कार्य रूप देने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री री. वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

इंडियन पेटेंटों कार्यालय द्वारा पेरिस कन्वेन्शन ग्रुप में शामिल होना

8778. **श्री ए. नीलालोहितदसन नाडार** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकट भविष्य में खोज कार्यों, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के "इण्डियन" पेटेंट आफिस" (कंट्रोलर आफ पेटेंट एण्ड ट्रेयमार्कस) का "पेरिस कन्वेशन ग्रुप आफ कन्ट्रीन" में शामिल होने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या यह सही है कि ब्रिटेन और केवल राष्ट्रीय मंडलीय देशों के साथ वर्तमान पेटेंट व्यवस्था भारत के हितों के विरूद्ध कार्य कर रही है; और

(ग) क्या सरकार देश के हितों की पूरी तरह रक्षा करने के लिए अपनी वर्तमान पेटेंटस नीतियों पर "पुनर्विचार करेगी" ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि रामा राव) : (क) दि वर्ल्ड इन्टलेक्चुअल प्रापर्टी आरगेनाइजेशन औद्योगिक सम्पदा के संरक्षण के लिए भारत सरकार से पेरिस कन्वेशन स्वीकार कर लेने के लिए आग्रह करता रहा है। अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है।

(ख) अन्य देशों के साथ ऐसे समझौते का न होना भारतीय आविष्कारकों के लिए विदेशों में पेटेंटों के लिए आवेदन पत्र देने में बाधा नहीं है।

(ग) राष्ट्र के हित में जब भी आवश्यक होगा सरकार उपयुक्त कदम उठाएगी।

आदिवासियों के विकास के लिए अलग कक्ष का गठन

8779. **श्री गिरधर गोमांगो** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय द्वारा देश के आदिवासी क्षेत्रों में छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन से कार्यक्रम शुरू किए गए हैं :

(ख) उप योजना अवधारण के अन्तर्गत आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों हेतु उन कार्यक्रमों के लिए राज्यवार-वार्षिक योजनाओं के दौरान अलग-अलग कितने धन की व्यवस्था की गई थी;

(ग) उन स्वयं सेवी संगठनों के नाम क्या हैं जो आदिवासियों के कल्याण के लिए सहायता अनुदान प्राप्त करते हैं और उनके विकास पर वास्तव में कितना खर्च किया हैं;

(घ) राज्यों द्वारा विभिन्न कल्याण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की देखभाल करने के लिए आदिवासी क्षेत्रों के लिए राज्यवार किन प्रबन्ध तन्त्रों का गठन किया गया है; और

(ङ) क्या इन कार्यों के लिए उनके मत्रालय में आदिवासियों के विकास के लिए एक अलग कक्ष का गठन किया गया है ?

गृह मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) छठी योजना अवधि के दौरान आदिवासी क्षेत्रों में जिन मुख्य कार्यक्रमों का विस्तार किया गया वे कार्यक्रम वहीं हैं जो विभिन्न सैक्टरों में शामिल है, जैसे कृषि तथा सहायक क्षेत्र, शिक्षा, लघु तथा कुटीर उद्योग आदि, जिन्हें जनजाति उप-योजना क्षेत्रों, आदिवासियों की घनी आबादी वाले पाकेटों और मूल आदिवासी ग्रुपों के लिए लागू किया गया। इनका उद्देश्य गरीबी की सीमारेखा से नीचे रहने वाले कम से कम पचास प्रतिशत परिवारों को छठी योजना अवधि के दौरान आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है।

(ख) सदस्य महोदय द्वारा पूछे गए 25.4.84 के अतारांकित लोकसभा प्रश्न संख्या 8787 के उत्तर में संलग्न विवरण में ब्यौरे दिए गए हैं :—

(ग) ब्यौरे संलग्न विवरण -1 में दिए गये हैं।

(घ) ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिये गए हैं।

(ङ) जी, हां श्रीमान।

विवरण-I

उन स्वयंसेवी संगठनों के नाम जिन्हें 1983-84 के दौरान सहायता अनुमान स्वीकृत किया गया।

क्रम सं०	संगठन का नाम	स्वीकृत राशि 1983-84
1	2	3
1.	भारतीय आदिमजाति सेवक संघ, डा. अम्बेडकर मार्ग, नई दिल्ली	3,60,814.00 रुपए

1	2
2. रामकृष्ण मिशन आश्रम, चेरापूंजी, मेघालय	11,55,819.00 रुपए
3. नागालैंड गांधी आश्रम, मोकोकइंग, नागालैंड	53, 722.00 रुपए
4. रामकृष्ण मिशन, शिलांग	3.36, 590·00 रुपए
5. श्री रामकृष्ण सोसाइटी, डनकम विलेज, दीमापुर नागालैंड	75.546.00 रुपए
6 नीलगिरी आदिवासी कल्याण संघ कोटगिरी, नीलगिरी, तमिलनाड़,	1, 66, 669.00 रुपए
7. दारमोर माडल सूत्र हिल्स एण्ड प्लेन्स, कल्चरल इस्टीटयूशन, नार्थ लखीमपुर (असम)	1,11,299,00 रुपए
8. निखिल भारत बनवासी पंचायत मुख्यालय, झारग्राम, जिला मिदनापुर (प० बगाल)	6, 55, 018.00 रुपए
9. अखिल भारतीय दयानन्द सेवाश्रम संघ (महर्षि) दयानन्द भवन, राम लीला मैदान, नई दिल्ली	1.20,336.00 रुपए
10. रामकृष्ण मिश स्कूल, अलांग, जिला सिआंग, अरुणाचल प्रदेश	4, 74, 401.00 रुपए
11. सर्वेन्टस आफ इण्डिया सोसायटी, पूना, महाराष्ट्र	3, 21, 997. रुपए
12. प्रांतीय समाज कल्याण आश्रम, नार्थ लखीमपुर (असम) पी. ओ फिमिन, अरूणाचल प्रदेश	1,06, 080.00 रुपए
13. हरिजन सेवक संघ (बंगाल) नस्करपाडा रोड, घुसरी, हावड़ा	1.55, 355.00 रुपए
14. अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद 15 कैनिंग लेन, नई दिल्ली ।	86, 070.00 रुपए
15. रामकृष्णन मिशन, गोहाटी, असम	45, 113.00 रुपये
16. बाल भवन सोसाइटी, कोटला रोड, नई दिल्ली	14,730. 72 रुपये
17. रामकृष्णन मिशन पो· ओ. नरोत्तमनगर जिला तिरप, अरुणाचल प्रदेश	1. 07, 775.00 रुपये
18. रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम, सिल्चर, कछार, मेघालय	1,55 610.00 रुपये
19. बनास्थली विद्यापीठ, पो. ओ. बनास्थली, राजस्थान	1, 90, 200.00 रुपये

1	2
20. रामकृष्ण मिशन विवेकानन्द सोसाइटी, जामनगर	48,000·00 रुपये
21. रामकृष्ण अद्वैत आश्रम, कलाड़ी, केरल	2, 11, 722·00 रुपये
22. रामकृष्ण मिशन अस्पताल, नया ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश	20, 000-00 रुपये
23. श्री रामकृष्ण आश्रम, वाणि विलास मोहल्ला मैसूर	32, 000.00 रुपये
24. केन्द्रीय नेहरू स्मारक परिषद, लखनऊ	11,072.00 रुपये

व्यय सम्बन्धी आंकड़े अभी प्राप्त नही हुए हैं ।

जनजाति उपयोजना क्षेत्रों में मानिटरिंग तंत्र

1. **आन्ध्र प्रदेश**

अनुसूचित जातियों के विकास कार्यक्रमों को मानिटर करने के लिए प्रत्येक विभाग में एक संपर्क-अधिकारी है और इन कार्यक्रमों को तथा साथ ही एकीकृत आदिवासी विकास एजेंसियों द्वारा कार्यन्वित की गई परिवारोन्मुख कार्यक्रमों की निदेशक, आदिवासी कल्याण द्वारा हर माह समीक्षा की जाती है । मुख्यमंत्री प्रधान मंत्री के 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम की, जिसमें अनुसूचित जनजातियों से संबंधित सूत्र 7 भी है, हर माह समीक्षा करते हैं। मुख्य सचिव सामान्य सैक्टर कार्यक्रमों के अधीन प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा करते हैं ।

2. **असम**

मैदानी जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण से संबंधित विभाग अनुसूचित जन-जातियों के लिए राज्य स्तर के कार्यक्रमों को मानिटर करता है । परियोजना स्तर पर, परियोजना कार्यक्रम समिति, जिसका उपायुक्त सब डिवीजन अधिकारी अध्यक्ष होता है और जिसमें स्थानीय सैक्टरों के अधिकारी तथा स्थानीय जनजाति प्रतिनिधि सदस्य होते हैं, योजना कार्यक्रम की समीक्षा करते हैं ।

3. **गुजरात**

आदिवासी विकास का विकास आयुक्त, जनजाति उप-योजना कार्यक्रमों की समीक्षा तथा मानिटरिंग करता है । परियोजना स्तर पर, परियोजना प्रशासक एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना कार्यक्रमों तथा सभी सरकारी विभागों की योजना गतिविधियों को मानिटर करते हैं ।

4. **हिमाचल प्रदेश**

प्रगति की समीक्षा उच्चाधिकार प्राप्त समन्वय तथा समीक्षा समिति द्वारा की जाती है, जिसका गठन मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में किया गया है । फील्ड स्तर पर, एक संसद सदस्य की अध्यक्षता में एक उप समिति कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा करती है ।

5. कर्नाटक

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति प्रगति की आवधिक समीक्षा करती है। फील्ड स्तर पर, परियोजना समन्वयक विभिन्न विकास विभागों द्वारा कार्यान्वित की गई स्कीमों के कार्यान्वयन का समन्वय करता है।

6. केरल

सचिव हरिजन कल्याण विभाग के अतिरिक्त, आदिवासी कल्याण निदेशालय में विशेष अधिकारी (आई टी डी पी) और एक अनुसंधान अधिकारी मानिटरिंग का काम करते हैं।

7. मध्य प्रदेश

मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमण्डल की एक उप-समिति जनजाति उपयोजना क्षेत्रों में विभिन्नकार्यक्रमों के निष्पादन का जायजा लेती है। जगदलपुर,रीवा,जबलपुर,बिलासपुर और इन्दौर में क्षेत्रीय पर्यवेक्षण विकास अधिकारी विभिन्न विकासात्मक योजनाओं, धनराशियों के उपयोग तथा अन्य पहलुओं की देखरेख, मानिटरिंग तथा उन्हें तैयार करने का काम करते हैं। अन्य समीक्षा समितियां जैसा कि उच्च स्तरीय समीक्षा समिति जिसका अध्यक्ष मुख्य सचिव होता है—और जिला स्तरीय सलाहकार बोर्ड, परियोजना कार्यान्वयन समिति, खण्ड स्तरीय निरीक्षण समिति भी क्रमश: राज्य, जिला, परियोजना और खण्ड स्तरों पर विभिन्न विकासात्तक गतिविधियों को देख रेख करते हैं।

8. महाराष्ट्र

जिला स्तर पर, जिला आयोजना तथा विकास परिषेद की विशेष कार्यकारी समिति की, जिसका अध्यक्ष जिले का इंचार्ज मंत्री होता है, महीने में एक बार बैठक होती है और इसमें कार्यक्रमों की समीक्षा की जाती है। जिला आयोजना तथा विकास परिषद की उप-समिति कार्यक्रमों को मानिटर करती है। कलैक्टर के स्तर पर मानिटरिंग सैल, आदिवासी विकास के बारे में सूचना एकत्र करता है तथा उनकी जांच पड़ताल करता है।

9. मणिपुर

जिला आयोजना अधिकारी योजना स्कीमों को मानिटर करता है। एक पर्वतीय क्षेत्र समिति भी है, जिसमें आदिवासी विकास के इंचार्ज मंत्री समेत सभी आदिवासी विधायक हैं। समिति पर्वतीय क्षेत्रों मे वास्तविक निर्माण कार्यों की प्रगति की आवधिक समीक्षा करती है राज्य के जनजाति उप-योजना क्षेत्रों में भी इन्ही क्षेत्रों को लक्ष्य बनाया गया है।

10. उड़ीसा

हरिजन तथा आदिवासी कल्याण विभाग में मानिटरिंग सैक्शन स्कीमों के कार्यान्वयन की नियमित रूप से समीक्षा करता है। एकीकृत आदिवासी विकास एजेंसियों के परियोजना प्रशासक वित्तीय तथा वास्तविक उपलब्धियों के बारे में मानिटरिंग सैक्शन को विस्तृत

मासिक रिपोर्ट भेजते हैं। जिला स्तर पर, कलैक्टर की अध्यक्षता में एक परियोजना स्तरीय समिति परियोजना स्तर पर की गई प्रगति की समीक्षा करती है।

11. **राजस्थान**

आदिवासी क्षेत्र विकास विभाग के आयुक्त के कार्यालय में एक मानिटरिंग सैल बनाया गया है जो विकास स्कीमों की मानिटरिंग करता है।

12. **सिक्किम**

विकास आयुक्त योजना कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा करता है।

13. **तमिलनाडु**

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में तमिलनाडु आदिवासी विकास प्राधिकरण की आवधिक बैठकें होती हैं और इन बैठकों में राज्य स्तर पर जनजाति उप-योजना स्कीमों की समीक्षा की जाती है। साउथ अरकोट, सेलम, तिरुचिरापल्ली, नार्थ अरकोट और खौर धनतपुरी जिलों में संबधित कलैक्टरों की अध्यक्षता में इस प्राधिकरण की उप-समितियां भी कार्यक्रमों की आवधिक समीक्षा करती है।

14. **त्रिपुरा**

अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति के कल्याण संबंधी विभाग में इन कार्यक्रमों की मानिटर किया जाता है।

15. **उत्तर प्रदेश**

सचिव, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रमों की मानिटरिंग करता है।

16. **पश्चिम बंगाल**

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातिओं की जिला कल्याण समिति और जिला परियोजना समन्वय समिति जिला तथा परियोजना स्तरों पर अनुसूचित जनजातियों के कार्यक्रमों के कर्यान्वयन की समीक्षा करती है।

17. साउथ छोटानागपुर, नार्थ छोटानागपुर और संघाल परगना विकास प्राधिकरण तथा क्षेत्रीय विकास आयुक्त, रांची कार्यक्रमों की आवधिक समीक्षा करते हैं।

अण्डमान और निकोबार प्रशासन द्वारा वर्ष 1983-84 की योजना बजट धनराशि को वापिस करना

8781 **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अण्डमान और निकोबार प्रशासन द्वारा वर्ष 1983-84 के अपने वार्षिक योजना बजट में से क्षेत्रवार कुल कितनी धनराशि को वापस किया गया है तथा उसको उपयोग न करने के क्या कारण थे ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी वेंकटसुब्बय्या) 1983-84 के लिए 25.15 करोड़ रुपए के उनके कुल योजना बजट में से अण्डमान और निकोबार प्रशासन द्वारा 2.55 करोड़ रुपए की धनराशि वापस की गई थी। क्षेत्रवार ब्यौरे तथा वापस करने के कारण इस प्रकार हैं :—

(I) विद्युत	1.75 करोड़ रुपए (क)
(II) पत्तन और बन्दरगाह	0.69 करोड़ रुपये (ख)
(III) भूमि और जल संरक्षण	0.11 करोड़ रुपए (ग)

(क) दक्षिणी अण्डमान में कोयले पर आधारित थर्मल बिजलीघर के लिए निविदा को अंतिम रूप नहीं दिया जाना।

(ख) पत्तन नियंत्रण मीनार और संचार ढ़ाचे के संबंध में अनुमानों को अंतिम रूप नहीं दिया जाना।

(ग) भारी वर्षा और सामग्री की कमी के कारण भूमि के सुधार में विलम्ब।

ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं के लिए अखिल भारतीय मूल्यांकन अध्ययन की रिपोर्ट

8782. **प्रो. नारायण चन्द पराशर** : क्या **योजना मंत्री ग्रामीण** विद्युतीकरण योजनाओं के लिए अखिल भारतीय मूल्यांकन की रिपोर्ट के बारे में दिनांक 13 अप्रैल, 1883 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7202 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मूल्यांकन रिपोर्ट के खण्ड दो को प्रकाशित कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट खण्ड (दो) के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं ;

(ग) यदि, नहीं, तो किस तारीख तक प्रकाशित कर दिये जाने की आशा है और इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(घ) जिन 19 राज्यों में मूल्यांकन किया गया था, उनके नाम क्या हैं और प्रत्येक राज्य में किस-किस गांव में मूल्यांकन किया गया था ; और

(ङ) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम अथवा केन्द्रीय सरकार ने रिपोर्टों (एक और दो) में की गई सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं ?

योजना मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) जी, हां। कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन की मूल्यांकन रिपोर्ट का खंड-2 प्रकाशित हो चुका है (नवम्बर, 1983)।

(ख) रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष (खंड-2) विवरण-1 में दिए गए हैं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(घ) उन 19 राज्यों के नाम, जिनमें उक्त मूल्यांकन किया गया प्रत्येक राज्य में गांवों की संख्या सहित विवरण-2 में दिए गए हैं।

(ङ) ऊर्जा मंत्रालय रिपोर्ट में बताई गई समस्याओं के प्रति सचेत है और उस मंत्रालय द्वारा कार्यवाही की जारही है।

विवरण-I

कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन/योजना आयोग की रिपोर्ट के खंड-2 में दिए गए कुछ क महत्वपूर्ण निष्कर्ष और सुझाव।

(1) विद्युतीकरण कार्यक्रमों द्वारा सृजित की गई विकास के लिए क्षमताओं का दोहन करने के लिए बिजली लगाए गए गांवों पर "अन्य विकास कार्यक्रमों और स्कीमों" को भी संकेन्द्रित होना चाहिए।

(2) राज्य सरकारों द्वारा और अधिक प्रयत्न किए जाने की आवश्यकता है ताकि उन गांवों में बिजली दी जा सके जहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की बहुलता है और कमजोर वर्गों को अधिक प्रोत्साहन दिए जा सकें ताकि बिजली के लाभ उनको प्राप्त हो सकें।

(3) लम्बी और कष्टदायी कार्यविधि के कारण उपभोक्ताओं को बिजली के कनेक्शनस प्राप्त होने में देरी लगती है और उससे उन्हें कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

(4) अनेक राज्यों में बिल संग्रहण केन्द्र चुने हुए गांवों से 5 कि. मी. से अधिक की दूरी पर हैं। यह सुझाव दिया जाता है कि पर्याप्त सख्या में ऐसे केन्द्रों को इस प्रकार अवस्थित किया जाना चाहिए ताकि ग्रामीण उपभोक्ताओं को बिजली के बिल देने के लिए लम्बी दूरी को यात्रा न करनी पड़े।

(5) यह भी देखा गया है कि प्रत्येक छठे गांव ने प्रतिदिन लगभग 2 व्यवधानों की रिपोर्ट की। यह सुझाव दिया जाता है कि बिजली विभागों को व्यवसाधनों की संख्या को कम करने के लिए समेकित प्रयत्न करने चाहिए। ग्रामीण उपभोक्ताओं को विद्युत सामयिक और पर्याप्त आपूर्ति करने के लिए भी उपाय किए जाने चाहिए।

(6) विद्युतीकरण के बाद पंपसैटों की संख्या, सिंचित क्षेत्र, अधिक उपज देने वाली किस्मों और उन्नत बीजों को अपनाना, रासायनिक उर्वरकों का व्यापक उपयोग, पौध संरक्षण के उपायों और यांत्रिक उपायों आदि में वृद्धि हुई है।

(7) सुनिश्चित सिंचाई संबंधी सुविधाओं के कारण फसल प्रणाली और अधिक लाभकारी फसलों की ओर अभिमुख हुई है।

(8) औद्योगिक युनिटों की जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किए गए हैं, कुछेक कृषि

पर आधारित और सेवा युनिटों के अलावा अधिकांश युनिट कृषि पर आधारित हैं। कुल मिलाकर ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ही कम विविधीकरण देखने को मिलता है। इसका परिणाम इन युनिटों द्वारा उत्पादन/सेवाओं की अपर्याप्त मांग के कारण उनकी क्षमताओं का उपयोग कम हुआ और इससे रोजगार के लिए पर्याप्त क्षमता प्रदान नहीं की गई। संगठित तरीके से ग्रामीण उद्योगों को विकसित करने में उद्यमियों को आवश्यक आधार संरचनात्मक सुविधाएं प्रदान करने और उद्योगों के विविधीकरण की आवश्यकता है।

(9) सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों जो ग्रामीणों को दिये जाते हैं उसको ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों को सड़क पर बिजली लगाने से संबंधित व्यय को पूरा करने के लिए स्थानीय निकायों के संसाधनों को बढ़ाना चाहिए।

(10) राज्य बिजली बोर्डों को सभी भावी उपभोक्ताओं के लिए बिजली के अन्दर के तार लगाने का कार्य शुरू करना चाहिए और विशेष रूप से असम और मेघालय जैसे राज्यों में, जहां अपेक्षित सामग्री की न केवल कमी ही पाई गई है। अपितु वह केवल अत्यधिक उच्च लागत पर ही उपलब्ध होती है। लागत को आसान किस्तों में वसूल करना चाहिए। कंडयूट पाइपों को जो आग के खतरे से बचने के लिए अधिकतर कच्चे ऐसे घरेलू उपभोक्ताओं को कम दरों पर ही दिया जाए, घरों में रहते हैं।

(11) ग्रामीण विद्युतीकरण का परिणाम यह हुआ है कि ग्रामीण महिलाओं में नित्यश्रम को कम करने के अलावा, पढ़ने की आदतों में काफी वृद्धि, मनोरंजन, आमोद-प्रमोद, खेलकूद और अभिरुचियों में काफी वृद्धि हुई है। इसने ग्रामीण क्षेत्रों से युवकों के प्रव्रजन को भी रोका है।

(12) वित्त की कमी, बिजली का उपयोग न करने के लिए "गैर-लाभग्राहियों" की मुख्य बाधा है।

विवरण-2

मूल्यांकन अध्ययन द्वारा शामिल किये गये राज्यों के नाम और गांवों की संख्या

क्र. स.	राज्य	चुने हुए गांवों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	26
2.	असम	9

1	2	3
3.	बिहार	27
4.	गुजरात	30
5.	हरियाणा	12
6.	हिमाचल प्रदेश	10
7.	जम्मू और कश्मीर	13
8	कर्नाटक	29
9.	केरल	12
10.	मध्य प्रदेश	37
11.	महाराष्ट्र	28
12.	मेघालय	8
13.	नागालैंड	6
14.	उड़ीसा	24
15.	पंजाब	15
16.	राजस्थान	27
17.	तमिलनाडु	19
18.	उत्तर प्रदेश	44
19.	पश्चिम बंगाल	21
	सभी राज्य	397

छठी योजना के दौरान शिक्षा में पूंजी निवेश

8783. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **योजना मंत्री** उत्तरोत्तर पंचवर्षीय योजनाओं में शिक्षा के लिए पूंजी निवेश के बारे में 6 अप्रैल, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5992 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी पंचवर्षीय योजना में देश की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत शिक्षा के लिए किया गया 2.6 प्रतिशत आबंटन अब तक का सबसे कम पूंजी निवेश है और राष्ट्र के लिए

इस सामाजिक सेवा की बढ़ती हुई भूमिका को ध्यान में रखते हुए सातवीं पंचवर्षीय योजना में आबंटन बढ़ाया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो क्या शिक्षा को उच्च प्राथमिकता दी जायेगी और इसे न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में शामिल किया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मन्त्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) छठी पंचवर्षीय योजना में सरकारी क्षेत्रक परिव्यय का 2.6 प्रतिशत का शिक्षा के लिए आबंटन पहले की योजनाओं में आवंटित प्रतिशत से कम है, लेकिन शिक्षा में पूंजी निवेश की तुलना करते समय गैर-योजना परिव्ययों को भी, जो कुल शैक्षिक व्यय का लगभग 85 प्रतिशत है, ध्यान में रखना चाहिए। सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए आवंटनों को अन्तिम रूप, इस प्रयोजन के लिए गठित दलों द्वारा तैयार की जा रही कार्य नीतियों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर दिया जायेगा।

(ख) प्राथमिकता शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा को पहली उच्च प्राथमिकता दी गई है और इसे न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में शामिल किया गया है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

संस्थानों को विदेशों से मिली वित्तीय सहायता

8784. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **गृह मन्त्री** विदेशों से विभिन्न संस्थानों को मिली वित्तीय सहायता के बारे में 23 मार्च, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3999 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रश्न भाग (क) और (ख) में पूछी गई जानकारी इस बीच एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस बात की जांच की है कि इन संस्थानों द्वारा विदेशों से प्राप्त अनुदान/ऋण अथवा किसी अन्य रूप में मिली वित्तीय सहायता का उसी प्रयोजन के लिए उपयोग किया गया है, जिसके लिए उन्हें यह सहायता मिली थी;

(घ) यदि हां, तो जांच का स्वरूप क्या था और उसके निष्कर्ष क्या रहे; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और क्या तत्काल इस प्रकार की जांच कराई जाएगी, जिससे कि विदेशों से मिली धनराशि के दुरुपयोग को रोका जा सके ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी. वेंकटसुब्बय्या) (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) 23 मार्च, 1983 के प्रश्न संख्या 1999 के भाग (क) और (ख) में पूछे गए विदेशी अभिदान प्राप्त करने सम्बन्धि आंकड़ों को अभी संगणीकृत किया जा रहा है और इसके

परिणाम उपलब्ध होने में अभी और अधिक समय लगेगा।

(ग) से (ङ) विदेशी अभिदान प्राप्त कर रहे ऐसोसिएशनों को वर्षानुवर्ष के आधार पर प्राप्त विदेशी अभिदान और उसके प्रयोग के बारे में अलग लेखा जोखा रखना पड़ता है और इस प्रकार के वार्षिक लेखे जोखे को चार्टर्ड लेखा द्वारा विधिवत प्रमाणित करके गृह मंत्रालय को भेजते हैं। विदेशी अभिदान (विनियमन) अधिनियम के प्रभावकारी कार्यान्वयन के प्रबोधन कार्य की देख भाल करने के लिए गृह मन्त्रालय में एक छोटा एकक गठित किया जा रहा है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास

8785. **श्री विजयकुमार यादव** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि सम्पूर्ण देश में सतुलन विकास करने के लिए प्रत्येक राज्य में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष इलैक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री श्री (शिवराज वी. पाटिल) : कई राज्य सरकारों और सघ शासित प्रदेश ने अब तक अपने राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषदों की स्थापना कर ली गई है और जिन राज्यों में इस प्रकार की स्थापना नहीं हुई है वहां इस प्रकार स्थापना की प्रक्रिया जारी है। राज्य प्रति निधियों की अखिल भारतीय बैठकों पर चर्चाओं के आयोजन और वार्षिक योजना के माध्यम से भारत सरकार और योजना आयोग ने इस उद्देश्य की दिशा में उत्प्रेरक भूमिका निभायी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर राज्य परिषदों से राज्य स्तर पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी योजना, और विज्ञान और प्रौद्योगिकी सम्बन्धी गतिविधिओं के समन्वय और सम्वर्द्धन के लिए एक शीर्षस्थ केन्द्रीय निकायों के रूप में भूमिका निभाने की आशा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर राज्य परिषदों के विकास के लिए सहयोग की स्कीम के माध्यम से भारत सरकार विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर राज्य परिषदों को आंशिक के लिए अन्य केन्द्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी एजेंसियां योगदान करती है। उदाहरण के लिए, भारतीय कृषि अनुसंधान स्टेशन है और इसके साथ ही जनजाति क्षेत्रों के 26 केन्द्रों के साथ जनजातीय क्षेत्र अनुसंधान की एक अखिल भारतीय समन्वित योजना भी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद 10 राज्यों की राजधानियों में 10 बहु-प्रौद्योगिक स्तान्तरण केन्द्र और विभिन्न क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशालाएं हैं। नेशनल रिसर्च डिवलेपमेंट कारपोरेशन ग्रामीण प्रौद्योगिकी के प्रदर्शन -व- प्रतिक्षण -व- प्रतिकृति केन्द्रों की स्थापना में लगा हुआ है। राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंध प्रणाली के अन्तर्गत, प्रस्तावित भारतीय दूरसंवेदन उपग्रहण से प्राप्त आंकड़ो के प्रभावी प्रयोग के लिए, राज्य स्तर पर उपभोक्ता अभिकरणों के सहयोग सुनिश्चक करने के लिए उपाय शुरू किए गए हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने भी क्षेत्रीय परिष्कृत पंजीकरण केन्द्रों की स्थापना की है। खदी ग्रामोद्योग आयोग जैसी एजेंसियों ने अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से भी राज्य स्तर पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में सहायता दी है।

देश में उत्तर पूर्वी और अन्य आदिवासी क्षेत्रों में अशांति और असंतोष के कारण

8786. **श्री गिरिवर गोमांगो** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के उत्तर पूर्वी और अन्य आदिवासी क्षेत्रों के आदिवासियों में अशांति और असन्तोष के क्या कारण हैं;

(ख) विभिन्न समितियों और आयोगों द्वारा समय-समय पर समस्याओं के हल के लिए क्या सिफारिशें की गयीं हैं और उनका ब्यौरा क्या है तथा उनके मन्त्रालय और सम्बन्ध मन्त्रालयों और विभागों द्वारा उन सिफारिशों पर अब तक क्या कदम उठाये गये हैं?

(ग) लोगों की समस्याओं को हल करने और अशांति और असन्तोष को दूर करने के लिए राज्यों द्वारा राज्य-वार क्या उपाय किए गए हैं;

(घ) सरकार ने अशांति को दूर करने के लिए क्या सामाजिक, आर्थिक, विकासात्मक और प्रशासनिक उपाय अपनाए हैं और राज्यों को इस सम्बन्ध में कोई परामर्श दिए हैं, तो वे क्या हैं; और

(ङ) आदिवासी क्षेत्रों में शोषण के सभी स्वरूपों पर रोक लगाने के लिए उनके मंत्रालय द्वारा क्या नीतियां बनायी गयी हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा): (क) आदिवासियों को भूमि से बेदखल करना, वन संसाधनों को समाप्त करना, पैसा उधार देने तथा उत्पादन शुल्क और व्यापार के क्षेत्र में शोषण होना कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कारण हैं जिनसे आदिवासी लोगों में असंतोष व्याप्त है।

(ख) से (ङ) अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं से निपटने के लिए कुछ समितियों तथा आयोगों ने सिफारिशें की हैं। इन सिफारिशों में ये शामिल हैं - प्रशासनिक तंत्र को मजबूत बनाना, आदिवासी लोगों के प्रति सहानुभूति रखने वाले सही किस्म के कार्मिकों को तैनात करना भूमि से अन्तरण वन, पालन, उत्पादन शुल्क तथा व्यापार के क्षेत्र में घोषण-विरोधी उपाय करना, झूम खेती तथा वन ग्रामों की समस्या से निपटना, आदिवासी अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के लिए सहकारी क्षेत्र को मजबूत बनाना आदि जबकि मानव संसाधन विकास, सामाजिक सेवाएं और आदिवासी क्षेत्रों की आन्तरिक संरचना के विकास की ओर ध्यान दिया जा रहा है तो भी विशेष रूप से आदिवासियों की आर्थिक दशा में सुधार लाने के प्रयोजन से जनजाति उप योजना नीति लागू की गई है। राज्य सरकारें जनजाति उपयोजना कार्यक्रमों को लागू करती आ रही है और भारत सरकार, गृह मन्त्रालय में इन कार्यक्रमों की वास्तविक तथा वित्तीय प्रगति की मानिटिरिंग तथा समीक्षा नियमित रूप से की जाती है। जनजाति विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए गृह मन्त्रालय द्वारा, योजना आयोग के परामर्श से, राज्य सरकारों को सम्पूर्ण नीति सम्बन्धी मार्ग निर्देश उपलब्ध कराये जाते हैं। केन्द्रीय मन्त्रालयों ने देश के जनजाति क्षेत्रों में निवेश के लिए अलग से धनराशियां निर्धारित कर रखी हैं। अनुसूचित जनजातियों के विकास

के कार्यक्रमों को कारगर ढंग से लागू करने के वास्ते छठी पंचवर्षीय योजना में करीब 181 आई टी. डी. पी., 245 एम. ए. डी. ए. पाकेट तथा 72 आदिवासी परियोजनाएं शुरू की गई हैं। आदिवासी क्षेत्रों में शोषण पर रोक लगाने के वास्ते भूमि सुधार कानून लागू किये गये हैं, आदिवासियों को भूमि से बेदखल करने के खिलाफ और आदिवासी क्षेत्रों में उच्चदरों पर रुपया उधार देने के खिलाफ विशेष कानून लागूं किए गए हैं और अनुसूचित जनजातियों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराने तथा उत्पाद-शुल्क नीतियों को नया रूप देने की व्यवस्था की गई है।

माइक्रो-मेसो और मेक्रो प्रोजेक्ट के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता

श्री गिरिधर गोमांगो : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आदिवासी उपयोजना की संरचना की एक त्रिस्तहीय संरचना है, जिसमें योजना के माइक्रो-मेसो और मेक्रो स्तर हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या मइक्रोमेसो और मेक्रो स्तरों का कार्यकरण दिखाई पड़ता है;

(ग) राज्यों ने पांचवी पंचवर्षीय योजना, मध्यावधि योजना और छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान अब तक कुल कितनी परियोजनाओं का प्रस्ताव किया, कितनी तैयारी की और कितनी परियोजनाओं का कार्यक्रम बनाया है, तत्सम्बन्धी संरचना-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) उनके मन्त्रालय द्वारा इन परियोजनाओं की शुरूआत के समय से माइक्रो मेसी और मेक्रो परियोजनाओं के लिए परियोजना-वार दी गई विशेष केन्द्रीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) आदिवासी उप-योजना की संरचना एक त्रिस्तरीय संरचना नहीं है, जिसमें योजना के माइक्रोमेसो और मेक्रो स्तर हैं। मध्य प्रदेश राज्य में एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाओं का वर्गीकरण प्रत्येक परियोजना के अन्तर्गत आने वाली कुल जनसंख्या के आधार पर माइक्रो-मेसो और मेक्रो में किया गया है। अब तक 181 एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाएं 248 एम. ए. डी. ए. परियोजनाएं और 72 विशेष परियोजनाएं आदिम जनजातियों के लिए कार्यान्वित की जा रही है।

(घ) 1980-85 के दौरान आदिवासी उपयोजना, एम. ए. डी. ए. क्षेत्रों और आदिम जनजातियों को दी गई विशेष केन्द्रीय सहायता संलग्न विवरण के अनुसार हैं ।

विवरण

1980-85 के दौरान आदिवासी उप-योजना, एम. ए. डी. ए. क्षेत्रों और आदिम जनजातियों को दी गई विशेष केन्द्रीय सहायता

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85
	(रुपए लाख में)			(×अस्थायी)	
1	2	3	4	5	6
आन्ध्र प्रदेश					
आदिवासी उपयोजना	242.12	311.00	350.00	404.20	476.08
एम. ए. डी. ए. क्षेत्र	70.10	47.00	48.41	55.00	55.00
आदिम दनजातियां	25.00	25.00	30.00	52.32	52.32
असम					
आदिवासी उपयोजना	310.01	367.00	411.00	477.33	533.58
एम. ए. डी. ए. क्षेत्र	—	—	—	—	—
आदिम जनजातियां	—	—	—	—	—
बिहार					
आदिवासी उपयोजन	825.88	1034.00	1164.00	1344.18	1560.67
एम. ए. डी. ए. क्षेत्र	128.10	143 28	143.28	167.67	207.76
आदिम जनजातियां	20 00	35.00	42.00	55.04	55.04
गुजरात					
आदिवासी उपयोजना	485.44	621.00	695.00	806.36	954.84
एम. ए. डी. ए. क्षेत्र	65.20	79.26	85.26	92.75	144.63
आदिम जनजातियां	18.00	18.00	18.00	9.15	9.15
हिमाचल प्रदेश					
आदिवासी उपयोजना	81.22	117.00	135.00	152.49	187.21
एम. ए. डी. ए. क्षेत्र	...	4.94	5.20	5.78	11.20

1	2	3	4	5	6
आदिम जनजातियां	—	—	—	—	—
कर्नाटक					
आदिवासी उपयोजना	13.17	57.00	64.00	74.14	117.17
एम. ए. डी. ए. क्षेत्र	—	—	—	—	—
आदिम जनजातियां	4.00	4.00	4.00	3.84	3.84
केरल					
आदिवासी उपयोजना	52.00	43.00	50 00	55.39	55.39
एम. ए. डी. ए. क्षेत्र	—	—	—	—	—
आदिम जनजातियां	5.00	5.00	6.00	7.12	7.12
मध्य प्रदेश					
आदिवासी उपयोजना	1610.41	2019.00	2261.00	2623 62	3059.13
एम. ए. डी ए. क्षेत्र	277.90	313.83	313.83	367.25	457.85
आदिम जनजातियां	35.00	80.00	103.00	114.08	107.54
महाराष्ट्र					
आदिवासी उपयोजना	481.50	504.00	564.00	654 88	686.31
एम. ए. डी. ए. क्षेत्र	45.64	42.67	45.00	49.93	52.08
आदिम जनजातियां	17.00	32.00	37.00	53.94	53.94
मणिपुर					
आदिवासी उपयोजना	112.05	149.00	169.00	193.24	231.09
एम. ए. डी. ए. क्षेत्र	—	—	—	—	—
आदिम जनजातियां	—	1.00	2.00	4.85	3.85
उड़ीसा					
आदिवासी उपयोजना	770.35	1022.00	1200.00	1327.51	1539.40
एम. ए. डी. ए. क्षेत्र	86.10	99.42	99.42	116.34	147.01

1	2	3	4	5	6
आदिम जनजातियां	30.45	45.00	45.00	52.04	52.04
सिक्किम					
आदिवासी उपयोजना	10.00	22.00	25.00	29.18	36.17
एम. ए. डी. ए. क्षेत्र	—	—	—	—	—
आदिम जनजातियां	—	—	—	—	—
राजस्थान					
आदिवासी उपयोजना	286.49	364.00	410.00	470.12	551 51
एम. ए. डी. ए. क्षेत्र	210 00	206.79	206.79	241.99	274.77
आदिम जनजातियां	20.00	20.00	20.00	10.00	7.02
तमिलनाडु					
आदिवासी उपयोजना	73.87	85.00	95.00	110.69	121.72
एम. ए. डी. ए. क्षेत्र	—	—	—	—	—
अदिम जनजातियां	7.00	10.00	10.00	11.19	11.19
त्रिपुरा					
आदिवासी उपयोजना	117.58	129.00	144.00	167.12	180.54
एम. ए. डी. ए. क्षेत्र	—	—	—	—	—
आदिम जनजातियां	13 00	13.00	15.00	14.80	14.80
उत्तर प्रदेश					
आदिवासी उपयोजना	15.87	10.00	11.00	12.53	12.53
एम. ए. डी. ए. क्षेत्र	2.20	2.81	2.81	3.29	4.40
आदिम जनजातियां	1.00	2.00	4.00	8.57	8.57
पश्चिम बंगाल					
आदिवासी उपयोजन	359.58	366.00	410.00	475.23	486.75
एम. ए. डी. ए. क्षेत्र	—	—	—	—	—
आदिम जनजातियां	5.00	10.00	11.00	24 85	24.85

1	2	3	4	5	6
प० नि० द्वीपसमूह					
आदिवासी उपयोजना	14.00*	10.00*	-4 .00	12.00	12.00
एम. ए. डी. ए. क्षेत्र	—	—	—	—	—
आदिम जनजातियां	—	7.53@	29.00@	83.00	4.74
गोवा, दमण और दीव					
आदिमवासी उपयोजना	12.81	4.00	5.00	6.00	7.00
एम. ए. डी. ए. क्षेत्र	—	—	—	—	—
आदिम जनजातियां	—	—	—	—	—

× संशोधित आबंटन* संघ शासित क्षेत्र प्रशासन द्वारा प्राप्त की गई

स्वतंत्रता सेनानियों को सह-बंदी प्रमाण-पत्र जारी किया जाना

8788. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों को सह-बन्दी प्रमाण-पत्र जारी करने के सम्बन्ध में कोई नई नीति निर्धारित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौर क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में नई नीति निर्धारित करने के क्या कारण हैं ?

गृह मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी हां, श्रीमान । रियायतों की घोषणा जनवरी, 1983 में की गई थी ।

(ख) किन्हीं दो जाने माने स्वतंत्रता सेनानियों से, जो स्वयं राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में कम से कम 1 वर्ष की जेल की सजा भुगत चुके हों, और जिन्हें ताम्रपत्र दिया गया हो और जो केन्द्रीय राजस्व से पेंशन पा रहे हों, सह-बंदी प्रमाणपत्रों को अब स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशनत मन्जूर किए जाने के वास्ते साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाता है ।

(ग) इन रियायतों की घोषणा किए जाने से पहले, सह-बन्दी प्रमाण-पत्र केवल तभी स्वीकार किया जाता था जब यह प्रमाण-पत्र भूतपूर्व/मौजूदा विधायक द्वारा दिया गया हो । इस सम्बन्ध में इस आधार पर छूट दिए जाने की मांग की गयी थी कि इतना समय बीत जाने के बाद इस वर्ग के प्रमाण-कर्ता आसानी से उपलब्ध नहीं हो पायेंगे ।

फैक्ट्रियों में अग्निशमन प्रणाली

8789. **श्री के. प्रधानी :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तकनीकी विकास महानिदेशक ने हाल ही में फैक्ट्रियों और भवनों आदि में अग्निशमन प्रणाली की अनिवार्य स्थान को "अनिवार्य आवश्यकता" पर जोर दिया है;

(ख) यदि हां, तो देश में विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में अग्निशमन उपकरणों के विकास के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) कौन-कौन सी फर्में इन अग्निशमन उपकरणों का निर्माण कर रही हैं और वह किस प्रकार के उपकरणों का निर्माण करती है;

उद्योग मत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस. बी. पट्टाभि राम राव): (क) तकनीकी विकास के महानिदेशालय ने हाल ही में भारत में, अग्निशामक उपकरण बनाने वाले उद्योग से सम्बन्धित एक वस्तु स्थिति प्रलेख (स्टेटस पेपर) तैयार किया था। उसमें बताया गया है कि सरकारी क्षेत्र के सगठनों द्वारा उनके कार्य क्षेत्रों में आग से बचाव और रोकथाम के लिए पर्याप्त उपकरण दिए जाने की आवश्यकता है।

(ख) उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों द्वारा अपेक्षित अग्निशामक उपकरणों के विकास का निरीक्षण करने के लिए हाल ही में एक विकास पैनल बनाया गया है।

(ग) लघु क्षेत्र में अनेक एककों के अलावा संगठित क्षेत्र में मेसर्स कूवर्जी देवशी (प्रा.) लि., बम्बई, मेसर्स मेदर एण्ड प्लाटर (इण्डिया) लि., कलकत्ता, मेसर्स स्टीलेज इण्डस्ट्रीज लि०, मद्रास और मेसर्स सूर इनेमल एण्ड स्टार्पिंग वर्क्स लि., कलकत्ता आग बुझाने वाले उपकरण जैसे आग बुझाने वाले यंत्र, ट्रेलर फायर पम्प, फायर इन्जन, क्रैश फायर टेंडर, फायर अलार्म सिस्टम, फायर प्रूफ टावर तथा आटोमेटिक वाटर एण्ड सी. ओ.[2] एक्सटिंग्विशिंग सिस्टमों का निर्माण करते हैं।

तेजाब युक्त वर्षा से वनों को खतरा

8790. **श्री के. प्रधानी :** क्या **प्रधान मत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाशिंगटन स्थित अनुसंधान दल द्वारा हाल ही में किए गये अध्ययन के अनुसार तेजाब युक्त वर्षा से वनों को हानि पहुंच सकती है, इमारती लकड़ियों को नुकसान हो सकता है तथा वायु-प्रदूषित हो सकती है, जो वनों के लिए खतरा बन सकती है; (स्टेटस मेन, नई दिल्ली, दिनांक 2 अप्रैल, 1984);

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय विशेषज्ञों ने इस रिपोर्ट का अध्ययन किया है; और

(ग) देश में वनों को संरक्षण प्रदान करने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं?

पर्यावरण विभाग में उप-मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। संदर्भाधीन अध्ययन की रिपोर्ट अप्रैल, 1984 को वाशिंगटन, संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रस्तुत की जानी है।

(ग) भारत में अभी तक अम्लीय वर्षा के बारे में कोई पक्की रिपोर्ट नहीं है।

पश्चिम बंगाल में इस्पात की ढलाई परियोजना

8791. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में धनकुनी में एक इस्पात की ढलाई परियोजना स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो यह इस समय किस स्थिति में है, इसकी क्षमता क्या है और इससे कितने लोगों को रोजगार प्राप्त होगा; और

(ग) इस परियोजना को आरम्भ करने में उनके मंत्रालय का कितनी सहायता देने का विचार है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव): (क) से (ग) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

मंत्रालयों विभागों में हिन्दी कार्य के लिए कर्मचारी ढांचा

8792. **श्री दयाराम शाक्य :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों तथा कार्यालयों में हिन्दी कार्य के लिए कर्मचारी ढांचा निर्धारित किया है :

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है :

(ग) सरकार द्वारा कर्मचारियों की न्यूनतम आवश्यकता को पूरा करने तथा विभिन्न मंत्रालयों द्वारा राजभाषा अधिनियमों और नियमों के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए क्या उपाय किए गये हैं;

(घ) क्या यह सच है कि उपरोक्त ढांचे में जिस वरिष्ठ पद का सुझाव दिया गया है, वह हिन्दी अधिकारी का पद है, जो केन्द्रीय सचिवालय में अवर सचिव के पद के बराबर है;

(ङ) यदि हां तो क्या सरकार राज भाषा अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गये नियमों की क्रियान्विति के लिए इस पद को पर्याप्त समझती है; और

(च) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा विभिन्न मंत्रालयों में राजभाषा के सम्बन्ध में सांविधिक अपेक्षाओं की क्रियान्विति के लिए मूलभूत ढांचे को मजबूत बनाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) विवरण संलग्न है।

(घ) जी हां।

(ङ) और (च) जी हां, राजभाषा सम्बन्धी कार्य को पूरा करने के लिए यह पर्याप्त है। परन्तु अधिनियम और नियमों के अनुपालन का समग्र उत्तरदायित्व संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों को सौंपा गया है जो अधिकारी वर्ग में बहुत ऊंचा स्तर है।

विवरण

केन्द्रीय सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन/कार्यान्वयन और इससे सम्बन्धित सांविधिक एवं विधिक अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए मंत्रालयों/विभागों और संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों में न्यूनतम हिन्दी पदों के सृजन के लिए 1981 में मार्गदर्शी सिद्धांत बनाए गये थे। उन मार्गदर्शी सिद्धांतों में उल्लखित न्यूनतम पद इस प्रकार हैं :—

(क) मंत्रालयों/विभागों के लिए :

1. प्रत्येक मंत्रालय में एक वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी और प्रत्येक विभाग में एक हिन्दी अधिकारी।

2. प्रत्येक मंत्रालय/स्वतंत्र विभाग में एक वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक और तीन कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक।

(ख) सम्बन्द्ध और अधीनस्थ कार्यालयों के लिए :

1. 100 या इससे अधिक कर्मचारियों की संख्या ("घ" श्रेणी को छोड़कर) वाले प्रत्येक संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय में एक हिन्दी अधिकारी।

2. कम से कम 25 कर्मचारियों ("घ" श्रेणी को छोड़कर) वाले प्रत्येक कार्यालय के लिए एक कनिष्ट हिन्दी अनुवादक। प्रत्येक 50 अनुसचिवीय पदों के लिए एक अतिरिक्त कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक तथा प्रत्येक चतुर्थ पद वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक का होगा।

3. 25 अनुसचिवीय कर्मचारियों वाले प्रत्येक कार्यालय के लिये एक हिन्दी टाइपिस्ट।

उपर्युक्त मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार पदों के सृजन और उनके भरने की जिम्मेदारी सम्बन्धित मंत्रालय/विभाग कार्यालय की है। नौ महीने तक सभी पदों के भरने पर लगे वर्तमान प्रतिबंध से पहले संबधित मंत्रालय/विभाग कार्यालय अपने बित्त सलाहकारों के अनुमोदन से कार्रवाई कर रहे थे।

संशोधित बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों अनुसूचित जन जातियों का विकास

8793. **श्री अमरसिंह राठवा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के विकास के लिए संशोधितबीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत क्या-क्या विभिन्न कार्यक्रम हैं;

(ख) इन कार्यक्रमों को तेज करने के लिए वर्ष 1983 के दौरान क्या कदम उठाये गये हैं और इससे राज्यवार कितने लोग लाभान्वित हुए हैं; और

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य और संघ शासित क्षेत्र में उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत अनुसूचित जातीयों और अनुसूचित जनजातियों के कितने लोगों के लाभांन्वित होने की संभावना है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा): (क) संशोधित 20-सूत्री कार्यक्रम के अधीन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को क्रमश: विशेष कम्पोनेंट योजना और जनजाति उप-योजना की नीति के माध्यम से आर्थिक रूप से सहायता की जा रही है जो राज्यों की वार्षिक योजना का भाग होता है और जिनमें कृषि, पशुपालन लघु सिंचाई इत्यादि जैसे सामान्य क्षेत्रों के अधीन कार्यक्रमों के लिए धनराशि निर्धारित की जाती हैं। इनमें बड़ी संख्या में आर्थिक विकास कार्यक्रम आते हैं जिनका उद्देश्य अनुसूचित जाति के गांवों और गांवों में और अनुसूचित जनजाति घनी आबादी वाले गांवों तथा क्षेत्रों में मूल संरचना की व्यवस्था करने के अतिरिक्त अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के परिवारों का आर्थिक स्तर बढ़ाना है।

(ख) सरकार द्वारा इन वर्गों के लिए परिव्यय बढ़ाने और कार्यक्रमों के उचित कार्यान्वयन तथा प्रबोधन करने की आवश्यकता पर बल देने के कदम उठाये गए हैं। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों दोनों के लाभान्वित व्यक्तियों की राज्यवार संख्या विवरण I और अनुबन्ध "एक" में दी गई है।

(ग) सूचना विवरण-2 और अनुबन्ध दो में दी गई है।

विवरण-1

वर्ष 1980-81, 1981-82 और 1982-83 के दौरान अनुसूचित जाति के परिवारों को दी गई आर्थिक सहायता ताकि वे गरीबी की रेखा पार कर सकें।

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	छठी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य	उपलब्धियां		
		1980-85	1980-81	1981-82	1982-83
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	7,50,000	66,241	1,05,150	2,41,875
2.	असम	1,14,000	9,549	11,676	22,023
3.	बिहार	10,48,000	54,850	1,55,615	1,48,514
4.	गुजरात	2,36,000	46,000	66,023	87,522

1 2	3	4	5	6
5. हरियाणा	1,60,000	18,703	54,774	47,575
6. हिमाचल प्रदेश	86,000	12,711	25,802	94,737
7. जम्मू व कश्मीर	—	—	—	2,349
8. कर्नाटक	5,30,000	57,986	86,737	93,917
9. केरल	2,38,000	—	40,850	37,804
10. मध्य प्रदेश	7,00,000	35,902	1,55,613	1,10,556
11. महाराष्ट्र	8,54,000	33,007	1,53,881	1,92,441
12. मणिपुर	2,686	865	235	415
13. उड़ीसा	4,00 000	50,988	80,265	1,01,624
14. पंजाब	4,19,000	58,064	81,956	84,452
15. राजस्थान	5,00,000	45,651	93,238	1,57,623
16. सिक्कम	3,400	—	340	948
17. तमिलनाडु	9,17,000	77,828	2,11,000	1,56,846
18. त्रिपुरा	25,526	3,001	5,000	1,054
19. उत्तर प्रदेश	15,00,000	1,56,769	3,61,000	3,75,238
20. पश्चिम बंगाल	11,12,000	—	93,238	2 54,765
21. चंडीगढ़	151	—	—	923
22. दिल्ली	40,000	3,874	6,228	9,473
23. गोवा दमन व दीव	—	—	—	803
24. पांडिचेरी	9,000	138	2,000	1,675
कुल=	96,44,763	7,32,127 (7.59%)	17,91,621 (18.58%)	22,04,552 (22.86%)

विवरण "2"

अनुसूचित जाति परिवार को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने में छठी योजना का लक्ष्य, राज्यवार, नीचे दिया गया है ।

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	लक्ष्य
1.	आंध्रप्रदेश	7,50,000
2.	असम	1,14,000
3.	बिहार	10,48,000
4.	गुजरात	2,36,000
5.	हरियाणा	1,60,000
6.	हिमाचल प्रदेश	86,000
7.	जम्मू व कश्मीर	—
8.	कर्नाटक	5,30,000
9.	केरल	2,38,000
10.	मध्य प्रदेश	7,00,000
11.	महाराष्ट्र	8,54,000
12.	मणिपुर	2,686
13.	उड़ीसा	4,00,000
14.	पंजाब	4,19,000
15.	राजस्थान	5,00,000
16.	सिक्कम	3,400
17.	तमिलनाडु	9,17,000
18.	त्रिपुरा	25,526
19.	उत्तर प्रदेश	15,00,000
20.	पश्चिम बंगाल	11,12,000
21.	चंडीगढ़	151
22.	दिल्ली	40,000
23.	गोवा दमण व दीव	—
24.	पांडिचेरी	9,000
		96,44,763

अनुबन्ध—एक

छठी पंचवर्षीय योजना में अनुसूचित जन जाति के परिवारों की सहायता का राज्यवार लक्ष्य

क्र०सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	परिवारों की सहायता का लक्ष्य
1.	अण्डमान और निकोबार	3,700
2.	आंध्र प्रदेश	50,000
3.	असम	—*
4.	बिहार	3,00,000
5.	गुजरात	3,50,0000
6.	हिमाचल प्रदेश	21,600
7.	कर्नाटक	—*
8.	केरल	16,000
9.	मध्य प्रदेश	5,18,000
10.	महाराष्ट्र	—*
11.	मणिपुर	—*
12.	उड़ीसा	5 50,000
13.	राजस्थान	50,000
14.	सिक्किम	—*
15.	तमिलनाडु	15,000
16.	त्रिपुरा	—*
17.	उत्तर प्रदेश	3,100
18.	पश्चिम बंगाल	1,08,275
19.	गोवा, दमण व दीव	1,516
	अनुमानित कुल लक्ष्य	23 लाख जनजातीय परिवारों

*लक्ष्यों का पुनरीक्षण किया जा रहा है।

अनुबन्ध—दो

आर्थिक रूप से अनुसूचित जनजातियों के जिन परिवारों की सहायता की गई उनकी सख्या का विवरण।

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84 फरवरी, 1984 तक उपलब्धि
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	9227	13092	56214	31488
2.	असम	16519	48605	54619	58244
3.	बिहार	उ०न०	उ०न०	109557	88630
4.	गुजरात	74784	74580	89048	62051
5.	हिमाचल प्रदेश	4046	4737	16428	4240
6.	कर्नाक	3392	3397	5596	2865
7.	केरल	2545	2545	4969	3450
8.	मध्य प्रदेश	@	240747@	94510	231056
9.	महाराष्ट्र	उ०न	340 00*	495404*	60309
10.	मणिपुर	उ०न०	उ०न०	7143	9288
11.	उड़ीसा	57285	83700	92942	76262
12.	राजस्थान	11000	12662	53588	28283
13.	सिक्किम	उ०न०	1060	2561	1162
14.	तमिलनाडु	3000	3050	5621	4348
15.	त्रिपुरा	उ०न०	उ०न०	92351	6293
16.	उत्तर प्रदेश	500	650	4129*	2031
17.	पश्चिम बंगाल	उ०न०	41447	85389*	59959
18.	अ. और नि. द्वीपसमूह	उ०न०	उ०न०	8087	730
19.	गोवा दमन और दीव	150	272	931	773
	जोड़	182448	872544	1277082	731462

@आंकड़े 1980-81 और 1981-82 के लिए है।

*आंकड़े अनन्तिम है।

सरकारी कर्मचारियों द्वारा अपने मकान विदेशी दूतावासों को किराए पर देने से सम्बन्धित नियम

8794. **श्री विजय कुमार यादव :**

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कर्मचारी दिल्ली में अपने मकान विदेशी दूतावासों और विदेशी राजनयिकों को किराए पर दे सकते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में नियमों में क्या प्रावधान है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकटसुब्बय्या) : (क) तथा (ख) केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 18—क और अखिल भारतीय सेवाओं तथा रेलवे सेवाओं को शासित करने वाले आचरण नियमों के तदनुरूपी उपबन्धों के अनुसार कोई भी सरकारी सेवक, विहित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के सिवाय, अपने नाम में या अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य के नाम में धारित किसी स्थावर सम्पत्ति के सम्बन्धित में किसी पट्टे की मंजूरी के लिए किसी विदेशी व्यक्ति, विदेशी सरकार, विदेशी संगठन या समुत्थान के साथ कोई संव्यवहार नहीं करेगा। इस नियम के प्रयोजन के लिए "विहित प्राधिकारी" से समूह "क" सरकारी सेवकों के मामले में प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग समूह "ख" सरकारी सेवकों के मामले में विभागाध्यक्ष और समूह "ग" तथा समूह "घ" सरकारी सेवकों के मामले में कार्याध्यक्ष अभिप्रेत है।

सरकार द्वारा पता लगाई गई आदिम जनजातियां

8795. **श्री अनादि चरण दास :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार द्वारा देश में 72 आदिम जन-जातियों का पता लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उनके चौतरफा विकास के लिए क्या विशेष समझौता योजना बनाई गई है;

(ग) क्या खानाबदोशी जनजातियों के चौतरफा विकास के लिए कोई प्रस्ताव है; और

(घ) सरकार का विचार अनुसूचित जातियों और आदिवासियों में पिछड़ेपन और अन्य विश्वासों को किस प्रकार दूर करने का है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) राज्यों को सलाह दी गई है कि वे आदिवासी वर्ग के चहुमुखी विकास के लिए उसकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर प्राकृतिक सम्पदा स्थानीय कौशल और संसाधनों पर आधारित आदिम समझे गए व्यक्तिगत आदिवासी वर्ग के लिए परियोजना रिपोर्टें तैयार करें। पता लगाये गए 72 वर्गों में से 40 वर्गों के लिए परियोजना रिपोर्टें तैयार की जा चुकी है।

शेष परियोजना रिपोर्टें पूरी होने की विभिन्न अवस्थाओं में है। सभी वर्गों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार न किए जाने के बावजूद भी अभ्यन्तर कार्यक्रम कार्यान्वित किए जाते हैं। मंत्रालय द्वारा आदिम जनजाति वर्गों के विकास के लिए छठी योजना के दौरान अपनी "विशेष केन्द्रीय सहायता" योजना के अन्तर्गत कुल 18.50 करोड़ रुपए का एक पृथक् आवंटन किया गया है।

(ग) खानाबदोष वर्गों में से जो वर्ग अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल हैं, वे उपर्युक्त कार्यक्रमों को लाभ उठाते हैं। खानाबदोश वर्ग, जो अनुसूचित जनजातियों के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है, विकास के सामान्य क्षेत्रों के अन्तर्गत रखे जाते हैं।

(घ) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक, आर्थिक विकास के लिए सहायता देने का प्रयास होता है। अन्धविश्वास को दूर करने के लिए अलग से कोई विशेष योजना नहीं है। आशा की जाती है कि उन्नत शैक्षिक तथा आर्थिक उपलब्धियों से ऐसा अन्ध-विश्वास धीरे-धीरे समाप्त हो जाएगा।

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के मामले में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के माता-पिता पर लगाए गए प्रतिबन्ध

8796. **श्री अनादि चरण दास :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस समय यह प्रतिबन्ध है कि (एक) यदि ऐसे माता-पिता जिनकी आय 1000 रुपये प्रतिमास है, उनके बच्चों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां नहीं मिलेंगी और (दो) केवल दो लड़कों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां मिलेंगी और तीसरे और चौथे लड़कों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिलेगा; और

(ख) क्या सरकार का विचार इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उनके विकास के लिए यह पहली सीढ़ी है : मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के मामले में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के माता-पिता पर लगाये गए प्रतिबन्धों को हटाने का है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी हां, श्रीमान।

प्रतिबन्ध इसलिए लगाये गए थे ताकि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अधिकतम परिवारों को उपलब्ध साधनों के अन्तर्गत छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई जा सके।

(ख) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

क्रियान्वित की जा रही परमाणु विद्युत परियोजनाएं

8797. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय क्रियान्वित की जा रही परमाणु विद्युत परियोजनाओं को पूरा करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, इलैक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : भूमि के अधिग्रहण, स्वदेशी उपस्करों के डिलिवरी आदि में विलम्ब होने जैसे कारणों पर, जिनकी वजह से बीते समय में परियोजनाओं को पूरा करने में देरी हुई है, काबू पाने के लिये प्रभावी कदम उठाये गए हैं।

माइक्रो एलाय स्ट्रील रेल की पटरी का विकास

8798. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि. ने नई उच्च किस्म माइक्रो एलाय स्टील रेल की पटरी का विकास किया है;

(ख) यदि हां, तो किन मार्गों पर इस माइक्रो एलाय स्टील की रेल की पटरी को प्रारंभ किये जाने का प्रस्ताव है:

(ग) उक्त रेल किन इस्पात संयंत्रों में विकसित की गई है;

(घ) इन नई रेलों का किस कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माण किया गया है; और

(ङ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मुहम्मद खां) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) भिलाई इस्पात कारखाने ने उन रेल मार्गों के लिए जिन पर यातायात बहुत अधिक है, रेलवे की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु माइक्रो मिश्र इस्पात की रेल की पटरी की एक नई बढ़िया क्वालिटी का विकास किया है। इन रेल की पटरियों को बड़ी लाइन तथा मीटर लाइन—दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

प्रयोग के तौर पर बड़ी लाइनों के परीक्षण करने हेतु रेलवे को इस बढ़िया क्वालिटी की 1456 टन रेल की पटरी की एक खेप सप्लाई की गई हैं।

उद्योग की समस्यायें

8799. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फाउंडेशन फार आर्गेनाइजेशन रिसर्च (फोर) ने देश में उद्योगों की तत्कालीन समस्याओं का मूल्यांकन करने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) "फोर" द्वारा अपने सर्वेक्षण से पता की गई औद्योगिक समस्याओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन समस्याओं का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाये जाने का विचार है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (ग) आडेजंशन फार

आर्गेनाइजेशन रिसर्च के अनुसार वह संगठन व्यवहार के क्षेत्र में स्वतन्त्र, अनुसंधान अध्ययन करने के अलावा, देश में विभिन्न औद्योगिक संगठनों द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं का अध्ययन भी करती है । इसके अनुसंधान के निष्कर्षों, के साथ ही सिफारशें विचारार्थ सम्बन्धित संगठनों को भेजी जाती हैं ।

वाहनों से वायु प्रदूषण

8800. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :** क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार बड़े शहरों में वाहनों से फैलने वाले वायु प्रदूषण को बढ़ती हुई समस्या के बारे में चिंतित है;

(ख) इस प्रकार होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए क्या कानूनी सुरक्षात्मक उपाय किये गए हैं; और

(ग) केन्द्रीय सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों ने कानूनी उपबन्धों को कहां तक लागू किया है और उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

पर्यावरण विभाग में उपमंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग) : (i) वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 को अधिनियमित किया गया है । अधिकांश राज्य सरकारों ने, इस अधिनियम के उपबन्धों के क्रियान्वियन के लिए वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) नियमों को अधिसूचित किया है । केन्द्रीय तथा राज्य बोर्ड वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्रों का पता लगाने की कार्यवाही कर रहे हैं । इन क्षेत्रों के अधिसूचित होने से, अब अधिनियम के उपबन्धों को लागू करना संभव होगा । (ii) इस समय वाहनों से निकलने वाले धुएं को रोकने के लिए, मोटर वाहन अधिनियम के उपबन्धों का अधिकांशत: पालन किया जा रहा है । (iii) अहमदाबाद, दिल्ली, बम्बई तथा पूना की नगरपालिकाओं को प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के खिलाफ उपाय करने के निर्देश दिये गए हैं ।

दिल्ली में हत्या डकैती आदि

8801. **श्री रवीन्द्र वर्मा :**
श्रीमती किशोरी सिन्हा :
श्री भीम सिंह :

प्रो. सैफुद्दीन सोज : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन मास के दौरान दिल्ली में हत्या, लूट, डकैती और विस्फोट के पृथक्-पृथक् कुल कितने मामले रजिस्टर किये गए, जिनमें उग्रवादियों का हाथ होने का संदेह है;

(ख) अब तक प्रत्येक मामले में गिरफ्तार किये गए उग्रवादियों की संख्या और विवरण क्या है; और

(ग) उन मामलों का ब्यौरा क्या है, जिनमें सरकार अभी तक दोषी व्यक्तियों को गिरफ्तार नहीं कर सकी है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकटसुब्बय्या) : (क) 1-1-1984 से 31--3-1984 तक की अवधि के दौरान दिल्ली पुलिस को हत्या का मामला, लूटपाट का एक मामला और डकैती का एक मामला, जिनमें उग्रवादियों का हाथ होने का संदेह है, सूचित किए गए हैं।

(ख) लूटपाट के मामले में एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है और शेष दो मामलों में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है।

(ग) 28-3-1984 को हुई दिल्ली गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति के अध्यक्ष की हत्या के मामले में अन्तर्ग्रस्त अपराधी और 6-2-1984 को सैंट्रल बैंक आफ इंडिया कनाट प्लेस में हुई डकैती में अन्तर्ग्रस्त अपराधी अभी तक गिरफ्तार नहीं किए गए हैं।

गृह मंत्रालय में "एक" से "सो" ग्रेड तक के पदों पर सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और पदोन्नति

8802. **श्री भीखाभाई** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1982 को उनके मंत्रालय के अधीन प्रत्येक विभाग में "ए" से "सी" ग्रेड (अनुसचिवीय कर्मचारी) के पदों पर सरकारी कर्मचारियों (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर) और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की दोनों की अलग-अलग कुल संख्या कितनी थी; और

(ख) 1 जनवरी, 1982 से 31 दिसम्बर, 1982 तक और 1 जनवरी, 1983 से 31 दिसम्बर, 1983 तक उक्त (क) में उल्लिखित पदों पर कुल कितने सरकारी कर्मचारियों (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर) और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की (श्रेणीवार) भर्ती की गई तथा पदोन्नति की गयी ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

आदिम जनजातियों के लिए शुरू किए गए विशेष कार्यक्रम और परियोजनायें

8803. **श्री भीखाभाई** : क्या **गृह मंत्री** आदिवासी क्षेत्रों का पता लगाने के बारे में 28 मार्च, 1985 को अतारांकित प्रश्न संख्या 5340 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में आदिम जनजातियों के लिए क्या विशेष कार्यक्रम और परियोजनाएं शुरू की गई हैं;

(ख) क्या केन्द्र उनके लिए और विशेष कार्यक्रम और परियोजनाएं प्रायोजित करेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को इस बारे में मार्ग निर्देश किए गए हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) आदिम जनजाति समुदायों के लिए कार्यान्वित की गई मुख्य योजनाएं और कार्यक्रम संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ख) जब अधिक जनजाति समुदायों का, निर्धारित मानदण्ड के अनुसार आदिम जनजाति के रूप में पता लगेगा तो इस प्रकार के अधिक कार्यक्रम और परियोजनाएं प्रारम्भ की जाएंगी।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में आदिम जनजातियों के लिए प्रारंभ की गई महत्वपूर्ण सामान्य योजनाएं (कार्यक्रम)

1. कृषि निवेश जैसे विकसित बीज, उपस्कर उर्वरक और कीटनाशक।
2. दुधारू पशुओं हल, बैल, पोलट्री-बर्ड, और सूअरों की पूर्ति।
3. चारागाह का विकास और चारा।
4. भू-संरक्षण और भूमि विकास।
5. कुटीर उद्योगों का विकास, जैसे बांस और चटटाई बनाना, मधु मक्खी पालन और ईटें बनाना।
6. शैक्षिक योजनाएं।
7. पेयजल योजनाएं।
8. स्वास्थ्य सुविधाओं का बिस्तार, महामारियों जैसे दूषित-जल से उत्पन्न होने वाली बिमारियों को समाप्त करने के उपायों सहित।
9. प्रौढ़ शिक्षा।
10. सामाजिक वानिकी योजना।
11. सिलाई, बुनाई और कारपेंटरी जैसे सिल्पकला में प्रशिक्षण।
12. विपणन, सुविधाओं सहित सहकारिता का बिकास।
13. लघु सिंचाई योजनाएं।
14. मातृ एवम बाल-स्वास्थ्य सुविधाएं।
15. पौध, खाद और बाडों की आपूर्ति सहित बागवानी योजनाएं।

अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण ब्रोशयोर जारी किया जाना

8804. **श्री भीखा भाई** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन मन्त्रालयों के नाम क्या हैं जिन्होंने भर्ती अधिकारियों और अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के लिए मार्गनिर्देश और लाभ के लिए आरक्षण सम्बन्धी "ब्रोशर रिजर्वेशन फार शेड्यूल्ड कास्टस एण्ड शेडयूल्ड ट्राइबज" जारी किया है;

(ख) प्रत्येक मामले में उसका प्रकाशन किस वर्ष में किया गया;

(ग) क्या इन ब्राशरों को नवीनतम बनाया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (घ) केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के सम्बन्ध में नाडल एजेन्सी के रूप में कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग उक्त विषय पर सभी आदेशों तथा अनुदेशों का एक संकलन "सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए आरक्षण संबंधी विवरणिका" के शीर्षक से नियमित अन्तरालों पर प्रकाशित करता है जिसका नवीनतम सस्करण 1982 में प्रकाशित किया गया था और इसमें जून, 1982 तक जारी किये गये आदेशों को शामिल किया गया था। नवीनतम संस्करण के प्रकाशन के बाद जारी किये गये आदेशो को नया सस्करण प्रकाशित किये जाने के समय उसमे शामिल कर लिया जायेगा। इस विभाग को यह जानकारी नहीं है कि क्या किन्हीं अन्य मन्त्रालयों/विभागों ने अपने आन्तरिक प्रयोग के लिये ऐसी कोई विवरणिका प्रकाशित की है।

बड़े औद्योगिक घरानों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को रोजगार

8805. **श्री के. प्रधानी** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको यह पता है कि इस समय निजी क्षेत्र में बड़े औद्योगिक घराने तथा अन्य व्यापारी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को रोजगार देने में हिचकिचाते हैं चाहे वे कुशल, अर्ध कुशल या तकनीकी पदों के योग्य ही क्यों न हों;

(ख) क्या इन उद्योगपतियों को आशय पत्र/औद्योगिक लाइसेंस जारी करते समय वह विशेषकर ऐसे स्थानों पर जहां काफी संख्या में आदिवासी लोग रहते हैं तथा इनमें से अधिकांश उनके घरों और भूमि के अधिग्रहीत हो जाने से विस्थापित हैं, कुछ प्रतिशत रोजगार इन लोगों को दिए जाने की कोई व्यवस्था करने पर सरकार विचार करेगी;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन वर्गों के लोगों का न केवल आर्थिक उत्थान सुनिश्चित करने बल्कि इन्हें सामाजिक जीवन में खपाने के लिए सरकार का क्या अन्य उपाय करने का विचार है;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (ग) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के उपबधों के अधीन निजी क्षेत्र के औद्योगिक उपक्रमों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पदों के आरक्षण को कानूनी रूप में लागू करना सम्भव नहीं है। किन्तु निजी क्षेत्र के उद्योगों को प्रमाणित किया गया है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के व्यक्तियों के लिए रोजगार के नियत भाग की व्यवस्था करना उचित होगा।

(घ) नए 20 सूत्री कार्यक्रम के सूत्र 7 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विकास के कार्यक्रमों को तेज करने का प्रावधान किया गया है। ऐसे कार्यक्रमों में सरकार के आर्थिक सामाजिक, शैक्षिक और कल्याणकारी कार्यकलापों से सम्बन्धित विभागों द्वारा किए जा रहे अनेक सामाजिक-आर्थिक अभ्युपाय शामिल हैं।

20 सूत्री कार्यक्रम की प्रगति

8806. **श्री के. लकप्पा :**

श्री धर्मदास शास्त्री : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीस सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन में पिछड़े हुए कुछ चुने हुए राज्यों में कार्यक्रम की प्रगति की जांच के लिये हाल ही में एक उच्चस्तरीय अधिकारी दल का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो चुने हुए राज्यों में बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं की कमियों और कठिनाइयों का यह दल किस प्रकार पता लगायेगा; और

(ग) दल द्वारा सरकार को कब तक रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिये जाने की आशा है ?

योजना मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) से (ग) तक जी. नहीं। लेकिन केन्द्रीय सरकार के अधिकारी 20 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए राज्यों में जाते हैं। ये अधिकारी राज्यों में सम्बन्धित अधिकारियों से विचार-विमर्श करते हैं और स्थल पर कुछ कार्यक्रमों/स्कीमों को देखने के लिए क्षेत्रीय दौरे भी करते हैं।

विदेश यात्रा पर गए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधिकारी

8807. **डा. कृपासिंधु भोई** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (उसके सम्बद्ध संस्थानों सहित) के अन्य उन अधिकारियों की संख्या तथा पदनाम क्या हैं जो गत दो वर्षों के दौरान विदेश यात्राओं पर गए और उन यात्राओं पर कितनी धनराशि खर्च हुई;

(ख) उनकी विदेश यात्राओं का क्या प्रयोजन था; और

(ग) बार-बार की इन यात्राओं को रोकने और इन पर होने वाले खर्च को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, इलैक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) और (ख) एक विवरण नीचे रखा है। [ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल· टी. 8252/84]

(ग) ऐसे तकनीकी सम्मेलनों/संगोष्ठियों में भाग लेने के अथवा ऐसी द्विपक्षीय और बहु-पक्षीय बैठकों में सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए, जो कि राष्ट्रीय हित में था, विदेश यात्रा पर मितव्ययता की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, अधिकारियों को विदेश भेजा गया था।

मारुति कारों की काला-बाजारी

8808· **डा. कृपासिंधु भोई** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मारुति कार की काला-बाजार में बेचा जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त काला-बाजारी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि रामा राव) : (क) यद्यपि पुन: बिक्री की सम्भावनाओं से इन्कार नहीं किया जा सकता है लेकिन कोई विशिष्ट मामला सरकार की जानकारी में नहीं आया है।

(ख) मारुति उद्योग लिमिटेड मांग और पूर्ति के बीच अन्तर को पूरा करने हेतु उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयत्न कर रहा है।

'माफिया'-की परिभाषा

8809. **श्री ए के. राय** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) धनबाद में "माफिया" के विवरण और संदर्भ में सहित वास्तविक परिभाषा क्या है; और

(ख) अब तक पता लगाए गए "माफिया" के नाम क्या हैं और उन पर क्या कदम उठाए गये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकटसुब्बय्या) : (क) और (ख) बिहार-बंगाल कोयला क्षेत्रों में अपराधों और असामाजिक गतिविधियों में अन्तर्ग्रस्त गिरोहों को कभी-कभी "माफिया" के रूप में उल्लिखित किया जाता है -

बिहार सरकार ने सूचित किया है कि पुलिस को अधिक गतिशीलता और विकसित संचार का प्रशिक्षण, अवैध शस्त्रों की बरामदगी के लिए अभियान मामलों के शीघ्र निपटान के लिए तीन न्यायालयों को निर्धारित करने जैसे उपायों और महाजनी, जुआ खेलने, रंगधारी चुंगी वसूल करने लूट-खसोंट आदि जैसे असामाजिक गतिविधियों के विरूद्ध छापे मारने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम और बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम के उपबंधों का प्रयोग करके

विधि प्रवर्तन तंत्र को सुदृढ़ और सुचारू बनाया गया है और की गई कार्रवाई के परिणाम स्वरूप क्षेत्र में अपराध और कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार हुआ है।

उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों में उद्योग स्थापित करना

8810. **श्री हरीश रावत** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के पिछड़े पहाड़ी जिलों के औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए की गयी कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन जिलों में पिछले चार वर्षों के दौरान स्थापित किए गए बड़े और माध्यम दर्जे के उद्योगों के अलग-अलग नाम क्या हैं और उन्हें कहां-कहां पर स्थापित किया गया है;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि रामा राव) : (क) पिछड़े क्षेत्रों का पुनः वर्गीकरण किए जाने के पश्चात् उत्तर प्रदेश के सभी आठों पहाड़ी जिलों को विशेष क्षेत्रों के रूप में श्रेणी "क" में शामिल कर लिया गया है और ये जिले भारत सरकार द्वारा दिनांक 27.4.83 के प्रेस टिप्पण (प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं) में घोषित किए गए विभिन्न प्रोत्साहन और रियायतें पाने के पात्र हैं।

सभी आठों जिले कच्चे माल और तैयार माल को एककों के स्थापना स्थल के कुछ स्थानों तक लाने और वहां से ले जाने की परिवहन लागत की 75 प्रतिशत की दर से परिवहन लागत प्राप्त करने के भी पात्र हैं।

(ख) उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों में उद्योगों की स्थापना करने के लिए जारी किए गए आशयपत्रों और औद्योगिक लाइसेंसों का वर्ष-वार ब्यौरा निम्नलिखित है :—

आशय पत्र				औद्योगिक लाइसेंस			
1981	1982	1983 (मार्च तक)	1984	1981	1982	1983 (मार्च तक)	1984
7	15	19	5	—	—	7	1

इन आशयपत्रों और औद्योगिक लाइसेंसों का ब्यौरा अर्थात उपक्रम के नाम, विनिर्माण की वस्तु, क्षमता और स्थापना स्थल आदि भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा उनके मंथली न्यूज लेटर में प्रकाशित किये जाते हैं, जिसकी प्रतियां संसद के पुस्कालय में उपलब्ध हैं।

अनिवासी भारतीयों द्वारा पूंजीनिवेश

8811. **श्री बी. वी. देसाई :**

श्री के. प्रधानी : क्या **उद्योग मंत्री** यह बतने की कृपा करेंगे. . . .

(क) नये औद्योगिक उपक्रमों में पूंजीनिवेश करने के प्रति अनिवासी भारतीयों को आकर्षित करने सम्बन्धी सरकार की नीति के कारण अब तक विदेशी मुद्रा में लगभग 400 करोड़ रुपए के पूंजी —निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रस्तावों पर शीघ्रतापूर्वक कार्यवाही करने के लिए बनाये गए विशेष सेल को 90 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 83 वर्ष 1983 में प्राप्त हुए थे और अब तक 16 अन्य आवेदन प्राप्त हुए;

(ग) क्या ये आवेदन पत्र औद्योगिक लाइसेंस, विदेशी सहयोग और पूंजीगत सामान से सम्बन्धित हैं;

(घ) यदि हां, तो उन अवेदन पत्रों का अन्य ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार कब तक उन्हें स्वीकृत करेगी और उनके पूंजी निवेश की अनुमति देगी;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि रामा राव) : (क) से (ङ) अनिवासी भारतीयों के औद्योगिक निवेश और लाइसेंस सम्बन्धी आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए जनवरी, 1983 में एक विशेष प्रकोष्ठ की स्थापना की गई थी। इस विशेष प्रकोष्ठ में वर्ष 1983 के दौरान औद्योगिक लाइसेंसों/अनुमति/विदेशी सहयोग और पूंजीगत माल के आयात के लिए कुल 83 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे। जनवरी से मार्च, 1984 में इस प्रकार के 32 और आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे।

अनिवासी भारतीयों से प्राप्त आवेदनपत्रों को शीघ्रता से निपटाने के लिए नवम्बर, 1983 में एक विशेष अनुमोदन समिति का गठन किया गया था। यह समिति आशयपत्र/अनुमति पत्र जारी करके अब तक 12 प्रस्तावों को स्वीकृति दे चुकी है। इन प्रस्तावों में लगभग 217 करोड़ रुपये का निवेश निहित है जिसके एक अंश की व्यवस्था अनिवासी भारतीयों द्वारा विदेशी मुद्रा में की गई बचत से की जाएगी।

सरकार का सतत प्रयास इन आवेदन पत्रों को यथाशीघ्र निपटाने का रहता है।

कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन के अन्तर्गत विभिन्न शाखाओं का गठन

8812. **श्री जगन्नाथ पाटिल** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन के आर्थिक अन्वेषकों के लिए विभिन्न शाखाओं (अर्थात् सांख्यकीय अर्थशास्त्रीय और समाजशास्त्रीय) का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन शाखाओं का गठन सभी आर्थिक अन्वेषकों के लिए लाभप्रद होगा चाहे वे किसी भी शाखा से सम्बन्धित हों;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उनके गठन के क्या कारण हैं?

योजना मन्त्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) और (ख) 1964 में भारतीय आर्थिक सेवा और भारतीय सांख्यिकीय सेवा के गठन के फलस्वरूप, पदों को सौंपे गए विशिष्ट कार्यों को ध्यान में रखते हुए, 1966 में कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन में आर्थिक अन्वेषकों (ग्रेड-I) के विद्यमान पदों को 3 विशिष्ट शाखाओं अर्थात् आर्थिक, सांख्यिकी और समाज विज्ञान में बांटा गया क्योंकि आर्थिक अन्वेषक (ग्रेड-I) के इन पदों के पास सांख्यिकीय अथवा आर्थिक कार्यों के होने से इन पदों को सम्बन्धित सेवा के ग्रेड 4 में पदोन्नति के लिए "पोषक पद" (फीडर पोस्ट्स घोषित किया गया था।

(ग) और (घ) अलग शाखाओं को बनाने के पीछे मूल आधार अधिकारियों का उस क्षेत्र का, आवंटन करना है जिसमें वे आवश्यक योग्यताएं, अनुभव, आदि रखते हों तथा उनको उनके सम्बन्धित शाखाओं मे पदोन्नति की संभावनाओं के अवसर देना है।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

इलैक्ट्रोनिक्स उद्योग में श्रमिकों के स्वास्थ्य को खतरा

8813, **श्री मूल चन्द डागा** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि इलैक्ट्रानिक्स उद्योग में श्रमिकों के स्वास्थ्य को खतरा है, यदि हां, तो किस प्रकार का खतरा है और श्रमिकों के जीवन की सुरक्षा के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) कितने मामलों में श्रमिक इससे पीड़ित हुए और श्रमिकों को किस प्रकार का मुआवजा दिया गया और इस प्रकार के मामलों की पुनरावृत्ति न होने देने के लिए नियोजक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

इलैक्ट्रोनिकी विभाग में उप मंत्री (डा एम. एस. संजीवा राव) : (क) लखनऊ से प्रकाशित होने वाले दिनांक 7 नवम्बर, 1983 के स्वतन्त्र भारत नामक दैनिक समाचार-पत्र में छपी प्रेस-रिपोर्ट इन्डस्ट्रियल टोक्सीकोलोजी रिसर्च सेन्टर (आई. टी. आर. सी.), लखनऊ द्वारा प्रकाशित **इंडस्ट्रियल टोक्सीकोलोजी बुलेटिन** के 8 अगस्त, 1983 के अंक में "इलैक्ट्रानिकी उद्योग में स्वास्थ्य के लिए खतरे (हैल्थ हैजार्ड्स इन दी इलैक्ट्रानिक्स इन्डस्ट्री" शीर्षक से प्रकाशित लेख पर आधारित है, जिसके अनुसार इलैक्ट्रानिकी उद्योग में काम करने वाले मजदूरों के स्वास्थ्य पर सीसा, कैडियम, सुरमा तथा जस्ते आदि का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उक्त लेख के अध्ययन से पता चलता है कि मूलत: यह लेख अमरीका तथा कनाडा जैसे औद्योगिक दृष्टि से समुन्नत देशों के इलैक्ट्रानिकी उद्योग में पैदा होने वाले स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यावसायिक किस्म के खतरों पर लिखे गए विदेशी साहित्य की समीक्षा मात्र है। इसलिए यह जरूरी नहीं है कि ये प्रत्यक्ष

रूप से हमारे इलैक्ट्रानिकी उद्योग पर लागू होते हों। तथापि, इस मामले पर विचार किया जाएगा।

(ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

विकास की दर

8814. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी पंचवर्षीय योजना के लिए विकास की दर का लक्ष्य 5 2 प्रतिशत वार्षिक था;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान लक्ष्यों की तुलना में विकास की दर में कितनी वृद्धि हुई है; और

(ग) क्या 5·2 प्रतिशत वार्षिक लक्ष्य को प्राप्त कर लिये जाने की सभावना है ?

योजना मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना के लिए लक्ष्यित वार्षिक औसत संवृद्धि दर 5·2 प्रतिशत है। वर्षवार कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये हैं। केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन के अनुमानों के अनुसार सकल देशीय उत्पादन में कारक लागत पर 1980-81 में 7.9 प्रतिशत और 1981-82 में 5.3 प्रतिशत और 1982-83 में 1.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। इस आधार पर छठी योजना के पहले 3 वर्षों के दौरान संवृद्धि की औसत वार्षिक दर 5 प्रतिशत निकलती है।

(ग) छठी योजना के मध्यावधि मूल्यांकन के निर्धारण के अनुसार संपूर्ण रूप से योजना में समग्र औसत वार्षिक संवृद्धि दर के लक्ष्य के निकट होने की आशा की जाती है।

पर्यावरण प्रदूषण सम्बन्धी सम्मेलन

8815. **श्री मोहन लाल पटेल** :

श्री चिंतामणि जैना : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) नई दिल्ली में हाल ही में भारतीय वार्षिक वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल परिसंघ द्वारा पर्यावरण संरक्षण सम्बन्धी एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो विशेषकर औद्योगिक अवशिष्ट द्वारा पर्यावरण में प्रदूषण को रोकने के लिए दिये गये सुझावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाही की ; और

(घ) सरकार ने देश में पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए क्या नीति बनाई है ?

पर्यावरण विभाग में उपमंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) इस सम्मेलन में किसी औपचारिक संकल्प पर ना तो कोई चर्चा हुई। नाही पास किया गया अथवा अपनाया गया। फिर भी इस बात पर बल दिया गया कि :—

(1) प्रदूषण करने वाले उद्योगों द्वारा प्रदूषण नियंत्रण उपायों का क्रियान्वन प्रारम्भ किया जाना चाहिये तथा उन पर अग्रिम कार्यवाही की जानी चाहिए।

(2) जहां भी उपयोग अधिक हैं वहां उद्योगों के प्रतिनिधियों ने प्रदूषण नियंत्रण हेतु सामूहिक प्रयासों का स्वागत किया।

(3) प्रस्तावित नये उद्योगों द्वारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एक अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रणाली का कठोरता से पालन तथा संबंधित राज्य प्रदूषण नियत्रण बोर्ड को प्रदूषण नियंत्रण पर छमाही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

(4) प्रदूषण नियत्रण प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित तथा वास्तविक रूप में सुनिश्चित किये गए ध्वनि स्तर तथा सहन क्षमता का अपनाया जाना।

(5) उद्योगों द्वारा प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों के लगाये जाने हेतु ऋण देने वाली संस्थाओं द्वारा उदार शर्तों पर धन उपलब्ध कराने के लिए आवेदनों पर विचार करना। केन्द्रीय तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व्यापारिक निस्सारों के प्रवाह से पूर्व उपचार व्यवस्थाओं के प्रावधानों का उत्तरोत्तर क्रियान्वन कर रहे हैं।

(घ) सरकार की नीति का मूल तरीका प्रदूषण करने वाले उद्योगों को स्रोत पर ही प्रदूषण नियंत्रण के लिए समझाना बुझाना है तथा दोषी औद्योगिक इकाइयों पर मुकदमा तभी चलाया जाता है जहां पर समझाने बुझाने का कोई परिणाम नहीं निकलता है।

बड़े उद्योग गृहों द्वारा लघु उद्योगों के लिए आरक्षित वस्तुओं का निर्माण

8816. **श्री मोहन लाल पटेल :**

श्री अमर सिंह राठवा : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ बड़े औद्योगिक गृह ऐसी वस्तुओं का निर्माण कर रहे हैं, जो लघु औद्योगिक एककों के लिए आरक्षित हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी वस्तुओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने उन औद्योगिक एककों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है, जो ऐसी वस्तुओं का निर्माण कर रहे हैं?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (पट्टाभि राम राव) : (क) और (ख) सरकार की लाइसेंस सम्बन्धी नीति के अन्तर्गत लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित वस्तु के निर्माण के लिए कम से कम 75 प्रतिशत उत्पादन के निर्यात के उत्तरदायित्व के आधार को छोड़कर कोई नया औद्योगिक किन्तु कुछ औद्योगिक उपक्रम ऐसे उपक्रम लगाने या विद्यमान औद्योगिक उपक्रम के पर्याप्त विस्तार के लिए औद्योगिक लाइसेंस मजूर नहीं किया जाता है। जो लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित वस्तुओं का, उनके केवल लघु क्षेत्र में उत्पादन के लिए आरक्षण किये जाने की तारीख से पहले से ही निर्माण कर रहे हैं। इसलिए ऐसे उपक्रम की क्षमता, आरक्षण

की तारीख से तत्काल पहले के उत्पादन के आधार पर निश्चित कर दी गई है। बड़े औद्योगिक गृहों द्वारा पहले से बनाई जा रही ऐसी वस्तुओं के बारे में बता सकना संभव नहीं है क्योंकि इस मंत्रालय में केन्द्रीय रूप से इसके आंकड़े नहीं रखे जाते।

(ग) किसी उपक्रम के विरुद्ध कार्रवाई करने का प्रश्न केवल तभी उठेगा जब यह सिद्ध हो जाए कि उपक्रम ने उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951 के लाइसेंस सम्बन्धी उपबन्धों का उल्लंघन किया है।

उड़ीसा में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे लोग

8817. **श्री रासबिहारी बहेरा** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में 1980 से मार्च 1984 तक गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे व्यक्तियों की अनुमानित संख्या कितनी है;

(ख) इनमें से प्रत्येक वर्ष में अनुमानत. कितने व्यक्तियों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया गया और गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई;

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इस बारे में ब्यौरा क्या है ?

योजना मन्त्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) और (ख) गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के अद्यतन उपलब्ध राज्यवार अनुमान वर्ष 1977–78 के लिए हैं जो उस वर्ष के उपभोक्ता व्यय के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के सर्वेक्षण पर आधारित हैं इसके अनुसार वर्ष 1977-78 में उड़ीसा में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या 169. 30 लाख थी। बाद के वर्ष के लिए कोई राज्यवार अनुमान तैयार नहीं किए गए हैं।

(ग) और (घ) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना, जनजातीय उप-योजना, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम. बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास और ग्रामीण गरीबों का आर्थिक पुनर्वास जैसे विशिष्ट कार्यक्रमों और सामान्यत: योजना कार्यक्रमों का उद्देश्य सम्पूर्ण देश में लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना है।

असम में न्यायाधिकरणों के अधिकारियों द्वारा त्याग पत्र दिया जाना

8818 **श्री मनोहर लाल सैनी** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम में विदेशियों का पता लगाने के लिए स्थापित न्यायाधिकरणों के कई अधिकारियों ने अपने त्यागपत्र दे दिए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) असम सरकार द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार न्यायाधिकरणों के केवल दो सदस्यों ने त्यागपत्र दिया है।

स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन

8819 **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1984 तक राज्वार कुल कितने स्वतंत्रता सेनानी पेंशन प्राप्त कर रहे थे;

(ख) राज्य-वार कितने स्वतन्त्रता सेनानियों के आवेदन अस्वीकार कर दिये गए हैं;

(ग) राज्य-वार कितने स्वतंत्रता सेनानियों के आवेदन लंबित पड़े हैं;

(घ) लबित पड़े आवेदनों के शीघ्र निपटान हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ङ) आवेदकों में जाली व्यक्तियों का पता लगाने के लिए सरकार ने क्या प्रक्रिया निर्धारित की है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी. वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) सम्मान पेंशन मंजूर करने के लिए स्वतंत्रता/सेनानियों के मामलों को शीघ्रता से निपटाने सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(I) गृह मन्त्रालय की सलाह पर अधिकांश राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों ने वरिष्ठ अधिकारियों के पर्यवेक्षण में केवल सम्मान पेंशन आवेदन पत्रों को निपटाने के लिए विशेष कक्ष स्थापित किए हैं और इन दावों की जांच में सहायता करने के लिए राज्य/जिला स्तरों पर सलाहकार समितियां स्थापित की हैं।

(II) विख्यात स्वतंत्रता सेनानियों को शामिल करके, केन्द्रीय स्तर पर एक गैर-सरकारी सलाहकार समिति बनाई गइ है।

(III) अब स्वीकृत की जा रही पेंशनों के मामलों में पेंशन प्राप्त करने वाले भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानियों की विधवाओं को पेंशन का अंतरण सिविल पेंशन प्राप्त करने वालों के अनुसार स्वत: ही हो जाता है।

(IV) गैर-सरकारी सलाहकार समिति के अतिरिक्त भारत सरकार ने (1) न्यू गुयाना और पड़ोसी द्वीपसमूहों को निर्वासित आजाद हिन्द फौज के कार्मिकों (2) जम्मू व कश्मीर के स्वतंत्रता सेनानियों और (3) उन स्वतन्त्रता सेनानियों, जिन्हने भूतपूर्व निजाम हैदराबाद राज्य के भारतीय संघ में विलय के सम्बन्ध में यातना का दावा किया है, के दावों की जांच में सहायता करने के लिए केन्द्रीत स्तार पर तीन अन्य जांच समितियां बनाई है।

(V) स्वतंत्रता सेनानी प्रभाग में भी कार्य को सरल बना दिया गया है, जिसके परिणामस्वरुप प्रतिमाह 3 से 4 हजार आवेदन पत्र निपटाए जा रहे हैं।

(ङ) सामान्यत: पेंशन संबंधित राज्य सरकार की जांच-रिपोर्ट और सिफारिश के आधार पर स्वीकृत की जाती है। केन्द्रीय स्तर पर प्रत्येक मामले की बारीक से जांच करने के सभी प्रयास किए जाते हैं। ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पेंशन केवल वास्तविक स्वतंत्रता सेनानियों को ही स्वीकृत की जाती है। स्वतन्त्रता सेनानियों की यातनाओं के संबंध में जांच करते समय जाली दावेदारों के विरुद्ध सर्तक रहने के लिए राज्य सरकारों को अनुदेश दिए गए हैं। जैसे ही किसी मामले में कोई शिकायत प्राप्त होती है तो इसकी राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय एजेंसियों के माध्यम से तुरन्त जांच कराई जाती है। वास्तविक शिकायतों के सभी मामलों में पेंशन आदि के निलम्बित/रद्द करने समेत उपयुक्त कार्यवाई की जाती है।

विवरण

31.3. 984 को प्राप्त हुए, स्वीकृत किए गए, अस्वीकृत किए गए और लम्बित आवेदन पत्रों के राज्यवार ब्यौरों का विवरण।

क्रम सं	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	31-.-82 तक प्राप्त हुए कुल आवेदन-पत्र	पेंशन स्वीकृत की गई	अस्वीकृत की गई	लम्बित
1	2	3	4	5	6
1.	अण्डमान व निकोबार	72	38	34	—
2.	आन्ध्र प्रदेश	21.01	5998	11344	3959
3.	अरुणाचल प्रदेश	41	2	35	4
4.	असम	24898	4027	11798	4073
5.	बिहार	92298	20447	39323	32529
6.	चण्डीगढ़	140	81	40	19
7.	दिल्ली	2769	1798	956	15
8.	गोवा	2910	643	1519	748
9.	गुजरात	6329	3273	2808	248
10.	हरियाणा	2533	1387	751	395
11.	हिमाचल प्रदेश	1120	426	626	68

1 2	3	4	5	6
12. जम्मू व कश्मीर	3065	983	957	1125
13. केरल	29999	2125	14861	13013
14. कर्नाटक	18230	8538	4483	5209
15. मध्य प्रदेश	7639	2987	4569	83
16. महाराष्ट्र	32417	11837	9472	11108
17. मणिपुर	150	59	56	35
18. मेघालय	151	69	78	4
19. मिजोरम	4	3	1	—
20. नागालैंड	19	3	6	10
21. उड़ीसा	14308	3674	5221	5413
22. पांडिचेरी	1733	272	1028	433
23. पंजाब	12408	5557	5154	1697
24. राजस्थान	1545	669	782	94
24. तमिलनाडु	9366	3797	5291	278
25. त्रिपुरा	2351	676	1242	433
26. उत्तर प्रदेश	26969	16649	7548	2772
27. पश्चिम बंगाल	75564	15323	17175	43066
28. आ.हि.फौज के कार्मिक	34489	18057	12331	4101
जोड़	424819	129398	*159489	135932

*इन मामलों को पुनः चालू किया जाता है जब कभी नये/अतिरिक्त साक्ष्य उपलब्ध होते हैं।

देश में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए धनराशि

8820. **प्रो. अजित कुमार मेहता** : क्या **योजना मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यदि सरकार ने देश में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया है तो वह क्या है और इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ख) इसके परिणाम स्वरुप रोजगार के कितने अवसर प्रदान किए जाने की आशा है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (रा.ग.रो.का.) ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम (ग्रा.भू.रो.गा. का.) और शिक्षित बेरोजगारों को स्वरोजगार प्रदान करने सबधी स्कीम जैसे रोजगार कार्यक्रम तैयार किए हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को धनराशियों के आवंटन संलग्न विवरण में दिए गए हैं। शिक्षित बेरोजगारों को स्वरोजगार प्रदान करने संबंधी स्कीम के अंतर्गत राज्यों को धनराशियां आवंटित करने का प्रश्न ही नहीं उठता। इस स्कीम के अंतर्गत जिला उद्योग केन्द्रों के कृतक बलों की सिफारिश पर बैंकों द्वारा 25000/-रु. तक के समन्वित ऋण दिये जाते हैं और भारत सरकार प्रत्येक ऋण के लिये ऋण देने वाली संस्थाओं को 25 प्रतिशत की पूर्ण राज सहायता देती है।

(ख) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अंतर्गत रोजगार सृजन की स्थिति निम्न प्रकार से है :—

वर्ष	सभी राज्यों में सृजित रोजगार (मिलियन श्रम दिवसों में)
1	2
(क) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम	
1980-81	413.58
1981-82	354. 2
1982-83	350.10
(ख) ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम	
1983-84	60.00
1984-85	250.00 (अनंतिम)

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत रोजगार के मिलियन श्रम दिवसों का लक्ष्य 1983-84 में 322.23 है। वर्ष 1984-85 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 300 मिलियन श्रम दिवसों से अधिक रोजगार सृजन की आशा है।

विवरण

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के लिए धनराशियों का राज्यवार आवंटन

(करोड़ रु०)

राज्य	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम		ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम	
	1980-84*	1984-85*	1983-84	1984-85 (अनन्तिम)
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	148.71	22.70	9.90	39.60
असम	30.43	4.98	2.16	8 64
बिहार	175.00	32.74	14.25	57.00
गुजरात	43.15	7.40	3.20	12.80
हरियाणा	14.05	1.96	0.34	2.56
हिमाचल प्रदेश	10.90	1.38	0.60	2.40
जम्मू और कश्मीर	10.86	1.70	0.75	3.00
कर्नाटक	64.01	10.80	4.70	18.80
केरल	42.10	10.60	4.70	18.80
मध्य प्रदेश	126.58	16.76	7.80	31.20
महाराष्ट्र	106.62	18.26	7.90	31.60
मणिपुर	1.47	0.25	0.11	0.44
मेघालय	1.63	0.34	0.15	0.60
नागालैंड	1.69	0.24	0.10	0.40
उड़ीसा	73.07	10.36	4.50	18.00
पंजाब	19.37	3.16	1.35	5.40
राजस्थान	50.24	5.50	2.40	9.60

1	2	3	4	5
सिक्किम	0.96	0.18	0.08	0.32
तमिलनाडु	116.39	20.50	8.90	35.60
त्रिपुरा	4 82	0.76	0.33	1.32
उत्तर प्रदेश	272.85	39.22	17.05	68.20
पश्चिम बंगाल	111.64	17.74	7.70	30.80
जोड़—राज्य	1446.58	227.53	99.47	397.88
संघ शासित क्षेत्र				
अंडमान और निकोबार द्वीप	1.21	0.36	0.08	0.32
अरुणाचल प्रदेश	1.12	0.36	0.08	0.32
चंडीगढ़	0.16	0.10	0.02	0.08
दादर और नगर हवेली	0.32	0.18	0.04	0.16
दिल्ली	0.22	0.16	0.04	0.16
गोआ, दमन और द्वीप	0.69	0.42	0.09	0.36
लक्षद्वीप	0.16	0.10	0.02	0.08
मिजोरम	1.61	0.36	0.08	0.32
पांडिचेरी	1.15	0.36	0.08	0.32
जोड़-संघ शासित क्षेत्र	6.64	2.40	0.53	2.12
कुल जोड़ :	1453.22	229 93★	100.00	400 00

* स्थापना आदि पर 7 लाख रु० का व्यय शामिल नहीं है।

* केन्द्र और राज्य दोनों के भाग का जोड़।

★केन्द्र का भाग जो राज्यों द्वारा बराबर जुटाया जाना है।

आंध्र प्रदेश में मैसर्स फेरों अलॉय कारपोरेशन लिमिटेड से वायु प्रदूषण

8821. **श्री के. ए. स्वामी** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आंध्र प्रदेश के विजयग्राम जिले के श्रीरामनगर में

मैसर्स फेरो अलॉय कारपोरेशन लिमिटेड से निकटवर्ती गांवों में अत्यधिक वायु प्रदूषण हो रहा है, जिसके कारण फेफड़ों का रोग फैल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वायु प्रदूषण को रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यावरण विभाग उप-मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) (क) आंध्रप्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को फैरो अलॉय कारपोरेशन लिमिटेड के कारण वायु प्रदूषण समस्या उत्पन्न होने के परिणामस्वरूप आस-पास के गांवों में फेफड़े की बीमारियां होने की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) प्रश्न हीं नहीं उठता ।

(ग) (प्रदूषण निवारण ता नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अधिनियम को ध्यान में रखते हुए उद्योग को राज्य बोर्ड की सहमति प्राप्त करने के लिए आवेदन करने हेतु निर्देश दिया गया है जोकि वायु अधिनियम, 1981 की धारा 21/22 के अधीन आवश्यक है। तदानुसार उद्योग ने सहमति आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिया है, जिस पर बोर्ड कार्यवाही कर रहा है ।

खनिज संसाधनों के स्थल

8822. **श्री के. एस. स्वामी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे उपमहाद्वीप में और खनिज संसाधनों के स्थानों का पता लगाने और मानचित्र बनाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु उर्जा अंतरिक्ष, इलैक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान, मसाद्वीपीय शेल्प की खनिज सम्पदा के सर्वेक्षण के लिए काफी प्रयास किये गये हैं। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान द्वारा खनिजों के लिए काफी प्रयास किये गए हैं । राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान द्वारा खनिजों के लिए शेल्फ क्षेत्र में नियमित सर्वेक्षण किये जा रहे हैं। सर्वेक्षण-कार्य के परिणाम बहुत ही आशाप्रद हैं । भारत के सम्पूर्ण पश्चिमी महाद्वीपीय शेल्फ और पूर्वी महाद्वीपीय शेल्फ के लगभग एक-तिहाई भाग में सर्वेक्षण-कार्य पूरा हो चुका है जिससे क्षेत्र के भू-विज्ञान और भू-भौतिकी के संबध में पता चला है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान द्वारा कोंकण तट से दूर इल्मेनाइट भण्डारों (प्लेसर्स) का विस्तृत सर्वेक्षण किया गया है। रत्नागिरी की तट से दूर स्थिति तलछटियों में इल्मेनाइट के प्लेसर भण्डारों, जिनमें टिटेनियम

(टिटेनियम डॉय-ऑक्साइड के रूप में) की पर्याप्त मात्रा अर्थात 57% तक और बनाडियम की थोड़ी सी मात्रा अर्थात 0.5 प्रतिशत तक का पता चला है। समुद्र-तल में रुटाइल, जिरकॉन, फोस्फोराइट और मोनाजाइट के अनेक भण्डारों और मेग्नेटाइट तथा गारनेट के भिन्न-भिन्न अनुपातों में मौजूद होने का भी पता लगा गया है। समुद्री सम्पदा की गवेषणा के लिए एक व्यापक कार्यक्रम तैयार किया गया है और आशा है कि अगले कुछ वर्षों में सम्पूर्ण महाद्वीपीय शेल्फ का सर्वेक्षण-कार्य पूरा हो जाएगा।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

निरंकारी भवन, अमृतसर में बम विस्फोट

8823. **श्री राम विलास पासवान** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 अप्रैल, 1984 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिस में यह कहा गया है कि 1 अप्रैल, 1984 को अमृतशहर में निरंकारी भवन में बम फैके जाने से तीन महिलाएं तथा एक बच्चा मारा गया और 31 निरंकारी गंभीर रूप से घायल हो गये;

(ख) यदि हां, तो क्या इसकी कोई जांच कराई गयी है; और

(ग) यदि हां, तो उनके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकटसुब्बय्या) : (क) सरकार ने समाचार देखा है।

(ख) और (ग) जांच पड़ताल से पता चला है कि । अप्रैल, 1984 को लगभग 4-30 बजे अपराह्न को अमृतशहर जिले में रेय्या लिकं रोड़, चीम्बा गांव में निरंकारियों के एक धर्म-सम्मेलन पर कुछ अज्ञात सिख युवकों ने दो हथगोले फैंके परिणामस्रूप 3 महिलाओं की मृत्यु हो गई, जिसमें एक लड़की थी, और अनेक व्यक्ति जख्मी हुए। भा० दं० स० की धारा 302/307/34 और विस्फोटक अधिनियम की धारा 4/5 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 87 के तहत थाना ब्यास में एक मामला नर्ज किया गया।

लौह अयस्क के उत्पादन में गिरावट

8824. **श्री राम विलास पासवान :**

श्री सतीश अग्रवाल : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 29 मार्च, 1984 के "टेलीग्राफ" में प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है जिस में बताया गया है कि मार्च, 1984 के अन्त तक लौह अयस्क के उत्पानन में भारी गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) लोह अयस्क के उत्पादन में आई कमी गत तीन वर्षों की तुलना में कितनी न्यूनाधिक है; और

(घ) सरकार तत्संबंधी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मुहम्मद खां) : जी, हाँ ।

(ख) लौह अयस्क के उत्पादन में कमी मुख्यत: विश्व के इस्पात उद्योग में मन्दी के कारण हुई है जिसके कारणम स्रूप विदेशी खरीददारों की लौह-अयस्क की माँग घट गई है ।

(ग) वर्ष 1983 के दौरान लौह-अयस्क का उत्पादन 375.8 लाख टन हुआ जब कि वर्ष 1982 में 419.0 लाख टन, वर्ष 1981 में 409.5 लाख टन तथा 1980 में 409.2 लाख टन हुआ था ।

(घ) निर्यात के लिए लौह-अयस्क के उपक्रम में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा जो कदम उठाए गए हैं उनमें मद्रास की बाह्य बन्दरगाह को गहरा करना, पारादीप की बन्दरगाह से अधिक से अधिक माल निर्यात करना, नए बाजारों की खोज (जैसे पश्चिम एशिया तथा तुर्की में) पारम्परिक बाजारों को संविदागत निर्यात में वृद्धि करने के लिए बातचीत करना जैसी अवस्थापना विकास सम्बन्धी योजनाएं भी शामिल हैं। खनिज तथा धातु व्यापार निगम आप को वर्ष 1983-84 में किए गए निर्यात के मुकाबले में वर्ष 1984-85 में 33 प्रतिशत की वृद्धि करने में सफल हा गया है ।

द्विभाषी कम्प्यूटरों का आयात

8.25 **श्री राम विलास पासवान**: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्प्यूटर आयात करने की स्वीकृति इस शर्त पर दी जाती है कि यह द्विभाषी अर्थात् अंग्रेजी और हिन्दी दोनों भाषाओं वाला हो और यदि हां, तो क्या सरकार इस शर्त का पालन कर रही है;

(ख) यदि हां तो इस शर्त के अंतर्गत आयातित कम्प्यूटरों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो इस शर्त को कब लागू किया जायेगा ?

इलेक्ट्रौनिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (डा. एम. एस. संजीवी राव) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) इस समय इलेक्ट्रानिकी विभाग का ऐसी शर्त लागू करने का कोई विचार नहीं है।

देवनागिरी लिपि में कम्प्यूटर का विकास

8826. **श्री राम विलास पासवान :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देवनागिरी लिपि में कम्प्यूटर के विकास के और इसके उपयोग को लोकप्रिय बनाने के लिए एक विशेष कक्ष स्थापित किया गया है;

(ख) यदि हां तो उक्त कक्ष की स्थापना कब की गई थी और उसके क्या उदेश्य हैं;

(ग) उक्त कक्ष में कितने पूर्ण किलिक वैज्ञानिक नियुक्त किये गये हैं और क्या उदेश्यों की प्राप्ति के लिये उनकी संख्या पर्याप्त है; और

(घ) कक्ष को अधिक प्रभावी बनाने के लिये क्या प्रयासा किये जा रहे हैं।

इलेक्ट्रौनिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्राय में उपमंत्री (डा. एम. एस. संजीवी राव) : (क) जी, हां।

(ख) देवनागरी कम्प्यूटर के विकास के लिए इलेक्ट्रानिकी विभाग में दिनांक 7 जुलाई, 1982 को एक विशेष कक्ष बनाया गया था। इस कक्ष के उद्देश्य नीचे दिए अनुसार है :—

(1) संकेत-चिन्हों (कोडों), कुंजीपटल की रूपरेखा तथा अनुप्रयोग विषयक यन्त्रेतर. सामग्री (सॉफ्टवेयर) पैकेजों का मानकीकरण;

(2) समुचित सूचना प्रौद्योगिकी का चयन;

(3) कम्प्यूटर की सहायता से अनुवाद के लिए व्यवहर्य-पद्धति

(4) देवनागरी में आंकड़ा बैंक के विकास तथा अनुप्रयोग को बढ़ावा देना;

(5) कम्प्यूटर की सहायता से टाइपसेटिंग तथा मुद्रण के सहायक उपकरणों के विकास कार्य को बढ़ावा देना।

(6) प्रौद्योगिक विकास परियोजनाओं का प्रभावी समन्वय;

(7) देवनागरी-कम्प्यूटरों के क्षेत्र में जनशक्ति विकास कार्यक्रम आयोजित करना।

(ग) तथा (घ) इस कक्ष में नियुक्त पूर्णकालिक वैज्ञानिक अधिकारी नीचे दिए अनुसार हैं :—

पदनाम	सं	अर्हताएं
1. वैज्ञानिक/इन्जीनियर ग्रेड "ई"	1	पी. एच. डी. (कम्प्यूटर विज्ञान)
2. वैज्ञानिक अधिकारी/ इंजीनियर ग्रेड "एस. बी.	1	विज्ञान निष्णात् (भौतिकी) स्नातकोत्तर डिप्लोमा (कम्प्यूटर विज्ञान)
3. वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक	1	पी.एच.डी. (हिन्दी साहित्य)

यह कक्ष केवल देवनागरी कम्प्यूटर के विकास विषयक गतिविधियों को बढ़ावा देने तथा उनमें समवन्य स्थापित करने के लिए तकनीकी सचिवालय के रूप में सहयोग देने के लिए स्थापित किया गया है। वास्तविक कार्य अन्य विशेषज्ञता प्राप्त संगठनों (जैसे विड़ला प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान संस्थान, पिलानी; भारतीय इलेक्ट्रानिकी निगम लिमिटेड, हैदराबाद; भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर आदि) जहां कार्य करने के लिए पहले से ही आवश्यक मूल-संरचनात्मक सुविधाएं मौजूद हैं, के माध्यम से किया जा रहा है। इलेक्ट्रानिकी विभाग ने देवनागिरी कम्प्यूटरों के क्षेत्र में मार्च, 1984 तक 13 अनुसंधान तथा विकास परियोजनाओं को धनराशि प्रदान की है।

छठी योजना के दौरान विकास-दर

8827. **श्री सतीश अग्रवाल** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 2 अप्रैल, 1984 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित उस समाचार को देखा है जिसमें आर्थिक योजनाओं में यह चिन्ता व्यक्त की गई है कि भले ही 1984-85 के लिये अनुमानित विकास दर प्राप्त हो जाऐ और कृषि क्षेत्र में निरन्तरता बनी रहे तो भी छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में अतिरिक्त रोजगार उत्पन्न करने के पहले ही कम कर लिये गये लक्ष्यों को पूरा करना कठिन होगा ?

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार रोजगार के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये कोई कदम उठा रही हैं ?

योजना मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मध्यवधि मूल्यांकन में छठी योजना अवधि में अर्थव्यवस्था की क्षेत्रकीय संवृद्धि दरों के लिए परिशोधित अनुमान तैयार किए गए हैं। अनुमान के अनुरूप छठी योजना अवधि में मानक व्यक्ति वर्षों के संदर्भ में कुल उत्पन्न अतिरिक्त रोजगार 34.3 मिलियन से घटा कर 32.4 मिलियन कर दिया गया है। छठी योजना के मध्यावधि मूल्यांकन में दिए गए उत्पादन और रोजगार अनुमानों को इस समय परिशोधित करने का कोई कारण दिखाई नहीं देता।

20 सूत्री कार्यक्रम का एक सूत्र राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को सुदृढ बनाने और उनका विस्तार करने से सम्बन्धित है। हाल ही में, सरकार ने ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गोरटी क कार्यक्रम और शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्व-रोजगार देने के लिए एक स्कीम आरम्भा की है। ये प्रयत्न और समी योजना कार्यक्रमों का उचित और प्रभावी कार्यान्वयन आने वाले वर्षों में रोजगार सृजन करने में सहायता करेगा।

सरकारी कमंचारियों को समयोपरि भत्ता

8828. **श्री एन. ई. होरो** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समयोपरि भत्ते के बारे में आर्बिट्रेशन बोर्ड द्वारा कुछ सिफारिशें की गई थी तथा सरकारी कर्मचारियों की जिन श्रेणियों पर यह लागू होगा, उसके बारे में भी विवरण सरकार को प्रस्तुत किया गया था;

(ख) उन सिफारिशों का ब्यौरा क्या है जिन्हें लागू किया गया है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस संबंध में संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र की अनेक बैठकें हुई हैं;

(घ) तदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या उच्च न्यायलय द्वारा भी इस संबंध में कोई निर्णय दिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (घ) संयुक्त परामर्श तंत्र के कर्मचारी पक्ष ने कार्यालय कर्मचारियों और उनके समतुल्य कर्मचारियों को देय समयोपरि भत्ते की दरों में सशोधन करने की मांग की थी। चूंकि उन मांगों पर सहनति नहीं हो सकी थी इसलिए संयुक्त परामर्श तंत्र की योजना के अधीन उक्त मांगें विवाचन बोर्ड को भेज दी गई थीं।

विवाचन वोर्ड ने कार्यालय कर्मचारियों और उनके समतुल्य कर्मचारियों को देय समयोपरि भत्ते के निम्नलिखित दो अधिनिर्णय दिए थे :—

(1) सन् 1980 के अनिवार्य विवाचन संदर्भ सं. 3 में—

"केन्द्रीय सचिवालय और सहबद्ध कार्यालयों के कर्मचारियों को संसद सत्रों के दौरान समयोपरि भत्ते को मासिक परिलब्धियों के एक तिहाई तक सीमित रखने की विद्यमान अधिकतम सीमा हटा ली जाएगी। इसके बदले में, इस तरह के कर्मचारियों के मामले में समयोपरि कार्य के लिए भुगतान की अधिकतम सीमा किसी महीने के कार्य घंटों की कुल संख्या के 1/3 तक सीमित रहेगी।

समयोपरि भत्ते के भुगतान को परिकलित करने की रीति और उसकी दरें विद्यमान प्रथा के अनुसार जारी रहेंगी। समयोपरि भत्ते का प्रथम घंटा समयोपरि भत्ते और 1/3 घंटों की अधिकतम सीमा, दोनों ही में शामिल किया जाएगा।"

(2) सन् 1981 के अनिवार्य विवाचन संदर्भ सं. 6 में।

(I) उन कर्मचारियों के सिवाय, जोमुख्यत पर्यवेक्षी स्वरूप के कर्तव्य निभा रहे हैं, और उसके लिए विशेष प्रभार भत्ता ले रहे हैं, इस मामले में शामिल अराजपत्रित पदों पर कार्य कर रहे सरकारी कर्मचारियों की समयोपरि भत्ते संबधी अनुज्ञेयता की अधिकतम वेतन-सीमा 750/- रुपया प्रति मास से बढ़ाकर 1000/- रुपए प्रति मास कर दी जाएगी।

(II) इस मामले में शामिल कर्मचारियों के लिए समयोपरि भत्ते की दर परिलब्धियों की दर के 1-1/4 (सवाया) गुणा होगी।

(III) समयोपरि कार्य का प्रथम घंटा समयोपरि भत्ते में शामिल नहीं होगा और इस संबंध में विद्यमान प्रथा जारी रहेगी।"

सरकार द्वारा विवाचन बोर्ड के इन अधिनिर्णयों पर विचार किया गया था और इस बात को ध्यान में रखकर कि इन अधिनिर्णयों से अप्रत्यक्ष प्रभाव उत्पान्द होने की संभावना है तथा सरकार ने जिन अधिनिर्णयों पर विचार किया है उनको स्वीकार करने से आर्थिक खर्चे में भारी वृद्धि हो जाएगी, जिससे राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, सरकार ने यह निश्चय किया कि यह मामला चतुर्थ वेतन आयोग को भेजा जाए जो कि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन भत्तों और अन्य सेवा-शर्तों की जांच करने के लिए पहले ही गठित किया जा चुका है। इस आपय का कथन लोक सभा के पटल पर 16.12.83 को रखा गया था।

(ङ) सरकार का ध्यान उच्च न्यायालय के इस विषय से सम्बन्धित किसी निर्णय की ओर नहीं दिलाया गया है। उच्च न्यायालय के निर्णय के ब्यौरों के अभाव में तत्सबंधी ब्यौरे देना संभव नहीं है।

कुद्रेमुख लौह अयस्क परियोजना का कार्यकरण

8829. **श्री के० मालन्ना :** क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुद्रेमुख लौह अयस्क परियोजना सही ढंग से कार्य कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसकी क्षमता और उत्पादन के सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मुहम्मद खां) : (क) से (ग) कुद्रेमुख लौह अयस्क परियोजना, ईरान को दीर्घावधि आधार पर लौह अयस्क सांद्रण की सप्लाई करने के लिए देश के साथ उस वर्ष 1975 में किए गए करार को पूरा करने के लिए शुरू की गई थी। इस परियोजना का काम पूर्व-निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अगस्त 1980 में पूरा हो गया था। यह परियोजना 75 लाख टन सांद्रण की वार्षिक रूपांकित क्षमता के अनुसार

उत्पादन करने में सक्षम है लेकिन ईरान द्वारा सांद्रण की संविदागत मात्रा उठाने में असमर्थता प्रकट करने के कारण कम्पनी को अन्य खरीददार ढूढ़ने के लिए प्रयास करने पड़े और अपना उत्पादन इन अन्य खरीददारों की आवश्यकताओं तक ही सीमित रखना पड़ा। वर्ष 1983-84 में कंपनी द्वारा 13 5 लाख टन संद्रण का उत्पादन करने की योजना बनाई गई थी लेकिन वास्तविक उत्पादन 12 लाख टन ही रहा। कर्नाटक विद्युत बोर्ड द्वारा इस परियोजना को बिजली की सप्लाई में 65 प्रतिशत की कटौती करने के कारण इसके उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

उड़ीसा में खनिज

8830. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा में खनिजों की खोज करने के लिये प्रयास किये हैं;

(ख) यदि हां, तो उस राज्य में पता लगाये गये बाक्साइट, ग्रेफायट्स तथा अन्य खनिजों की कुल मात्रा के बारे में ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन खनिजों को निकालने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क), (ख) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, खनिज गवेष्ण निगम लि. तथा उड़ीसा राज्य खनन निदेशालय द्वारा किए गए सर्वेक्षणों के फलस्वरूप उड़ीसा में अब तक आकलित बाक्साइट, ग्रेफाइट और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों की मात्रा निम्नलिखित हैं :—

खनिज	भंडार मि० टनों में
बाक्साइट	1576
ग्रेफाइट	0.407
कोयला	7008
चाइना क्ले	93
क्रोमाइट	131
तांबा अयस्क	1.66
डोलोमाइट	695
फायरक्ले	136
लौहा अयस्क (हेमाटिटिक)	3123
कायनाइट	0.07

1	2
सीसा अयस्क	6.01
चूनापत्थर	856.52
मैगनीज अयस्क	32.81
निकिल अयस्क	181.61
बैनाडिफैरस मेगनेटाइट	6.59

इसके अलावा, उड़ीसा राज्य में टिन खनिजीकरण के छुट-पुट भंडारों का भी पता चला है ।

(ग) सरकार द्वारा उठाये गये कदमों के फलस्वरूप उड़ीसा में स्थापित या निर्माणाधीन अथवा प्रस्तावित खनिज आधारित उद्योग निम्नलिखित है :—

1. एल्यूमिनियम कम्पलैक्स
2. धेनकनाल में रिफ्रेटरी प्रोजेक्ट
3. क्योंझर में स्पोंज आयरन प्रोजेक्ट
4. रायरंगपुर में केलशियम कार्बाइड प्रोजेक्ट
5. क्योंझर जिले के मनानीपाल के निकट चार्ज क्रोम संयंत्र
6. सुन्दरगढ़ जिले में सरगीपल्ली सीसा परियोजना
7. जोडा और रायगढ़ा में फैरो-मैगनीज संयंत्र
8. क्योंझर में इलेक्ट्रोलाइटिक मैगनीज डायआक्साइड सयंत्र
9. राऊरकेला इस्पात संयंत्र
10. पिग आयरन संयत्र
11. हीरापुर सीमेंट संयंत्र
12. थेसवैली में फैरो-सिलिकान संयंत्र
13. तालघर कोल आधारित उर्वरक संयंत्र
14. ग्रेफाइट शोधन संयंत्र
15. कुछ लघु सीमेंट संयंत्रों की स्थापना ।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उत्थान के लिए कार्यदल

8831. **श्री छोटूभाई गामित** : : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उत्थान के लिये 1980 में एक कार्यदल की नियुक्ति की थी और क्या सिफारिशों का सारांश सभापटल पर रखा जायेगा; और

(ख) क्या सरकार ने इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये कोई तंत्र स्थापित किया है और यदि हां, तो इनमें से कौन-सी सिफारिशें कार्यान्वित की जा रही है।

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी हां, श्रीमान। छठी योजना 1980-85 के दौरान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए नीति तैयार करने के लिये योजना आयोग द्वारा 8 जुलाई 1980 को भारत सरकार और राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों का एक कार्यकारी दल गठित किया गया था। मुख्य कार्यकारी दल में दो अलग दल थे, एक अनुसूचित जाति के लिए और दूसरा अनुसूचित जनजाति के लिए। कार्यकारी दल की रिपोर्ट सितम्बर और अक्तूबर, 1980 में सरकार को प्रस्तुत की गई थी। सिफारिशों का सारांश अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित कार्यकारी दल की रिपोर्ट के पृष्ठ सं० 94-121 में और अनुसूचित जनजातियों के लिए कार्यकारी दल की रिपोर्ट के पृष्ठ सं० 118-147 में दी गई है।

(ख) जी हां, श्रीमान। रिपोर्ट की प्रतियां राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को भेजी गई हैं। कार्यकारी दल की सिफारिशें, विशेष संघटक योजना और जनजाति-उपयोजना के कार्यान्वयन के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के रूप में हैं। इन सिफारिशों को कार्यान्वित किया जा रहा है।

माइक्रो इलैक्ट्रोनिक्स प्रणाली लागू करना

8832. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार माइक्रो-इलैक्ट्रोनिक्स लागू करने के लिये प्रयास कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसका आयात कहां तक कम हो गया है ?

इलैक्ट्रोनिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (डा० एम०एस० संजीवी राव): (क)तथा (ख)सूक्ष्म-इलेक्ट्रानिकी के महत्व को सरकार द्वारा कई वर्षों से महसूस किया जा रहा है और इस विभाग ने जिन प्रमुख परियोजनाओं को बढ़ावा दिया है, उनमें 50 करोड़ रुपये के पूंजीनिवेश से स्थापित चण्डीगढ़ स्थित सेमीकण्डक्टर काम्प्लेक्स लि. शामिल है। इस इकाई की 5 तथा 3 माइक्रान सी-एम. ओ. एस. तथा एन-एम. ओ. एस. पर आधारित 45 लाख बड़े पैमाने के एकीकृत परिपथों के विनिर्माण की क्षमता है। विभाग ने पहले भी अपने राष्ट्रीय रेडार परिषद तथा प्रौद्योगिकी विकास परिषद कार्यक्रमों के माध्यम से सूक्ष्म-इलेक्ट्रॉनिकी

को उल्लेखनीय सहायता प्रदान की है। जिन मुख्य परियोजनाओं को धनराशि प्रदान की गई है, उनमें केन्द्रीय इलेक्ट्रानिकी इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान, पिलानी के साथ-साथ भारतीय टेलीफोन उद्योग तथा भारत इलेक्ट्रानिकी लिमिटेड, बंगलौर में संकर सूक्ष्म-परिपथ (हाइब्रिड-माइक्रो-सर्किट) सुविधाएं तथा भारत इलेक्ट्रानिकी लि., बंगलौर में उपलब्ध राष्ट्रीय आवरण (मास्क) संरचना सुविधा शामिल हैं। विभाग के समुचित स्वचालन सवर्धन कार्यक्रम (ए. ए. पी. पी.) तथा औद्योगिक इलेक्ट्रानिकी संवर्धन कार्यक्रम (आई. ई. पी. पी) के माध्यम से सूक्ष्मससाधित्र (माइक्रोप्रोसेसर) अनुप्रयोग विकास को सहायता प्रदान की गई है। शिक्षा के क्षेत्र में "स्कूलों में कम्प्यूटर-साक्षरता तथा अध्ययन ("क्लास") नामक परियोजना एक ऐसी नवीन एवं महत्वपूर्ण प्रक्रिया की परिचायक है, जिसके माध्यम से स्कूलों में कम्प्यूटर विषयक साक्षरता स्थापित करने में सहायता मिलेगी। अन्ततः बड़े/बहुत बड़े पैमाने के एकीकृत परिपथ एल. एस. आई /वी. एल. एस. आई.) पर गठित कार्यदल द्वारा देश में 1982–1982 के दशक के दौरान सूक्ष्म इलेक्ट्रानिकी के विकास के लिए काफी अधिक पूंजीनिवेश सहित बहुत व्यापक कार्यक्रम की सिफारिश की गई है। यह आशा की जाती है कि जब सेमीकण्डक्टर काम्प्लेक्स लिमिटेड वर्ष 1984-85 के दौरान उत्पादन शुरू कर देगा, तब इस समय किए जा रहे सूक्ष्म-इलेक्ट्रानिकी परिपथों के आयात में कमी आ जाएगी।

राजस्थान में वन विभाग के अन्तर्गत खनिज युक्त भूमि

8833. **श्री विरदाराम फुलवारिया** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात का पता लगाया है कि राजस्थान में कितना खनिज युक्त क्षेत्र वन विभाग के अन्तर्गत आ गया है;

(ख) भूमि के उस क्षेत्र में कौन-कौन से खनिज और कितनी-कितनी मात्रा में उपलब्ध है; और

(ग) क्या सरकार का विचार उन खनिजों का खनन करने का है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या ब्यौरा है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खनन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मुहम्मद खां) : (क) राजस्थान सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार सिरोही जिले की वन भूमि में विशाल खनिज धारी क्षेत्र हैं, परन्तु इस सम्बन्ध में विशिष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ख) जिले में चूनापत्थर तथा केलसाइट के सम्पन्न निक्षेप तथा ताम्बे के लघु निक्षेप हैं। राज्य सरकार ने जिले के विभिन्न स्थानों में चूना पत्थर के कुछ निक्षेपों का तथा जिले के बसंतगढ़, गोलिया और पिपलिया खानों में तांबा और सहयोगी आधार धातुओं का आकलन किया है।

(ग) हां। बनास पिंडवाड़ा में 5 लाख टन वार्षिक क्षमता वाला एक विशाल सीमेन्ट कारखाना निजी क्षेत्र में स्थापित किया जा चुका है। किवेरली तथा पिंडवाड़ा में अन्य दो

सीमेंट कारखाने, रेवदार में एक सफेद सीमेंट कारखाने तथा दो लघु सीमेंट कारखानों हेतु भी आशय पत्र जारी किए गए हैं।

इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी द्वारा प्रभारों को वापस किया जाना

8834. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा :** क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इन्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी ने जनवरी 1980 में दो आदेश जारी करके अपने ग्राहकों को यह सूचित किया था कि सरकार ने 17 अगस्त, 1979 से प्रभारों को समाप्त कर दिया है और खरीदारों द्वारा जमा कराई गयी धनराशि को लौटा दिया। उनके अधिक आर्डरों में समायोजित किया जायेगा;

(ख) यदि हां तो इन्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी द्वारा एकत्र की गयी प्रभार धनराशि को वापस करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है; और

(ग) यदि नहीं तो इन्डियन आयरन एन्ड स्टील कम्पनी द्वारा अपने वायदे वास्तव में पूरा न किये जाने के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मुहम्मद खां) : (क) से (ग) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सोना-खान परियोजना

8835. **श्री हरिहर सोरन :** क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-85 के दौरान सोने की खानों सबंधी कितनी परियोजनायें पूरी हो जाने की संभावना है;

(ख) सोने की खानों संबंधी उन परियोजनाओं के नाम क्या हैं और उन पर कितनी लागत आयेगी; और

(ग) उन सोना-खान परियोजनाओं को पूरा करने की दिशा में क्या प्रगति हुई है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (ग) जिला अनन्तपुर (आंध्र प्रदेश) में रामगिरि में येप्पामाना परियोजना लगभग 577 लाख रुपये की अनुमानित लागत से मार्च, 1984 माह के दौरान पूरी कर ली है। इस परियोजना से शीघ्र उत्पादन शुरू हो जाने की आशा है।

अनुशासनिक प्राधिकारियों को अपील/याचिकायें/ज्ञापन देने के लिए समय सीमा

8836. **श्री मनोहरलाल सैनी :** क्या **गृह मन्त्री** अनुशासनिक प्राधिकारियों को अपील/

याचिकायें/ज्ञापन देने के लिए समय सीमा के बारे में 28 मार्च, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5145 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का जाँच प्रतिवेदनों, अपीलों के निपटान पर अन्तिम कार्यवाही करने के लिए समय सीमा निर्धारित करने का प्रस्ताव है ताकि इस समय सांविधिक नियमों की अनुपस्थिति में अनुशासनिक प्राधिकारियों द्वारा किये जा रहे असाधारण विलम्बों को रोका जा सके;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या अनुदेशों की प्रतियाँ, जिनका ब्यौरा दिनाक 7 मार्च, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1778 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में उद्धृत किया गया है, सभा पटल पर रखी जायेंगी ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी. वेंकटसुब्बय्या) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ख) नियम संविधानिक स्वरूप के हैं और समय सीमनों के निर्धारित किए जाने से नियमों में कड़ाई आ जाएगी और इससे कानूनी तथा प्रशासनिक समस्यायें भी उत्पन्न होंगी ।

(ग) कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के दिनाँक 9.11 82 के कार्यालय ज्ञापन सं. 35014/1/81-स्था (क) तथा दिनाँक 15.5-71 के कार्यालय ज्ञापन सं 39/42/70-स्था. (क) की प्रतियाँ संलग्न हैं (अनुबंध) । तथा 11 (1 दिनांक 18.2.84 के कार्यालय ज्ञापन सं. 42014/7/83-स्था (क) की प्रति दिनाँक 14.3.84 के अतारांकित प्रश्न सं. 2859 के उत्तर में सभापटल पर रख दी गई है ।

[ग्रन्थालय में रखी गई देखिये संख्या एल टी-8253/84]

वनस्पति और जीव-जन्तु संबंधी विद्युत संपत्ति का नक्शा बनाया जाना

8837. **डा० वसन्त कुमार पण्डित** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यावरण विभाग ने अथवा भारतीय भोगोलिक/भूवैज्ञानिक समाज ने देश में वनस्पति और जीव-जन्तु संबंधी विद्युत संपत्ति का नक्शा बनाया है ;

(ख) यदि हां, तो नक्शा किस वर्ष बनाया गया था यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या प्रत्येक राज्य में पर्यावरण विभाग, पारिस्थितिक और प्रदूषण विभागों की शाखाएं खोली गई हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में ऐसे विभग स्थापित करने के लिए क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है; और

(ङ) भारतीय वनस्पति और जीव-जन्तु सबंधी संपत्ति को और सुरक्षा प्रदान करने, बढ़ाने और प्रोत्साहित करने के लिए तैयार किये योजनाबद्ध कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण विभाग उप-मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण तथा भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा क्रमशः देश की वनस्पति तथा प्राणीजात का सर्वेक्षण सतत आधार पर एवं वैज्ञानिक तरीके से किया जा रहा है। दोनों सर्वेक्षणों द्वारा देश की वनस्पति तथा प्राणीजात की सकटापन्न तथा संकटग्रस्त जातियों (स्पीशीज) का पता लगाया जा रहा है। दोनों सर्वेक्षणों का कार्य पर्यावरण विभाग की वार्षिक रिपोर्ट में प्रतिविंबित किया गया है। सर्वेक्षणों में देश भर की जाति प्राणीजात तथा वनस्पति पर प्रकाश डालते हुए भारत की वनस्पति तथा भारत की प्राणीजात श्रृंखलाएं भी प्रकाशित की जा रही है।

(ग) तथा (घ) अब तक 11 राज्यों अर्थात (1) आंध्र प्रदेश (2) बिहार (3) मध्य प्रदेश (4) कर्नाटक (5) उड़ीसा (6) पंजाब (7) राजस्थान (8) सिक्कम (9) तमिलनाडु (10) उत्तर प्रदेश तथा (11) पश्चिमी बंगाल में अलग-अलग पर्यावरण विभाग का गठन किया गया है। शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पर्यावरण विभाग के गठन की प्रक्रया चल रही है।

(ङ) सरकार वन्य प्राणीजात तथा वनस्पति के संरक्षण पर विशेष ध्यान दे रही है। अन्य प्राणी (सुरक्षा) अधिनियम 197. इस प्रयोजन के लिए कानूनी ढ़ांचा की व्यवस्था प्रदान करता है और यह अब सम्पूर्ण देश में लागू है। 47 राष्ट्रीय उद्यानों तथा 210 अभयारण्यों का एक तन्त्र (नेटवर्क) की स्थापना पहले ही कर दी गई है; सुरक्षित क्षेत्रों के इस तंत्र का राज्य सरकारों के सहयोग से विस्तार कमा तथा इसको और मजबूत बनाना एक अग्रमन अभ्यास है। अन्य प्राणी संरक्षण के लिए हाल ही में अपनाई राष्ट्रीय कार्यवाही योजना आने वाले वर्षों में इस क्षेत्र में की जाने वाली कार्यवाही के लिए प्राथमिकताएं स्थापित करती है। पौध संरक्षण के लिए कार्यवाही योजना संस्वीकृत की जा रही है जो इस विषय क्षेत्र पर आवश्यक ध्यान देगी।

सोवियत संघ द्वारा भारतीय कम्प्यूटरों का आयात

8838. **श्री एन. के. शेजवलकर** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिनाँक 23 मार्च, 1984 के फाइनेन्शियल एक्सप्रेस 'में' इण्डो-सोवियत कम्प्यूटर टाई अप्स बीडंग वइडेन्ड' शीर्षक से प्रकाशित समाचार देखा है;

(ख) सोवियत संघ उक्त समझौते के अन्तर्गत भारत से कितने कम्प्यूटरों की आयात करेगा;

(ग) क्या ये कम्प्यूटर सौ प्रतिशत भारत में निर्मित किये गये अथवा विदेशों से आयातित पुर्जों को जोड़कर भारत में तैयार किए गए हैं; और

(घ) इन कम्प्यूटरों के निर्यात के भुगतान का तरीका क्या होगा, भारत को सोवियत संघ से रुपयों में कितनी आमदनी हुई और भारत ने इन कम्प्यूटरों/कम्प्यूटरों के पुर्जों के आयात पर कितनी धनराशि व्यय की है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा. एम. एस. संजीवी राव) : (क) जी, हां।

(ख) सूचना गलत है। अप्रैल, 1983 में भारत तथा रूप के बीच हुए व्यापार-प्रोटोकाल (नयाचार) में भारत द्वारा सोवियत संघ से ई. सी. 1045 किस्म के कम्प्यूटरों तथा अन्य प्रणालियों के आयात की व्यवस्था की गई है न कि सोवियत संघ द्वारा भारत से इनके आयात की व्यवस्था की गई है। आशा की जाती है कि भारत द्वारा किए जाने वाले इन आयातों के के एवज में सोवियत संघ भारत से कम्प्यूटर साफ्टवेयर तथा अन्य इलेक्ट्रानिकी वस्तुओं का आयात करेगा जिनका मूल्य भारत द्वारा आयात किए जाने वाले कम्प्यूटकों के मूल्य का चौगुना होगा। सोवियत कम्प्यूटरों के आयात में समन्वय स्थापित करने का कार्य कम्प्यूटर अनुरक्षण निगम द्वारा किया जा रहा है जबकि सोवियत संघ को कम्प्यूटर साफ्टवेयर तथा अन्य इलेक्टानिकी वस्तुओं को नियांत करने विषयक कार्य में समन्वय स्थापित करने का कार्य इलेक्ट्रॉनिकी व्यापार तथा प्रौद्योगिक विकास निगम द्वारा किया जा रहा है।

(ग) तथा (घ) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

सिक्किम में विदेशियों का भारी संख्या में आगमन

8839. **श्री के. मालन्ना** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को सिक्किम में विदेशियों के भारी संख्या में आगमन के बारे में जानकारी है;

(ख) क्या इस संबंध में सिक्किम के आदिवासियों द्वारा भी सरकार को कोई ज्ञापन दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इन संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) :(क) और (ख) सिक्किम में कुछ आदिवासी लोगों ने ऐसे आप्रवासियों को नागरिकता प्रदान करने के विरुद्ध अभ्यावेदन किया है, जो सिक्किम प्रजा निनियम, 1961 के अधीन नहीं आते थे।

(ग) नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 7 के अधीन 16 मई, 1975 को एक अध्यादेश जारी किया गया था जिसमें यह व्यवस्था की गई थी कि 26 अप्रैल, 1975 (वह तारीख जिसको सिक्किम भारत संघ का 22वां राज्य बना) ठीक पहले प्रत्येक वह व्यक्ति, जो सिक्किम का प्रजा विनियम 1961 के अधीन सिक्किम की प्रजा था, उस तारीख को भारत का नागरिक समझा जएगा। सिक्किम में नागरिकता अधिनियम 1955 के उपबंध लागू हो गए हैं और किसी व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करने के संबंध में इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन सावधानी के साथ विचार करना पड़ता है।

विदेशियों की घुसपैठ को रोकने के लिए सीमा पर सतर्कता बरती जा रही है।

कलिंग ट्यूब्स का पुनः प्रचलन

8840. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलिंग ट्यूब्स चांदवाद, उड़ीसा को पुनः चालू करने के संबध में सरकार का विचार करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है और इसके कब तक पुनः खुलने की सभावना है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) तथा (ख) कलिंग ट्यूब्स लि. की पुनरुजीवित करने के बारे में सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव नहीं है। हाँ, इस एकक का इंडियन मेटल एण्ड फेरो एलायज लि. के साथ विलय कर दिया गया है जिनसे यह आशा की जाती है कि जैसे ही संभव होगा इस एकक को पुनरुजीवत करने या पुनः खोलने के बारे में वे कदम उठायेंगे।

इस्पात कारखानों के अध्यापकों के वेतन-मानों में विषमता

8841 **श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर और बोकारो इस्पात कारखानों में अप्रशिक्षित ग्रेजएट/आनर्स, मिडल/उच्च माध्यमिक अध्यापकों का वेतनमान 690-1152 रुपए है और वहाँ पर प्रशिक्षित ग्रेजएट/आनर्स अध्यापकों को न्यूनतम वेतनमान 700-1300 रुपए दिया जाता है; और

(ख) क्या भिलाई इस्पात कारखाने में अनुसचिवीय सेवा का सहायक एल.ओ.पी. ग्रेड ए–1 से ए-2 (700-1300 रुपए) प्राप्त करता है और "सी" सहायक को 8 साल की सेवा पूरी करने के बाद ग्रेड ए-2 से ए-3 (810-1454 रुपए) मिलता है तथा टाउनशिप व्हिकल के रूट चैकरों को 31 जनवरी 1984 से ए-1 से ए-6 (691-1152 रुपए) के स्थान पर ए-2 दिया जाता है और यदि हां, तो मिडिल/उच्च माध्यमिक सहायक अध्यापकों को आठ साल की सेवा पूरी करने के बाद एल.ओ.पी. ग्रेड ए-3 (810-1454 रुपए) न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) दुर्गापुर इस्पात कारखाने में उच्चतर माध्यमिक/उच्च विद्यालयों में कक्षा-6 तथा उससे ऊपर की कक्षाओं के लिए प्रशिक्षित आनर्स ग्रेजुएटों को अध्यापक भर्ती किया जाता है और उन्हें 700-1300 रुपए के वेतनमान में रखा जाता है। जब आवश्यकताओं के अनुसार प्रशिक्षित उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते हैं को अप्रशिक्षित स्नातकोत्तर डिग्री धारियों को केवल कुछ विषय पढ़ाने के लिए 690-1152 रुपए के वेतनमान में रखा जाता है। दुर्गापुर में अलग से कोई मिडल स्कूल नहीं हैं। अप्रशिक्षित स्नातकों की भर्ती प्राइमरी स्कूलों में कनिष्ठ अध्यापकों के रूप में की जाती है। उनका वेतनमान 595-1065 रुपए है।

बोकारो इस्पात कारखाने में सामान्य नीति के अनुसार केवल प्रशिक्षित कार्मिकों को ही अध्यापक रखा जाता है। कुछ विशिष्ट मामलों में कुछेक अप्रशिक्षित कार्मिकों की करूणामूलक कारणों (मृतक कर्मचारियों के आश्रित) से सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्ति की गई है। उनकी पदोन्नति केवल 690-1152 रुपए के वेतनमान में अध्यापक के ग्रेड तक सीमित है। 595-1065 रुपए के वेतनमान में सहायक अध्यापकों तथा 810-1454 रुपए के वेतनमान में वरिष्ठ मास्टरों की नियुक्ति की विशिष्टियों में प्रशिक्षण तथा अर्हताओं पर भिन्न-भिन्न अवधियों के अनुभव के आधार पर रखा गया है।

(ख) कामगारों की भिन्न-भिन्म श्रेणियों का पदोन्नति का क्रम उनके अपने अपने संवर्गों मे उपलब्ध वेतनमानों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। भिलाई इस्पात कारखाने में स्थिति इस प्रकार है :—

1. लिपिक वर्ग तथा रूट चैकर

ए०-1 ग्रेड (595-1065 रुपए) में सहायक को पदोन्नति के क्रम में ए-2 ग्रेड (700-1300 रुपए) में वरिष्ठ सहायक बनाया जाता है और उसके पश्चात ए०-3 ग्रेड (810-1454 रुपए) में कार्यालय अधीक्षक बनाया जाता है।

ए०-1 ग्रेड (591-1065 रुपए) में टाउनशिप वहिकल पूल के रूट चैकर को पदोन्नति के क्रम में ए०-2 ग्रेड (700-1300 रुपए) में यातायात निरीक्षक बनाया जाता है और बाद में ए०-3 ग्रेड (810-1454 रुपए) में यातायात नियंत्रक बनाया जाता है।

इन मामलों में पदोन्नति, पदोन्नति के क्रम में की जाती है। पदोन्नति योग्यता तथा उपलब्ध रिक्तियों पर निर्भर करती है।

2. अध्यापन स्टाफ

ए०-1 ग्रेड (595-1065 रुपए) में सहायक अध्यापक (हिंदी माध्यम वाले प्राइमरी स्ट्रल) को पदोन्नति के क्रम में सहायक अध्यापक मिडल स्कूल/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय) अथवा एन०-6 ग्रेड (690-1152 रुपए) में मुख्य अध्यापक/अध्यापिका (हिंदी माध्यम वाले प्राइमरी स्कूल) बना दिया जाता है और बाद में ए०-3 ग्रेड (810-1454 रुपए) में प्राध्यापक/

मुख्य अध्यापक (मिडल स्कूल) बना दिया जाता है। यह पदोन्नति योग्यता तथा शिक्षा स्नातक अथवा उसके समकक्ष सहित स्नातकोत्तर की अपेक्षित अर्हता तथा आवश्यक वर्षों को अनुभव पर निर्भर करेगी बशर्ते कि रिक्तियां उपलब्ध हों। फिर भी हाल में एन०-6 के ग्रेड (690-1152 रुपए) में सहायक अध्यापकों को ए०-2 ग्रेड (700-1300 रुपए) में अध्यापक के पद पर पदोन्नति के अवसर प्रदान किये गये हैं।

देश में आदिवासी जिले

8842. **श्री भीखा भाई :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार और संघ शासित क्षेत्र-वार आदिवासी जिलों के नाम क्या हैं;

(ख) ऐसे आदिवासी जिलों के नाम क्या हैं जो पिछड़े क्षेत्र हैं; और

(ग) ऐसे आदिवासी जिलों के नाम क्या हैं जिन्हें औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा जिला वर्गीकृत किया गया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) पर्याप्त जनजाति जनसंख्या वाले और जनजाति उपयोजना के अंतर्गत पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से आने वाले जिलों के नाम उत्तर के संलग्न विवरण-1 में दिए गए हैं।

(ख) सामाजिक-आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से देश में सभी जनजाति क्षेत्रों को सामान्यत: पिछड़ा हुआ माना जाता है।

(ग) ब्यौरे उत्तर में संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-1

जनजाति उपयोजना अन्तर्गत जिले

राज्य/संघ शसित क्षेत्र	जिला	
1	2	3
1. आंध्र प्रदेश	1. अदिलाबाद	आंशिक रूप से
	2. पूर्वी गोदावरी	तदैव
	3. खम्मम	तदैव
	4. श्रीकाकुलम	तदैव
	5. विशाखापत्तनम	तदैव
	6. विजयानगरम	तदैव
	7. वारंगल	तदैव
	8. पश्चिमी गोदावरी	तदैव

1	2	3	4
	2. असम	1. कछार	आंशिक रूप में
		2. दारंग	तदैव
		3. डिब्रुगढ़	तदैव
		4. गोलपाड़ा	तदैव
		5. कामरूप	तदैव
		6. लखीमपुर	तदैव
		7. नवगांव	तदैव
		8. सिबसागर	तदैव
	3. बिहार	1. पलमाऊ	तदैव
		2. रांची	पूर्ण रूप से
		3. संस्थान परगना	आंशिक रूप से
		4. सिंह भूम	पूर्ण रूप से
	4. गुजरात	1. बनसकांठा	आंशिक रूप से
		2. भड़ोच	तदैव
		3. डांगस	पूर्ण रूप से
		4. पंचमहलस	आंशिक रूप से
		5. सावरकांठ	तदैव
		6. सूरत	तदैव
		7. वडोदरा	तदैव
		8. वलसाद	तदैव
	5. हिमाचल प्रदेश	1. चम्बा	आंशिक रूप से
		2. किन्नौर	पूर्ण रूप से
		3. लाहौल व स्पीति	तदैव
	6. कर्नाटक	1. चिकमगलूर	आंशिक रूप से
		2. कुर्ग	तदैव

1	2	3
	3. मैसूर	आंशिक रूप में
	4. दक्षिणी कनारा	तदैव
7. केरल	1. त्रिवेन्द्रम	तदैव
	2. कुईलोन	तदैव
	3. इदक्की	तदैव
	4. अर्नाकुलम	तदैव
	5. मलपुरम	तदैव
	6. वानड	तदैव
	7. कौझिकोड	तदैव
	8. कन्नानोर	तदैव
	9. पालघाट	तदैव
8. मध्य प्रदेश	1. बालघाट	तदैव
	2. बस्तर	पूर्ण रूप से
	3. बेतुल	आंशिकरूप से
	4. बिलासपुर	तदैव
	5. छिदवाढ़ा	तदैव
	6. धार	तदैव
	7. दुर्ग	तदैव
	8. होशंगाबाद	तदैव
	9. झबुवा	पूर्ण रूप से
	10. खण्डवा	आंशिक रूप से
	11. खरगोन	तदैव
	12. मांडला	पूर्ण रूप से
	13. मुरैना	आंशिक रूप से

1	2	3
	14. रायगढ़	आंशिक रूप में
	15. रायपुर	तदैव
	16. राजनगांव	तदैव
	17. रतलाम	तदैव
	18. सियोनी	तदैव
	19. शोहडोल	तदैव
	20. सिधी	तदैव
	21. सरगुजा	पूर्ण रूप से
9. महाराष्ट्र	1. अहमदनगर	आंशिक रूप से
	2. अमरावती	तदैव
	3. चन्द्रपुर	तदैव
	4. धुले	तदैव
	5. जलगांव	आंशिक रूप से
	6. नांदेड	तदैव
	7. नासिक	तदैव
	8. पुणे	तदैव
	9. ठाणे	तदैव
	10. यावतमल	तदैव
	11. गडचिरोली	तदैव
10. मणिपुर	1. पूर्वी मणिपुर	पूर्ण रूप से
	2. उत्तरी मणिपुर	तदैव
	3. दक्षिणी मणिपुर	तदैव
	4. पश्चिमी मणिपुर	तदैव
	5. तेंगनोपाल	तदैव

1	2	3	4
11.	उड़ीसा	1. बालासोर	आंशिक रूप से
		2. बौद्धकोंडमलस	तदैव
		3. गंजम	तदैव
		4. कालहांडी	तदैव
		5. क्योंझर	तदैव
		6. कोरापुट	पूर्ण रूप से
		7. मयूरगुंज	तदैव
		8. संबलपुर	आंशिक रूप से
		9. सुन्दरगढ़	पूर्ण रूप से
12.	राजस्थान	1. बांसवाड़ा	तदैव
		2. चित्तौड़गढ़	तदैव
		3. डूंगरपुर	तदैव
		4. सिरोही	आंशिक रूप से
		5. उदयपुर	तदैव
13.	सिक्किम	1. उत्तरी जिला	पूर्ण रूप से
14.	तमिलनाडु	1. धर्मपुरी	आंशिक रूप से
		2. नार्थ आर्काट	तदैव
		3. सलेम	तदैव
		4. साउथ आर्काट	तदैव
		5. त्रिरुचिरापल्ली	तदैव
15.	त्रिपुरा	1. उत्तरी त्रिपुरा	तदैव
		2. दक्षिणी त्रिपुरा	तदैव
		3. पश्चिमी त्रिपुरा	तदैव
16.	उत्तर प्रदेश	1. लखीमपुर खेडी	आंशिक रूप से

1	2	3	4
17.	पश्चिमी बंगाल	1. बांकुरा	आंशिक रूप से
		2. वीरभूम	तदैव
		3. वर्दवान	तदैव
		4. दार्जिलिंग	तदैव
		5. हुगली	तदैव
		6. जलपाइगुडी	तदैव
		7. मालदा	तदैव
		8. मिदनापुर	तदैव
		9. मुर्शिदाबाद	तदैव
		10. पुरलिया	तदैव
		11. 24 परगता	तदैव
		12. पश्चिमी दिनाजपुर	सदैव
18.	अण्डमान और निकोवार द्वीपसमूह	1. निकोबार	पूर्णरूप से
19.	गोआ, दमन दियू	1. दमन	तदैव

विवरण-2

औद्योगिक रूप से पिछड़े जिले

देश में पिछड़े क्षेत्रों को म्निलिखित तीन वर्गों में विभाजित किया गया :—

वर्ग "क" गैर-औद्योगिक जिले जिसमें विशेष क्षेत्र सम्मलित हैं।

वर्ग "ख" वर्ग "क" में सम्मिलित जिलों को छोड़कर वर्तमान में केन्द्रीय सहायतानुदान के पात्र जिले।

वर्ग "ग" वर्ग "क" और "ख" में सम्मिलित वर्गों को छोड़कर वर्तमान 246 रियायती वित्त जिले।

वर्ग "क"

राज्य	जिला
गुजरात	डांगस
मध्य प्रदेश	बालाघाट
	छिंदवाड़ा
	धार
	झबूआ
	मांडला
	सियोनी
	सिधी
	सरगुजा
उड़ीसा	बालासोर
	बौद्ध कोडमान्ह
राजस्थान	सिरोही
पश्चिमी बंगाल	बांकुरा
	जलपईगुडी
	मालदा
केरल	इदुक्की
	वानड

वर्ग "ख"

आंध्र प्रदेश	श्रीकाकुलम
बिहार	पलमाऊ
	संथाल परगना
गुजरात	पंचमहलस
	भड़ौच

राज्य	जिले
केरल	कन्नानूर
	मलपुरम
कर्नाटक	मैसूर
महाराष्ट्र	चन्द्रपुर
उड़ीसा	कालाहांडी
	मयूरगंज
	कोरापुट
	क्योंझर
राजस्थान	उदयपुर
पश्चिमी बंगाल	मिदनापुर
	पुरलिया

वर्ग "ग"

राज्य का नाम	जिले
आंध्र प्रदेश	खम्मान (खम्माम,) तिरुमलाईपुरम, कुल्लर, यिलांडु, कोठागुडस, अश्वराओपेटा, पुरागमपाद. और भद्राचलम ब्लाकों को छोड़कर (वारंगल) महबूबा बाद, नरसपेट, हनमकोंडा, धानापुर, जनगांव, और मुलुग ब्लाकों को छोड़कर।
गुजरात	बनसकंठा
केरल	त्रिवेद्रम
कर्नाटक	दक्षिणी कनारा
मध्य प्रदेश	बस्तर
	बेतूल
	बिलासपुर (कोरबा, बालोदा, चम्पा कोटा, मस्तूरी और बिलहा (बिलासपुर) ब्लाकों को छोड़कर)
	होशंगाबाद
	खनगोन (महेश्वर और बरवाना ब्लाकों को छोड़कर)
	मुरैना (मुरैना और जौरा ब्लाकों को छोड़कर)

राज्य	जिले
	रायगढ़
	रायपुर (भटपारा, सिम्ना, टिल्डा, धारसिवा) रायपुर (ग्रामानुर और राजिम ब्लाकों को छोड़कर)
	राजनांदगांव
	रललाम (रतलाम और जौरा ब्लाकों को छोड़कर)
महाराष्ट्र	जलगांव
	नांदेड
	योतमल
	धुले
राजस्थान	बांसवाड़ा
	डूंगरपुर
तमिलनाडु	धर्मपुरी, पालकोड, हसूर, देनकानोकोटाह, कृष्णागिरी, उत्तंशरारी और हरूर तालुकों को छोड़कर (नार्थ आर्काट) तिरुपत्तूर, वनियमबाड़ी, वेल्लूर और वालाजपेट तालुकों को छोड़कर।
	साउथ अर्काट
	तिरुचिरापल्ली
पश्चिमी बंगाल	बीरभूम
	वर्दवान
	हुगली
	मुर्शिदाबाद
	पश्चिमी दीनाजपुर।

चीन को इस्पात का निर्यात

8843. **श्री एन. के. शेजवलकर :** क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत ने चीन को इस्पात का वर्ष-वार कितनी मात्रा में निर्यात किया;

(ख) चीन को इस्पात में निर्यात हेतु दोनों देशों के बीच वर्ष-वार कितने समझौते हुए;

(ग) दोनों देशों की ओर से समझौते पर हस्ताक्षर करने वालों के नाम, पदनाम क्या हैं और प्रत्येक दल के अन्य सदस्यों के भी नाम और पदनाम क्या हैं; और

(घ) क्या ऐसे और समझौते होने की आशा है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान चीन को इस्पात का निर्यात नहीं किया गया ।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत से इस्पात के निर्यात के बारे में दोनों देशों के बीच कोई करार नहीं हुआ ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) स्टील अथारिटी आफ इन्डिया लिमिटेड विभिन्न देशों (चीन भी शामिल है) को इस्पात का निर्यात करने का प्रयास कर रही है और इस उद्देश्य के लिए चीन की मिनमेटलस से भी सम्पर्क बनाए हुए हैं ।

हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के प्रबन्धकों के विरुद्ध शिकायत

8844. **श्री ए. नीलालोहितदसन नाडार** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड का गठन किया गया है;

(ख) यह किस प्रकार कार्य कर रहा है;

(ग) क्या इसके प्रबन्धकों के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी हां । कम्पनी वर्ष 1966 में निगमित की गई थी ।

(ख) कम्पनी का कार्यचालान सामान्यत: संतोषजनक रहा है तथा कम्पनी 1972-73 से केवल 1980-81 तथा 1982-83 में हुई हानि के अलावा, लाभ कमा रही है । वर्ष 1983-84 में भी कम्पनी को लगभग 2 करोड़ रुपये का लाभ हुआ है ।

(ग) और (घ) कम्पनी के वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध हाल ही में एक गुमनामी शिकायत मिली है, किसी गुमनामी/छद्मनामी शिकायतों पर तब तक कार्रवाई नहीं की जा सकती जब तक कि जाँच के लिए विशिष्ट उदाहरण सामने नहीं लाए गए हों। सभी पूर्ति आदेशों/ठेकों पर कार्रवाई कम्पनी द्वारा निर्धारित नीति और प्रक्रिया के अन्तर्गत की जाती है ।

कम्पनी के खातों की आन्तरिक लेखा परीक्षा के अलावा सांविधिक और वाणिज्यिक लेखा परीक्षा भी की जाती है ।

पिलकिंगटन ग्लास वर्क्स लिमिटेड का पुन: प्रारम्भ किया जाना

8845. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान पिलकिंगटन ग्लास वर्क्स लिमिटेड, जिसे इस समय प्रबन्ध तथा वित्तीय संकट का अत्यधिक सामना करना पड़ रहा है, के पुन: प्रारम्भ करने का कोई हल ढूंढा गया है;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप बेरोजगार कर्मचारियों को अत्यधिक कठिनाई हो रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) पश्चिम बंगाल की सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार कम्पनी के कर्मचारियों को वेतन का भुगतान अत्यन्त अनियमित रहा है । उन्हें पिछले दो महीनों का वेतन नहीं मिला है ।

कुछ उद्योगों द्वारा क्षमताओं का उपयोग

8846. **श्री मनोहर लाल सैनी** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) देश में हार्ड फेराइट और सोफ्ट फेराईट की अधिष्ठापित और लाइसेंस प्राप्त क्षमता कितनी है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त प्रत्येक उत्पाद का एकक-वार उत्पादन कितना हुआ तथा क्षमता उपभोग कितने प्रतिशत रहा ?

इलैक्ट्रोनिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (डा. एम. एस. संजीवी राव) : (क) तथा (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

लघु दर्जे के रोलिंग एककों की संरक्षण

8847. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात के बड़े निर्माताओं, जैसे टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी और स्टील अथोरिटी आफ इण्डिया के कुछ एककों को इस्पात की रोलिंग करने की अनुमति दी गयी थी;

(ख) यदि हां, तो लघु दर्जे के रोलिंग एककों को क्या संरक्षण प्रदान किया गया है; और

(ग) इसका इस वस्तु के विपणन पर क्या प्रभाव पड़ेगा जबकि इसको उन्हें उद्योग के बड़े निर्माताओं के साथ प्रतिकूल प्रतियोगिता का सामना करना पड़ेगा और जबकि कच्चे माल पर उनका नियंत्रण है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मुहम्मद खां) : (क), (ख) और (ग) वर्तमान सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों में से टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (टिसको) को अपने आधुनिकीकरण के द्वितीय चरण में 400 000 टन छड़ों और गोल-छड़ों का उत्पादन करने की सुविधाएं लगाने की अनुमति दी गई है। आशा है प्रस्तावित मिल में पुनर्बेलकों द्वारा उत्पादित छड़ों और गोल छड़ों की सामान्य श्रेणियों के मुकाबले में कहीं अधिक प्रकार की तथा विशेष ग्रेडों की छड़ों और गोल छड़ों का उत्पादन किया जाएगा। योजना आयोग द्वारा गठित कार्यकारी दल (1980) के अनुमान के वर्ष 1990 तक छड़ों और गोल छड़ों की मांग और उपलब्धि में 14 लाख टन का अन्तर होगा और टिस्को में प्रस्तावित सुविधाओं की व्यवस्था से इस अन्तर को कम करने में सहायता मिलेगी। उपर्युक्त को देखते हुए छड़ों और गोल छड़ों की इस मिल के उत्पादों से पुनर्बेलित उत्पादों के अन्य निर्माताओं के साथ कोई प्रतिकूल प्रतिद्वन्द्विता उत्पन्न होने की कोई सम्भावना नहीं है।

भूमि के स्वामित्व के लिए महाराष्ट्र के नमक विभाग का दावा

8848. **श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नमक विभाग ने उस भूमि के स्वामित्व का दावा किया है जिस पर गड़ौदिया नगर (घाटकोपार—बम्बई) और छेदा नगर (चेम्बर) और बहुत सी बड़ी-बड़ी आवासी इमारतों का निर्माण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार यह दावा किस प्रकार करती है कि यह उसकी भूमि है;

(ग) जिस समय इन इमारतों का निर्माण किया गया था, उस समय सरकार के आपत्ति न करने के क्या कारण थे;

(घ) क्या यह सच है कि बैंकों, जीवन बीमा निगम आदि जैसे बहुत से केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों की वहां पर इमारतें हैं;

(ङ) यदि हां, तो क्या यह सच है कि उन्होंने यह भूमि उस समय खरीदी थी जबकि इस पर हक का कोई अन्य दावेदार नहीं था; और

(च) इस मामले की इस समय ठीक-ठीक स्थिति क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) जी, हां।

(ख) गड़ौदिया नगर और छेदा नगर के अंतर्गत नमक बनाने के काम में आने वाली

भूमि सरकार द्वारा मूलत: नमक बनाने के विशिष्ट प्रयोजन से पट्टे पर दी गई थी और पट्टेधारियों से पट्टे सम्बन्धी करार किए गए थे। पट्टा समाप्त हो जाने पर और इस भूमि पर नमक बनाने का काम बन्द हो जाने पर इस भूमि पर पुन: केन्द्र सरकार का स्वामित्व हो गया।

(ग) जब पार्टियों ने परिसरों को खाली करने से मना कर दिया गया तो नमक बनाने का काम बन्द हो जाने पर सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के अधीन नोटिस जारी किए गए।

(घ) इण्डियन ओवरसीज बैंक का गडोदिया नगर एक भवन में है।

(ङ) सरकार को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि स्वामित्व के सम्बन्ध में बैंक ने स्वयं को संतुष्ट कर लिया है अथवा नहीं और यदि कर लिया है तो किस प्रकार।

(च) गडोदिया नगर के अन्तर्गत आने वाली भूमि के सम्बन्ध में नमक विभाग द्वारा आरम्भ की गई बेदखल करने की कार्यवाही के विरुद्ध बम्बई उच्च न्यायालय में 4 पार्टियों ने रिट याचिका दायर की थी और न्यायालय ने कार्यवाही रोक दी है। सरकार ने बम्बई उच्च न्यायालय के 2 आदेशों के मामले में विशेष इजाजत (स्पेशल लीव) याचिका सर्वोच्च न्यायालय में दायर कर दी है और 2 अन्य मामलों में भी इसी प्रकार की याचिका दायर करने का प्रस्ताव है। जो भूमि उच्च न्यायालय के स्थगन आदेशों के अधीन नहीं है उसको बेदखल कराने की कार्रवाई चल रही है।

छेदा नगर के अन्तर्गत आने वाली भूमि के सम्बन्ध में नमक विभाग द्वारा आरम्भ की गई बेदखली की कार्यवाही के विरुद्ध पूर्व पट्टेदारों/लाइसेंस धारियों ने बम्बई उच्च न्यायालय में एक मुकदमा दायर कर दिया था और जो भूमि तब भी वादियों के पास थी उसके सम्बन्ध में न्यायालय ने कार्यवाही रोक दी थी। भूमि के जो प्लाट स्थगन आदेशों के अधीन नहीं है उनके सम्बन्ध में बेदखली की कार्यवाही चल रही है।

कृषि के बारे में कृतिक बल

8849. **श्री बी० बी० देसाई :** क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने प्राकृतिक संसाधनों की सूचना एकत्रित करने, आंकड़े एकत्रित करने और प्रबन्ध व्यवस्था के पहलुओं की वर्तमान प्रणाली का अध्ययन के लिए कृषि के बारे में एक कृतिक वल का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो कृतिक बल के मुख्य कृत्य क्या हैं;

(ग) कृषि के बारे में अध्ययन के लिए कृतिक बल को दिए गए अन्य मुद्दे क्या हैं; और

(घ) यदि हां, तो कृतिक बल अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर देगा ?

योजना मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) तक कार्यालय ज्ञापन की एक प्रति संलग्न है।

[ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या एल. टी. 8254/84]

राज्यों के संसाधनों के आवंटन का मानदण्ड

8850. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों को संसाधन आवंटित करने का मानदण्ड क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि बिहार को इसकी अत्यधिक जनसंख्या और बेहद पिछड़ेपन के अनुसार संसाधन नहीं मिल रहे हैं; और

(ग) संसाधन आवंटन के मामले में राज्यों के असंतुलित विकास को दूर करने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

योजना मन्त्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) राज्यों की योजनाओं के लिए संसाधनों के आवंटनों का निर्धारण वित्तीय संसाधनों के सहमत अनुमानों के आधार पर किया जाता है जिनमें राज्यों के अपने अंशदान और केन्द्रीय सहायता शामिल होती है। छठी योजना की अवधि में राज्यों में केन्द्रीय सहायता के वितरण के लिए मापदण्ड छठी योजना (1980-85) के दस्तावेज के पैरा 5.55 से 5.57 में दिए गए हैं जिसे संसद में पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है।

(घ) परिशोधित गाडगिल फार्मूले के अधीन, 60 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता का वितरण जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। अन्य 20 प्रतिशत उन राज्यों के बीच वितरित किया जाता है जिनकी प्रतिव्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से कम है। बिहार की प्रति व्यक्ति आय क्योंकि राष्ट्रीय औसत से कम है, इसलिए यह इस मापदण्ड के अधीन उचित भाग प्राप्त करता है। इसके अलावा, विशेष समस्याओं के लिए 10 प्रतिशत आवंटन से भी सामान्यत: बिहार जैसे अल्प विकसित राज्यों को लाभ मिलता है। इस प्रकार केन्द्रीय सहायता के आवंटन के मामले में बिहार को अपनी जनसंख्या तथा पिछड़ेपन के लिए उचित प्राथमिकता मिल रही है। इसके अतिरिक्त, बिहार समेत कुछ अल्प विकसित राज्यों को अतिरिक्त बाजार ऋणों की अनुमति दी गई है।

(ग) केन्द्रीय स्तर पर पहले ही निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(1) संसाधन अन्तरण जो पिछड़े राज्यों के पक्ष में है;

(2) विशिष्ट पिछड़े/समस्या क्षेत्रों के लिए विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रमों के अधीन राज्यों को अतिरिक्त सहायता; और

(3) पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों के विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन उपाय।

कार्यक्रम मूल्यांकन सगठन के वरिष्ठ आर्थिक अन्वेषकों की पदोन्नति

8851. **श्री जगन्नाथ पाटिल** : क्या योजना मंत्री कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (प्रोग्राम

इवैल्यूएशन आर्गनाइजेशन) में आर्थिक गवेषणाकों (इकनामिक इन्वेस्टीगेटरज) के गतिरोध के बारे में दिनांक 16 नवम्बर, 1983 के अताराकित प्रश्न संख्या 440 तथा कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन में अनुसंधान अधिकारियों के रिक्त पदों के बारे में दिनांक 16 नवम्बर, 1983 के अतारांकित प्रश्न सख्या 441 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन के सामाजिक विकास प्रभाग में अनुसंधान अधिकारी का केवल एक ही पद है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के गतिरोध से बचने के लिए संगठन/सरकार द्वारा क्या विकल्प सोचा जा रहा है;

(ग) अनुसंधान अधिकारी/परियोजना मूल्यांकन अधिकारी की श्रेणियों में पदों का अनुपात/समानुपात क्या है; और

(घ) अनुपात/समानुपात का निर्धारण किस आधार पर किया गया है ?

योजना मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन के विभिन्न विषयों में आर्थिक अन्वेषकों के पदोन्नति विषयक अवसरों में सुधार करने के लिए प्रवरण ग्रेड (775-1000 रुपये) को शुरू करने की संभावना की जांच की जा रही है।

(ग) और (घ) अनुसंधान अधिकारियों/परियोजना मूल्यांकन अधिकारियों के पदों के बीच कोई प्रत्यक्ष अनुपात/समानुपात नहीं है क्योंकि ये पद मुख्य रूप से संगठन की क्रियात्मक आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर समय-समय पर सृजित किए गए हैं। तथापि तीन विषयों में विद्यमान पदों की संख्या नीचे दी गई है :—

विषय	अनुसंधान अधिकारी/परियोजना मूल्यांकन अधिकारी	ग्रेड-1 आर्थिक अन्वेषक
समाज विज्ञान	1	5
सांख्यिकी	2	5
अर्थ-शास्त्र	38	27

कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन में आर्थिक अन्वेषकों की पदोन्नति

8852. **श्री जगन्नाथ पाटिल** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन के विभिन्न शाखाओं अर्थात् आर्थिक, सांख्यिकीय और समाज-शास्त्र के आर्थिक अन्वेषकों की उच्चतर पदों पर पदोन्नति के लिए कोई मापदण्ड निर्धारित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या है;

(घ) सामाजिक विकास प्रभाग में पदोन्नति में असमानता के कारण क्या हैं; और

(ङ) सभी शाखाओं में पदोन्नति के मापदण्डों में विवेकपूर्ण समानता रखने के लिए संगठन/सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

योजना मन्त्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) से (ग) योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन मे सभी तकनीकी पद जिनमें आर्थिक अन्वेषकों (ग्रेड-1) और अनुसंधान अधिकारियों आदि के पद शामिल हैं, अन्य बातों के साथ साथ संगठन की कार्यात्मक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर सृजित किए गए हैं। आर्थिक अन्वेषक की उच्च पद पर पदोन्नति निर्धारित मापदण्ड के अनुसार अधिशासित होती है अर्थात् सामाजिक विकास विषय के मामले में शत प्रतिशत पदोन्नति द्वारा और भारतीय आर्थिक सेवा/भारतीय सांख्यिकी सेवा के लिए पोषक पदों के धारक आर्थिक अन्वेषकों के मामले में 40 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा।

(घ) और (ङ) आर्थिक अन्वेषक (ग्रेड-1) के धारकों को तीन विषयों में उपलब्ध पदोन्नति के अवसर न्यूनाधिक समान हैं, हालांकि वे बिल्कुल एक समान नहीं हैं। सभी तीन विषयों में अधिक अन्वेषक (ग्रेड-1) के पदोन्नति के अवसरों में और सुधार करने की दृष्टि से प्रवरण ग्रेड (775-1000 रुपये) की शुरूआत करने की सम्भावना का पता लगाया जा रहा है।

कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन में आर्थिक अन्वेषकों की पदोन्नति में गतिरोध

8853. **श्री बाबूराम परांजपे** : क्या योजना मंत्री कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन के आर्थिक अन्वेषकों की पदोन्नति में गतिरोध के बारे में 16 नवम्बर, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 440 के उत्तर के संबध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस मामले की अब तक जांच की गई है;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाई की गई; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

योजना मन्त्री (श्री एस.बी. चव्हाण) : (क) से (ग) योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन में आर्थिक अन्वेषकों की पदोन्नति सम्भावनाओं में सुधार करने की दृष्टि से प्रवरण ग्रेड (775-1000 रु०) आरम्भ करने की संभाव्यता भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से विचाराधीन है। तथापि, अन्तिम निर्णय अभी होना है।

बड़ौदा के औद्योगिक विकास में "रेडिएशन" और "रेडियो-आइसोटोप्स" का प्रयोग

8854. **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बड़ौदा के औद्योगिक विकास में "रेडिएशन" और "रेडियो-आइसोटोप्स" के प्रयोग की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार भारत के महानगरों में मल "स्लज" के "रेडिएशन" द्वारा इसके उपयोगी उपाय किये जाने का है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, इलेक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) सीवरों की कीचड़ को विकिरण से संसाधित करने वाला एक संयंत्र बड़ौदा में लगाने की परियोजना हाथ में ली गई है। नयी दिल्ली के महानगर-क्षेत्र में सीवरों की कीचड़ को विकिरण से संसाधित करने वाले एक संयंत्र की स्थापना के काम को सातवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करने का एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा चुका है।

विस्फोटक अधिनियम के अंतर्गत बनाये गए नियमों के कारण कृषकों को हुई कठिनाइयों के बारे में अभ्यावेदन

8855. **श्री भीखा भाई** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विस्फोटक अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नये संशोधित नियमों के कारण उत्पादन हुई कठिनाइयों के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो नियमों में संशोधन करने के लिए उनके मन्त्रालय द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या यह सच है कि पहले नियम कृषकों के लिए लाभकारी थे; और

(घ) यदि हां, तो कृषकों के हितों की सुरक्षा के लिए उनके मंत्रालय द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (घ) जी, हां। अभ्यावेदन विस्फोटक सामग्री विभाग के विचाराधीन है। अपने प्रयोग हेतु विस्फोटक सामग्री रखने के लिए अब फोर्म 23 में लाइसेंस 15 दिन की अवधि के लिए दिया जाता है। जबकि पहले एक वर्ष के लिए दिया जाता था।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : मैंने एक एडजर्नमेंट मोशन दिया है।

श्री के. लक्कप्पा (टुमकुर) : मैंने एक नोटिस लिखित रूप से दिया है। जम्मू और कश्मीर में क्या हो रहा है ? श्री जी.एम. शाह और उनकी पत्नी को जाने नहीं दिया गया है। उन्हें कार से बाहर घसीटा गया और उनकी पिटाई की गई। वहाँ कोई कानून और व्यवस्था

नहीं है...

अध्यक्ष महोदय : श्री लकप्पा, वह राज्य का विषय है।

श्री के. लकप्पा : यह एक अत्यन्त गम्भीर मामला है। मैं चाहता हूं कि गृह मंत्री महोदय एक वक्तव्य दें कि क्या कार्यवाही की गई है।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, जो सरकार मच्छर को नहीं मार सकती है, वह सरकार क्या कर सकती है ? मैं बहुत गंभीरता पूर्वक इस मामले को उठा रहा हूं। दिल्ली में मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है। बिहार में कालाजार का प्रकोप और उत्तर प्रदेश में चेचक का प्रकोप बढ़ रहा है।

अध्यक्ष महोदय : कर रहे हैं।

श्री राम विलास पासवान : आप को लिख कर भी दिया है। यह सरकार मच्छरों को मारने में अक्षम है। आप सरकार से पूछिये।

अध्यक्ष महोदय : हम उसके सम्बन्ध में चर्चा कर रहे हैं। हम चर्चा करेंगे।

प्रो. के. के तिवारी (बक्सर) : यह एक अत्यन्त गंभीर मामला है, जो मैं उठाने वाला हूं। जम्मू और कश्मीर के एक बहुत ही वरिष्ठ नेता श्री जी.एम. शाह पर...

अध्यक्ष महोदय : परन्तु यह राज्य का विषय है।

प्रो. के के. तिवारी : श्री जी.एम. शाह पर घातक हमला किया गया था। उन्हें और उनकी पत्नी को कार से बाहर घसीटा गया और जमायत ए-इस्लामी और जमायत-उल-उलेमा के कार्यकर्ताओं ने उन्हें पीटा...(**व्यवधान**) जम्मू और कश्मीर में पूरी अराजकता है। वहां आतंक का बोलबाला है... (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (संदपुर) : अध्यक्ष महोदय, क्या तिवारी जी ने कोई मोशन आप को दिया है या नहीं ? यह हमेशा बोलते रहते हैं। कृपया बतायें, किस रूल के अन्तर्गत बोल रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : न आप के कहने से और न उनके कहने से कुछ होगा (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : श्री लकप्पा, आप को नियमों की जानकारी है। यदि आप मेरे कमरे में आ सकें, और मुझे बता दें कि हम किस नियम के अन्तर्गत चर्चा कर सकते हैं, तो मैं अनुमति दूंगा...

श्री के. लकप्पा : इसे अब उठाने के लिए मैं आपकी अनुमति चाहता हूँ।

प्रो. के. के. तिवारी : मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी है...

अध्यक्ष महोदय : मैं किस नियम के अन्तर्गत अनुमति दे सकता हूं।

प्रो. के. के. तिवारी : ... वहां के उग्रवादियों की गतिविधियों के बारे में अब वहां की सरकार उग्रवादियों को हथियारों से सुसज्जित कर रही है। उग्रवादियों को हथियारों से लैस किया जा रहा है।

प्रो. सैफुद्दीव सोज (बारामुला) : वह राज्य सरकारों में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं... (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : श्री तिवारी, यह राज्य का विषय है। आप के शोर मचाने से यहां कुछ नहीं होगा। मुझ पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। (**व्यवधान**)**

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं दी गई है। (**व्यवधान**)**

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, यह सभा आप लोगों के द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार चलेगी और मुझे भी, आप जो भी कुछ चाहें कहें, नियमों के अनुसार चलना है। मुझे नियमों का पालन करना है और नियमों के अनुसार चलना पड़ेगा। आप में से किसी को भी यह शोभा नहीं देता है। श्री लकप्पा, आप एक अत्यन्त अनुभवी सांसद हैं।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं।

अध्यक्ष महोदय : सभी अच्छे सांसद हैं यदि आप लोग इस तरह का बर्ताव करेंगे, तो इस से कोई मतलब नहीं निकलने वाला है तथा इस से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। मैं आप को किसी बात पर किसी निश्चित समय में चर्चा करने की अनुमति दे सकता हूँ, परन्तु यह नियमों के अंतर्गत होने चाहिए। यदि आप मुझे विश्वास दिला सकते हैं कि किसी बात में मैं गलती पर हूं, तो मैं आपकी बात मान लूंगा, परन्तु यदि मैं गलती पर नहीं हूं, तो मैं उसे नहीं मान सकता। जब तक आपने मुझे यह कार्यभार सौंप रखा है, तब तक मैं अपने कर्त्तव्य का पालन करूंगा। यह बहुत आसान है। यह इस मंत्रालय के कार्यक्षेत्र के अन्दर आता है, तो मैं इसे उनके पास भेज दूंगा। हमने इस पर विस्तार से चर्चा की है। प्रो. तिवारी, आप मेरे पास आ सकते हैं। आप अपनी बात कह चुके हैं। कृपया बैठ जाइये।

(**व्यवधान**)

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती (कलकत्ता-दक्षिण) : महोदय, इन्हें अपने राज्य पंजाब में व्यवस्था कायम करनी चाहिए और एक विपक्षी दल द्वारा चलाये जाने वाली सरकार में अस्थिरता पैदा नहीं करनी चाहिए, उन्हें पहले, अपने घर में व्यवस्था कायम करनी चाहिए। (**व्यवधान**)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : महोदय, आपने अनुभवी सांसद अथवा सामयिक सांसद कहा है ?

** कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : मुझे ज्ञानकोश देखना पड़ेगा ।

श्री अनन्त रामुलु मल्लु (नगर कुरनूल) : महोदय, मैंने दो सूचनाएं दी हैं । पहली, इस सभा के सदस्य, श्री जार्ज फर्नान्डीज से संबंधित है । हाल ही में वह आन्ध्र प्रदेश गये थे और उन्होंने एक वक्तव्य दिया है कि पुलिस ने स्थानीय समाज विरोधी तत्वों से मिलकर उनपर हमला किया है । मैंने इस विषय पर ध्यनाकर्षण सूचना दी है ।

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी मेरे विचराधीन नहीं है ।

अनन्त रामुलु मल्लु : महोदय, आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री ने वहां के राज्यपाल के विरुद्ध एक स्पष्ट बयान दिया है । यह गैर-सवैधानिक है .

अध्यक्ष महोदय : मैं अनुमति देता । मैं इसे न देखे बिना कुछ नहीं कह सकता ।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष महोदय (**व्यवधान**)..... देखिये प्रोफेसर साहब, आप ठीक हो जाइए । छः दफा मुझे बुलाया और आप लोग बीच में रुकावट डाल देते है । फिर आप लोग भी नहीं बोल सकेंगे । जब आप बुलाएं तो आप बोलिएगा..... (**व्यवधान**) ...

अध्यक्ष महोदय, दरअसल तो दोषी मैं हूं जो आदत सबकी बिगाड़ दी ।

अध्यक्ष महोदय : शुक्र है, देर आयद दुरुस्य आयद ।

श्री मनीराम बागड़ी: मनीराम बागड़ी कानून तोड़ता है क्यों कि पढ़ा लिखा नहीं है । लेकिन ये सब अनपढ़ हैं जो ऐसा करते हैं ।

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है 376 और 197 के अन्तर्गत, आप देख लीजिए । मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि पंजाब में पुलिस और खुपिया विभाग कम्यूनल और एक्सट्रीमिस्ट है, यह सत्य है । इसको डिसविलीव कोई नहीं कर सकता और अगर है तो इससे बड़ी खतरनाक चीज कोई और सरकार के लिए और देश के लिए नहीं है ।

अयध्क्ष महोदय : तो क्या कहना चाहते हैं आप ?

श्री मनीराम बागड़ी : 197 के अन्तर्गत मैंने कालिंग अटेंशन दिया है । उस कालिंग अटेंशन को नामंजूर करने का कोई कारण नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : अगर नहीं होगा तो क्यों करुंगा नामंजूर ? मैं देखूंगा ।

श्री मनीराम बागड़ी : कालिंग अटेंशन को लम्बा नहीं खींचना चाहिए क्यों कि उसकी एक अरजेन्सी होती है । जब प्रधान मंत्री ने कहा है तो गलत नहीं है । दूसरी बात यह है कि इससे देश का नुक्सान है । अगर खुफिया विभाग में इस तरह से ..

अध्यक्ष महोदय : मैं सोचकर करूंगा ।

डा. वसन्त कुमार पण्डित (राजगढ़) : मैंने मेटल्स स्क्रेप ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इंडिया और इस्पात और खान मंत्रालय से संबंधित मामलों के बारे में विशेषाधिकार प्रस्ताव की सूचना दी है ।

महोदय, गत तीन मप्ताह से इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है आप के कार्यालय से भी कोई पत्र नहीं मिल है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं देखूंगा ।

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष जी, कर्नाटक, तमिलनाडु के जंगलों में जहां सीमा पड़ती है, वहां हाथियों का अवैध शिकार हो रहा है। इस पर मैंने एक ध्यानाकर्षण दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : यह तो उनको देखना चाहिए। आपके सामने दिगम्बर सिंह जी बैठे हैं, आपकी बात सुन रहे हैं ।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : मैं एक गम्भीर विषय की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ । आज हिन्दुस्तान टाइम्स में समाचार निकला है जिसके अनुसार अकाली दल के अध्यक्ष ने कहा है कि जो सी आर पी एफ और स्टाक्सट्रिमिस्ट के बीच में झगड़ा हुआ जिसमें कुछ लोग मारे गए हैं, उस घटना के गंभीर परिणाम होंगे उसको रेसिप्रोकेट किया जायेगा-इस तरह की बात उन्होंने कही है जो कि बहुत गम्भीर है । वैसे ही वहां इतनी हत्यायें हो रही हैं, अगर यह बात आगे बढ़ी तो.....

अध्यक्ष महोदय : आप लिखकर दीजिए, मैं कुछ करवाता हूं ।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : इसी संबंध में मैं भी कहना चाहता हूं । हिन्दुस्तान टाइम्स की फ्रंट पेज की न्यूज है कि लौंगोवाल साहब ने बिल्कुल चुनौती दी है और उन्होंने चार आदमियों को एक कमेटी बनाई है इस घटना की जांच करने के लिए, मैं समझता हूं यह बहुत खतरनाक चीज है । (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप लिख कर दो, मैं करवाता हूं ।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : यह मेरे पास लिखा हुआ है । इसमें मैंने सारी बातें लिख रखी हैं ।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : कल बीच में बाधा डाले जाने के कारण, एक अति महत्वपूर्ण मामला, जो मैंने उठाया था, स्पष्ट रूप से नहीं सुनाई दिया— मैं राज्य सरकार का विषय नहीं ला रहा हूँ । केन्द्रीय सरकार को देश के सर्वोच्च न्यायालय को गुमराह करने और उसके आदेशों की जानबूझ कर अवज्ञा करने का दोषी पाया गया है। यह एक ऐसा मामला है, जिसे नजरन्दाज नहीं किया जाना चाहिये । हमें मालूम होना चाहिये कि ऐसा करने के लिये कौन जिम्मेदार है । क्या यह कोई अधिकारी है ? अथवा क्या इसके बारे में मन्त्री स्तर

पर विचार किया गया है अथवा नहीं। हमें इसके बारे में जानकारी मिलनी चाहिए। दो नागा लोग लापता हैं।

अध्यक्ष महोदय : उच्चत्तम न्यायालय ने कुछ किया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं उच्चत्तम न्यायालय के बारे में नहीं कह रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप ने सूचना कब दी।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैंने सूचना कल दी।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : केन्द्रीय सरकार ने उच्चतम न्यायालय के आदेशों की अवज्ञा की है। उन्होंने उच्चतम न्यायालय को गुमराह किया है। केन्द्रीय सरकार ने जानबूझ कर उच्चत्तम न्यायालय की अवज्ञा की है।

अध्यक्ष महोदय : मैं देखूगा।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : सरकार को इस संबंध में एक वक्तव्य देने का निदेश दिया जाना चाहिये।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये)

12.18 म.प.

उपाध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष महोदय ने कहा है कि वह इस पर विचार करेंगे।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : उपाध्यक्ष जी, इंडियन रेलवे सिगनल ऐंड टेलि-कम्युनिकेशन स्टाफ एसोसिएशन ने वर्क टु रुल का नोटिस दिया है रेल मन्त्रालय को। मेरा निवेदन है कि अगर वे कुछ नहीं करेंगे तो उससे स्थिति बड़ी गंभीर हो जायेगी। **(व्यवधान)** मैंने आप के पास लिखकर भेजा है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप ने जो दिया है, वह क्या है ? क्या आप ने कोई नोटिस दिया है। आप ने कुछ नहीं दिया है।

श्री रामावतार शास्त्री : मैंने ध्यानाकर्षण सूचना दी है।

उपाध्यक्ष महोदय : हो सकता है कि वह अध्यक्ष महोदय के विचाराधीन हो।

श्री रामावतार शास्त्री : मुख्य बात यह है, उन्हें इस मामले को निपटाने के लिये कहना चाहिये। इसे इस तरह घिसटने नहीं देना जाना चाहिये।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : मैं राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित एक महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूं। आपने भी समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि पाकिस्तान अब परमाणु क्षमता प्राप्त कर रहा है। अमरीका की विदेश कार्यसमिति ने एक संकल्प पारित किया है। और वे अमरीका के राष्ट्रपति से एक प्रमाणपत्र मांग रहे थे ताकि पाकिस्तान को हथियारों और आर्थिक सहायता बन्द कर दी जाये जब तक कि यह प्रमाणपत्र नहीं दिया जाता कि

पाकिस्तान इसमें अभी सफल नहीं हुआ है। और अगले दिन, अमरीका के विदेश कार्य विभाग ने एक आन्दोलन चलाया है। और उनके आन्दोलन के परिणामस्वरूप...

(अध्यक्ष महोदय पीठसीन हुये)

विदेशी कार्य समिति के निर्णय को उसके पक्ष में 8-9 वोट और विरोध में 8 वोट से बदल दिया गया है।

परन्तु अमरीका के राष्ट्रपति ने उक्त प्रमाणपत्र देने से इन्कार कर दिया है।

अतः मैं यह बात सरकार की जानकारी में लाना चाहता हूं कि वह पाकिस्तान की परमाणु क्षमता दर्शाने वाला एक विवरण दे, जब कि पाकिस्तान प्रशासन आक्रमण दृष्टिकोण अपना रहा है। मैं चाहता हूं कि भारत सरकार को इस विषय पर एक बयान देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : क्या आपने मेरी बात सुनी है। जिस समय मैंने कहा, आप पीठासीन नहीं थे। जब आप आये, आप कुछ और पढ़ रहे थे। मैंने जो कुछ कहा आपने वास्तव में उसे नहीं सुना। मैंने पाकिस्तान द्वारा की परमाणु क्षमता प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में जो कुछ कहा, उसे मैं संक्षेप में दोहराऊंगा।

मैं इस विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए कह रहा था कि थोडे दिन ही पहले अमरीका की विदेशी कार्य समिति ने इसे नोट किया कि पाकिस्तान ने परमाणु क्षमता प्राप्त कर ली है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे इस विषय पर भी कुछ ध्यानाकर्षण प्राप्त हुये हैं। वे मेरे विचाराधीन हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव : तब इसे ध्यानाकर्षण के रूप में लीजिये। और सरकार को इस विषय पर एक बयान देने दीजिये।

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्टसगंज) : अध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक गम्भीर मामला हो गया है, जिसके संबंध में मैंने नियम 377 के अन्तर्गत नोटिस दिया था और आपने बड़ी कृपा पूर्वक उत्तर प्रदेश सरकार से सूचना मंगाई थी और यह सिद्ध हो गया है कि हरिजनों और आदिवासियों पर जुल्म ढाए हैं। पुलिस ने उन लोगों के खिलाफ चार्ज शीट दाखिल कर दिया, परन्तु उत्तर प्रदेश का वन विभाग इन कर्मचारियों को बचा रहा है। उनको निलम्बित नहीं किया जा रहा है, जिनको उत्तर प्रदेश की पुलिस ने दोषी पाया है। निलम्बित न होने की वजह से उत्तर प्रदेश के हरिजनों और आदिवासियों में असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो गई है। वन विभाग द्वारा बदला लेने की भावना से उनको मारा-पीटा जा रहा है और विभिन्न मामलों में फंसाने की कोशिश हो रही है।

अध्यक्ष महोदय : हम देखेंगे : इस तरह नहीं। हम देखेगे। इसे उनके पास भेजना पड़ेगा। हम देखेंगे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, बंगला देश से हमारे जवानों पर लगातार गोली चल रही हैं ।

अध्यक्ष महोदय : हम कल 4 बजे म. प. को इस पर चर्चा रख रहे हैं ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या नियम 193 के अधीन ?

अध्यक्ष महोदय : वाजपेयी जी, जो प्रश्न आपने उठाया है उसके बारे में एक बात और है । वकतव्य के बारे में जो जानकारी आपने मांगी भी, उस संबंध में प्रधान मंत्री से मुझे एक पत्र प्राप्त हुआ है । क्या मैं उसे पढ़ सकता हूं ?

माननीय सदस्य : जी, हाँ ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने मुझे लिखा है—

"प्रिय अध्यक्ष महोदय,

कुछ समाचारपत्रों में मेरे बारे में की गई टिप्पणियों और कुछ संसद सदस्यों द्वारा हमारी खुफिया एजेंसियों के बारे में कही गई बातें सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ है । चंडीगढ़ हवाई अड्डे पर मैं थोड़े समय के लिए रुकी थी और इस अवधि में मैंने अनेक बातें कहीं थी, परन्तु मैंने हमारी पुलिस या अन्य सेवाओं के लिए निन्दा जैसी कोई बात नहीं कही थी ।

मैंने कहा था कि सत्ता में आने से पहले जनता पार्टी के मन में यह विश्वास घर कर गया था कि मैं आसूचना सेवाओं का अपने दल के लिए प्रयोग कर रही थी । इसमें न कोई सचाई थी और न है । परन्तु इस विश्वास के कारण जनता पार्टी की सरकार ने इस मसले की जांच के लिए एक समिति नियुक्त की थी । इस वजह से इन सस्थानों को नुकसान पहुंचा और उनका मनोबल गिर गया । कुछ हद तक यह जातीयता की भावना भी पैदा हुई ।

मैंने यह कहीं भी नहीं कहा कि अकाली-जनता शासन के दौरान पंजाब में आसूचनाओं सेवाओं में अपराधियों और साम्प्रदापिक तत्वों की भर्ती की गई ।

मैंने यह भी कहा था कि कुछ लोगों द्वारा बुद्धिमता पूर्वक कार्य न करने के कारण पूरी पंजाब पुलिस या अन्य ऐसी सेवाओं की खुले आम निन्दा करना उचित नहीं है । मैं यह जानती हूं कि पंजाब पुलिस और केन्द्रीय रिजर्व बलों के लिए यह कार्य बहुत कठिन है ।

मैंने यह बात बिल्कुल अलग से कही थी कि असामाजिक तत्व और नकसलवादी अशांतिपूर्ण स्थिति का लाभ उठा रहे हैं ।

मैं स्थिति स्पष्ठ करने के लिए यह पत्र लिख रही हूं कि क्योंकि कुछ समाचारपत्रों ने मेरे कथन को गलत रूप से प्रकाशित किया है···

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री जी सदन में आ सकती थीं और यहां बोल सकती थीं । इसके लिए आपको चिट्ठी लिखाने की जरूरत नहीं थी...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जो भी जानकारी मुझे प्राप्त हुई है, मैंने वह आपको दे दी है।

(व्यवधान)

श्री रतनसिंह राजदा (बम्बई दक्षिण) : यह असामान्य प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया अभूतपूर्व है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने यह आपकी सहमति से किया है।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : प्राइम मिनिस्टर यहां पार्लियामेंट हाऊस में हैं, वह यहां आ सकती थीं।

श्री रतनसिंह राजदा : क्या आप इस प्रकार की प्रक्रिया से सहमत हैं? यह प्रक्रिया अभूतपूर्व है, जब सत्र चल रहा है, तो उस समय यह प्रक्रिया बिल्कुल नई है। हमें इस पर आपत्ति है, प्रधान मत्री को यह वकतव्य नहीं देना चाहिए था। आज उन्होंने आप को पत्र लिखा है। यह असामान्य बात है।

श्री रामविलास पासवान : यह ठीक है आप ने कन्वे कर दिया, लेकिन प्राइम मिनिस्टर यहां थीं, वे यहां आ सकती थीं।

12.25½ म. प.

सभा पटल पर रखे गए पत्र

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं, साइकिल कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, कलकत्ता के तथा खादी और ग्रामोद्योग आयोग, बम्बई के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन और इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण बताने वाले विवरण

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस.बी.पी. पट्टाभि राम राव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18कक् की उप-धारा (2) के अन्तर्गत, निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) का०आ० 208(अ), जो 27 मार्च, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा मैसर्स महादेव टैक्सटाइल मिल्स, हुबली (कर्नाटक) के प्रबंध-ग्रहण की अवधि को 5 वर्षों से आगे बढ़ने के बारे में है।

(दो) का०आ० 210(अ), जो 27 मार्च, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा मैसर्स एल्युमीनियम कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, कलकत्ता, के प्रबंध-ग्रहण की अवधि को 5 वर्षों से आगे बढ़ाने के बारे में है। [ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी.-8219/84]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत, निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) साइकिल कारपोरेशन आफ़ इण्डिया लिमिटेड, कलकत्ता, के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) साइकिल कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, कलकत्ता, का वर्ष 1982-83 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी.-8220/84]

(4) (एक) खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 24 की उपधारा (3) के अंतर्गत, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, बम्बई, के वर्ष 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) खादी और ग्रामोद्योग आयोग, बम्बई, के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी-8221/84]

'इस्को' स्टेंटन पाइप एण्ड फाउंडरी कम्पनी लिमिटेड कलकत्ता के 31 मार्च, 1983 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन और इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण बताने वाला विवरण

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : मैं श्री एन.के.पी. साल्वे की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत, निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) 'इस्को' स्टेंटन पाइप एंड फाउन्डरी कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता, के 31 मार्च, 1983 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) 'इस्को' स्टेंटन पाइप एंड फाउन्डरी कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता, का 31 मार्च, 1983 को समाप्त हुये वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुये विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। **[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी.—8222/84]**

पेंशन की बकाया राशियों का भुगतान (नामनिर्देशन) (संशोधन) नियम, 1984

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकटसुब्बय्या) : मैं पेंशन अधिनियम, 1871 की धारा 16 के अंतर्गत, पेंशन की बकाया राशियों का भुगतान (नामनिर्देशन) (संशोधन) नियम, 1984, जो 17 मार्च, 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 789 में प्रकाशित हुये थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं। **[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी.-8223/84]**

इलेक्ट्रानिकल्स ट्रेड एण्ड टैकनोलोजी डेवलेपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 198 -83 के कार्यकरण की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन

इलेक्ट्रानिकस विभाग और खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा. एम. एस. संजीवी राव) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत, निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) इलैक्ट्रानिक्स ट्रेड एंड टैक्नालोजी डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) इलेक्ट्रानिक्स ट्रेड एण्ड टेक्नालोजी डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली, का वर्ष 1982-83 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। **[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी.-8224/84]**

12.26 म. प.

राज्य-सभा से संदेश

संघ राज्य क्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक राज्य सभा द्वारा पारित

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेश की सूचना सभा को देनी है :

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे राज्य सभा द्वारा 24 अप्रैल, 1984 को हुई अपनी बैठक में पारित संघ राज्य क्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक, 1984 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

———

संघ राज्य-क्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक 1984

राज्य सभा द्वारा यथा पारित

महासचिव : महोदय, मैं संघ राज्य क्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक, 1984, राज्य सभा द्वारा यथापारित, सभा पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय : क्या उस पत्र को पढ़ने से पूर्व मैंने आपसे पूछा नहीं था ?

(व्यवधान)

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : उन्होंने एक बुरी मिसाल पेश की है। यह सदन की अवमानना है। वह सदन की अवमानना की दोषी हैं। वह संसद में हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह अत्यन्त साधारण बात है। मुझे सूचना मिल गई है। मैंने वह सूचना आपको दे दी है। मैंने आपसे पूछा था, 'क्या मुझे यह पढ़ना चाहिए ?' यदि आपने यह कहा होता कि नहीं, हम इसे नहीं सुनेंगे, तो मैंने इसे पढ़ा नहीं होता। सबसे पहले, मैंने आपकी सहमति ली। (व्यवधान)

———

12.26½ म० प०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

76वां प्रतिवेदन

श्री जी. लक्ष्मणन (मद्रास-उत्तर) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का 76 वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

12.27 म. प.

लोक लेखा समिति

199वां और 200वां प्रतिवेदन

श्री भीकूराम जैन (चांदनी चौक) : मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :

(1) रेलों में वैगनों की उपलब्धा के सम्बन्ध में समिति के 103वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 199वां प्रतिवेदन ।

(2) भारत सरकार के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के वर्ष 1980-81 के प्रतिवेदन, संघ सरकार (सिविल), राजस्व प्राप्तियां, खंड-I, सीमा शुल्क प्राप्तियों से सम्बन्धित अप्रत्यक्ष करों—यात्रियों के सामान पर शुल्क, के पैरा 1.19 के बारे में 200वां प्रतिवेनन ।

———

12.28 म. प.

प्राक्कलन समिति

82वां प्रतिवेदन और कार्यवाही-सारांश तथा सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 66वां प्रतिवेदन

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : मैं प्राक्कलन समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :

(एक) परमाणु ऊर्जा विभाग—विद्युत उत्पादन के बारे में 82वां प्रतिवेदन तथा समिति की तत्सम्बन्धी बैठकों के कार्यवाही-सारांश ।

(दो) वाणिज्य मंत्रालय—कपड़ा विभाग—कपड़ा आयुक्त के संगठन के बारे में समिति के 46वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही में 66वां प्रतिवेदन ।

———

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति

87वां प्रतिवेदन और कार्यवाही-सारांश

श्री मधुसूदन वैराले (अकोला) : मैं केन्द्रीय कोयला धोवनशाला संगठन के बारे में

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति का 87वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) और समिति की तत्सम्बन्धी बैठकों के कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूं।

———

12.29 म. प.

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति

47वां और 48वां प्रतिवेदन तथा सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 49वां प्रतिवेदन

श्री अनादि चरण दास (जाजपुर) : अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :—

(1) ऊर्जा मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग)—इण्डियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड तथा अन्य आयल कंपनियों द्वारा वितरण एजेंसियों के आवंटन में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए आरक्षण के बारे में 47वां प्रतिवेदन।

(2) उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग)—भारत लैदर कार्पोरेशन लिमिटेड में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए आरक्षण और उनके नियोजन तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के आर्थिक विकास के लिए इस निगम द्वारा प्रदत्त सुविधाओं के बारे में 48वां प्रतिवेदन।

(3) ऊर्जा मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग)—तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए आरक्षण और उनके नियोजन के सम्बन्ध में समिति के 38वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 49वां प्रतिवेदन।

श्री रतन सिंह राजदा (बम्बई दक्षिण) : यह एक असामान्य प्रक्रिया है। सदन के नेता को सदन के समक्ष आना चाहिए था। क्या आप इस प्रक्रिया से सहमत हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपसे पूछा था। मुझे जो जानकारी मिली, उसे आपको जानकारी में लाना मेरा कर्त्तव्य है।

श्री रतन सिंह राजदा : आपका प्रधान मंत्री से सदन में उपस्थित होने और वक्तव्य देने के लिए कहना चाहिए था।

अध्यक्ष महोदय : तब, मैं क्या करूं ?

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : हम आपके आचरण पर कोई संदेह नहीं कर रहे हैं लेकिन हमें प्रधान मंत्री के आचरण पर आपत्ति है।

अध्यक्ष महोदय : यदि आपने मना कर दिया होता, तो मैंने उनसे पूछा होता···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जो भी जानकारी मुझे मिली है, वह मैंने आपकी अनुमति से आपके समक्ष प्रस्तुत कर दी है। **(व्यवधान)**

श्री रतन सिंह राजदा : हमें यह नहीं पता था कि आप क्या पढ़ने जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री रशीद मसूद। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : जो भी जानकारी मुझे मिली है उसे मैंने आपकी अनुमति से आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया है।

श्री रतन सिंह राजदा : क्या आप प्रधान मंत्री के आचरण से सहमत हैं ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न मत कीजिए। कोई भी बात कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं की जाएगी। नहीं, नहीं, कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित न करिए। आप चर्चा के लिए कोई दूसरा मुद्दा लाइए। मैं इसे पसन्द नहीं करता। **(व्यवधान)****

श्री रतन सिंह राजदा : यह प्रक्रिया यहीं है।

अध्यक्ष महोदय : यह कोई प्रक्रिया का प्रश्न नहीं है। यह सूचना मुझे मिली है और उससे मैंने आपको अवगत करा दिया है। यह साधारण बात है। **(व्यवधान)**

श्री रतन सिंह राजदा : प्रधान मंत्री को सदन के समक्ष आना चाहिए था। यह हम आपको बताना चाहते हैं। यह सर्वाधिक आश्चर्य की बात है।

अध्यक्ष महोदय : यदि आपने यह कहा होता कि हम इसे नहीं सुनेंगे तो मैं इसे नहीं पढ़ता। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है।

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद) : अगर माननीय सदस्य कोई सप्लीमेंटरी इन्फोर्मेशन चाहेंगे तो वह कैसे मिलेगी।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, भविष्य के लिए ख्याल रखा जाए। यह ठीक है—आपने इस मामले में पूछा था।

अध्यक्ष महोदय : आप नहीं कहते, तो मैं नहीं पढ़ता। मैंने आपसे पूछ कर किया है। इस विषय पर अब और ज्यादा चर्चा नहीं। श्री रशीद मसूद।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : भविष्य में ऐसा नहीं होना चाहिए।

**कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : अगर आप न कहते, तो मैं यह न बताता।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : वे सदन की नेता हैं, सदन में आकर बताना चाहिए था।

अध्यक्ष महोदय : रोज बयान देते हैं, आज कोई नई बात नहीं है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : लेकिन भविष्य में ऐसा नहीं होना चाहिए।

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : विपक्ष के माननीय सदस्य जो कुछ कह रहे हैं, मैं उससे सहमत नहीं हूं। प्रधान मंत्री ने इस सदन के प्रति सर्वाधिक सम्मान दिखाया है। आधारहीन कहानियां भी समाचार-पत्रों में स्थान पा जाती हैं और उन्हें यहां उठाया जाता है। उन्होंने इस बारे में आपको पत्र लिखा है कि यह सही नहीं है। सही क्या है, यह उन्होंने (प्रधान मंत्री) बताया है।

अध्यक्ष महोदय : श्री रशीद मसूद। (व्यवधान)

श्री रतन सिंह राजदा : श्रीमन, क्या आप सदन की भावनाओं से प्रधान मंत्री को अवगत कराने की कृपा करेंगे ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री रशीद मसूद।

12.31 म. प.

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

शीत लहर, वर्षा और ओलावृष्टि के कारण, फसलों को हुए भारी नुकसान के समाचार

श्री रशीद मसूद (सहारनपुर) : मैं कृषि मंत्री महोदय का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें :

> "शीत लहर, वर्षा और ओलावृष्टि के कारण, विशेष रूप से देश के उत्तरी क्षेत्र में, फसलों को हुए भारी नुकसान के समाचार और इस मामले में सरकार द्वारा उठाए गए कदम।"

कृषि मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : महोदय, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 1 मार्च से 18 अप्रैल, 1984 की अवधि के दौरान विशेष रूप से पूरे उत्तर भारत में वर्षा सामान्य से कम या बहुत कम हुई। केवल जम्मू व कश्मीर में ही वर्षा सामान्य रही। पश्चिम की ओर से एक सक्रिय विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत की ओर बढ़ा और इससे जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में 19 से 23 अप्रैल, 1984 की अवधि के दौरान छिट-पुट से लेकर व्यापक तौर पर वर्षा हुई। इसी अवधि के दौरान उत्तर भारत के शेष भागों में भी छिट-पुट वर्षा हुई। हरियाणा सरकार द्वारा दी गई सूचना के

अनुसार हाल की ओला वृष्टि से गुड़गांव जिले के 6 गांवों और सिरसा जिले के 3 गांवों पर इसका बुरा असर पड़ा। इसमें सिरसा जिले का लगभग 500 एकड़ का क्षेत्र शामिल है। इससे कोई अन्य क्षेत्र प्रभावित हुए हैं या नहीं, इस सम्बन्ध में सूचना राज्य सरकार से एकत्र की जा रही है। पंजाब सरकार और दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र ने सूचित किया है कि वे वर्षा और ओलावृष्टि से हुई क्षति यदि कोई हो, के बारे में जानकारी एकत्र कर रहे हैं। अभी तक हुई क्षति सम्बन्धी कोई सूचना राज्य के मुख्यालय में प्राप्त नहीं हुई है।

किसी भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से ओलावृष्टि या वर्षा से हुई किसी भी प्रकार की क्षति के बारे में अभी तक कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, इलाहाबाद, कानपुर (देहात) तथा बाराबंकी जिलों में शीत लहर के कारण फसलों को क्षति होने की सूचना मिली है। इससे फसल को हुई क्षति के ब्यौरों का जायजा लिया जा रहा है। हरियाणा के भिवानी, महेन्द्रगढ़, जीन्द, रोहतक, सिरसा और हिसार जिलों में फसल को क्षति होने की सूचना मिली है। राज्य सरकार द्वारा क्षति का अन्तिम रूप से जायजा लिया जा रहा है। शीत लहर के कारण हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू व कश्मीर के राज्यों और चण्डीगढ़ तथा दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्रों से फसल को हुई किसी भी प्रकार की क्षति की कोई सूचना नहीं मिली है।

नया वित्तीय वर्ष अभी शुरू ही हुआ है और सभी राज्यों के पास सीमान्त धनराशि उपलब्ध है और जहां कहीं राहत पहुंचाने की आवश्यकता हो, वे राहत सम्बन्धी उपाय कर सकते हैं।

मैं सदन को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि प्रभावित राज्यों से क्षति आदि के बारे में विस्तृत सूचना प्राप्त होने पर राहत और पुनर्वास के लिए समुचित कदम उठाए जाएंगे।

अध्यक्ष महोदय श्री रशीद मसूद :

श्री रशीद मसूद : मुहतरम स्पीकर साहब, मंत्री जी का बयान पढ़ने से ऐसा महसूस होता है जैसे कि इस मुल्क में कोई सरकार है ही नहीं। सन् 1980 में यह सरकार वायदा करके आई थी कि यह वह सरकार होगी **दि गवर्नमेंट दैट वर्क्स** लेकिन इस बयान को देखने से ऐसा मालूम होता है कि यह सरकार कोई काम नहीं करना चाहती है। इस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इसमें कोई इन्फार्मेशन कनवे नहीं की गई है और इसका रीजन यह है कि स्टेट्स से इन्फार्मेशन नहीं आई है। खुशकिस्मती से या बदकिस्मती से जिन स्टेट्स के बारे में यह कालिंग एटेंशन हैं, जम्मू व स्टेट को छोड़ कर, उन सभी स्टेट्स में उस पार्टी की सरकारें हैं, जिस पार्टी की सरकार केन्द्र में है। लेकिन कालिंग अटेंशन मंजूर हो गया, एडमिट हो गया और उसका जवाब देने के लिए भी मंत्री जी यहां चले आये। मगर कोई इन्फर्मेशन कलेकट उन्होंने नहीं की, अधूरा जवाब लेकर चले आए।

मैं यह नहीं कहता कि जिन लोगों के मुतल्लिक यह कालिंग अटेंशन है उन लोगों से आपको बिल्कुल कोई दिलचस्पी नहीं है। ये वे लोग हैं जो उस गर्मी में खेतों पर काम करते हैं

जबकि दिल्ली, कलकत्ता और बम्बई जैसे शहरों के लोग घरों से बाहर निकलते हुए डरते हैं। ये लोग खुली और कड़ाके की धूप में खड़े होकर फसल काटते हैं, फसल बोते हैं। ये लोग उस बरसात में धान की बुवाई करते हैं जबकि सरकार के अन्दर के लोग घरों से बाहर निकलना पसन्द नहीं करते। ऐसा लगता है कि इन लोगों से सरकार की इसलिए दिलचस्पी नहीं है कि ये लोग इलेक्शन फण्ड में मदद नहीं कर सकते हैं, ये लोग किसी दूसरे तरीके से भी सरकार की कोई मदद नहीं कर सकते हैं। ये वे लोग हैं जिनकी आवाज पार्लियामेंट तक बड़ी मुश्किल से पहुंच पाती। जब सर्दी में आप लोग हीटर लगा कर अपने कमरों में बैठे रहते हैं, ये लोग उस सर्दी में खेतों में जा कर काम करते हैं और सब लोगों के लिए गेहूँ पैदा करने की कोशिश करते हैं। सर्दी के दिन गेहूँ की बुवाई के दिन होते हैं और किसान लोग खुले खेतों में खड़े हो कर मुल्क के लोगों के लिए गेहूं पैदा करता है।

12.36 **म. प.**

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

मन्त्री जी, इन लोगों को कोई तकलीफ आये, कोई दुःख-दर्द आये, कोई परेशानी आये, आप इनके बारे में इन्फर्मेशन कलेक्ट नहीं कर पाते हैं। क्योंकि आपको इस सेक्टर के लोगों से दिलचस्पी नहीं है हालांकि आप भी उसी सेक्टर के हैं मैं आपको दिल्ली मेट्रोपोलिटन कौंसिल के एक एक्जीक्युटिव कौंसलर के बयान के बारे बताता हूं। उस बयान को देख कर ऐसा लगता है कि उनको तो यह जानकारी हो गई लेकिन मंत्री जी को उसके बारे में अब तक कोई इन्फर्मेशन नहीं आई। पता नहीं मंत्री जी को इसके बारे में क्यों इत्तिला नहीं आई। जो ओला पड़ा, बारिस हुई और हवा चली उससे किस कदर किसानों की फसलों को नुक्सान हुआ और उससे वे परेशान हैं, यह मैं एक्जीक्युटिव कौंसलर के बयान से पढ़ कर सुनाता हूं।

> "कार्यकारी पार्षद, प्रेम सिंह ने स्वीकार किया है कि फसलों को भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने जिला मजिस्ट्रेट आर. एस. सेठी को आदेश दिया है कि वह उन क्षेत्रों में हुए नुकसान का आकलन करने के लिए शीघ्र राजस्व अधिकारियों को भेजें।"

आपकी ही पार्टी के वे एक्जीक्युटिव कौंसलर हैं और उन्होंने एक डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट को इन्कवायरी करने के लिए भेज दिया और इसकी आपको इत्तिला तक नहीं हुई कि कोई नुकसान हुआ है या नहीं। वहां पर टेम्परेरी तौर पर कर्जों की वसूली सस्पेंड कर दी गई है। जब आपको यहाँ की ही इत्तिला नहीं है तो जो दूरदराज किसान रहते हैं, उनकी परेशानी के बारे में आपको क्या इत्तिला होगी। यह बहुत अफसोसनाक हालत है। इसलिए अफसोसनाक हालत है कि हमारे मोत्तरिम वजीर साहब उसी कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं जिसकी तकलीफ और दुःख को लेकर हम यहां पर आज यह बात कर रहे हैं।

मोत्तरिम वजीर साहब को या तो इन बातों का पता नहीं है, या वे बताना नहीं चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि गुड़गांवा के 6 विलेजिज में और सिरसा के 3 विलेजिज में यह नुकसान हुआ है। यह नुक्सान इन विलेजिज में ही नहीं बल्कि मुल्क के हजारों-हजारों विलेजिज में हुआ है।

खेतों में जहां गेहूं खड़ा था, उनमें पानी भर गया। जिन जगहों पर पानी भर जाता है उन जगहों पर गेहूँ काला हो जाता है और खराब हो जाता है। वह काला गेहूँ जब किसान आपके सेन्ट पर लेकर जाता है तो उसे वहां बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है। इसका हल आप नहीं निकाल सके हैं। पिछले साल आपने अपने स्टेंडर्ड को लोअर किया था। लेकिन स्टेण्डर्ड को लोअर करने के बाद भी हकीकत यह है कि उससे किसान को कोई राहत नहीं मिली है। आपके लोअर स्पेसिफिकेशन करने के बावजूद भी आपके सेन्टर वाले उसके गल्ले को खरीदने से इन्कार कर देते हैं। जब तक इन्सपेक्टर को पैसा नहीं दिया जाता, वह उस गेहूं को पास नहीं करता। आप इसकी क्या व्यवस्था करेंगे, इसका क्या इन्तजाम करेंगे ? जो गेहूं खलिहानों में कटा हुआ पड़ा है, काला हो गया है, खराब हो गया है, उसकी वजह से आज किसान परेशान है। यह बात आज ही नहीं हुई है, पिछले साल भी मैंने इस मसले को उठाया था। मैंने खुद सेन्टर्स में जाकर इस चीज को देखा और कई सेन्टरों में किसानों ने मुझसे शिकायतें भी कीं। मैंने उन शिकायतों को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सहारनपुर के पास भी भेजा था। डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट सहारनपुर को शिकायत करने के बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया गया। सिर्फ यह हुआ कि जिस दिन चैकिंग हुई, उस दिन जो अनाज लाए थे, वह ले लिया गया। अगर ऐसा है तो फिर हम लोगों का मकसद क्या है जो हम पार्लियामेंट और असेंबलीज में बैठे हुए हैं। मैं जानता हूं कि ज्यादातर चीजें स्टेटगवर्नमेंट के अधीन आती हैं। लेकिन वहां भी तो आपकी पार्टी की सरकारें हैं। आप वहां असरअंदाज हो सकते हैं। आप कह सकते हैं कि किसानों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। कटी हुई फसल के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। खड़ी फसल को भी आंधी से नुक्सान हुआ है। बालों के टूटने से नुक्सान हुआ है। आपके कहने के अनुसार कोई नुक्सान नहीं हुआ है। मैं नहीं समझता कि आपको कौन आंकड़े देता है। कौन सी एजेंसी आपको आंकड़े सप्लाई करती है जिसके तहत मुल्क का पेट भरने वाले किसान की कोई सुनवाई नहीं होती है। उसकी तकलीफ का आपको कोई अहसास नहीं होता है। जब अहसास नहीं होता है तो हम लोगों को गुस्सा आता है और कर तो हम कुछ नहीं पाते हैं, कालिंग अटेंशन देते हैं और सारा गुस्सा आपके सामने निकाल देते हैं। लेकिन अफसोस यह है कि जो कुछ हम यहां पर कहते हैं उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है।

अखबारों की रिपोर्ट है कि खरीद किया हुआ गल्ला भी भीग गया है और खराब हो गया है जो खरीद सेंटर्स पर पड़ा हुआ था। आप यह बात कैसे कह रहे हैं कि नुक्सान नहीं हुआ है। किसान का भी नुक्सान हुआ है। मेरे कहने का मतलब यह है कि कटी फसल को भी नुक्सान हुआ है, खड़ी फसल को भी नुक्सान हुआ है और जहां थ्रेशिंग हो रही है वहां भी नुक्सान हुआ है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि आखिर क्या इन्तजाम किया जा रहा है जिससे किसान को राहत न मिल सके और उसकी लूट बन्द हो।

दूसरी बात मैं अपने जिले की बताना चाहता हूँ। जितना शिवाली का तराई का इलाका है या गंगा खादर का इलाका है, उसमें तमाम झोंपड़ियां बनी हुई हैं। वहां पर गरीब लोग बसते हैं। वहां पर आंधी आने से झोंपड़ियों में आग लग जाती है जो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है। पिछले दिनों मैं अपने इलाके में गया था एक गांव में। वहां पर आग लगी

थी। ढाई सौ मकान जलकर खाक हो गए थे। कई जानवर जल गए थे। शुक्र है कि किसी आदमी की जान का नुक्सान नहीं हुआ। लेकिन वहां जाकर मालूम हुआ कि उसके बराबर-बराबर के 18 गांव जल गए हैं। इसके बावजूद कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तहसीलदार या अफसर या पटवारी तक भी वहां इस चीज को देखने के लिए नहीं गया था, मेरे जाने तक। दूसरे दिन मैंने डी एम को रिपोर्ट दी कि इतने गांव जल गए हैं। उन्होंने बताया कि हमारे पास तो एक गांव की रिपोर्ट आई है। मैंने बताया कि एक नहीं 18 गांव जले हैं। यह बात सही है कि ज्यादातर मामले स्टेट गवर्नमेंट के अधीन आते हैं, लेकिन दो तीन चीज आप स्टेट गवर्नमेंट को जरूर लिखें। (व्यवधान)

आप लिखें कि सहारनपुर से लेकर शिवाली की तराई के गांवों के लिए फायर ब्रिगेड का इन्तजाम होना चाहिए ताकि आग को सही वक्त पर बुझाया जा सके। मसलन अब जो आग लगती है देहरादून के नीचे बिल्कुल तो आग बुझाने के लिए सहारनपुर से प्रबन्ध हो सकता है। टेलीफोन का कोई प्रबन्ध नहीं है पिछले जनता राज में यह बात की गई थी कि मिर्जापुर, छुटमलपुर या मुजफ्फरनगर और दूसरे इलाकों में जहां नियरेस्ट पाइन्ट पर पासीबल हो सकता था, हमने रखा था कि आग लगने का जिन गांवों में खतरा है उनके करीब फायर बिग्रेड रखें ताकि आग बुझाने में आसानी रहे। स्पीकर साहब भी बता रहे थे लेकिन आपने कहा है कि डेमेज की सूचना आपके पास नहीं आई है। सत्तर फीसदी के करीब बागात में नुकसान हुआ है। बुलन्दशहर, मुजफ्फरनगर और लखनऊ में तो आम के बागात में पचास से सत्तर फीसदी नुकसान हुआ है। जिन लोगों ने बाग नहीं बेचे थे, उनके बेचने का सवाल नहीं है। जिन्होंने बाग खरीद लिये थे, वे छोड़कर भागना चाहते हैं। अब जो बीमारी लगी है, उसके लिए कोई दवाई एवेलेबल नहीं है पहले हैलिकाप्टर से दवा का छिडकाव हो जाता था, वह भी आपने नहीं कराया। इस सिलसिले में आप क्या करायेंगे ? इससे भी ज्यादा परेशानी यह है कि जब हवा चलती हैं तो बिजली के खंभे गिर जाते हैं और बिजली की लाईनें टूट जाती हैं। आप जानते हैं क्योंकि आप खुद किसान हैं, आजकल अर्शिग का जमाना है। किसान को किस तरह जल्दी होती है कि वह आइन्दा आने वाले मौसम से सावधान हो जाना चाहता है। बिजली के खंभों और लाईनों को दोबारा ठीक करने के लिए आपका आदमी जाने के लिए तैयार नहीं होता है। इनको ठीक करने के लिए उनसे पैसे मांगे जाते हैं। जब वह पैसे देंगे तब जाकर वह ठीक होगा। आपने मैट्रोलाजिकल का जिक्र किया है। इसके बारे में देहात में मशहूर हो गया हैकि जब आप कह दें कि बारीश आयेगी तब इतमिनान से घरसोचले जाओ और जिस दिन यह कहें कि आज आंधी, हवा या बारीश का खतरा नहीं है, उस दिन घर पर मौजूद रहो। अब तो आपने इनसैट ए और बी लगा दिया है। कम-से-कम मौसम के बारे में एक्युरेट एलान कर दिया करें। डबलपमेंट ब्लाक्स के लिए ऐसा इन्तजाम होना चाहिए जिससे आंधी या तूफान की इत्तिला दी जा सके, जिन इलाकों में इसके आने का अन्देशा हो। जब उड़ीसा के बारे में बात हो रही थी तो वहां का जो डवलपमेंट ब्लाक का आफिस था, वह बिल्कुल फेल हो गया। इत्तिफाक से उस समय मेरा ही कालिग अटेशन था। आपने कहा था कि हमने तीन दिन पहले इत्तिला कर दी थी। लेकिन आपके डिपार्टमेंट का कोई भी आदमी किसी गांव में नहीं गया था। वह तो बहुत बड़ा खतरा था लेकिन इससे तो जान का खतरा

नहीं है। किसान तो पूरा साल फसलों पर ही निर्भर रहता है, उसकी कोई दूसरी इन्कम नहीं है। अपने डिपार्टमेंट को आप कहें कि वह सही खबरें दे। जिन इलाकों में इस बात का खतरा हो कि तूफान आयेगा, उनको पहले से ही इत्तिला दी जा सके, इस बात का इन्तजाम होना चाहिए जिससे जान बच सके। दूसरी बात, आग से बच सकें और तीसरी बात जो बिजली के खंभे गिर जाते हैं, उनको दोबारा लगाने के लिए सरकारों से कहा जाए। आपने मेरे जिले का भी जिक्र किया है कि वहां सर्दी से नुकसान हुआ है। असल में बारीश का नुकसान सर्दी से ज्यादा हुआ है। आप, कर्ज की रिकवरी कुछ समय के लिए सस्पेन्ड कर देते हैं। अगले साल जब आप कर्जा लेने जाते है, उस अरसे का जिसके लिए आपने रिकवरी सस्पेन्ड की थी, उसका पूरा इन्टरेस्ट लेते हैं। बजाय इसके कि किसान को राहत मिले, वह मुसीबत में फंस जाता है। मेरी दरख्वास्त है कि जिस पीरियड के लिए आप सस्पेन्ड करते हैं, उसका इन्टरेस्ट न लिया जाए। यह दो-तीन प्रोपोजल्स हैं। उम्मीद है, आप हमदर्दी से गौर फरमायेंगे।

राव बीरेन्द्र सिंह : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मोहतरिम मैम्बर ने जो बातें यहां कहीं मैं उनमें बहुत सी बातों से सहमत हूं। जब भी किसानों पर कुदरती आफत आती है तो सरकार की कोशिश यही होती है कि उसको ज्यादा से ज्यादा मदद पहुंचाई जाए। जैसा आनरेबल मैम्बर भी जानते हैं, असल में यह सारी जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंटस की है और उन्होंने खुद भी फरमाया है कि यह किसानों से मुताल्लिक स्टेट सब्जैक्ट है। फिर भी हमारी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के जितने कार्य हैं, तालमेल रखने का काम है, सैन्ट्रली स्पौन्सर्ड स्कीमों को इम्पलीमेंट करने का काम है, हम वक्त-दर-वक्त ज्यादा से ज्यादा यहां से मदद देते रहते हैं और आपने पिछले सालों में देखा होगा कि कई कैलेमिटीज के लिए, जैसे ड्रौट, फ्लड, साइक्लोन विभिन्न भागों में आये, हमने ज्यादा से ज्यादा स्टेट गवर्नमैंट को मदद दी। पिछले दो तीन सालों में भारत की ओर से स्टेट गवर्नमेंटस को जो इमदाद पहुंची है, वह भी एक रिकार्ड है, इतनी मदद इससे पहले कभी नहीं दी गई। इसके बावजूद बाजदफा ऐसे हालात होते हैं कि जनसंख्या का तो कोई नुकसान नहीं होता, परन्तु ओले पड़ने के कारण, जोर की आंधी चलने के कारण या ऐसे ही किसी दूसरे हादसे की इत्तला इकट्ठी करने और यहां तक पहुंचाने में देर लग जाती है। अभी तक इसीलिए हम पूरी मालुमात नहीं कर पाए हैं। आखिर जितना नुकसान होता है, उसका अन्दाजा लगाने का भी एक तरीका होता है।

श्री रशीद मसूद : आपके टी. वी. ने तो कह दिया कि कोई नुकसान ही नहीं हुआ, दिल्ली में, यदि कोई असैसमैंट ही नहीं हुआ तो टी वी तो आपके कन्ट्रोल में है, उसने कैसे कह दिया। आप उसको तो रोकिये।

राव बीरेन्द सिंह : यह कौन कह रहा है कि कोई नुकसान नहीं हुआ, मैं तो यह कहना चाहता हूँ कि उसकी इत्तला हमारे पास अभी तक नहीं पहुंची।

श्री रशीद मसूद : आपके टी वी ने यह कहा, चव्हाण साहब सिर हिला रहे हैं, शायद इन्होने भी सुना होगा।

राव बीरेन्द्र सिंह : हमको पता लगा, उसके मुताबिक आपको बता रहा हूं। क्यों कि

पिछली सर्दियों में हुए नुकसान की कुछ इत्तला हमारे पास आई है, लेकिन इस वक्त जो मौजूदा बारिश पिछले दिनों हुई, वह सब जगह नहीं हुई, ओले भी सब जगह नहीं पड़े। कभी-कभी तो ऐसा होता है कि एक गांव के एक खेत में ओले पड़ जाते हैं, और बराबर का दूसरा खेत सूखा पड़ा रहता है, एक गांव में पड़ जाते हैं, दूसरा साथ का गाँव खुश्क रहता है, उनका प्रभाव एक गांव में दो खेतों पर पड़ता तो दूसरे जिले के तीन खेतों पर पड़ता है। ऐक लाइन में कुछ गांवों को कवर करते चले जाते हैं। लेकिन उनके प्रभाव की जाकारी 24 घण्टे में या 48 घण्टे में इकट्ठा करना किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के लिए सम्भव नहीं है। टी वी पर कैसे समाचार आया, उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं, लेकिन जो मुझे इत्तला आई है, वह मैं आपको बता रहा हूं, क्यों कि आपने पूछा है। हमें कल तक कुछ पता नहीं था कि पंजाब में कितने गांवों पर उसका इफैक्ट पड़ा। आज सुबह 10 बजे ही मालुम हो सका कि पंजाब के 28 गांव प्रभावित हुए हैं। उससे पहले हम पूछते रहे लेकिन पंजाब से कोई सूचना हमें नहीं मिली। उससे पहले हम किस आधार पर कह सकते हैं कि कहां कितना नुकसान हुआ गुड़गांव में तीन गांवों पर ओलों का प्रभाव पड़ा, हरियाणा के किसी दूसरे जिले में 6 गांव प्रभावित हुए, कुछ यू पी में भी नुकसान हुआ होगा, कहीं और भी ओले पड़े होंगे, लेकिन जब तक मेरे पास पूरी इत्तला नहीं आती, मैं कैसे कह सकता हूं। मैं तो जाकर इसकी सूचना इकट्ठा नहीं कर सकता। इसमें स्टेट गवर्नमेंट का कसूर नहीं कहा सकता क्यों कि उसको सारी इत्तला इकट्ठा करने में कुछ देर लगतीं है। इसके अलावा आप डैमेज के बारे में पूछ रहे हैं, डैमेज का पता तो पटवारी लेबल से लगता है, पहले स्पेशल गिरदावरी होती है, नुकसान का सर्वे होता है कि कहाँ 24 परसेंट से कम नुकसान हुआ, कहाँ 50 परसेंट या उसने ज्यादा टोटल डैमेज है। (**व्यवधान**)

यह वक्तव्य रोज-रोज नहीं दिये सकते हैं। यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है। जैसे ही सूचना प्राप्त होगी माननीय सदस्यों की प्रत्येक बात पता चल जायेगी। परन्तु हम एक ही बात के लिए प्रतिदिन राज्य सरकारों से नहीं कह सकते हैं। (**व्यवधान**) इस ओर ध्यान दिलाया गया है और अब मैं प्राप्त सूचना के आधार पर उत्तर दे रहा हूं।

दिल्ली का इन्होंने जिक्र किया, एक एक्जीक्यूटिवे कौंसिलर ने ऐसा बयान दिया कि कुछ नुकसान हुआ है, उन्होंने उसकी इन्क्वायरी आर्डर की। लेकिन जब तक उसका सर्वे नहीं हो जाता, उसका तखमीना नहीं बन जाता कि किस गाँव में कितना नुकसान हुआ, उस वक्त तक न तो वे कुछ बता सकते हैं और न हम कुछ बता सकते हैं। लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट ने फौरी तौर पर रिकवरी नुल्तवी कर दी है, इसकी हमें इत्तला है। उसके बाद किस गांव में कितना नुकसान हुआ, उसकी जानकारी हमारे पास नहीं है। हमारी सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि सारी जगह की इत्तला हमें मिले।

माननीय सदस्य ने कहा कि हजारों गाँवों में ओले पड़े। इनको हजारों की इत्तला है, मेरे पास कुछ दर्जन ही हैं। हजारों गांवों की जो इत्तला आपके पास है तो में बता दीजिये हम स्टेट गवर्नमेंट से कहेंगे कार्यवाही के लिये। अन्दाजे तौर पर कहना, मैं ऐसा बयान नहीं दे सकता जब तक कि मेरे पास पूरी इत्तला न हो।

श्री रशीद मसूद : ओले नहीं मैंने कहा आंधी, पानी और ओले से नुकसान हुआ ।

राव बीरेन्द्र सिंह : साइक्लीन और फ्लड् के लिये हमने काफी इम्दाद की। 334 करोड़ रु. की बोनेस्टेंस स्टेट गवर्नमेंट को फ्लड के लिये 1983-85 में दी है अभी मार्च के वादा और इससे पहले साल में 1982-83 में 359 करोड़ रु. की इम्दाद की फ्लड और साइक्लीन के लिये ।

माननीय सदस्य ने कुछ ऐसे प्रश्न उठाये हैं जिनका ताल्लुक भी मुझ से नहीं है। जैसे अनाज की खरीद । मेरा अपना अन्दाजा यह है कि वारिशें हुई हैं इस बात को देखते हुए कि इस बार मार्च के बाद काफी खुशी रही और नार्दन इंडिया में वारिश डेफीस्मिेंट रही है। सारे इलाके में वारिशें हुई हैं मार्च से। पिछली बार जब अनाज निकल रहा था तो बेशुमार बारिश हुई जिससे अनाज खराब हो गया था लेकिन उस डिस्कलर अनाज को भी खरीदा गया था। इस बार भी अगर कोई बात हुई तो मुझे उम्मीद है कि फूड मिनिस्ट्री इसका इन्तजाम करेगी। जिससे किसानों का अनाज बिक सके और उनको मुनासिब कीमत मिल सके। मैं खुद जानता हूं कि इस वारिस और ओले से अनाज के रंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जहां नहरी पानी था जैसे पंजाब में वहां फसल दब जाती है। जहां पहले गेहूँ बोया गया था वहां फसल कट चुकी है उसमें कहीं अनाज निकला है और कहीं नहीं निकला है और थोड़ी वारिश और ओले से उस पर कोई नुकसान नहीं पड़ता...

श्री रशीद मसूद : पानी जब भर जाता है, तो नुकसान होता है।

राव बीरेन्द्र सिंह : हो सकता है लेकिन मेरे पास इत्तिला नहीं है। यह चीजें जनरली नहीं कही जा सकती हैं कि इस बारिश से अनाज काला पड़ गया।

पावर लाइन टूट जाती हैं, यह सही है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट स्टेट गवर्नमेंट के पास है, वह फौरन मरम्मत करने की कोशिश करते हैं। लेकिन स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्डस को हम खम्भे खड़े करने के लिये मदद दें तो फिर स्टेट गवर्नमेंट का क्या फर्ज रह जाता है ? हम पहले ही चेतावनी भी देते हैं, पूरा इंतजाम करने के लिये कहते हैं, एडवांस प्लान भी चलाते हैं, हम उनको लिखते भी हैं कि क्या क्या करना चाहिये ।

आपने कहा आग में बहुत नुकसान होता है। खलिहान में.....

श्री रशीद मसूद : खलिहान नही मैंने गांव की बात बतायी।

राव बीरेन्द्र सिंह : गांव भी जल जाते हैं।

श्री रशीद मसूद : मैंने जिन इलाकों की बात की है वह हर साल जलते हैं इत्तफाक से। जहां भी फायर ब्रिगेड का नियरस्ट पौइंट हो वहां इस बारे में कुछ किया जाय।

1.00 म.प.

श्री रशीद मसूद : पहले था, हमारी गवर्नमेंट ने रखा था। अब आप उसे सहारनपुर से मेरठ की तराई का जो इलाका है, वहां ले गये।

राव बीरेन्द्र सिंह : आपकी गवर्नमेंट ने रखा था तो वह फायर इंजन कहां चले गये ?

श्री रशीद मसूद : वह आपने हटा दिये, सहारनपुर ले गये। आप मालूम कर लीजिये।

राव बीरेन्द्र सिंह : यह बात मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूँ।

श्री रशीद मसूद : आपने उनको विद्ध-ड्रा कर लिया था।

राव बीरेन्द्र सिंह : इसमें मुश्किलात हैं। गांव-गांव में कितने फायर इंजन का इंतजाम किया जा सकता है ? खेत-खेत में दिया जा सकता या नहीं ? फायर इंजन भी पानी कहीं होगा तो आप बुझा सकता है, फायर इंजन में पानी भरा हुआ नहीं होता है, उसके लिये भी पानी का सोर्स चाहिये। यह स्टेट गवर्नमेंट का काम है कि उसके पास कितने रिसीर्सेज हैं जिससे वह गांव में आग बुझाने का इंतजाम कर सकें। यह तो आप भी मानेंगे कि शहरों और कस्बों में भी पूरा इंतजाम नहीं है। आग बुझाने का कहां-कहाँ फायर ब्रिगेड है, शहरों में भी पूरे हैं या नहीं हैं ?

मैट्रोलाजीकल डिपार्टमेंट की बात आपने बहुत मुनासिब कही है ; कि इसके लिये ज्यादा सर्विसेज होनी चाहिये। हम उनको स्ट्रेन्थन कर रहे हैं. हमारी पार्टी के मैनिफैस्टों में भी यह है।

(व्यवधान)

राव बीरेन्द्र सिंह : जैसा हमारी पार्टी के मैनिफैस्टो में भी शामिल है कि कोई नेशनल लेबल पर डिजास्टर कमीशन बनना चाहिये, इस पर हम गौर कर रहे हैं। हम कोई ऐसी आर्गेनाइजेशन बना रहे हैं जिसके जरिये हम पता करें कि एग्रीकल्चर के सैक्टर में भी वक्त पर इत्तिला दी जा सके, जो इत्तिला हो उसे नशर करने के लिये इंतजाम करें कि कहां सूखा है, कहां बारिश है, कहां ओले पड़ने का डर है और उसके इंतजाम ब्लाक लेबल और डिस्ट्रिक्ट लेबल पर होने चाहिए। उसके लिये हम एक आर्गेनाइजेशन को स्ट्रेन्थन करने की कोशिश कर रहे हैं। बात चल रही हैं और काफी उस मामले में आगे बढ़ चुके हैं, प्लान तैयार है। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं कि किसान को अगर बचाना है इन आफतों से तो उन्हें वक्त पर इत्तिला मिलनी चाहिये कि बारिश आने का डर है। अचानक बारिश आ जाती है। यह मौसमी बारिश है, आम बारिश नहीं है। कहीं एकदम बादल फटा और ज्यादा बारिश हो गई। अगर वक्त पर इसकी इत्तिला किसानों को मिल जाये तो वह अपने खलिहानों

को ढ़क सकते हैं। इन सारी चीजों पर सरकार का ध्यान है और हम उम्मीद करते हैं कि हम जल्दी ही ऐसी आर्गनाइजेशन बना पायेंगे जिससे यह इत्तिला मिल सके।

यह बात बिल्कुल गलत है कि मैट्रोलाजीकल डिपार्टमेंट की खबरें गलत होती हैं, अन्दाजा गलत होता है।

श्री रशीद मसूद : रैपुटेशन तो यही है।

राव बीरेन्द्र सिंह : दुनिया भर में अगर कोई परसैंटेज है कि इनकी इत्तला करैक्ट हो तो हमारे मैट्रोलाजीकल डिपार्टमेंट की इत्तिला भी उसी तरह से सही होती हैं। फिर सैटेलाइट टैक्नोलाजी को भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अपने सैटेलाइट का भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं और दूसरों का भी यही इन्टरप्रैटेशन होता है इस सारी चीज का हमारा इंडिया का मैट्रोलाजीकल आफिस इन्तजाम करता है। हम उसे पूरे मालुमात करते हैं।

1.05 म.प.

तत्पश्चात लोक सभा मध्यान्ह भोजन के लिए दो बजकर पांच मिनट तक के लिए स्थगित हुई।

मध्यान्ह भोजन के पश्चात लोक सभा दो बजकर दस मिनट पर पुनः समवेत हुई।

2.10 म.प.

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

अध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर अजित कुमार मेहता।

एक चीज मैं बताता हूं। हमारी कुछ प्रथा ऐसी हो गई है कि कालिंग अटेंशन में जितना हमने नियम के अनुसार टाइम रखा हुआ है उस से पांच गुना, सात गुना लगता है। तो उस से कोई मसला हल नहीं होता। वही बातें बार-बार दोहरायी जाती हैं। मैं आनरेबल मेम्बर्स से विनती करूंगा कि उसी तक अपने को सीमित रखें तो उस से ज्यादा लाभ होगा।

प्रो. अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : आप विनती क्यों करते हैं? आप तो उस जगह पर हैं कि जहां से आप आदेश दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : जो बात आप को करनी है वह आप के ही निमित्त मैंने रख दिया जिस से आप का काम भी बन जाय और टाइम भी बज जाय। सांप भी मर जाय और लाठी भी न टूटे।

प्रो. अजित कुमार मेहता : अध्यक्ष महोदय,...

राव बीरेन्द्र सिंह : जो प्रोफेसर हैं वह पढ़ने के लिए तैयार नहीं हैं।

प्रो. अजित कुमार मेहता : नहीं नहीं, प्रोफेसर जिन्दगी भर पढ़ते रहते हैं और सीखते रहते हैं।

अध्यक्ष महोदय, कुछ देर पहले मंत्री महोदय ने जिस लहजे में और जिस तरह से यह कहा कि किसानों के मामले में फसल का जो नुकसान हुआ है प्राकृतिक प्रकोप के कारण, इस के परखने की या एस्टीमेट करने की, उन को मुआवजा देने की, किसानों को राहत देने की पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है ? समझ में नहीं आया कि ऐसा रूख क्यों है ? आप की कोई जिम्मेदारी नहीं है ? न आप का कोई दोष है ? मान लेता हूँ कि आप का भी दोष नहीं है और राज्य सरकारों का भी दोष नहीं है क्योंकि उन्होंने पूरी जांच की ही नहीं होगी और उन्हें पता ही नहीं होगा कि प्राकृतिक प्रकोपों के कारण फसल को कितना नुकसान हुआ है। दोषी तो किसान है जो जाड़े में गरमी में हर मौसम में परिश्रम करके अनाज पैदा करता है और सारे देश का पेट भरता है। यह दोष उसी का है कि वह इतना परिश्रम क्यों करता है। और सब लोग तो कहेंगे कि यह तो प्राकृतिक प्रकोप है। उस के ऊपर सारी जिम्मेदारी डाल दिया।

आप का मीटरोलाजिकल डिपार्टमेंट है। मीट्रोलाजिकल डिपार्टमेंट ने जो भी भविष्य-वाणी अब तक की है उस से किसानों को क्या लाभ हुआ है ? क्या उनकी भविष्यवाणी का तरीका इस प्रकार का होता है कि उस से किसानों को लाभ पहुंच सके ? क्या वह बताते हैं कि वहां और कब वर्षा होगी या ओले पड़ेंगे और फलां फलां इलाके में ऐसा होगा ? उन की भविष्यवाणी का तरीका यह होता है कि रात में यह कह दिया कि कल राज्य में कहीं कहीं वर्षा होने की और ओले पड़ने की सम्भावना है। इस का क्या मतलब होता है कि किसान अपनी सारी फसल जो काटे हुए हैं, उसको खलिहान से उठाकर घर में रख लें ?

राव बीरेन्द्र सिंह : तो कैसे करें ? आप बताइए।

प्रो. अजित कुमार मेहता : जब आप के पास आधुनिकतक संसाधन हैं और उपग्रह है तो उस की सहायता से बहुत हद् तक सही भविष्यवाणी कर सकते हैं। आप यह बताएं कि इस इलाके में वर्षा होने की सम्भावना है या ओले पड़ने की संभावना है। राज्य का रकवा कितना होता है ? कह दिया कि उत्तर प्रदेश या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भिन्न-भिन्न स्थानों पर छिट-पुट वर्षा होने की सम्भावना है। इसका क्या अर्थ निकलता है किसानों के लिए ?

अध्यक्ष महोदय : देखिये, अगर सारा भी एनाउन्स कर दें तब भी अर्थ नहीं निकलेगा। अर्थ तभी निकलता है जब कोई निराकरण कर सकें। देखिए, मैं बलगारिया गया था, वहां एक डेफेन्स इंस्टालेशन है—मैं आपकी इंफार्मेशन के लिए बतला दूं—वहां संचार उपगृह से और दूसरों से मालूम होता है कि एक क्लाउड है, फिर दूसरा है। उन्होंने राकेट चलाए। मुझे मालूम नहीं है उन्होंने ऐसा कैसे किया। परन्तु आप सूचना प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अगर कर भी दें तो बगैर साधनों के कोई असर नहीं पड़ता है।

प्रो. अजित कुमार मेहता : इतना तो मालूम हो जायेगा कि फलाने इलाके में वर्षा होने की संभावना है, कोई लोकलाइज्ड इलाका मालूम हो तो वहां के लोग सावधान हो जायें और जहां तक सम्भव हो अपनी फसल बचाने का प्रयास करें। जो फसल खलिहान में आ गई हो या कटने की स्थिति में हो उसके लिए भी वे कुछ प्रबन्ध कर लें।

अध्यक्ष महोदय, 1984-85 के बजट में मेटेरियोलोजिकल डिपार्टमेंट के लिए 14, 15 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मैं जानना चाहूँगा कि कितना धन एग्रो मेट्रोलोजी को ओर खर्च किया जायेगा जिससे किसानों को कुछ लाभ हो सके ? साथ ही यह भी बताने की कृपा करें कि कहां कहां केन्द्र स्थापित करेंगे जिससे कि मौसम के बारे में किसानों को सही सही जानकारी कृषि कार्यों के लिए मिल सके और वह लाभदायक सिद्ध हो। असल में जो योजनाकार है वह दिल्ली में रहते हैं। अभी फसल को इतनी हानि पहुंची है लेकिन दिल्ली के अखबारों में निकला—तेज आंधी और वर्षा, गर्मी से राहत। जो इतना नुकसान हो गया उसकी उनको कोई चिन्ता नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : उनको गर्मी की चिन्ता है।

प्रो. अजित कुमार मेहता : दिल्ली के लोगों को उससे राहत मिली, तापमान कम हो गया—इस प्रकार से जो सोचने की एक दिशा है उसमें परिवर्तन आना चाहिए।

अभी रशीद मसूद जी ने चर्चा की थी कि भारी हानि हुई है। उन्होंने बताया कि जो फसल कटकर खलिहानों में आई है वह भी भीगी है और जो फसल खेतों में है उसको भी नुकसान पहुंचा है। ओलें पड़ने से जो फसल अभी खेतों में खड़ी है, पकी भी नहीं है उसको भी हानि हो गई है, उसमें बालियां टूट गयी हैं। जो फसल तैयार थी कटने के लिए वह गेहूं भी बिखर गया है। कहीं कहीं ओले पड़ने से तो 50 परसेंट से भी कम फसल होने की सम्भावना रह गई है और यह फसल भी पानी से भीगी हुई होगी और समय पर वह सूख भी जायेगी इसकी सम्भावना नहीं है। इस तरह से विलम्ब भी होगा और गेहूं खराब भी हो जायेगा तो किसानों को डिस्ट्रेस सेल करनी पड़ सकती है जिससे किसानों को कितनी हानि होगी उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं।

अध्यक्ष जी, यह केवल उत्तर की ही बात नहीं है, बिहार में नालन्दा, पटना, गया, भोजपुर, रोहतास जिलों में भी फसलों को काफी हानि पहूंची है। गेहूं के अलावा आम की फसल भी बर्बाद हुई है और सब्जियां बिल्कुल बर्बाद हो गई हैं। टिमाटर की फसल मारी गई है। तो इस प्रकार से प्राकृतिक प्रकोप से जो फसलों को हानि होती है और किसान जो अपनी सारी पूंजी लगाकर खेती करता है, वह उसकी सारी पूंजी गायब हो जाती है बल्कि उसका दिवाला निकलने की स्थिति हो जाती है। जब किसी कारखाने में दिवाला निकलने की स्थिति होती है तो सरकार उसकी मदद के लिए आती है। तरह-तरह की आर्थिक सहायता देकर उस कारखाने को बन्द होने से बचाने की कोशिश कों जाती है। ऐसी स्थिति आने पर भी किसानों को कोई राहत ठीक ढंग से नहीं मिल पाती है। इस का निदान यही है कि आप कृषि का

व्यवसायीकरण करें। इस संबंध में मैं आपसे पाँच-सात प्रश्न करना चाहूँगा और आपसे अनुरोध करूंगा कि आप उनका उत्तर दें।

पहला—प्राकृतिक प्रकोपों से राहत और पुनर्वास के लिए सभी राज्यों में भरपूर स्थायी कोष का प्रावधान किया जाये—क्या आपका इस बारे में कोई विचार है ?

दूसरा—प्राकृतिक प्रकोपों में किसानों को लगान में काफी और फसल के लिए लिए गए कर्ज में छूट तथा फसल का उचित मुआविजा देने की व्यवस्था होगी—इसके लिये क्या आप कोई व्यवस्था करेंगे ?

तीसरा—इस प्रकार के प्राकृतिक प्रकोपों की स्थिति में सहायतार्थ जो कानून अंग्रेजों के जमाने के बने हैं, उनमें संशोधन कर वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जाएगा ?

चौथा—किसानों को प्राकृतिक प्रकोप की स्थिति में दिवालिए-पन से बचाने के लिये क्या फसल बीमा की योजना चालू की जाएगी ?

पांचवा—किसानों की सहायता के लिए एग्रो-मैटिरियोलांजिकल डिपार्टमेंट का कैसे उपयोग करेंगे और उनकी उपयोगिता का मूल्यांकन किस प्रकार करेंगे—इसके बारे में आप बतायेंगे ?

छठा—फसल को आग से भी खतरा होता है, देहातों में आग से फसल को बचाने के लिए आप क्या उपाय करेंगे ? (इति)

राव वीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, सभी बातों का जवाब तकरीबन मैं पहले दे चुका हूं। मेहता जी ने फिर करीब-करीब वही सवालों को उठाया है, जो रशीद मसूद जी ने उठाए थे।

मैंने यह कभी नहीं कहा है कि नेचुरल कैलेमिटीज से किसानों को बचाने के लिए भारत सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैंने मुख्य तौर पर यह कहा था कि यह जिम्मेदारी और यह काम राज्य सरकारों का है। हमारे यहां ऐसी कोई स्कीम नहीं है कि नेचुरल कलेमिटीज से कहीं फसल बर्बाद हो जाये, तो उसके नुकसान का मुआवजा भारत सरकार की ओर से हो। मैं यह बार-बार बता चुका हूं कि हमारा मकसद सहायता का यह होता है कि जब किसान नेचुरल कैलेमिटीज से भारी नुकसान उठाये तो उसको फिर से अपने पैरों पर खड़ा करने के योग्य बनाया जाये। कर्जा और देकर, वसूली को मुलतवी करके, शार्ट टर्मलोन को मीडियम और लांगटर्म में तबदील करके, बीज वगैरह और खाद आदि के लिये सब्सिडी देकर, उसको सहायता दी जाए।

प्रो. अजित कुमार मेहता : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने कहा है कि कर्जा शार्ट टर्म को मीडियम और लांगटम में तबदील करके और वसूली को मुतलवी करके सहायता दी जाती है। वसूली के लिये अगले साल का प्रावधान कर देते हैं। इस साल नुकसान हुआ है और इस साल का कर्जा आप अगले साल वसूलते हैं और उस पर सूद भी लेते हैं। फायदा क्या हुआ ?

राव बीरेन्द्र सिंह : इसमें फायदा यह होता है कि एक दम देने के बजाय, तीन बरस में दे।

प्रो. अजित कुमार मेहता : सूद तो उसका बढ़ता जाता है।

राव बीरेन्द्र सिंह : बोझ उसका बंट जाएगा। कमाएगा आगे और देगा।

श्री रणवीर सिंह (केसरगंज) : मंत्री जी कम से कम सूद की माफी होनी चाहिये।

राव बीरेन्द्र सिंह : आज हालात में वह भी किया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट की क्या स्कीम होती है और कितनी सहायता स्टेट गवर्नमेंट रिकमेंड करती है, उसके हिसाब से।

प्रो. अजित कुमार मेहता : सूद कम कर दें तो यह भी एक बड़ी राहत हो जाती है।

राव बीरेन्द्र सिंह : बार-बार मैंने बताया है कि इसका तरीका है और उस के मुताबिक दे रहे हैं। लेकिन फसल के नुकसान का मुआवजा न हम दे सकते हैं और न देते हैं।

दूसरी बात आपने मैटिरियोलाजिकल डिपार्टमेंट के बारे में कही है। मैटिरियोलाजिकल डिपार्टमेंट सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के नीचे हैं, इसकी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए, इसका और विस्तार करने के लिये हम कदम उठा रहे हैं। एग्रीकल्चर के लिये भी इन्हीं की सेवाओं से काम लिया जाता है। आप को मालूम ही है कि बाकायदा आल इंडिया रेडियो और टी.वी. के जरिये अगले 24 घन्टों के मौसम के बारे में बुलेटिन नशे किया जाता है। दोपहर और शाम को बुलेटिन ईशू होते हैं। जब मौसम खराब होता है तो स्पेशल बुलेटिन भी ईशू होते हैं। बारिश और आंधी का डर हुआ तो दिल्ली से भी 24 घन्टे पहले ब्राडकास्ट किया गया कि ऐसा डर है, ओले भी पड़ सकते हैं, आधी भी आ सकती है, थण्डर-स्टार्म भी आ सकता है—कुछ इलाकों में। यह ठीक है कि गांव-वाइज या डिस्ट्रिक्ट-वाइज नहीं बताया जाता है और इस से वह लाभ जो हम चाहते हैं वह किसानों को नही पहुंचता है। लेकिन इसके लिये आइन्दा हम यह महकमे को बढ़ा रहे हैं। मैट्रालाजिकल डिपार्टमेंट के इस साल के अंत तक 17 केन्द्र ऐसे खुलेंगे जो किसानों की मदद के लिये होंगे, जो ब्यौरा इकट्ठा करेंगे, उसको ब्राडकास्ट करेंगे और किसानों तक पहुंचायेंगे। मैंने आप से पहले कहा है—हम एक आर्गेनिजेशन बनाने के लिये स्टेप ले रहे हैं, जो सारे देश का नकशा बनायेंगे कि कौन-कौन से इलाके ऐसे हैं जहां साइक्लोन्ज ज्यादा आते हैं, बार-बार बाढ़ें आती हैं, कौन-कौन से इलाके हैं जो सूखे से तबाह होते हैं, उसी का एक हिस्सा यह होगा—मैट्रोलाजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से ज्यादा से ज्यादा सूचनायें एग्रीकल्चर के लिए दी जा सकेंगी।

हम यह भी कोशिश करते रहे हैं—जैसा आप ने भी पूछा है—कि किसानों से जानकारी हासिल की जाय कि उन को इसका क्या लाभ हुआ है। 1983 में एक सर्वे किया गया, जिस में 607 किसानों से पूछा गया—वे किसान अलग-अलग इलाकों के थे, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश—उन को सवाल भेजे गये और उन से पूछा गया कि जो मौसम के बारे में पैशन-गोई होती है, क्या आप उस को सुनते हैं और उसका लाभ उठाते

हैं ? अगर सुनते हैं तो उस से आप को कितना लाभ होता है ? यह बतलाते हुये मुझे काफी सन्तोष है कि जो शुब्हा आप ने जाहिर किया था कि मैट्रोलाजिकल डिपार्टमेंट की पेंशनगोई से कोई फायदा नहीं पहुंचता—ऐसी बात नहीं है, हमारे पास 56 प्रतिशत की तरफ से जवाब आया कि हम मौसम की पशनगोई सुनते हैं—रेडियो और टेलीविजन से। 42 प्रतिशत ने कहा कि हम सुनते ही नहीं हैं। उन को जबरदस्ती सुनाना सरकार के वस की बात नहीं है, कोई न सुनना चाहे तो हम क्या कर सकते हैं। उन से यह भी पूछा गया था कि तुम्हें इस से कुछ लाभ पहुंचा ? 56 प्रतिशत ने कहा कि हमें लाभ पहुंचा है, 22 प्रतिशत ने कहा है कि हमें कोई लाभ नहीं पहुंचा। इसका मतलब है कि काफी लाभ पहुंचा है, कुछ को नहीं पहुंचा है। जिनको लाभ नहीं पहुंचा - हो सकता है उन्होंने कीई उपाय न किया हो या सुनकर भूल गये हों या जिन इलाकों के अन्दर ज्यादा तबाही हुई उन इलाकों के मुताल्लिक खास तौर पर मौसम की कोई खबर न दी जा सकी हो, क्योंकि अलग-अलग गांव या तहसील या जिला या सब-डिवीजन के लिए यह सुविधा नहीं है। इस तरह की सूचना के लिए काफी सोफेस्टिकेटेड इक्विपमेन्ट्स और बहुत बड़े महकमे की जरूरत है। हम उम्मीद करते हैं कि आइन्दा इस देश में ऐसा भी हो सकेगा।

श्री रणवीर सिंह (केसरगंज) : स्पीकर साहब ने जो सुझाव दिया है उसके लिए आप क्या करने जा रहे हैं ?

राव बीरेन्द्र सिंह : मैंने कैपिटल लैटर्स में उनको नोट कर लिया है।

श्री रणवीर सिंह : आप कहते हैं—56 परसेंट ने सुना और 42 परसेन्ट ने नहीं सुना। इससे तो हमें ऐसा लगता है कि जिस ने नहीं सुना, वही अच्छा रहा। आप कहते हैं—न किसी गांव के लिए, न किसी क्षेत्र के लिये बतला सकते हैं, पूरे हिन्दुस्तान के लिए बतला सकते हैं—इसके क्या मायने हैं ?

राव बीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, आप ने सुना होगा, रोजाना हर न्यूज के साथ यह बुलेटिन नश् होता है—अगले 24 घन्टे में मौसम कहां-कहां, किस-किस स्टेट में कैसा होगा। लेकिन यही नहीं कि खाली मौसम की पेशीनगोई कर दी जाए, तो किसान उसका लाभ उठा सकेगा। मैं तो यहां तक कहने के लिए तैयार हूं कि किसान की अभी वह शक्ति नहीं है, वह इस लायक नहीं है कि उसको मालूम भी हो जाए कि मौसम इतना खराब होगा, साइक्लोन आएगा और ओले पड़ेंगे, तो उन ओलों से बचाव कर सकें। इसमें बहुत सी कठिनाइयां है। मौसम का पता लगाने पर भी किसान बच नहीं सकता और इसके लिए बहुत सारे उपायों और पैसे की जरूरत है। मेहता साहब को तसल्ली हो गई होगी, स्पीकर साहब, मैंने उनकी बातों का जवाब दे दिया है।

प्रो. अजीत कुमार मेहता : मैंने फसल बीमा की बात उठाई थी, उस के बारे में नहीं बताया।

राव बीरेन्द्र सिंह : फसल बीमा की स्कीम लागू है लेकिन फसल बीमा होने से बहुत से

किसानों को फायदा नहीं पहुंचता है। उस में कुछ फसलों के लिए बीमा होता है और कुछ फसलों के लिए नहीं होता ।

प्रो. अजीत कुमार मेहता : फसलों का अगर बीमा हो जाए, तो कुछ तो उसको मुआबजा मिल जाएगा ।

राव बीरेन्द्र सिंह : जनरल इन्शोरेंश कारपोरेशन की तरफ से बीमा होता है और स्टेट गवर्नमेंट्स भी उस में सहयोग देती है और स्टेट गवर्नमेंट्स उन एरियाज को निर्धारित करती हैं जहां बीमा होता है । उस के बाद भी इस स्कीम के मुताबिक कुछ ऐसी चीजें हैं, जिन से किसान अपने खेत का अलग अलग से बीमा करा दे, तब तो उस को फायदा होता है । लेकिन क्लोक लेबिल पर अगर बीमा होता है, तो जैसे ओले पड़े और सारे ब्लाक में एक या दो गांव में ओले पड़े, तो उन एक दो गांवों को इंशोरेन्स से फायदा नहीं होगा क्योंकि पूरे ब्लाक के अन्दर एक या दो पर सेन्ट ही नुकसान होता है और सारा नुकसान नहीं होता है । इस तरह से उन किसानों को फायदा नहीं पहुंचता जिन की फसलें नष्ट हुई हैं और वे किसान फायदे से बंचित रह जाते हैं । इस लिए ह डिविजुअल किसानों के लिए यह कोई ज्यादा एट्रेक्टिव स्कीम नहीं है । इस के लिए हम बार बार सोच रहे हैं कि क्या करें । लोगों के सुझाव भी ले रहे हैं और दूसरे मुल्कों से भी मालूम कर रहे हैं कि उन के यहां इस के लिए क्या स्कीमें हैं, जिन को हम यहां लागू कर सकें । इस का हम पता कर रहे हैं लेकिन अभी तक कोई चीज ध्यान में नहीं आई है, जिस को हम लागू कर सकें और बड़े पैमाने पर किसानों के खेतों को कवर कर सकें ।

प्रो अजीत कुमार मेहता : जो वर्तमान कानून हैं, उन से लोगों को बहुत कम राहत मिल रही है, इस के बारे में आप ने नहीं बताया है ।

राव बीरेन्द्र सिंह : मैंने बार बार हाउस को बताया है और स्टेट गवर्नमेंट्स को लिखा भी है । मैंने खुद चिट्ठी लिखी है कि जो फैमिन कोड है, उस को तरमीम किया जाना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : पवान्टस आफ रिलीफ ज्यादा होना चाहिए ।

प्रो. अजीत कुमार मेहता : वे जल्दी जल्दी इस को करें ।

राव बीरेन्द्र सिंह : मैंने हाउस को बार बार लिखा है और उन को परसुयेड कर रहा हूं कि वे इस को एमेंड करें ।

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद) : मौसम विज्ञान और इनसैट की बात चल रही है । इस संदर्भ में मैं यह कहना चाहूंगा कि किसान तो क्या मौसम के बारे में सुनेगा, जो आप का जिलाधिकारी है, वह भी इसको नहीं सुन पाता है कि कल मौसम के बारे में क्या होने वाली है । आप केन्द्र बनाए की बात तो छोडिये, मैं तो इतना ही कहता हूं कि जब इन्सेट से बुलेटिन आ जाता है कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों में वर्षा होगी या ओलावृष्टि होगी, तो वहां

के जिलाधिकारी को सावधान कर दिया जाए कि वे ब्योक के लेबिल पर लोगों को सावधान कर दें लेकिन ऐसा नहीं होता है और यही नहीं मान्यवर, जिलाधिकारी को यह भी नहीं मालूम होता है कि कब ओले पड़ गये। यह वास्तविकता है, जो मैं बता रहा हूं। आप का ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि इन की जानकारी के अनुसार 1 मार्च से 18 अप्रैल तक की यह सूचना इन को मिली है और इस से यह पता चलता है कि ये कितने सक्रिय हैं, इन का विभाग कितना सक्रिय है, जो इतने समय तक की ही सूचना दे रहा है।

अध्यक्ष महोदय : कितने भी सक्रिय हों, जब तक निराकरण के हमारे पास उपाय नहीं होंगे, तब तक कोई भी फायदा नहीं होगा। जब तक उस को रोकने की शक्ति नहीं होगी, तब तक कुछ फायदा नहीं होगा। हाँ विजाई के लिए फायदा हो सकता है और निकासी में कुछ फायदा होगा।

श्री राजेश कुमार सिंह : मैं आप से सहमत हूँ लेकिन कुछ तो बचाव कर ही सकते हैं। मैं 23 अप्रैल को बात नहीं कर रहा हूं : आप कह रहे हैं कि राज्यवार सूचना प्राप्त नहीं है। पंजाब में क्या है, हिमाचल प्रदेश में क्या है, इसका पूरा ब्यौरा आपके पास नहीं है। मैंने इस तरफ आपका ध्यान खींचा है। 1 मार्च से 18 अप्रैल तक की सूचना आपके पास है और बहुत से राज्यों ने आपको सूचना नहीं भेजी है।

मैं यह जानना चाहता हूं कि जब अखबार, रेडियो में नुकसान के समाचार आते हैं तो ये कहां से आए हैं। किस सोर्स से ये समाचार आते है। क्या इसके बाद केन्द्र सरकार कुछ जानकारी हासिल करने का प्रयास करती है ? दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन की जानकारी के अनुसार उसने 99 हजार हैक्टर जमीन में कल्टीवेशन की बात का है। उसके अन्दर उसने कहा है कि 1.4 लाख टन का टारगेट था जो अब पूरा नहीं होगा। यह दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन की बात है। आप कहते हैं कि चिंता की कोई बात नहीं है।

मैं दो तीन बातों की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। जिस क्षेत्रों में नुकसान हुआ है, चाहे गेहूं खलिहान में हो या खेत में हो वहां उसकी क्वालिटी में फर्क आया है। आप राज्य सरकारों को निर्देश दें कि उन खरीद केन्द्रों पर यह रियायत दी जाए जहां फसल को नुकसान हुआ है। जहां उसका सुनहरीपन कम हुआ है या कहीं धब्बा आ गया है। उसकी वाजिब कीमत दी जाए। अन्यथा वह गेहूं कम कीमत पर किसान को बेचना होगा। इसमें छोटे किसान को ज्यादा नुकसान हो जाएगा। इसलिए इस प्रकार के निर्देश राज्य सरकारों को अवश्य दिए जाएं।

मैं अपने आगरा जिले को बात बताना चाहता हूँ। वहां पर तो अभी बहुत से खरीद केन्द्र खोले ही नहीं गए हैं। कहीं खरीद शुरू नहीं हुई है। कहीं बोरियां पड़ी रह गई और पानी बरस गया। इस तरह की लापरवाही बरती गई। इससे किसानों को हानि होती है। इस बारे में भी राज्य सरकारों को निर्देश देने की आवश्यकता है कि इस तरह की लापरवाही न बरती जाए।

एक अनुरोध और करना चाहता हूं कि अधिकारी लोग कह देते हैं कि यहां स्थिति ठीक है। जबकि असलियत नहीं होती। नुकसान हुआ होता है। इस गड़बड़ी को दूर करने की आवश्यकता है।

बीमे की बात की गई। मेरी समझ में यह आता है कि हम अभी तक नेचर की मरजी पर जीवित हैं। किसान खास तौर पर। इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं। उसके यहां तो हर चीज का बीमा होता है।

राव बीरेन्द्र सिंह : इस बात को तो स्पीकर साहब भी मानते हैं।

श्री राजेश कुमार सिंह : इसलिए तो मैंने आपसे कहा है। अन्य किसी मंत्री से नहीं कहा है। क्योंकि आप स्वय भुक्तभोगी हैं। व्यावहारिक जीवन में आप इस बात को जानते हैं। इसलिए इस बारे में आपको गंभीरता से सोचना चाहिए।

अब सब्जियों पर फफूंदी वगैरह लगेगी। लौकी, खरबूजा और जो बेलदार सब्जियां हैं, उनको नुकसान से बचाने के लिए किसानों को फ्री कास्ट पर दवाइयां उपलब्ध कराने के बारे में निर्देश दिए जाएं। जहां पानी गिरा है वहां पत्तियां पीली हो जाएंगी। यमुना के किनारे पालेज की फसल को भी नुकसान हुआ है। सहारनपुर में और अन्य जगहों पर आम की फसल को नुकसान हुआ है। तो एक तो दवाइयां उपलब्ध कराई जाएं। दूसरा मुआवजे वगैरह की बात तो हम नहीं करेंगे लेकिन सरकार को अपने कानून में कुछ परिवर्तन अवश्य करना चाहिए। इस देश में 80 फीसदी किसान हैं। क्या उनके लिए सरकार को कोई चिन्ता नहीं है। कृषि प्रधान देश होने के नाते सरकार को इन सब बातों पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

राव बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, किसानों को केलामिटीज की क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए, इसके ऊपर पुन: विचार आठवां फाइनांस कमीशन करेगा। उनको सुझाव भी दिया है। सातवें फाइनेंस कमीशन ने जो पैटर्न रिकमण्ड किया था, उसके मुताबिक सहायता दी जा सकती है। हम आशा रखते हैं कि इसमें कुछ सुधार हो सकेगा। फ्री दवाइयां बांटने के लिए आदेश देना मेरे बस की बात नहीं है। फाइनेंस बिल पर जब बहस हो रही थी, उस वक्त आपको फाइनेंस मिनिस्टर साहब से कहना चाहिए था। (**व्यवधान**) स्पीकर साहब, आप जानते हैं कि कलैक्टर कैसे मालूम करेगा कि कहां-कहां ओले पड़े ? उसके घर पर पड़ेंगे तो उसको मालूम हो जायेगा। मेरे और आपके खेत में ओले पड़ेंगे तो सूचना मिलने में टाईम लगेगा। (**व्यवधान**) कलैक्टर को हमारी इन्स्ट्रक्शन है कि हर वक्त वह इस बात का पता करता रहे कि उसके इलाके में कौन-कौन सी पीड़ा किसानों को हुई ? उनका जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, वह रिपोर्ट भेजता रहता है। (**व्यवधान**)

श्री राजेश कुमार सिंह : सहारनपुर, इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी और लखनऊ आदि जगहों में कितनी क्षति हुई है, क्या इसकी जानकारी आपको नहीं है ? जानकारी होने के बाद भी आपका कलैक्टर कुछ नहीं करता।

राव बीरेन्द्र सिंह : स्टेट गवर्नमेंट जब यह कहती है कि हमें सेन्ट्रल गवर्नमेंट की सहायता की जरूरत नहीं है तो क्या हम जबर्दस्ती सहायता दें ? क्या हम गलत रिपोर्ट उनसे लिखवाए कि बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है ? (**व्यवधान**)

मैं, यह कैसे कहूँ कि नुकसान हो या न हो, रिपोर्ट भेजो कि बहुत नुकसान हुआ है। (**व्यवधान**) नुकसान के बारे में मेहता जी ने पूछा था, मैं पहले ही बता चुका हूँ। उन बातों का जवाब अब नहीं दे रहा हूँ, जो हो चुकी हैं। राज्यों के लिए हर साल बजट में मार्जिन मनी का प्रोविजन होता है। हर स्टेट के पास इतनी रकम होती है कि जब नुकसान होता है तो उसका इन्तजाम वह खुद कर ले। उनके पास इतनी मार्जिन मनी होती है, जिससे कि वह अपना इन्तजाम खुद कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्वान्टम पूरा हो, जिससे किसान दोबारा खड़ा हो जाए।

श्री मनी राम बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष जी, मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया है कि बैठ जाऊं या आपको खड़ा करूं। (**व्यवधान**) दीनबन्धु चौधरी छोटू राम अपने पैड पर एक शेर लिखा करते थे :

जिस खेत में से देहकान को मुयस्सर न हो रोजी,
उस खेत के हरखोशा-ए-गन्दुम को जला दो।

कृषि मन्त्री जी किसान, अध्यक्ष-किसान और मैं कुछ कम किसानों में से हूं। असल में भारत किसानों का है और सब लोग किसान के गीत गाते हैं। दुर्भाग्य है कि बेचारा किसान अभी तक यह नहीं समझ सका कि भक्त और भाण्ड कौन है ? भाण्ड, भक्त और भाट में कोई फर्क नहीं मिल पाया है। किसान के हित की बात किए बगैर काम नहीं चलता। हर आदमी उसके हक की बात करता है। अन्तर सिर्फ इतना है कि भाण्ड, भाट और भक्त कौन है ? ये तीनों रूप बदलकर आते हैं जिससे किसान के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। मुझे बड़ी तकलीफ हुई जब राव बीरेन्द्र सिंह जी ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि क्या हमारा सिर फिरा है कि स्टेट से कहें कि हमारे से मदद लो। अगर, आपका सिर नहीं फिरा है तो अपने सिर को फिराओ। जिस स्टेट का किसान, मर रहा है, उस सरकार के खिलाफ एक्शन न ले सकें तो आपका क्या फायदा है ? किसान की बात कहने का और भारत का कृषि मंत्री रहने का उसको कोई अधिकार नहीं है। यह क्या मजाक बना रखा है, आप क्या जवाब यहां देते हैं। हमारा सिर फिरा हुआ है। आपका सिर फिर जाना चाहिए।

राव बीरेन्द्र सिंह : आप अपनी तरफ से कहानी बना रहे हैं। (**व्यवधान**)

श्री मनीराम बागड़ी : यदि आप कहें कि हम क्यों जाएं, लेकिन आपको जरूरत है। क्योंकि यह देश बड़ा विचित्र हैं। उसका आपको भी पता है राव साहब, लेकिन आपने दुपट्टा ऐसा ओढ़ा है कि आपको कुछ नजर नहीं आता। मैं तो विचित्र हूँ, लेकिन इस देश में विचित्र थे गांधी जी, डाक्टर लोहिया, चौधरी छोटू राम, सरदार पटेल और डाक्टर अम्बेडकर।

हमारे ऊपर तो इस राज का असर पड़ा है। ये लोग इस देश के कमाने वाले लोगों को पागल बनाने की ताकत रखते थे। लोगों को पागल बना देते थे। लेकिन यहां पर तो बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि अध्यक्ष महोदय, मेरे पास कुछ चिट्ठियां आई हैं जिनमें मुझे कुछ व्यक्तियों ने बताया है कि उनके यहां जालाबारी से नुकसान हुआ है, आप तहकीकात कर लीजिए, जहां 100 परसेंट नुकसान हुआ है। उन गांवों के नाम हैं—मौजगढ़, गिदड़ांवली, खेंवाड़ी, दौलतपुरा सईवाला, कर्मपुरा, दलबीर, खेड़ा। इनके अलावा क्या आपके रिवाड़ी में कोई नुकसान नहीं हुआ। आखिर आप किसको नुकसान समझते हैं। आप कहते हैं सिर्फ गुड़गांव के तीन गांवों में नुकसान हुआ, आपको जिद का ख्याल नहीं आता हरियाणा का पता करो, कहां-कहां नुकसान हुआ है। आप नुकसान की पहले परिभाषा बनाओ। क्योंकि ओलावृष्टि का नुकसान ही नहीं, कई दूसरी आपदाओं में भी किसान के परिवार का नुकसान होता है। किसान के कुनबे का मतलब है सारा परिवार और परिवार का मतलब है फैक्टरी। आपको हिन्दुस्तान के किसान की खेती को उद्योग मानकर चलना चाहिए। यदि आप किसी भी भोले भाले किसान से पूछें कि राव साहब, चौधरी साहब, पंडित जी, आपके कितने लड़के हैं, सरदार साहब आपके कितने मुण्डे हैं और क्या काम करते हैं तो कहेगा कि पहला लड़का थोड़ा पढ़ा लिखा है, दसवीं जमात पास था इसलिए मैंने उसे पुलिस में लगा दिया, दूसरा हट्टा-कट्टा था, उसे फौज में भिजवा दिया, तीसरा जरा चालाक और चुस्त था, थाने और तहसील की गवाही देता था, इसलिए मैंने उसे राजनीति में डाल दिया और चौथा, चूंकि वह पागल था, उसे कुछ आता नहीं था, इसलिए उसे मैंने खेती में लगा दिया। इसलिये खेती का धंधा आज महामूर्खों का धन्धा बन गया है, इस देश में। काश हमारा किसान आज भाट और भाण्ड के बीच के अन्तर को समझ सकता। हिन्दुस्तान का किसान यह समझ पाता कि मैं रोटी पैदा करता हूँ सिर्फ अपने लिए नहीं, देश के लिए। उसमें कोई मजबूरी नहीं तो शायद अखबार वालों की कलम गर्मी से राहत महसूस करती क्योंकि एअर कण्डीशन वाले ही कुछ जुल्फें रखते हैं, कुछ लेनिन टाइप दाढ़ी रखते हैं, उनकी खुजलाहट में भी फर्क आ जाए। मत्री और संत्री दोनों में फर्क आ जाए। आप भी इसको समझ लेना, यह कोई मामूली बात नहीं है। राव साहब मैं आपको एक ही मिसाल देता हूं. कल यहां पर बन्धुआ मजदूरों की बात चल रही थी, यहां दस लाख आदमियों की रैली की लेकिन हम सब और तनख्वाह लेने वाले लोग, चाहे हजार लेते हैं, 800 लेते हैं, 700 लेते हैं, हम सब उनके लिए हैं, इन्श्योरैंश वालों के लिए भी हैं, बड़े लोगों के लिए भी हैं, लेकिन वे गरीब हैं, दीन और दुखी हैं। यदि उनकी कोई बीस वर्ष की बेटी, चाहे वह किसी हरिजन की हो, किसी गिरिजन की हो, किसी जाट की हो, किसी ब्राह्मण की हो, किसी बनिये की हो या किसी हिन्दू या मुसलमान की हो, उसको पता नहीं होता, कड़कती धूप में पेट में 9 महीने का बच्चा लिए गेहूं की कटाई करती है। जब पांथ के बीच में कहे कि बापू पानी पी लूं, तो बापू कहता है कि नहीं बेटी पानी नहीं पीया करते, पाप लगता है।

2.50 म.प.

(श्री सोमनाथ चटर्जी पीठासीन हुए)

कौन से, ग्रन्थ साहब या गीता या कुरान में लिखा है ? धर्म की झूठी दुहाई देकर गर्म के

बच्चे को प्यासा रख कर अन्न को पैदा करते हैं, वह ओला, वारिश या तेज हवा का सामना करके केत में काम करते हैं और इस मुसीबत के बाद पैदा किए हुए गेहूं को बेचने के लिये दिल्ली की तरफ आ जाए, 170 रुपये में गेहूँ बिकता है, फरीदाबाद में आगे गुजरा तो दिल्ली की पुलिस उसको पकड़ कर थाने में डाल दे और घर वाले बेचारे इन्तजार करें कि दो पैसे कमाकर लाता होगा, यह कहां का न्याय है ? अगर किसान के दिमाग में आ जाए कि भांड और भाट कौन है, और मैं विचित्र अगर पागल हो जाऊ और गांधी, डा० लोहिया, या पगड़ी सम्भाल जट्टा वाली बात हो, या छोटू राम की बात हो तो एक क्षण भी आपका रहना यहां मुश्किल हो जाए।

आप बताओ कि ओलावृष्टि का मुआवजा देते हो कि नहीं, उसका हिसाब रखते हो कि नहीं। पिछली बाढ़ में मदद दी उसका हिसाब रखते हो कि नहीं ? और आप कहते हो कि सरकारों से हमने दे रखा है, यह कोई युगल दरवार है क्या जो आप अपने घर से देते हो और जिसको देते हो वह चाहे तो खर्च करें या न खर्च करें ? आपका फर्ज है, किसान मां के पेट से पैदा हुए हो जो एक-एक तिनका चुनती थी तो उसकी लाज के लिए कुछ काम करो। जो सरकार पैसे का सही उपयोग नहीं करती है, उसका इस्तेमाल नहीं करती हो उसका आप जवाबतलब क्यों नहीं करते हो ? ऐसे मुख्य मंत्री, कृषि मंत्री के खिलाफ अगर ऐक्शन नहीं ले सकते हो तो यह मजाक है।

अंग्रेजों के समय का बना हुआ जो फैमीन कोड है उसको बदलोगे कि नहीं। अंग्रेजी राज्य के बाद में जो पैदा हुए और बूढ़े होकर मरने को तैयार हैं लेकिन फैमीन कोड नहीं बदल सके। क्या आप गारन्टी दे सकते हो कि आप उस फैमीन कोड को बदलवा कर जाओगे ? एक, दो काम तो अच्छा करो। इस 5 साल के अन्दर क्या फेमीन कोड में सुधार करेंगे ? उस वक्त क्या भाव था ? उस वक्त आदमी गुलाम था, आज देश आजाद है, क्या आप इस फैमीन कोड को नया बना सकोगे ?

आपने कितना पैसा दिया और कितना खर्च किया इसका आपके पास हिसाव है कि नहीं ? अगर रखते हैं तो आप बतायें कि हरियाणा में पिछली दफा बाढ़ में जालाबारी में कितना खर्च हुआ, किन-किन चीजों का मुआबजा आप दे सकते हो। पहाड़ी सेवों के बाग उजड़ गये उसका मुआवजा आपको देना पड़ेगा। हर चीज का आपको मुआवजा देना पड़ेगा जो प्रकृति के कोम की वजह से हुआ है चाहे वह वाग हों, फसल हो। आखिर एक्सीडेंट हो जाता है तो आप मुआवजा देते हो कि नहीं ? आप कहते हो इन्श्योरेंस का कानून बनाया। वह दोष किसका है ? हमारा और आपका है। कोई जरूरत नहीं है इस किस्म का इन्श्योरेंश का कानून बनायें जिसके मुताबिक आराम की चीजों का मुआवजा दिया जाए, जैसे मोटर, कार या बड़ी कम्पनियों की। आप ऐसा इन्श्योरेंस बनाओ जो मालूम होना चाहिये कि चौधरी सुन्दर सिंह ने इतने बीघे खेती की है। उसके मुआवजे में फीस मत लो, यह होना चाहिये। इसके लिए कहते हैं कि डिप्टी कमिश्नर 15 दिन में बता देगा।

एक तरफ आप मैंजें थपथपा रहे हैं कि राकेश शर्मा अन्तरिक्ष में पहुंच गया, 70 करोड़

के देश में हम रूस के साथ अन्तरिक्ष में पहुंच गये हैं। एक राकेश ही दुनिया नहीं है। 70 करोड़ आदमियों का देश एक तरफ पाताल में जा रहा है, 69 करोड़ 99 लाख 99 हजार 9 सौ 99 नर्क में हैं और एक आकाश में पहुंच गया तो आपने थपथपा दिया, इससे देश बनने वाला नहीं है।

आप बतायें कि जालावारी के लिए कितना पैसा दिया है, किस हिसाब से देते हैं? जालावारी एक, शीतलहर दो इनके लिए कितना पैसा दिया है। और जिसको जख्खड़ कहते हैं, जख्खड़ नाम तेज हवा चलने का है। यहां जख्खड़ का मतलब स्पीकर साहब से समझते हैं। स्पीकर साहब का नाम जाखड़ है जो कि गोत होता है।

जैसे वाग और दरख्तों की बात आती है। राव तुलाराम के वक्तों का जो वाग है, वाग वह नहीं जिसमे फल लगते हों, बल्कि आश्रम जो कि हजारों साल से बना है, उसमें जो बाश हुआ, क्षति हुई, दरख्त उखड़ गये, उसे क्या आप मामूली बात समझते हैं? आप इन चीजों को बारीकियों से समझकर क्या उनके नुकसान की पूर्ति करेंगे? सब नहीं तो थोड़ा बहुत एड देंगे? ब्याज के नाम से तो राव साहब को चिढ़ होनी चाहिये थी। सूद किस बात का लेते हो? बेबसी में आपने इतना कर्जा कर दिया है कि वह लोग देने के काबिल नहीं है। सूद तो सूदखोर सरकार ले सकती है और वह अंग्रेज की सरकार थी। उस अंग्रेज की सरकार का खड़ा हुआ दिमाग अभी तक इस सरकार में है जो इतने मजलूमों, 10,10 रुपये कर्जे का सूद हरिजनों और किसानों से ले रही है। और करोड़पति सेठों से बात नहीं करती है।

मैं चाहूंगा कि सूद कतई न हो बल्कि सूद-कर्जा माफ हो, इमदाद हो और अकाल संहिता में संशोधन हो और उनको यथाशक्ति मुआवजा दिया जाए और किस तादाद में मुआवजा बाकी है, यह भी बतायें?

राव बीरेन्द्र सिंह : सभापति जी, बागड़ी जी ने जो अपने ख्याल जाहिर किये हैं, उनकी मैं बड़ी कद्र करता हूं, उनकी भावनाएं किसानों के लिये बहुत अच्छी हैं।

जहां तक किसानों की दयानीय अवस्था की बात उन्होंने कही, मैं बहुत हद तक उससे सहमत हूं कि किसानों के लिये बहुत कुछ और होना चाहिये, लेकिन जो पोजीशन है, आज के दिन जितना कुछ हम अपनी रिसोर्सेज में कर पाते हैं, वह मैंने बार बार बताया है। फसल के नुकसान का मुआवजा भारत सरकार की तरफ में नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट्स बहुत हद कहीं कहीं देती रही हैं, जहां कहीं उनकी फाइनेन्शियल पोजीशन अच्छी होती है।

फैमिन कोड के लिये कुछ स्टेट्स अमैंडमेंट करती रही हैं वक्तन-फवक्तन जैसे हालत राज्य के होते है। हमने बार बार लिखा है कि फैमिन कोड में तबदीली करो। जो तरीका है, सहायता देने का भारत सरकार की तरफ से, मैंने बताया कि सातवें फाइनेन्स कमीशन ने बनाया था। 8 वां फाइनेन्स कमीशन बैठा हुआ है और हो सकता है कि इस तरीके में, जैसा आपने विचार व्यक्त किया, ऐसे ही विचार एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के भी हैं, दूसरे लोगों से भी उनको मिल रहे

हैं। हो सकता है कि उनमें कुछ तबदीली हो जाये जो पैटर्न आफ एसिस्टेंट का है, लेकिन उसके लिये हमें इन्तजार करनी पड़ेगी।

बागड़ी जी ने कहा कि यह हमारा काम है कि सरकार ब्यौरा इकट्ठा करे, मैंने कभी यह नहीं कहा है कि यह हमारा काम नहीं हैं। हम चाहते हैं कि जहां कहीं ज्यादा नुकसान होता है, स्टेट्स बाकायदा खबरें हमें देती रहें। जब आनरेबल मैम्बर्ज की तरफ से कोई बात उठाई जाती है, तो हम खास तौर पर भाग-दौड़ करके पता करते हैं कि कहां क्या नुकसान हुआ है और उसका उपाय भी करते हैं। जब हमें इस कालिंग एटेन्शन मोशन का नोटिस मिला, तो हमने खास तौर पर यह पता करने की कोशिश की कि किस स्टेट में क्या नुकसान हुआ है। लेकिन जब तक स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से नुकसान का सही अंदाजा न मिले, तब तक हम कुछ बताने में असमर्थ हैं।

मैं पहले भी कई बात कह चुका हूं कि जो मार्जन मनी स्टेट्स के बजट में हर साल मुहैया होता है, उसका मकसद यह है कि जहां कहीं आपत्ति आए, नेचरल कैलेमिटी से तकलीफ हो, तो वे उस पैसे से फौरन राहत का काम शुरू कर दें। उसके लिए न हमें खबर देने और न हमारा ऐपरुवल लेने की जरूरत है। वह बाद में एजस्ट हो जाता है। इस लिए बहुत सी स्टेट्स से छोटे छोटे नुकसान की खबरें हमारे पास नहीं आतीं। हम भी स्टेट्स का काम बढ़ाना नहीं चाहते भारत सरकार हर बात में दखल नहीं देना चाहती। स्टेट गवर्नमेंट हमें रिपोर्ट नहीं करना चाहती, मगर हम कहें कि वे हमें रिपोर्ट क्यों नहीं देतीं अगर किसी एक गांव में ओलावारी से 5 परसेंट नुकसान हुआ हो, तो वे भारत सरकार को इत्तिला दें, वे हर छोटे छोटे नुकसान की भी रपोर्ट दें, इससे लाभ होने वाला नहीं है।

श्री बागड़ी ने पूछा है कि जो सहायता हम देते हैं, उसका हिसाब किस तरह रखा जाता है। जो नीति हम निर्धारित करते हैं, जिस काम के लिए हम पैसे की मन्जूरी देते हैं, राज्य सरकार के महकमे उसके मुताबिक पैसा खर्च करते हैं और उसकी जांच फिनांस मिनिस्ट्री करती है। कितना खर्च किस स्टेट में हुआ, जिसमें हमारी एसिस्टेंस भी शामिल होती है, फिनांस मिनिस्ट्री उसका हिसाब-किताब देखती है। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में वह हिसाब-किताब नहीं है।

श्री चन्द्रपाल शैलानी (हाथरस) : सभापति महोदय, पिछले दिनों पूरे उत्तर भारत में जो भारी वर्षा हुई है, आंधियां चली हैं, ओलावृष्टि हुई है, शीत लहर चली है, उससे शहरी लोगों को अस्थायी रूप से गर्मी से थोड़ी सी राहत भले ही मिली हो, लेकिन इस देश के धरतीपुत्र किसान पर क्या बीती है, मैं समता हूँ कि इस सदन में जितने किसान सदस्य बैठे हैं, उन्हें इसका अन्दाजा अच्छी तरह से होगा।

हमार एक कृषि-प्रधान देश हैं, जहां करीब 80 प्रतिशत लोग कृषि पर, या किसानों पर, निर्भर करते हैं। किसान हमारे देश का दर्पण है, आईना है, तस्वीर है, जिसकी हालत से पता चलता है कि हमारे देश की स्थिति कैसी है। अगर किसान सुखी और खुशहाल होगा, तो पूरा

देश सुखी और खुशहाल होगा। यदि किसान किसी मुसीबत में फंस जाता है, किसी नेचरल कैलेमिटी का शिकार हो जाता है, तो उसका असर पूरे देश पर पड़ता है।

अभी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तथा राजस्थान में जो भारी वर्षा और ओलावृष्टि हुई है उससे किसान की खड़ी फसल को बहुत नुकसान हुआ है। जो गेहूं कट कर खलिहानों में आ गई, उसको भी नुकसान हुआ और उसके अलावा दूसरी फसलों की भी काफी क्षति हुई है। हिमाचल प्रदेश और काश्मीर में हिमपात से सेव की फसल मारी गई है और मैदानी इलाकों में आम की ससल को बड़ा मारी नुकसान पहुंचा है।

जो नुकसान हुआ है, उस पर मुझसे पहले बोलने वाले मेरे मेरे साथियों ने काफी विस्तार से प्रकाश डाला है। इस पर मैं सदन का बेशकीमती समय खराब नहीं करना चाहता। मैं केवल इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार अंदाजा लगा रही थी और किसानों का भी यही अंदाजा था कि इस साल गेहू की बम्पर क्राप होगी, गेहूँ की काफी बील्ट होगी, लेकिन मार्च के पहले हफ्ते में चलने वाली शीत लहर और फिर बरसात तथा ओलावृष्ठि की वजह से वह बात आशा से परे हो गई है। जो खेत शीत लहर के शिकार हुए हैं, उनमें गेहूं के पौधे उगे हैं, बालियां भी आई हैं, लेकिन पकने पर उन बालियों में गेहूं का दाना नहीं पड़ा है और पूरा का पूरा भूसा बन गया है। इस वजह से गेहूँ के उत्पादन की मात्रा भी बहुत कम हुई है। इस के अलावा जो भी बारिश हुई है उस के कारण खलिहानों में और खेतों में गेहूँ सड़ गया है या काला पड़ गया है उस की क्वालिटी घटिया या रद्दी हो गई है जिस कारण वह बाजार में बिकने काबिल नहीं है।

वैसे तो हमारी सरकार ने किसानों के हित के लिए बहुत कुछ किया है और कर रही है। सरकार ने जो गेहूँ का मूल्य घोषित किया है 152 रुपये, इस वक्त स्थिति है कि सरकार के जो खरीद केन्द्र हैं उन की समुचित व्यवस्था न होने के कारण किसानों को उचित दाम नहीं मिल पा रहा है और जो गेहूं काला पड गया है या सड गया है उस की कोई कीमत नहीं मिल रही है, ऐसी स्थिति पैदा हो गई है। में माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा क्यों कि उनके भी दिल में किसानों का दुख: दर्द है और किसानों के प्रति उन की भावना है यह सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं, उन से मैं यह निवेदन करूंगा कि किसानों का जो गेहूं खराब हो गया है उस के लिए वह घोषणा करें कि जो समर्थन मूल्य है उस मूल्य पर वह उसे खरीद लेंगे और जो राज्य सरकारों की एजेंसियां गेहूँ का खरीद कर रही हैं उन के लिए भी इस तरह के आदेश सरकार को देने चाहिए ताकि किसानों को नुकसान न होने पाये।

इस बरसात, आंधी और शीत लहर से पूरे उत्तर भारत में क्या नुकसान हुआ होगा, चाहे वह हिमाचल प्रदेश हो, जम्मू काश्मीर हो दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, इस का अन्दाजा इसी से लग सकता है कि दिल्ली प्रदेश में करीब 93 हजार हेक्टेयर भूमि पर खेती होती है और इस भारी वर्षा से उस में 66 हजार हेक्टेयर भूमि में फसलें नष्ट हो गई हैं और वहां पर पानी भर गया है जिस से काफी नुकसान हुआ है।

उत्तर भारत में आम काफी मात्रा में पैदा होता है और अच्छी किस्म का आप पैदा होता है। आम के बागान में करीब 70 प्रतिशत क्षति का अनुमान है। जो बागान के मालिक है या जो उस को खरीदते हैं उन की जो लुटिया डूब रही है, यह सरकार के लिए विचारने का विषय है कि उन की क्षति पूर्ति किस तरह से की जाए।

चन्द सवालात पूछ कर मै अपनी बात समाप्त करूंगा।

1. भारी वर्षा ओला वृष्टि तथा शीतलहर से पीड़ित किसानों का लगान, आबपाशी तथा दूसरे ऋणों की अदायगी और रिकवरी को मुल्तवी करने के लिए राज्य सरकारों को क्या केन्द्र सरकार दिर्देश देगी ?

2. किसानों का गुहूं सड़ गया है या उन की जो फसलें पूर्णतया अथवा 50 प्रतिशत तक नष्ट हो गई हैं, उन को कम्पेन्सेशन देने के लिए कोई कार्यवाही सरकार के विचाराधीन है या नहीं ?

3. जो गेहूं काला पड़ गया है और उस की किस्म घाटिया हो गई है उसे सरकारी खरीद केन्द्रों पर समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए आदेश दे दिए हैं अथवा नहीं ?

4. क्या किसानों को अगली फसल के लिए खाद बीज तथा कीटनाशक दवाए आदि खरीदने के लिए ऋण तथा तवी की विशेष व्लवस्था सूरकार द्वारा की जायगी ?

5. आम के बागानों को 70 प्रतिशत नु-सान होने का अनुमान है। सरकार इन बागानों के मालिकों को कितनी और किस प्रकार की सहायता देने पर विचार कर रही है ?

इन सवालों का जवाब मंत्री जी दें तो मैं बड़ा आभारी होऊंगा और देश के किसानों को भारी राहत पहुंचेगी।

राव बीरेन्द्र सिंह : शैलानी जी ने जो बात कहीं उनमें से बहुत सी बातों का उत्तर पहले दिया जा चुका है। फसल के नुकसान का मुआवजा देने के लिये हमारी कोई स्कीम नहीं है। बागान में भी जो नुकसान हुआ है आंधी और तूफान से अगर उसके लिए राज्य सरकारें कोई स्कीम बना कर हमारे पास भेजेंगी कि किस तरह से राहत पहुंचाना चाहते हैं अगर कहीं पर नुकसान ज्यादा हुआ है तो हम उस पर विचार करेंगे। भारत सरकार की तरफ से कोई आदेश या निर्देश राज्य सरकारों को देने का कि वह वसूली को मुल्तवी करें, सवाल पैदा नहीं होता। यह काम राज्य सरकारों का है। हालात को देखते हुये राज्य सरकारें जहाँ भी जरूरी समझती हैं अपने आप रिकवरी मुल्तवी कर देती हैं और करती रही हैं जैसे कि अभी दिल्ली में हुआ है। इसी तरह से जहां पर ज्यादा लोग पीड़ित हों वहाँ पर राज्य सरकारों को अपनी तरफ से वह करना पड़ता है और अगर बहुत ज्यादा नुकसान होता है कि वे भारत सरकार से सहायता की मांग भी करती हैं।

जहां गेहूं काला पड़ गया हो और उसकी खरीद का सवाल हो, इस सम्बन्ध में जो

विचार माननीय सदस्य के हैं वह मैं अपने साथी मंत्री, जो फूड एंड सिविल सप्लाइज के मंत्री है, उन तक पहुंचा दूंगा। वैसे मेरी निगाह में अभी तक ऐसा कोई नुकसान नही हुआ है जिससे कि काफी तादाद में अनाज काला पड़ गया हो। अगर कहीं काला हुआ है तो नफी के बराबर है। इस बारिश से एक परसेन्ट भी अनाज खराब होने का अन्दाजा नहीं है मंडियों में भीगे हुये अनाज को खरीदने का सवाल तब पैदा होगा जब बहुत ज्यादा नुकसान हुआ हो जिसकी कि अभी सम्भावना नहीं है।

माननीय सदस्य का यह अन्दाजा भी गलत है कि हमने अनाज की पैदावार का जो तखमीना दिया है, उसमें इस बारिश की वजह से कमी होगी। हमारा अन्दाजा वही है, क्राप उसी तरह की है, भारी फसल पैदा होगी बल्कि हो सकता है हमने जो अन्दाजा पहले बताया था उससे भी पैदावार कुछ आगे बढ़ जाए।

———

नियम 377 के अन्तर्गत मामले

3.11 **म. प.**

(एक) बिहार के वैशाली जिले में बौद्ध अवशेषों को रक्षा करने की आवश्यकता

श्रीमती कृष्णा साही (बेगूसराय) : सभापति महोदय, बिहार प्रदेश के वैशाली जिला का बड़ा ही ऐतिहासिक महत्व है। वैशाली की बौद्ध अवशेष जो इतिहास की अमूल्य धरोहर हैं, कई कारणों से उपेक्षित दशा में पड़ी हैं।

मुझे आशंका है कि यदि पुरातत्व विभाग ने तुरन्त उस पर ध्यान नहीं दिया तो यह अमूल्य निधि हमेशा के लिए खो जा सकती है। डा. ए. एस. अल्तेकर द्वारा सन् 1958 में खुदाई के उपरांत वैशाली के निकट अभिशेष पुष्करणी के पास ग्राम चक्रमदास में मिट्टी के कलश में बौद्ध रेलिक्स पायी गई थीं। जब यह समाचार समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ तो पुरातत्व विभाग ने 9 एकड़ भूमि अधिग्रहीत करके तारों की बाड़ स्थापित कर दी लेकिन गत 25 वर्षों से इसके विकास के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई है। न ही इस अवशेष के ऊपर कोई छत्र या घेरा या पहचान बनाया गया है। फलस्वरूप खुदाई के बाद यह स्थान अपनी पहचान खोता जा रहा है। इस प्रकार किसानों को भी अपनी भूमि से वंचित होना पड़ा, उस पर कुछ भी पैदावार नहीं हो रही है और यह जमीन बंजर की भाँति पड़ी हुई है। यदि पुरातत्व विभाग द्वारा इसका विकास कर एक पर्यटन स्थल बना दिया जाता तो इसकी महत्ता और बढ़ जाती। भारत सरकार के पुरातत्व विभाग को दिल्ली के अतिरिक्त देश के विभिन्न भागों में 3-4 सौ वर्षों से पड़े पुराने खंडहरों की तरफ ध्यान देना चाहिए। उनकी सुरक्षा के लिए सब कुछ करना चाहिए क्योंकि यह हमारी संस्कृति और सभ्यता की निशानी है। उपरोक्त बौद्ध अवशेष के लिए जो भूमि अर्जित की गई है, उस पर गांव वाले अवैध कब्जा करने की प्रक्रिया में लगे हुए

हैं और अवैध उत्खनन भी हो रहा है । सरकार अविलम्ब इस ओर ध्यान दें। यदि शीघ्र सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो एक अमूल्य निधि सदा के लिए लुप्त हो जाएगी।

(दो) सब्जियों पर विषाक्त कीटनाशक दवाइयों के अत्यधिक प्रयोग को विनियमित करने की आवश्यकता

प्रो. पी. जे. कुरियन (मवेलीकारा) : नशीले कीटनाशकों का अधिक उपयोग सब्जियों और खाद्य पदार्थों को सुरक्षित स्तर से कहीं अधिक खराब कर रहा है। यह समस्या अत्यधिक खतरनाक हो गई है। योजना आयोग द्वारा प्रकाशित योजना के अद्यतन अंक में एक लेख में जहरीले कृषि-रसायनों के अत्यधिक उपयोग से सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पड़ रहे विनाशकारी प्रभाव पर प्रकाश डाला गया है। रिपोर्ट के अनुसार, देश के विभिन्न भागों में बाजारों को एकत्र किए गए सब्जियों के नमूनों में से आधे नमूनों में कीटनाशक दवाओं का भारी प्रभाव पाया गया।

यह कहा गया है कि औसत भारतीयों के दैनिक भोजन में 0.27 मिली ग्राम डी.डी.टी. मिली होता है जो कि सुरक्षित स्तर से कई गुना अधिक है। भारत में अण्डे, मांस, फल और दूध में कीटनाशकों के पाए जाने बाले अवशेष विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मान्य सीमा से कहीं अधिक पाए जाते हैं। इन रसायनों का शरीर पर पड़ने वाला नशीला प्रभाव यहां वर्णन करने कहीं अधिक भयावह है।

दुर्भाग्य से, हमारे देश में इसके लिए कोई संतोषजनक विनियमन तंत्र विद्यमान नहीं है। अतः कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग के कारण स्वास्थ्य को उत्पन्न गभीर खतरों की दृष्टि से, मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि देश में नशीले कृषि रसायनों के प्रयोग को विनियमित करने के लिए तुरन्त प्रभावी कदम उठाए।

(तीन) सहजावन तथा दोहरीघाट के बीच एक रेल लाइन बिछाने की मांग

श्री महावीर प्रसाद (बाँसगांव) : मान्यवर, मैं आपका ध्यान संसदीय निर्वाचन क्षेत्र बांसगांव जो सदियों से पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, में रेलवे लाइन के निर्माण के संबंध में आकर्षित करना चाहता हूं। श्रीमन्, यह क्षेत्र सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षणिक दृष्टिकोण से काफी पिछड़ा हुआ है। इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई भी उद्योग नहीं हैं। मैं यदि औद्योगिकरण के प्रति राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार से निवेदन करता हूं तो उत्तर में यही मिलता है कि उस क्षेत्र में रेलवे लाइन नहीं है। इस सार्वजनिक निजी, सहकारी एवं संयुक्त क्षेत्रों में कोई भी उद्योग नहीं लग सकता है। यही नहीं जहां तक मेरी जानकारी है कि भारत वर्ष में एक मात्र तहसील बांसगांव है जहां पर एक इंच भी रेलवे लाइन नहीं है। इससे बढ़कर मेरे लिए तथा उस क्षेत्र की जनता के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकती है। इस संबंध में मैंने कई बार इस सदन में आवाज उठाई है लेकिन अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। इतना ही नहीं सहजनवां से दोहरीघाट तक रेलवे लाइन बनाने के संबंध में तीन-तीन बार सर्वेक्षण हो चुका है तथा संकेत पत्थर भी लग चुके हैं और लाखों रुपए खर्च करने के बाद कहा

जा रहा है कि दस प्रतिशत आर्थिक प्रतिफल नहीं आ रहा है इसलिए इस योजना पर विचार करना अभी संभव नहीं है। अतः आपके माध्यम से पुनः निवेदन है कि मई सन् 1980 की जो राष्ट्रीय परिवहन नीति बनी है उसको आधार मानते हुए तथा आर्थिक प्रतिफल को त्यागते हुए क्षेत्रीय पिछड़ेपन को दूर करने के लिए सहजनवां से दोहरी घाट तक रेलवे लाइन बनाने के लिए विशेष व्यवस्था की जाए ताकि मेरी तहसील की जनता भी रेलवे लाइन का दर्शन कर सके।

(चार) भारतीय तेल निगम में उसके कर्मचारियों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में एक स्पष्ट नीति अपनाने की आवश्यकता

श्री भीखाभाई (बांसवाड़ा) : यह अत्यधिक आश्चर्य का विषय है कि हालांकि भारतीय तेल निगम के तेल शोधन प्रभाग (रिफाइनरी डिवीजन) की स्थापना अक्तूबर, 1958 में अर्थात 25 वर्ष पूर्व की गई थी, उसमें अभी तक नियमित और स्पष्ट स्थानांतरण नीति नहीं बनाई गई है। जब आवश्यक समझा जाता था तकनीकी अधिकारियों के ही स्थानांतरण होते थे। परन्तु पिछले तीन और चार वर्षों से तेल शोधन प्रभाग (रिफाइनरी डिवीजन) में बड़े पैमाने स्थानांतरण किए जा रहे हैं हालांकि प्रत्येक स्थानांतरण पर प्रबंध मंडल को अपनी उदार स्थानांतरण नीति के कारण 10,000 में 20,000 रुपये तक की लागत पड़ती है।

एक और विरोधाभासी स्थिति यह है कि हालांकि कर्मचारी गण को अन्य यूनिटों में भी स्थानातरित किया जा सकता है परन्तु उन्हें कभी भी एक जगह से दूसरी जगह नहीं भेजा जाता है। यह सुझाव दिया जाता है कि परेशानी और कठिनाइयों से बचने के लिए निम्नलिखित कार्यवाही की जानी चाहिए :—

(एक) मान्यता प्राप्त संगठनों और अधिकारियों की एसोसियशन से परामर्श करके निगम द्वारा विस्तृत और स्पष्ट स्थानांतरण नीति निर्धारित किए जाने तक अधिकारियों का स्थानांतरण न किया जाए।

(दो) कम से कम स्थानांतरण किये जायें क्योंकि प्रत्येक स्थानांतरण पर हजारों रुपये व्यय होते हैं।

(तीन) प्रत्येक अधिकारी को प्रस्तावित स्थानांतरण के बारे में कम से कम एक वर्ष पूर्व सूचित किया जाये।

(चार) यदि पति-पत्नी दोनों भारतीय तेल निगम में ही अथवा अन्य कार्यरत हों तो उन्हें जहां तक संभव हो उस स्थान से हटाया जाए अथवा दोनों को एक ही स्थान/यूनिट में कार्य करने दिया जाये।

(पांच) आगरा के लोगों को पीने के लिए दूषित जल की सप्लाई होने के आरोप की जांच करवाने की आवश्यकता

श्री निहाल सिंह जैन (आगरा) : सभापति महोदय, आगरा में थल सेना एवं वायु सेना की बहुत बड़ी छावनी स्थिति है। यहां पैराशूट ट्रेनिंग का एक मात्र प्रशिक्षण केन्द्र है। यहां

सी. ओ. डी, 509 आर्मी बेस वर्क शाप एवं अन्य रक्षा प्रतिष्ठान हैं। बहुत बड़ी संख्या में थल सेना, वायु सेना के जवान, अधिकारी एवं इन प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारी निवास करते हैं। इन सबको पेयजल की आपूर्ति आगरा जल संस्थान द्वारा वितरित पेयजल अत्यन्त दूषित हैं तथा सामान्यत: अस्वास्थ्यकर है। विशेषज्ञों का मत है कि यह दूषित जल अस्सी प्रतिशत रोगों को जन्म दे रहा है। इसके परिणामस्वरूप हमारे सुरक्षा सैनिक अधिकारी तथा रक्षा प्रतिष्ठानों के अधिकारी भी अछूते नहीं रह सकते। चिन्तनीय स्थिति तो यह है कि उत्तर प्रदेश शासन और जल संस्थान विशुद्ध जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने में उपेक्षा कर रहे हैं। जल में विषाक्त कीटाणु और गंदगी की शिकायतें अनवरत रूप से समाचार पत्रों में प्रकाशित होती रही हैं। आशंका व्यक्त की जा रही है कि कहीं नगर में महामारी न फैल जाए ?

उपरोक्त सैनिक प्रतिष्ठानों के अधिकारियों, कर्मचारियों तथा नगरवासियों के स्वास्थ्य दृष्टिगत रखते हुए रक्षा मंत्रालय के विशेषज्ञ तुरन्त आगरा भेजे जाएं, जो जल संस्थान से प्राप्त होने वाले जल की रासायनिक जांच और उसको प्रदूषण रहित बनाने की प्रक्रिया का भी अवलोकन करें और यह भी सुनिश्चित करें कि सुरक्षा सेवा कर्मचारियों को पेयजल प्रदूषण रहित उपलब्ध हो।

(छः) तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल के होजरी उद्योग के मजदूरों की हड़ताल

ईरा मोहन (कोयम्बतूर) : तमिलनाडु में तिरप्पूर होजियरी उद्योग का घर है जहां 1,300 फैक्ट्रियां हैं जिनमें 16,000 कामगार काम करते हैं। तिरप्पूर में बनाए गए बनियानों की सारे देश और देश से बाहर बिक्री होती है। विकसित देशों में भी इसकी मांग है। बातचीत असफल रहने से यह यूनिटें पिछले एक सप्ताह से बंद पड़ी हैं। 16,000 कागार बेकार हो गए हैं। यानि जमा होने और बुनाई मिलों द्वारा कामगरों की छुट्टी करने की श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया प्रारम्भ हो गई है। पिछले तीन महिनों से पश्चिम बगाल में भी होजियरी उद्योग में हडताल चल रही है। केन्द्र द्वारा इस हड़ताल को समाप्त करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। निरन्तर उत्पादन न होने के कारण निर्यात वायदों की पूर्ति भी नहीं हो पा रही है। होजियरी उद्योग के कामगरों की वेतन वृद्धि और अन्य आधारभूत सुविधाओं की उचित मांगों का हल निकालना आवश्यक है। तिरप्पूर और पश्चिम बंगाल में होजियरी उद्योग में हड़ताल शीघ्र समाप्त करानी चाहिये और केन्द्र को इस मामले में शीघ्र हस्तक्षेप करना चाहिए जिससे हजारों कामगरों को बेकार होने से बचाया जा सके।

(सात) मध्य प्रदेश में बैंकों द्वारा भुक्तानों में तथा बैंकों के सामान्य कार्यकरण के लिये उन्हें पर्याप्त धनराशियां देने में विलम्ब

डा. वसंत कुमार पंडित (राजगढ़) : श्रीमान, हाल ही में ग्रामीण और कृषि क्षेत्र में एक नई समस्या उत्पन्न हो गयी है। मुझे मध्य प्रदेश के राजगढ़, गुना, विदिशा तथा अन्य जिलों से ऐसी शिकायतें मिली हैं कि बैंकों द्वारा दो से तीन सप्ताह तक भुगतान रोके रखे जाते हैं। कृषि क्षेत्र में ग्रामीण बैंकों के साथ साथ वाणिज्यिक बैंकें क्या ऋणी बैंक भी किसानों

को भुगतान नहीं कर सकते और मंडी किसानों को थोड़ा-थोड़ा करके भुगतान करके कई बार किसानों को बताने के लिए बाध्य है। विक्रेता और व्यापारी भी परेशानी का सामना कर रहे हैं क्यों कि समय से चैकों तथा ड्राफ्टों की स्वीकृति नहीं मिलती है और सभी बैंकों में निधि की कमी के कारण उनकी स्वीकृति में दो तीन सप्ताह तक का समय लग जाता है।

यह फसल सन्न (सीजन) होने के कारण और व्यापार गतिविधियों तथा विवाह आदि में वृद्धि के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही हैं क्योंकि बैंक समय पर भुगतान करने से मना करदेते हैं और दो सप्ताह पश्चात उसकी स्कीकृति (क्लीअरउ) मिलती है। यह गंभीर स्थिति है और बैंकों के प्रति लोगों का विश्वास समाप्त हो रहा है।

मैं माननीय वित्तमंत्री जी से मागं करता हूं कि वे देर से भुगतान के इन मामलों की जांच कराएं तथा बैंकों के पास तत्काल पर्याप्त मात्रा में नकद धनराशि की व्यवस्था कराएं ताकि ग्रामीण और कृषि क्षेत्र में इस व्यस्त सत्र में सामान्य गतिविधियाँ जारी रह सकें।

(आठ) शिव काशी में दियासलाई बनाने के कारखानों को बैंड रौलों की अनियमित सप्लाई

श्री एम सुन्दरराजन (शवाकाशी) : शिवाकाशी और उसके आसपास के क्षेत्रों में दियासलाई बनाने वाले सजारों एककों के स्थानीय कोष द्वारा जारी किए जाने वाले बैंड रोलों की कमी के कारण बन्द है। बैंड रोल आवकारी विभाग द्वारा जारी की गई वह शासकीय स्लिप है जिसके बिना कारखानों से दियासलाईयों की निकासी नहीं की जा सकती। पे बेंड रौल गवर्नमेंट सीक्योरिटी प्रेस नासिक में मुद्रित किए जाते हैं। यह पता नहीं है कि बेंड रोलों की सप्लाई किन कारणों से बंद कर दी गई है। दियासलाई निर्माता और कर्मचारी परेशान हो रहे हैं। यदि यह स्थिति जारी रही तो गंभीर संकट पैदा हो जाएगा। जिससे लाखों मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे।

इसलिए, मैं मंत्री महोयय से अनुरोध करता हूं कि वे शिवाकाशी और उसके आसपास के क्षेत्रों में यथाशीघ्र बेंडरोलों की सप्लाई के लिए तत्काल कदम उठाएं।

(नौ) सिग्नल और दूरसंचार कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करना

श्री बसुदेव आचार्य (बाँकुरा) : महोदय सिग्नल और दूरसंचार कर्मचारियों ने सभी भारतीय रेलों में आज से अर्थात 25 अप्रैल, 1984 से नियमानुसार ही कार्य करने का आंदोलन शुरू कर दिया है। के संवर्गों की पुनर्रचना किए जाने की मांग करते रहे हैं। सिग्नल और दूरसंचार कर्मचारियों को छोड़कर रेलकर्मियों के विभिन्न वर्गों के संवर्गकी पुनरीक्षा की गई है और उनका दर्जा बढ़ाया गया है। अखिल भारतीय सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन स्टाफ एसोसिएशन ने व्यापक स्तर पर हस्ताक्षर करके एक ज्ञापन मंडलीय रेलवे प्रबंधक के माध्यम से रेलवे बोर्ड के चियरमैन को दिया है और उन्हें अभ्यावेदन किया है। 6 दिसम्बर, 1983 को बोट क्लब

पर सामूहिक धरना दिया गया था। और उपर्युक्त मांगों के सम्बन्ध में रेल मंत्री तथा प्रधान-मन्त्री को एक ज्ञापन दिया था।

रेलवे प्रशासन ने सिग्नल और दूरसचार कर्मचारियों के लिए कुछ अव्यवहारिक नियम बनाए हैं जो कि पुरानी कार्यशैली से सम्बधिन्त है। अत्याधुनिक सिग्नल और दूरसंचार प्रणाली लागू की गई है, लेकिन कर्मचारियों की सेवादिभृतियों को रेल कार्यकरण की आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप यहीं बदला गया है।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह भारतीय रेलवे के सिग्नल और दूरसंचार कर्मचारियों की परेशानियों पर विचार करे।

(दस) जम्मू तथा कश्मीर में रक्षा प्रयोजनों के लिए सड़कें केवल अकृष्य भूमि पर ही बनाने के बारे में नीति सम्बन्धी निर्णय लेने की आवश्यकता

प्रो. सैफुदीन सोज (बारामूला) : हमारी सशस्त्र सेनाओं ने जम्मू और कश्मीर राज्य के सीमान्त क्षेत्रों में जनता के साथ बहुत अच्छे सम्बन्ध बनाए रखे हैं। पूंछ, राजोरी करनाह कारम, लेह आदि के सीमावर्ती क्षेत्रों में सेना और सीमा सुरक्षाबल बल द्वारा शुरू किए गए समाज कल्याण उपाय इसके उदाहरण हैं और लोग उस सबकी प्रसंसा करते हैं। लेकिन वहां ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें रक्षामन्त्रालय को रुचि लेनी चाहिये और वहां कुछ कठिनाइयों को दूर करने की आवश्यकता है। मैं काश्मीर के बुपत्रास जिले की करनाल तहसील में रक्षा प्रयोजनों के लिए बनायी गयी सड़कों की और रक्षा मन्त्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इसके लिए जिन लोगों की भूमि ली गई थी उनको अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। इसके साथ यह नीति होनी चाहिए थी कि धान की पैदावार के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सिंचित भूमि (आली अवल) सड़कों का निर्माण के अंतर्गत नहीं लेना चाहिए क्यों कि कृषि के लिए अनप्युक्त और कम उपजाऊ भूमि वहां उपलब्ध है जिससे करनाह तथा अन्य स्थानों पर सड़कों के निर्माण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा, वहीं रक्षा प्रयोजनों के लिए श्रमिकों की आवश्यकता तो वहां स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

———

3.28 **म.प.**

राष्ट्रीय सुरक्षा (संशोधन) अध्यादेश तथा राष्ट्राय सुरक्षा (संशोधन) विधेयक के निनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प

सभापति होदय : अब, हम मद संख्या 13 और 13 पर एक साथ विचार करते हैं। श्री सूरजभान अपना भाषण जारी कर सकते हैं।

श्री सूरजभान (अम्बाला) : सभापति महोदय, मैंने कल यह बात साबित करने की कोशिश की थी कि आर्डिनेंस का जारी करना बिल्कुल ग़लत था और आर्डिनेंस को जारी करके, पार्लियामेंट में तोहींन की गई और उस इन्सल्ट की एक एग्जम्पिल आज फिर हमारे सामने

आ गयी है। प्रधानमन्त्री जी हाउस में न आकर स्पीकर साहब को लैटर लिखती हैं और उस पर कुछ यहां हो हल्ला भी हुआ था लेकिन उन्होंने लिखा क्या है। .....

(व्यवधान)

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा अंतरिक्ष, ईलेक्ट्रोनिका और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री श्री शिवराज वी. (पाटिल) : यदि आप इस प्रकार का वक्तव्य दे रही हैं तो हमें इन बातों को स्पष्ट करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

श्री सूरजभान : श्री ठीक है, बताइए।

श्री शिवराज वी. पाटिल : श्रीमान, प्रधानमन्त्री विदेशियों से तथा लोगों से, जो वहां आ रहे हैं मिलना है। यदि उनको सूचना दिए बिना इस सदन में इस तरह अंतिम दोनों में कोई मामला आता है और वह यह चाहती हैं .....

श्री सूरजभान : वह दोपहर बाद वक्तव्य दे सकती थीं।

श्री शिवराज पाटिल : यदि सुनवाई के लिए कोई मामला नियत किया जाता है और तब वह यहां नहीं होती हैं तब आप आपत्ति कर सकते हैं। लेकिन जब उनको सूचना दिए बिना कोई मामला आता है तब आप उनसे यहां उपस्थित रहने की कैसे आशा कर सकते में ? (व्यवधान)

सभापति महोदय : उन्होंने अपना मत व्यक्त कर दिया है। मन्त्री महोदय उत्तर दे सकते हैं क्यों कि विपक्ष के सदस्य भी यह चाहते हैं।

श्री शिवराज वी. पाटिल : महोदय, यह सही नहीं है। इस मामले में इन बातों को इस ढंग से कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित करने की अनुमति नहीं दी जाए।

श्री सूरजभान : क्यों नहीं। (व्यवधान)

सभापति महोदय : कुछ भी नहीं। श्री सूरजभान जी कृपया बोलते रहिए।

श्री रामप्यारे पनिका : आखिरकार, कोई सीमा तो होनी चाहिए। (यवधान)

सभापति महोदय : आपने अपनी दलील दे दी है। यह रिकार्ड पर है। इस पर चर्चा होने दीजिए। यह एक महत्वपूर्ण बात है। (व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री हरिकेश बहादुर, कृपया उन्हें बोलने दीजिए।

श्री हरिकेश बहादुर : मैं नहीं समझता, इसमें गलत क्या है। (व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री सूरजाभान, कृपया अपना भाषण जारी रखिए।

प्रो एन. जी. रंगा : सुबह इस मुद्दे को उठाया गया था। आप इसे दोहराते क्यों जा रहे हैं ?

सभापति महोदय : आप हम पर बुरा जोर दे सकते हैं।

श्री सूरजभान : सभापति महोदय, पत्र में कंट्राडिक्ट करने की कोशिश की गई है लेकिन मैं समझता हूं कि प्रधानमन्त्री जी की इन्कार में भी इकरार मौजूद है। उनका सेंटेंस पढ़कर सुना रहा हूं। अखबार की न्यूज है।

श्री पी. वेंकटसुबय्या : क्या यह संगत है ? क्या यह उपयुक्त है ?

श्री सूरजभान : क्यों नहीं ?

श्री पी. वेंकटसुबय्या : अध्यादेश लागू कर दिया गया है। वह इससे प्रधानमन्त्री को कैसे सम्बन्ध कर सकते हैं... (**व्यवधान**)...

सभापति महोदय : यह पंजाब के सम्बन्ध में है कि वहां राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की क्या आवश्यकता थी ? (**व्यवधान**)

श्री पी. वेंकट सुबय्या : ऐसी बात नहीं है।

श्री सूरजभान : आर्डिनेंस पंजाब की प्राब्लम को हल करने के लिए था और इसी बारे में लैटर में रेफर किया गया है। यह कल के ट्रिब्यून अखबार में है।

> "उन्होंने कहा है कि कुछ अवांछनीय तत्व, जो जनता शासन के दौरान गुप्तचर सेवा तंत्र (इंटेलीजैन्स नेटवर्क) और कानून तथा व्यवस्था बनाने वाले तंत्र में प्रवेश पा गए थे, अब केन्द्र सरकार को कमजोर बनाने की कोशिशें कर रहे हैं।"
>
> "प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरागाँधी ने सोमवार को आरोप लगाते हुए कहा कि जनता शासन के दौरान अकाली-जनता संविद सरकार द्वारा अपराधियों और साम्प्रदायिक तत्वों की की गई भर्ती के कारण दी पंजाब में आसूचना एजेंसियां असफल रही हैं।"

श्री पी. वेंकट सुबय्या : क्या यह उस अध्यादेश से, जिस पर कि चर्चा हो रही है, सम्बद्ध है। मैं आपका निर्णय चाहता हूं।

सभापति महोदय : हमें उनकी बात सुननी चाहिए। वह पंजाब में विद्यमान स्थिति से सम्बद्ध वक्तव्य का उल्लेख कर रहे हैं।

सूरजभान जी आप यह जानते हैं कि प्रधानमंत्री की एक पत्र है जिसके अध्यक्ष महोदय ने पढ़कर सुनाया है। लेकिन यदि यह राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम से सम्बद्ध है तो आप उसका उल्लेख कर सकते हैं। लेकिन उससे आगे नहीं।

श्री सूरजभान : मुझे एक बार कह तो लेने दीजिए।

श्री हरिकेश बहादुर : यदि वह पत्र के बारे में कुछ कहते हैं और उसके बाद कुछ दलीलें देते हैं तो उसमें गलत क्या है ?

सभापति महोदय : हरिकेश बहादुर जी आपने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था। मैंने उनसे भाषण जारी रखने के लिए कहा है।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सभापति महोदय वह केवल संकल्प पर बोल सकते हैं। अन्य किसी बात पर नहीं। (**व्यवधान**)

श्री सूरजभान : आज के अखबार में प्रधानमंत्री ने कहा है :

> "मैं कहयी हूं कि सत्ता में आने से पूर्व जनता पार्टी ने यह विश्वास कर लिया था कि मैं अपने दलगत प्रयोजनों के लिए आसूचना सेवाओं का प्रयोग कर रही हूं। इस बात में न तब कोई सचाई थी और न अब है। लेकिन इस कारण जनता पार्टी ने इस प्रश्न की जाँच करने के लिए समिति गठित की। इससे इन संस्थानों को परेशानी हुई और उनका मनोबल गिरा। इससे कुछ सीमा तक जातीयता की भावना भी पैदा हुई थी।

श्री मूलचन्द डागा : ये ठोस तथ्य है।

श्री सूरजभान : जनता हुकूमत ने इन्क्वारी कमेटी बिठाई है उस इन्क्वारी कमेटी के बैठने के कारण कान्टिज्म आ गया है। ऐसा उसमें कहां गया है। अगर मैं इस बात को थोड़ी देर के लिए मान भी लूं.....(**व्यवधान**)..... इन्क्वारी कमेटी की वजह से कोई कार्स्टज्म नहीं आया

श्री मूलचन्द डागा : आया है।

श्री सूरजभान : तब तो आपको कोई इन्क्वारी नहीं बैठानी चाहिए।

श्री मूलचन्द डागा : आप संकल्प पर बोल रहे हैं अथवा अन्य किसी बात पर ? कृपया संकल्प की परिधि में ही बोलें।

श्री सूरजभान : मैं उसी परिधि में बोल रहा हूं। (**व्यवधान**)

श्री मूलचन्द डागा : आप यह सब क्यों कह रहे हैं ? (**व्यवधान**) वहकेवल प्रधान मंत्री पर आक्षेप लगाना चाहते हैं। वह कोई दूसरी बात नहीं करना चाहते। (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : श्री डागा, मुझे विश्वास है कि वह हमारा बयान कर सकते हैं और आप भी उनका (प्रधान मंत्री) पक्ष ले सकते हैं।

श्री सूरजभान, कृपया आप अपना भाषण जारी रखिए।

श्री सूरजभान : प्राइय मिनिस्टर ने ही तो सोल्यूशन करना है। (**व्यवधान**) **मैं उस पर** आ रहा हूं।

इस आर्डिनेंस में दो तीन इफेक्टस हैं मोटे तौर पर। पहला तो यह है कि 5 दिन के बजाये 15 दिन के बाद गिरफ्तारी की बजह बताएंगे, दूसरा एडवाइजरों बोर्ड को तीन महीने के बजाये 6 महीने के अन्दर राय के लिये कहेंगे और तीसरा मोटा इफेक्ट है, छोटे-छोटे और भी हैं, लेकिन मोटा इफेक्ट तीसरा यह है कि एडवाइजरी बोर्ड की राय के बाद एक साल के बजाये दो साल तक जेल में रख लेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ । (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : इस प्रकार बीच में बोलने से मामले में विलम्ब ही होगा। श्री डागा, आप प्रभावशाली ढंग से उत्तर दे सकते हैं।

श्री सूरज भान सिंह :

मैं गृह मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि पाँच अप्रैल को ऐसे कौन से केसेज थे, जिनकी पांच दिन, छह महीने की बात या या एक साल की नजरबन्दी खत्म हो रही थी और आप उनको बढ़ाना चाहते थे ? क्या नजरबन्दी की मियाद का आपको पांच अप्रैल को ही पता चला ? जिस आदमी को आपने पांच-छः महीने पहले पकड़ा, उसके बारे में तो आपको पता था। क्या यह मार्च के दूसरे सप्ताह में पता नहीं लग सकता था। 23 मार्च को राज्य सभा का सैशन एडजार्न हुआ और पांच अप्रैय को आपने आर्डिनेंस जारी कर दिया। अगर आपको पता था तो आप आसानी से इसको बिल की सूरत में लाकर राज्य सभा से भी पास करवा सकते थे। आपसे यह गलती हो गई।···(**व्यवधान**) किस ग्राउन्ड पर आप मना करेंगे ?

श्री रामप्यारे पनिका (रावर्टस गंज) : इन मुद्दों पर सरकार जवाब दे चुकी है। इन्हें दोहराने का कोई लाभ नहीं हैं।

सभापति महोदय : यदि हम आपत्तियों और उनके उत्तरों पर समय न गवाएं, तो हम काफी आगे और तेजी से बढ़ सकते हैं।

श्री सूरज भान : इस सरकार को अधिकारों की कमी नहीं है। अधिकार तो बहुत हैं लेकिन पोलिटिकल बिल नहीं है। प्रावलम को साल्व करने के लिये कायर के हाथ में हथियार दे दिया जाये यो वह कुछ नहीं कर सकता।···(**व्यवधान**) आपने पहला कदम उठाया पंजाब की प्रावलम को (हल) साल्व करने के लिए कि दरवारा सिंह जी को रिप्लेस किया। वहां के गवर्नर श्री ए० पी० शर्मा को रिप्लेस किया। फिर पाण्डेय साहब के एडवाइजर्स को रिप्लेस किया। उसके बाद होम सेक्रेटरी को रिप्लेस किया। अब शायद चर्चा हो रही है कि होम मिनिस्टर साहब को भी रिप्लेस करेंगे। आप बात बता दें कि यह बात सही है या नहीं ? लेटेस्ट यह है कि दरबारा सिंह जी बाहर विदेश गये हुये थे, उनको बुलाया गया।····(**व्यवधान**)

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : आप समाचार-पत्रों में प्रकाशित खबरों को सही मानते हैं। वे काल्पनिक बातें हैं।

श्री सूरज भान : यह समाचार-पत्र छपा था।

श्री रवीन्द्र वर्मा : मंत्री महोदय, कृपया हमें बताएं कि हमें क्या करना चाहिए। हमारी सरकारी सूचना तक पहुंच नहीं है।

श्री सूरज भान : दरबारा सिंह जी के बदलने के बाद, गवर्नर राज के आने के बाद 39 रेलवे स्टेशन जलाये गये। एक भी आदमी पकड़ा नहीं गया। रेलवे लाइनें उखाड़ी गईं और बम भी उन पर फटे। आज के अखबारों में तो यह भी है कि वहां एक्सप्लोसिव स्टीक भी रखी गई मुझे एक शेर याद आ रहा है, वह मैं आपको सुना देना चाहता हूं:—

"रात के गुजरते ही एक और रात आई,
आप यह कहते थे दिन निकलने वाला है।"

दिन तो नहीं निकला, लेकिन हालात और भी ज्यादा खराब होते जा रहे हैं।···(**व्यवधान**) **आर्डिनेंस** अमेन्ड करके नेशनल सेक्योरिटी एक्ट को ज्यादा मजबूत बनाने की कोशिश की है।

श्री चिरंजी लाल शर्मा : करनाल यह शेर तो हकीकत के खिलाफ है। हर रात के बाद तो दिन निकलता है।··· (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : आपका नाम सूची में है। श्री चिरंजी लाल शर्मा, अभी से आप स्वयं को थकाइये मत। चलो, अब आगे बढ़ें।

मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सन्त जरनैल सिंह भिण्डरांवाला ने जो कुछ बयानात वहां दिए गोल्डन टैम्पल में, क्या वे नेशनल सीक्यूरिटी एक्ट की परिधि में नहीं आते। क्या वे एन्टी नेशनल नहीं थे। मैं नहीं कहता कि आप वहां जाओ, क्योंकि आप में हिम्मत नहीं है। फिर में क्यों कहूं कि आप वहां जाओ। लेकिन उनके जितने बयानात और स्टेटमैंटस हैं, उनके जो एक्शन हैं कि हम इतने हिन्दूओं का कत्ल कर देगे, फलाने को मार कर के लाओ, भजन लाल को मार करके लाओ, यह काम पूरा नहीं हुआ, क्या उनमें से कोई चीज पंजाब की पीस को डिस्टर्ब नहीं करती अथवा कन्ट्री (देश) की इंटैग्रिटी को डिस्टर्ब नहीं करती। यदि उनके बयानात के खुले टेप बाजार में मिलते हैं, क्या वे नेशनल सीक्यूरिटी एक्ट में कवर नहीं होते। हर गुरुद्वारों में उन्हें सुनाया जा रहा है। यदि ये सारी चीजे एक्ट के अन्तर्गत आती हैं तो आप उस बात को छोडिये कि एक साल की जगह दो साल करेंगे, आज तक आपने नेशनल सीक्यूरिटी एक्ट के अन्तर्गत क्या कोई वारन्ट जारी किया। आपने अभी पिछले दिनों श्री राम विलास पासवान जी के एक सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि भिण्डरांवाला के खिलाफ 11 मामले दर्ज हैं, लेकिन क्या किसी भी मामले में आपने कोई वारन्ट जारी किया। क्या अब जारी करेंगे। आपने कल अपनी स्टेटमैंट में जो कुछ कहा, उसको मैं दोहराना नहीं चाहता। आपने कहा था—

"उग्रपंथी नेतागण आतंकवादी तरीके अपनाने के लिए अपने अनुयायियों का उकसाते रहे हैं"

मैं फिर से अपनी दोहराना चाहता हूं कि आखिर वे मिलिटैंट लीडर्स कौन है और उनके लीडर

कौन हैं। आपने उनके लीडर के खिलाफ क्या कार्यवाही की। आज ही संत हरचन्द सिंह लोंगोवाल की एक स्टेटमैंट हमारे ध्यान में आई है, जो कल के हिन्दुस्तान टाइम्स में छपी थी कि फिरोजपुर में जो सी.आर.पी.एफ. के जवानों ने फायरिंग की है, हम उसका बदला लेंगे। क्या यह स्टेटमैंट एन.एस.ए. की परिधि में नहीं आती। स्वयं प्रधान मंत्री जी ने कहा है, चण्डीगढ़ में जो उर्दू के अखबार में छपा है, उसमें लिखा है कि हम पंजाब की समस्या को जल्दी से जल्दी हल करना चाहते है, मगर इस बारे में बात किस से करें और फिर उसे कौन मानेगा। इससे स्पष्ट होता है कि आपको अभी तक यही नहीं पता कि किस से बात करना है, क्या फैसल करना है, और उसको कौन मानेगा। एक तरफ आप कहते हैं कि सन्त हरचन्द लोंगोवाल और जरनैल सिंह भिंडरावाला में कोई फर्क नहीं रहा, फिर और कहते हैं किस से बात करें। शायद इसके लिए कुछ और ही कदम उठाना पड़ेगा। उनका यह बयान भी है कि हमें बदला लेना पड़ेगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आप वाकई दोनों संतो में कुछ फर्क समझते हैं। यदि फर्क समझते हैं तो फिर लौंगोवाल जी से बात करनी चाहिए। इस मसले को बातचीत के जरिये हल करना चाहिए। यदि आपने यह फैसला अभी करना है कि किस से बात करें, फिर अपने तौर पर आप जो ठीक समझते हैं, कीजिए। पजाब और हरियाणा के बारे में आप जो ठीक समझते हैं, निर्णय कीजिए। लेकिन उसको एनाउंस तो कीजिए, फिर उसके परिणाम भी सामने आ जायेगे।

दूसरे, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि तलवंडी ग्रुप के नेता श्री सुखदेव सिंह जी के बारे में क्या यह असलियत है कि वे पिछले महीने मार्च में दिल्ली आये थे और प्रधानमन्त्री जी से मिले। यदि हां, तो उनकी प्रधानमंत्री जी से क्या बात हुई। यदि नहीं, तो साफ कह दीजिए कि नहीं मिले, बात खत्म हो जाती है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इन कागजी कार्यवाहियों से कुछ नहीं बनेगा। अखबारों में तो यहां तक रिपोर्ट छपी हैं कि गोल्डन टैम्पल के नीचे सुरंगे बनी हैं जहां पर अमेरिका, पाकिस्तान और रूस आदि कई देशों से लाए गए हथियार जमा हैं और इस सिलसिले में कुछ आदमी पकड़े भी गए हैं। जब एन्काउन्टर में मारे गए एक व्यक्ति की लाश वहां बरामद हुई तो ऊपर से तो वह सिक्ख लगता था, लेकिन अदर से जांच करने पर उसकी सुन्नत हुई थी, वह मुसलमान पाया गया। आज के नवभारत टाइम्स अखबार में भी कहा गया है कि अमृतसर से कुछ दूर सी.आर.पी.एफ. के जवानों ने कुछ लोगों को चैलेंज किया तो वे किसी और दिशा में न जाकर पाकिस्तान की ओर भागने लगे। पुलिस खामोश खड़ी रही। सी.आर.पी एफ. के लोगों ने गोली चलायी, उनको जख्मी किया और गिरफ्तार किया। क्या गोल्डन टैम्पिल में भी पाकिस्तान या विदेश के घुसपैठिये बैठे हुए हैं? यदि हां, तो कितने हैं और कितने आतंकवादी हैं? आखिर इन हालात का कंट्रोल कौन होगा? पुलिस और सियासतदां उनके साथ मिले हुए हैं और इसका सपूत यह है कि मेरी कांस्टीट्यूऐन्सी अम्बाला में एक ए.एस.आई., सरदार शिव सिंह और एक कांस्टेबिल, जिसकी 15 दिन बाद शादी होने वाली थी, दोनों को आतंकवादियों ने खत्म कर दिया। अम्बाला के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ऐडमिनिस्ट्रेशन ने हिम्मत की, डिप्टी कमिश्नर ने तमाम सिविल अफसरों को बुलाया और कहा कि पुलिस के आदमी दिये जायेंगे, हर गाँव में छापा मारा परिणाम स्वरुप एक आदमी पकड़ा गया जो भटिंडा पुलिस का कांस्टेबिल है। पंजाब सुपरिन्टेंडेंट पुलिस

का बेटा उसके साथ था। एक अकाली भूतपूर्व विधायक का बेटा भी उनमें था। मैं अम्बाला के अधिकारियों को शाबास देता हूं। पंजाब सुपरिन्टेडेंट पुलिस ने उसे कांस्टेबिल का वारन्ट डिलीवर करने के लिए भेजा हुआ था। कौन किसको पकड़ेगा ? वह यहां मारने आया था पवन कुमार और डा० कमला वर्मा का और चूंकि डेयूटी लगी हुई थी वारन्ट डिलीवर करने की, अगर पकड़ा न गया होता तो कोई सबूत नहीं था। वह चूंकि जिस काम के लिए आया था वह काम नहीं कर सका इसलिए पकड़ा गया। करनाल में श्री वेद पाल पर हमला किया गया। श्री भजन लाल का स्टेटमेंट है कि वह लोग 3 दिन पंजाब से आ कर के करनाल में ठहरे और उनकी स्कीम थी मुख्य मंत्री, श्री भजन लाल को मारो। घरोंदा में चूंकि सेक्योरिटी अोंजमेंट मालूम था इसलिए मुख्य मंत्री को नहीं मार सके। श्री भजन लाल का ड्राइवर जो मेरी कांस्टीट्यूऐन्सी का था, उसको मारा। तीन आदमी पकड़े गये और वह तीनों के तीनों यूथ कांग्रेस के आदमी थे। यह चीफ मिनिस्टर का खुद का स्टेटमेंट है, मेरा नहीं। और उन्होंने यह भी कहा कि इन्वेस्टीगेशन की स्टेज पर उन पर दबाव डाला गया कि इनको छोड़ दिया जाय। मैं पूछना चाहता हूं कि कौन आदमी थे जो दबाव डाल रहे थे छुड़वाने के लिए ? यह चीफ मिनिस्टर का स्टेटमेंट है। और आप उनके खिलाफ क्या कार्यवाही कर रहे हैं जो छुड़वाने की कोशिश कर रहे थे ? जहां पुलिस अफसर और पोलिटीशियन मिले हुये हैं वहां क्या इन्साफ हो सकता है ? कागजी कार्यवाहियों से कुछ नहीं बनेगा।

इसलिए मैं इस बिल का विरोध करता हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ कि पहले के जो कानून हैं वही काफी हैं जिनसे काम चल सकता है, इस बिल को लाने की कोई जरूरत नहीं है। आप जरा बिल पावर दिखाइये तब कुछ काम बनेगा, अन्यथा इन कागजी कार्यवाहियों से कुछ नहीं बनेगा।

3.48 म.प.

(श्री आर० एस० स्पैरो पीठासीन हुए)

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि पंजाब राज्य तथा चन्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र पर लागू करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

जैसा कि सदन को मालूम है कि उग्रवादियों की हिंसक और आतंकवादी गतिविधियों के कारण पंजाब और चण्डीगढ़ के तनावग्रस्त क्षेत्रों में जनव्यवस्था गम्भीर रूप से प्रभावित हुई है। अनेक बेकसूर लोग उनके हमलों के शिकार हुए हैं। उन्होंने उन लोगों पर या तो हमला किया अथवा उन्हें धमकी दी, जिन्होंने उनके विचारों से भिन्न विचार व्यक्त किए। इनमें विभिन्न समुदायों के लोग, मामलों की तफसीस करने वाले पुलिसमैन, गवाह तथा अन्य लोग शामिल

थे। उन्होंने सार्वजनिक सम्पत्ति को भी क्षति पहुंचाई। उन्होंने प्रार्थना सभाओं पर विस्फोटक पदार्थ फैंकने में भी कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। आतंक फैलाने के लिए उग्रपंथी नेता अपने अनुयायियों को उकसा रहे हैं, जिससे लोकतंत्र और कानून के शासन की जड़ें ही कट रही हैं।

माननीय सदस्यों ने राज्य में व्याप्त गम्भीर स्थिति पर चिन्ता और रोष प्रगट किया है। सरकार के लिए यह जरूरी हो गया है कि वह राष्ट्रविरोधी, समाज विरोधी और साम्प्रदायिक तत्वों से प्रभावशाली ढंग से और कड़ाई से निपटने के लिए निवारक नजरबन्दी सम्बन्धी शक्तियों सहित पर्याप्त शक्तियों से स्वयं को सज्जित करे। इस असामान्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक समझा गया कि पजाब और चंडीगढ़ के 'तनावग्रस्त क्षेत्रों में लागू करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के कुछ उपबन्धों में संशोधन किया जाए ताकि उनको हिंसक गतिविधियों में हिस्सा लेने से रोका जा सके।

विधेयक में यह प्रस्ताव किया गया है कि पंजाब राज्य तथा चन्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र पर लागू करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 में निम्नलिखित संशोधन किए जाएं :—

(क) इस अधिकतम अवधि को दस दिन से बढ़ाकर पन्द्रह दिन करना, जिसके भीतर असाधारण स्थिति में नजरबन्द व्यक्ति को नजरबन्दी के कारण रूचित किए जाएं;

(ख) सलाहकार बोर्ड की राय प्राप्त किए बिना ही व्यक्तियों की नजरबन्दी ने कुछ मामलों में उनकी नजरबन्दी की तारीख से तीन महीनों से अधिक, लेकिन छः महीनों से अनधिक अवधि की व्यवस्था करना;

(ग) ऐसे मामलों में नजरबन्दी की अधिकतम अवधि को और अधिक बढ़ाने की व्यवस्था करना; और

(घ) अधिनियम में आवश्यक परिणामी संशोधन करना।

मैं सभा को यह आश्वासन दे सकता हूँ कि इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य पंजाब और चन्डीगढ़ के 'तनावग्रस्त क्षेत्रों' में राष्ट्रविरोधी और समाज विरोधी तत्वों पर रोक लगाने के लिए प्राधिकारियों को समर्थ बनाना है।

मैं इस गरिमापूर्ण सभा के माननीय सदस्यों से निष्ठापूर्वक अनुरोध करता हूं कि वे इन सभी पहलुओं पर गहन विचार करें और मैं आशा करता हूं तथा मुझे विश्वास है कि वे इस विधेयक का समर्थन करेंगे।

मैं उनसे यह अपील भी करता हूँ कि यह वाद विवाद बहुत महत्वपूर्ण है। मैं माननीय

सदस्यों से यह प्रार्थना करता हूं कि वे अपने ठोस सुझाव दें और चूंकि स्थिति अत्यधिक विस्फोटक है, इसलिए इस सदन में कोई अनुचित बात न कही जाए। यह एक अत्यन्त असामान्य स्थिति है तथा सरकार इस स्थिति से कड़ाई से निपटना चाहती है और हम इस सभा के सभी सदस्यों चाहे वे किसी भी पार्टी से सम्बद्ध हों, के सहयोग की आशा करते हैं। यह ऐसा अवसर नहीं है कि जब सरकार या किसी व्यक्ति के विरुद्ध टीका-टिप्पणी की जाए, बल्कि यह एक राष्ट्रीय मसाला है, जैसा कि प्रधान मंत्री और गृह मंत्री कई बार कह चुके हैं। अतः राष्ट्रीय हित को देखते हुए मैं माननीय सदस्यों से यही अनुरोध कर सकता हूं कि वे अपने बहुमूल्य सुझाव दें और मैं माननीय सभा को यह आश्वासन देता हूं कि यह संशोधन विधेयक किसी राजनीतिक मंशा से नहीं लाया गया है, बल्कि यह किसी उस खास स्थिति को निपटने के लिए है जो दुर्भाग्यवश देश के कुछ भागों में व्याप्त है, विशेष रूप से यह पंजाब और चन्डीगढ़ के सम्बन्ध में है। मैं, फिर यह आशा करता हूँ कि इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य अपने बहुमूल्य सुझाव देंगे।

सभापति महोदय : श्री सोमनाथ चटर्जी।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : मुझे अफसोस है कि मैं उस विधेयक या इस बिधेयक के उपबन्धों के लिए सरकार की या गृह मंत्री की प्रशंसा नहीं कर सकता।

पिछले सप्ताह ही हमने पंजाब पर चर्चा की थी और मैंने इसमें भाग लिया था तथा मुझे गृह मंत्री, श्री सेठी का यह वक्तव्य स्मरण है कि उन्होंने यह कहा था कि वाद-विवाद में सभी सदस्यों ने पूरी जिम्मेदारी से भाग लिया था। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी की इस उक्ति को नहीं समझ पाया कि "आलोचना मत कीजिए"। यह एक राष्ट्रीय मसला है। लेकिन हम सरकार की असफलता के प्रति असावधान नहीं रह सकते। हमें सरकार की असफलताएं बतानी ही हैं।

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : आलोचना के लिए मेरी आपत्ति नहीं है, लेकिन यह रचनात्मक आलोचना होनी चाहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह तो उस पर निर्भर है कि इसे आप किस प्रकार स्वीकार करते हैं। आपके अनुसार अध्यादेश पारित करना, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम संशोधित करना रचनात्मक कार्रवाई। हमारे विचार में यह विध्वंसात्मक कार्रवाई है। इससे कोई समस्या हल नहीं होगी। इसका यह अर्थ नहीं है कि मैं राष्ट्रविरोधी या समाज-विरोधी हूं।

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : आप रचनात्मक सुझाव दे सकते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : इसलिये माननीय मंत्री जो को, उस विधेयक की उचित आलोचना से बचने के प्रयास करने की बजाय कुछ ऐसे अन्तनिरीक्षण के लिए प्रयास करना चाहिये था कि किस प्रयोजन से अस्तित्व में हैं।

महोदय, हमने यह कहा है कि हम इस विधेयक का विरोध करते हैं, हमने इसका उस

समय विरोध किया जब सभा पटल पर अध्यादेश रखने का अनुरोध किया गया था, हमने उस समय विरोध किया जब इसे पुरःस्थापित करने की अनुमति मांगी गई, हम इसका आज, इस समय विरोध कर रहे हैं।

मैं, यदि आवश्यक हो तो इस विषय में पूर्व सूचना दे सकता हूं कि हम निवारक नजरबन्दी उपाय का आज, कल और भविष्य में कभी भी विरोध करते रहेंगे।

हम सिद्धान्त रूप में इसका विरोध कर रहे हैं। जहां तक पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ का प्रबन्ध है वहां इस आपकारी अध्यादेश और इस अहित कर विधेयक का क्या औचित्य है? यह इस सरकार की ओर से जिसने विश्व के समक्ष इस मामले से निपटने में अपनी अक्षमता सिद्ध कर दी है, कानून की अपर्याप्तता का तर्क देकर पंजाब समस्या को सुलझाने में असफल रहने के लिए अपना बचाव ढूंढने के लिए किसी को दोषी ठहराने का एक प्रयत्न मात्र है। आप हमेशा दूसरो को दोषी ठहराते हैं। आप हमें यह दर्शाना चाहते हैं कि आपके पास पर्याप्त शक्तियां नहीं हैं और यदि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में संशोधन किया जाता है तो आपके पास इससे निपटने के लिये पर्याप्त शक्तियां होगी। हम इस विधेयक और इसकी भावना के विरुद्ध हैं। हम सिद्धांत रूप से इस प्रकार के विधान के विरुद्ध हैं। इस देश के नागरिकों के पास कम-से-कम अधिकार हैं। संविधान में हमें मूलभूत अधिकार प्रदान किए गए हैं परन्तु उनके लिए अनेक शर्तें भी हैं श्री वेंकटसुब्बैया के लिए मुख्य प्रावधानों को अधिक महत्वपूर्ण, शर्तें हैं। जहां तक आर्थिक स्वतन्त्रता का सम्बन्ध है, लोगों की आर्थिक स्वतन्त्रता एक कल्पना काम है। जहां तक वैयक्तिक और नागरिक स्वतन्त्रता का प्रश्न है, यह किसी अधिकारिक सरकार पर निर्भर है। (व्यवधान)

प्रो० एन. जी. रंगा (गुंटूर) : यह सारे भारत में है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं जानता हूं कि इस सरकार की सत्ता की भूख अदमनीय है। अतः जब इन्हें यह मालूम पड़ता है कि शक्तियों का प्रयोग नहीं हो पायेगा क्योंकि लोग इसके विरुद्ध हैं तब यह इस प्रकार के कानून का सहारा लेते हैं। मैंने ऐसा जब दुर्भाग्य में मुझे बदनाम 'मीसा' से प्रारम्भ हुए ऐसे विधेयक पर चर्चा में भाग लेने का अवसर मिला अनेक अवसरों पर कहा है कि यह सरकार देश के सामान्य कानूनों के सहारे काम करने के अयोग्य है। इसलिए, स्वतन्त्रता के बाद 1969 के अतिरिक्त जब आपको पूर्ण बहुत प्राप्त नहीं की। आप विपक्ष की चिंता करते थे तब आपने विपक्ष के रूख को देखते हुए निवारक नजरबन्दी कानून की अवधि नहीं बढ़ाई क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टियों ने इस सम्बन्ध में आपका समर्थन नहीं दिया था। जब जनता पार्टी सत्ता में आई, जनता के दबाव पर, श्री रवीन्द्र वर्मा और अन्यों के विचारों में कुछ विकृतियों के बावजूद इसे पुनः पास करने का प्रयास किया गया परन्तु उसे भी छोड़ना पड़ा और रद्द कर दिया गया। अन्यथा, 1950 को ही इस देश में निवारक नजरबंदी कानून लागू रहा है। श्री रंगा आपने कम से कम 'मीसा' का नाम तो बदल दिया है। आप जानते हैं, 'मीसा' का इससे अर्थ निकाला जाता था। अब आपने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम बना दिया है। आपने इसमें से (आई) हटा दिया है क्योंकि (आई) का एक विशिष्ट अर्थ दिया गया है।

हमारे अनुसार, यह तानाशाही कानून है जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इससे कानून और व्यवस्था के किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। इससे अन्य कोई समस्या भी हल नहीं हुई है। मैं एक साधारण सा प्रश्न पूछता हूं। कृपया सदन को विश्वास में लेकर हमें यह बताइये कि क्या आप पंजाब समस्या के प्रारम्भ से ही राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू कर रहे हैं और क्या आपने 5 अप्रैल को इसमें संशोधन के पश्चात से इसे लागू किया है और जहां तक इसके आशय का सम्बन्ध है स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ है ? कृपया हमें बताइए कि क्या आप इस संशोधन के फलस्वरूप स्थिति को काबू में करने, समस्या को सुलझाने, घटनाओं को रोकने तथा पजाब में उग्रवादियों के मन में भय पैदा करने में सफल हुए हैं और कि वह अब अपने घरों में चले गए हैं तथा वहां अब शांति व्याप्त है। तो आप ऐसी शक्तियां क्यों प्राप्त करना चाहते हैं ? आप ऊपर के प्रत्येक अधिकारी को इस शक्ति प्रयोग की जवाबदेही के बिना ऐसी शक्तियां क्यों प्रदान करना चाहते हैं। अत:, हम यह महसूस करते कि वह रवैया जो इस संसोधन विधेयक जैसे प्रावधानों के माध्यम से दिखाई देता है वह यह है कि नागरिक स्वतन्त्रता और राजनीतिक स्वतन्त्रता इस सरकार के लिए अभिशाप है। आपकी अपनी समझ के अनुसार आपको इस प्रकार के कठोर कानूनों की आवश्यकता है। हमें इस देश में 'मीसा' जैसे अलोकप्रिय कानूनों को लागू करने के इतिहास का पता है। वह इतिहास उसके उपयोग के स्थान पर इनके दुरुपयोग की घटनाओ से भरपूर हैं। इन्हें मजदूर नेताओं के विरुद्ध लागू किया गया है। इन्हें राजनीतिक विरोधियों पर लागू किया गया है इनका उपयोग छात्रों के बिरुद्ध किया गया है, इन्हें महिलाओं के विरुद्ध लागू किया गया है। इन्हें देश में सभी लोकतांत्रिक आन्दोलनों के सक्रिय कार्यकर्त्ताओं के विरुद्ध किया गया। हमारे समक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के प्रथम शिकार कामरेड ए. के. राय, ससद सदस्य हैं जिनको राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत नजरबन्द किये जाने के बारे में बिहार के तत्कालीन मुख्यमन्त्री को यह कहना पड़ा था कि उन्हें गलती से नजरबन्द किया गया था। एक संसद सदस्य को गलती में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत नजरबन्द किया जा सकता है। ऐसा भयानक कानून लागू करने के लिए काफी विचार की आवश्यकता है। इसी देश में हम गर्व से कह सकते हैं कि जनता ने वामपंथी दलों को प्रशासन का भार सौंपा है जहां 'मीसा' और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू नहीं किया जाता है। और हम पूर्ण विश्वास सहित यह दावा कर सकते हैं कि पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा तथा जम्मू और कश्मीर में कानून और व्यवस्था की स्थिति देश के अन्य भागों से कहीं अच्छी है। यह कैसे सम्भव हो सका है ? यदि आप सभी समाज विरोधी तत्वों में मिले हुए हैं और विघटनकारिक ताकतों को सभी प्रकार का प्रोत्साहन दे रहे हैं, यदि आप अलगाववादी ताकतों से मिले हुए हैं और उन व्यक्तियों का साथ देते हैं जो उग्रवादी गतिविधियों के जिम्मेवार हैं तो यह संभव नहीं है। और फिर आप शोर भी मचाते हैं। वे दिल्ली में अपने समर्थकों सहित बस पर चढ़कर गलियों में घूमते रहे और किसी ने उन्हें नहीं रोका। फिर अब आप यह कह रहे हैं कि उनके लिए यही एक मंत्र है। आप कहते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम अध्यादेश के पश्चात शांति हो गई है। देश के साथ मजाक मत कीजिए। इसी कारण हम सिद्धान्त रूप में इसके विरुद्ध हैं। इस मामले में एक मूल-भूत प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि इसकी शुरूआत कैसे हुई ? प्री० रगा आप यह बात भूल गए कि एक शर्मनाक अध्यादेश द्वारा, जबकि लोकसभा का सत्र चल रहा है (व्यवधान)

प्रो० एन० जी० रंगा : परन्तु दूसरे सदन का सत्र नहीं चल रहा था।

श्री सोमनाथ चटर्जी : दूसरे सदन का सत्र केवल 18 दिन ही नहीं था। आप अपने मंत्री जी से पूछें कि आपने यह राष्ट्रीय सुरक्षा कानून किस प्रकार लागू किया है। पिछले अठारह दिन से इस अध्यादेश के अन्तर्गत कितनी गिरफ्तारियां की गई और कितनों को नजरबन्द किया गया? और इसके क्या परिणाम रहे हैं ? इसके परिणामस्वरूप 39 रेलवे स्टेशन जला दिए गए हैं...

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : 38 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : चाहे आपने 38 व्यक्ति गिरफ्तार किए हो या नहीं जैसा कि यहां किसी ने कहा है परन्तु कम से कम आपने एक दिन में 39 रेलवे स्टेशनों पर लूटपाट व आगजनी का रिकार्ड कायम करवाया है। यह आपके संशोधन का प्रभाव है। और इस तरीके से आप किसी अधिनियम में संशोधन करते हैं। जब श्री सूरजभान ने ध्यान दिलाया और मैंने भी पिछले अवसर पर ध्यान दिलाया कि जब माननीय गृह मन्त्री जी उत्तर दे रहे थे, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश पर पहले से ही हस्ताक्षर किये जा चुके थे। उन्होंने सदन को यह नहीं बताया, उन्होंने सदन को विश्वास में लेने की विनम्रता भी नहीं प्रदर्शित की और केवल यह कह रहे हैं कि उन्हें यह मजबूर होकर करना पड़ा। वह हमेशा चुप रहते हैं। वह सदन में आए और चुपचाप उसे सभापटल पर रख दिया। फिर भी हमें उसके वस्तु विषय का पता नहीं चल पाता है। यह आपका संसदीय लोकतन्त्र की प्रणाली से कार्य करने का तरीका है। इस व्यवहार की निन्दा अवश्य की जानी चाहिए। यदि आप नागरिक स्वतन्त्रता और प्रजातन्त्र के प्रति वास्तव में प्रतिबद्ध हैं तो आपको पहले राज्य सभा का सत्र बुलाना चाहिए था। यदि आप पंजाब समस्या का कुछ हल निकालने में ईमानदारी के विश्वास रखते हैं तो आपको ऐसा करना चाहिए था। परन्तु आपने ऐसा नहीं किया। आप सदन में आए और सभा को की जा चुकी कार्यवाही के बारे में बता दिया। देश का चलाने का यह कोई तरीका नहीं है।

मैं जानता हूं कि यह कानून पंजाब और चंडीगढ़ पर ही लागू होगा क्योंकि इसका यह खंड स्वत: स्पष्ट है। निश्चित रूप से पंजाब और चंडीगढ़ की स्थिति के लिए है, और माननीय मंत्री जी का भाषण चन्डीगढ़ और पंजाब के संदर्भ में ही था। महोदय, हमने अपनी बातें कई बार स्पष्ट कर दीं हैं। हमारा कहना है हालांकि सरकार वहां आज की स्थिति के लिए अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती है, आपने वहां ऐसा कोई प्रशासनिक कदम नहीं उठाया है जिसका वहां कोई प्रभाव पड़ सकता हो। यह कानून और व्यवस्था की समस्या है जिसे हल करने में आप असफल रहे हैं।

जहां तक आकालियों की मांगों का संबंध है, हमने अपने विचार स्पष्ट कर दिए हैं धार्मिक मांगें आपने बड़े जोर-शोर से तुरन्त मान ली। अब राजनीतिक मांगों को धार्मिक मांगों का रंग दे दिया गया है। इन सब का परिणाम यह है कि जो उदारवादी अब तक नियंत्रण में थे पर सब उग्रवादियों द्वारा उनको अपने प्रभाव में लिया जा चुका है। उग्रवादी लाभ उठा रहे

हैं। हालांकि आपने स्वर्ण मंदिर में प्रवेश निषेध भी कर दिया है तो आप स्वर्ण मंदिर से बाहर की गतिविधियों को रोकने में असफल रहे हैं।

और जो सबसे गम्भीर बात हम सुन रहे हैं वह यह है कि—यदि यह टकराव की स्थिति नहीं भी है—स्थानीय पुलिस और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल तथा सीमा सुरक्षा बल के बीच अविश्वास की भावना व्याप्त हो गई है। यह हम नहीं चाहते हैं। यह अत्यधिक गम्भीर स्थिति है। और जब मैं यह कहता हूं तो इस समय सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि लोगों का साम्प्रदायिकता के आधार पर एकत्र होना। इसका पड़ौस के राज्यों पर भी प्रभाव पड़ रहा है। अतः आपको इसे नियंत्रित करना है।

प्रो. एन. जी. रंगा : इसलिए यह विधेयक लाया गया है।

श्री चित्र बसु (बारासाट) : यदि आपने शासन चलाना है तो ठीक तरह से चलाईये।

श्री सोमनाथ चटर्जी : रंगा जी इस अवस्था में भी...

प्रो. एन.जी. रंगा : आप एक सर्किल में ही बहस क्यों कर रहे हैं। आप एक प्रसिद्ध वकील हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यदि मैं 'हां' नहीं कहता तो आप कहेंगे कि हम एक सर्किल में नहीं चल रहा हूं। परन्तु आप तो सर्किल भी नहीं चल रहे हैं, आप स्थिर हैं। आप किसी भी दिशा में नहीं चल रहे हैं। मैं कम से कम एक सर्किल में तो चल रहा हूं। आप एक ही स्थान पर खड़े हैं, केवल पीछे जा रहे हैं।

अतः हमारा कहना है कि यह कोई समाधान नहीं है। यह एक घातक दृष्टिकोण है। इससे सरकार की घातक प्रवृत्ति का पता चलता है।

जहां तक नागरिक स्वतंत्रता का संबंध है, आप सबको शक्तियां प्रदान कर रहे हैं। इससे समस्या का समाधान नहीं होगा। अतः, जैसा मैंने पहले कहा है, हम इस विधेयक के उद्देश्यों का सिद्धांत रूप से विरोध करते हैं औ अंत तक इसका विरोध करते रहेंगे।

श्री पी. बेंकट सुब्बय्या : माननीय सदस्यों को में यह सूचना देना चाहता हूं कि 1980 में जब से यह अधिनियम लागू हुआ है केन्द्रीय सरकार ने एक भी नजरबंदी आदेश जारी नहीं किया है। मैं यह बात स्पष्ट करना चाहता हूँ।

श्री सूरजभान : यदि ऐसा है तो इसमें संशोधन करने की क्या आवश्यकता थी।

(व्यवधान)

श्री सूरजभान : महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया।

सभापति महोदय : अब श्री आर. एस. स्पैरो बोलेंगे।

4.09 म प.

(श्री सोमनाथ चटर्जी पीठासीन हुए)

श्री आर. एस. स्पैरो (जालधर) : सभापति महोदय, मैं राष्ट्रीय सुरक्षा (संशोधन) अध्यादेश का समर्थन करता हूं। जहां तक हो सकेगा मैं अपने विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त करूंगा।

यह वास्तव में बहुत ही कठिन समस्या है और पंजाब और चंडीगढ़ में हम इसका सामना कर रहे हैं। और प्रस्तावना के रूप में मेरा कहना यह है कि अपनी मातृभूमि की सुरक्षा के लिये उठाए गए प्रत्येक कदम को अनवार्य और अटलनीय समझा जाना चाहिए। इस विषय पर किसी के विचार भिन्न हो सकते हैं परन्तु इसका मूल यही है। सबसे पहला मुद्दा यही है। निर्णय भिन्न हो सकते है परन्तु बात यहीं होता है।

महोदय, पंजाब और चंडीगढ़ की नाजुक स्थिति को देखते हुए हालात वास्तव में ही खतरनांक है।

पंजाब का रहने वाला होने तथा उस क्षेत्र की पूरी तरह जानकारी होने के नाते मैं समस्या को गहराई की जानता हूं। यदि आप दूर से देखें तो यह भिन्न दिखाई देगी, परन्तु आप इसमें अंतर्निहित हो जायें जिसे आप इल्म-लऊ-यकीन के अतिरिक्त हक-ऊल-यकीन कहते हैं और यही रास्ता है स्थिति को समझने का इसलिए मेरा सुझाव है कि बिना किसी गलत अतिशयोकित के हमें स्थिति का अध्ययन करना चाहिए।

मै क्यों कहता हूं कि आशंकाओं और खतरों से भरपूर अस्पष्ट छाया हमें दिखाई दे रही है। क्योंकि एक नही अनेक प्रकार की घटनाएं घट रही हैं। हम सभी जानते हैं कि जासूस हमारी सेना संबंधी सूचनाएं ले रहे हैं। उग्रवादी, आतंकवादी, रूढ़ीवादी, अपराधी, तस्कर तथा इस किस्म के अन्य लोग सिखों, हिन्दुओं, सैनिकों, अकाली दल के लोगों, अन्य राजनैतिक दलों के लोगों, निर्दोष नागरिकों, यात्रियों और चश्मदीप गवाहों की हत्याएं कर रहे हैं। उनके रिश्तेदार भयभीत किये जा रहे हैं और उनमें से कुछ की हत्या कर दी गई हैं ताकि वे कानून का सहारा ले सके। अतः महोदय आप इस बात से सहमत होंगे कि इन सभी चीजों के लिए किसी न किसी रूप में कठोर उपाय करने की आवश्यकता है। कानूनी तौर पर और सिद्धान्त रूप में कुछ मत भेद हो सकता है परन्तु कठोर उपाय करने ही पड़ेगे। इसके अतिरिक्त यदि आप वहां की वास्तविकस्थिति जिसको व्यवहारिक रूप में चित्रित करने का मैंने प्रयास किया है की आप बात करते हैं तो विदेशी ताकतें सीमावर्ती क्षेत्र में गड़बड़ी फैला रही है। इस नाजुक सामाजिक महत्व के क्षेत्र के डिजाइन को समझने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए जो कि बिल्कुल स्पष्ट है।

"नई दिल्ली : खालिस्तान समर्थक उग्रवादियों ने एक अन्तर्राष्ट्रीय 'हिटस्कावड' को लाखों डालर देकर कुछ उच्च प्रतिष्ठित व्यक्तियों को समाप्त करने के लिए कहा है। यदि कोई कठिनाई होती दूसरा ठेका यह किया गया है कि राजनैतिक पासपोर्ट के जरिये सुरक्षित यात्रा, पहचान बदलना है तो गारन्टी शुदा यात्रा सुरक्षा और आश्रम मिले। और अनेक ऐसे ही ठेके हैं।"

आप देखते हैं कि हमारी सीमा को पार करके लोग किस प्रकार कार्य कर रहे हैं। इस सबंध में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। इन बातों को समझने के लिए मैंने कुछ प्रशिक्षण लिया था। अत: भारत के सीमावर्ती इस राज्य में आने वाले कठिनाई में एक कठिनाई यह भी है। इन कुछ बातों की ओर हमें ध्यान देना है। अत: इन सभी बातों पर विचार करते हुए इस समस्या की नाजकुता और इसकी गहराई, जिससे हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है, को देखते हुए इस अध्यादेश के जरिए ऐसे राष्ट्रीय सुरक्षा उपाय करना जरूरी है। महोदय विपक्ष के मेरे एक मित्र ने राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत करने के लिए समय-समय पर किए गए ऐसे उपायों का उल्लेख किया है और अब हम यहाँ अध्यादेश लाए हैं। मैं कहता हूँ कि कम से कम बल को उपयोग किया जाना चाहिए। मेरे विचार में यह अध्यादेश उचित समय पर लाया गया है और मुझे विश्वास है कि जहाँ तक संभव होगा इसका न्यायोजित ढ़ंग से उपयोग किया जाएगा। एक विशेष मुद्दे से इस किस्म को विचारधारा का पता चलता है। यह एक एक निर्धारित क्षेत्र के लिए है जहां स्थिति पूरी तरह बिगड़ चुकी है। इस संबंध में मैं अकाल उच्च कमान और संत लोगोंवाल जी के बारे में दो बातें कहना चाहता हूँ, उनसे संबधित है। अत: मैं ऐसा कहने के लिए स्वतंत्र है।

संत लोंगोवाल ने कई बार यह कहा है कि अकाली दल खालिस्तान नहीं चाहता और वे अहिंसा में विश्वास रखते हैं। यह बहुत ही उत्साह जनक बात है। मैं अकाली हाई कमान को बताना चाहता हूं कि अब कुछ दिनों से कातिलाना हिंसा हो रही है यहां तक कि उनके अपने शिविर में भी कत्ल हो रहे हैं, जिससे स्थिति ने घृणात्मक मोड ले लिया है और ये हत्याएं पवित्र गुरुद्वारे और स्वर्ण मंदिर में भी हो रही हैं। समाचार पत्रों में खबरें छपती हैं। सामान्य तौर पर प्रत्येक व्यक्ति पढ़ता है और यह बात आपके माध्यम से मैं उन्हें पहुंचाना चाहता हूँ उन्हें खुलेआम उग्रवादियों से संबंध तोड़ लेने चाहिए। यह मेरा अनुरोध है जिससे अकालियों को स्वीकार करना चाहिए। भारत की एकता जरूरी है। अत: मैं अपने परिवार को यह बताना चाहता हूं। हरियाणा जमा हिमाचल प्रदेश जय वर्तमान पंजाब और जम्मू और कश्मीर में एक ही किस्म और वंश के लोग हैं और इनमें अकाली भी हैं। समस्या अकाट्य हैं और हम सब पर लागू होती है और इसलिए ही मैं उनसे कहता हूं कि ऐसी स्थिति में उन्हें सही रास्ता मिल जाएगा और उन्हें किसी संदेहास्पद या वास्तविक पृथक्तावादी या अपराधी से संबंध तोड़ लेने चाहिए। यह उचित समय है और इससे स्थिरता लाने तथा इस अध्यादेश के प्रयोग में सहायता मिलेगी क्योंकि उन्होंने भी स्थिति का जायजा लिया होगा। जो कुछ हो चुका हो चुका है, अब बहुत हो चुका है। कुछ मामलों में तटस्थ होकर कठोर कदम उठाने चाहिए। अत: हमने यह अध्यादेश लाकर

सही कार्य किया है, अकाली दल के लिए अब उचित समय है कि पंजाब की समस्या के समाधान के लिए वे केन्द्रीय सरकार से बातचीत करें। यह सही समय है।

मैं उन्हें एक बात और कहना चाहता हूँ जिसके बारे में सिख और अन्य सभी लोग जानते हैं। कुछ दिन पहले में गुरुओं के एक तुरन्त—उत्तर प्रदेश में पटना साहिब—गया था। गुरुगोविंद सिंह महाराज वहां पैदा हुए थे। वे कई वर्ष तक वहां रहे। उस समय से उत्तर प्रदेश में सिक्खों के अनेक गांव हैं। मुझे वहां जाने का अवसर मिला। मैं वहां सभी पंजाबियों से मिला। वे भी उग्रवादियों, रुढ़िवादियों, आंतकवादियों के बारे में यही सोचते हैं कि उन्हें सारे देश को खतरे में नहीं डालना चाहिए। वे उनके विरुद्ध हैं।

मैं दूसरी बात यह बताना चाहता हूं कि मैंने पंजाब का दौरा किया है। गावों, जिलों में सिक्खों, हिन्दुओं और सभी दलों के लोगों का भी यही विचार है और अब स्थिति बदल रही है। वे इस बात से स्वयं दुखी हैं कि कुछ लोगों की हत्याएं क्यों की जा रही हैं। इस संबंध में मैं आपको एक या दो बातें और बताना चाहता हूं कि इतने बड़े पैमाने पर यह सब कुछ किस प्रकार किया जा रहा है। सभी योजनाओं को सैनिक तैयारी के रूप में बनाया गया है अन्यथा 40 रेलवे स्टेशनों को एक दिन में जलाना कोई आसान काम नहीं है। उपद्रवों के बारे में सही योजना बनानी होगी ताकि इसको समाप्त किया जा सके। एक अन्तर-संचार प्रणाली की आवश्यकता है और एक समय सारिणी के अनुसार उचित समय निर्धारित करना होगा। इस प्रकार की हत्याओं और हिंसा से देश में अस्थिरता पैदा हो गई है।

दिल्ली गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति के अध्यक्ष की हत्या कर दी गई है।

कुछ दिन के बाद भारतीय जनता पार्टी की पंजाब प्रदेश शाखा के उपाध्यक्ष की हत्या कर दी गई।

प्रो. बी. एन. तिवारी (कांग्रेस ई के एक सासद), पंजाब के एक महान विद्वान की चंडीगढ़ में हत्या कर दी गई।

ये आंतकवादी भारत-विरोधी हैं। जो भी कोई यह कर रहा है वह गुरुगोविंद सिंह या किसी भी गुरु का सिक्ख नहीं है।

जो मारे गये हैं उनके लिए मुझे बहुत दुःख है।

श्री सूरजभान : ये भिंडरवाला के सिख हैं।

श्री आर. एस. स्पेरो : यह हिंसा करने वाले वास्तविक सिख नहीं है।

आपको निर्णय करना है और मूल्यांकन करना है कि में हिंसात्मक घटनाएं क्यों हो रही हैं। इसलिए, मैं आप सब को इस मामले में अपनी विनम्र सिफारिश एक मिनट के भीतर करूगा।

अखिल भारतीय सिख छात्र संघ के बारे में मैंने दो शब्द कहने हैं। कुछ ऐसे छात्र हैं जो ठीक नहीं हैं। मैं उनमें से बहुतों को जानता हूँ। किन्तु मेरे स्कूल के दिनों में अच्छे विद्यार्थी भी हुआ करते थे। मैं एक लम्बे समय तक विद्यार्थी रहा हूँ। आजकल यह विद्यार्थी अपने आपको किसी संस्था अथवा विश्व विद्यालय संघ का अध्यक्ष बना लेते हैं। मैं भी इसी प्रकार के एक संघ का सभापति रहा हूं। मैं जानता हूं कि कुछ विद्यार्थियों को बहकाया जा सकता है। आपके माध्यम से, उनसे मेरा यह विनम्र निवेदन है कि भगवान के लिए अपने ही देश में अस्थिरता पैदा करने का कारण न बनों। आपने यह आजादी बड़ी कठिनाइयों से हासिल की है।

हर स्थान पर हिंसा, आगजनी और हत्याएं हो रही हैं। लोग पागल हो गए हैं।

हमें स्थिर रहना होगा। छात्रों को हमारे देश के दुश्मनों के हाथों की कठपुतली नहीं बनना चाहिए।

मैं अध्यादेश और उसके समय, एक वर्ष से दो वर्ष किए जाने के संशोधनों और अब एक और संशोधन किए जाने का उल्लेख करूंगा। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय मेरी बात सुनने के पश्चात अध्यदेश में सुधार कर सकेंगे। किन्तु मैं एक साधारण सी बात कहता हूं जो मैं पंजाब की पृष्ठभूमि को देखते हुए ठीक समझता हूँ। अन्य बातें तथा अन्य परिस्थितियां अलग-अलग हो सकती हैं। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर सीमा क्षेत्र में स्थिति अलग होगी; असम में स्थिति भिन्न होगी, और विभिन्न कारणों से पंजाब की स्थिति भिन्न है।

यह ठीक है कि इन परिस्थितियों में यह अध्यादेश सर्वोत्तम है और सर्वाधिक प्रभावी है। ताकत का कम से कम इस्तेमाल किया जाना होगा। आपको अपराधियों पर थोड़ा दबाव डालना होगा और थोड़ी रोक लगानी होगी। इन चीजों का पंजाब में असर होगा। पहले भी पड़ा है और अब भी पड़ेगा। मेरा विचार है कि वे समय से और ठीक कार्यवाही कर रहे हैं।

मुझे विपक्ष के अपने मित्रों के बारे में दो शब्द कहने हैं और इस बारे में मैं अधिक ब्यौरे में नहीं जाऊंगा। मैं जो करना चाहता हूं और जो मैंने यहां पर इस सदन में और बाहर भी देखा है कि कुछ मामलों में विपक्ष के सदस्य अब भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से राजनीति से प्रेरित टिप्पणियां कर रहे हैं। जो कुछ वे सोचते हैं, उन्हें वह कहने का अधिकार है। मेरा उनसे यह नम्र निवेदन है कि वे पंजाब के मामले में ऐसा न करें। मेरी दूसरी सिफारिश है किसी भी स्वस्थ आलोचना का स्वागत है, क्यों कि कोई भी अपने आप में पूर्ण नहीं है। मेरे अनुमान के अनुसार यदि कोई और इस स्थिति को देख रहा होता, तो यह शायद और भी खराब होती। आप नहीं जानते कि यह स्थिति कितनी विस्फोटक हो सकती है। इसलिए कृपया यह न कहें कि किसी ने इसे ठीक तरह से नहीं सम्भाला और कोई दूसरा इसे बेहतर ढंग से सम्भाल सकता था। मैंने इस मामले का आरम्भ से निष्पक्ष होकर अध्ययन किया है और अपराधियों की भीषणता और पंजाब और चण्डीगढ़ में अराजकता पैदा करने के लिए

राष्ट्र-विरोधी और अन्य तत्वों ने जो योजनाएं बनाई, उसे देखते हुए केन्द्र तथा सभी अधीनस्थ प्राधिकारियों ने स्थिति को ठीक ढंग से सम्भाला है। यह मेरा अपना मत है। स्थिति से संबंधित सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मुझे इस बात का थोड़ा संतोष है कि गृह मन्त्री और उनके सहयोगियों ने स्थिति जो ठीक प्रकार से सम्भाला है।

यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण होगा यदि आप चिनगारी दिखाकर सब कुछ राख कर देना चाहें। किसी को भी इन सब बातों को इस एक बात के परिप्रेक्ष्य में देखना होगा जिसे केवल वही विशेषज्ञ समझ सकते हैं जिन्होंने पंजाब और चण्डीगढ़ का विस्फोटक स्थिति का गहरायी से विश्लेषण किया है।

मैं अकाली दल हाई कमान के संबंध में एक मुद्दे पर टिप्पणी करने की स्वतंत्रता चाहता हूँ। जब वे बातचीत करने के लिए आते हैं तो एक बात ध्यान में रखें अर्थात भारत भर में सिखों की शानदार छवि धूमिल हो गयी है पहले जहां कहीं भी हम जाते, दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास कहीं भी तो जब भी कोई सिख को देखता, तो उन्हें खुशी होती थी। वे सोचते यह है एक मेहनत कश आदमी और मातृभूमि की रक्षा के क्षेत्र में उनका नाम था और अच्छी छवि थी। मेरा अकाली हाई कमान से अनुरोध है कि वे याद रखें कि 50 लाख सिख पंजाब से बाहर रहते हैं और महोदय आपकी जानकारी के लिए आंकड़ों की दृष्टि से केवल 70 से 72 लाख सिख पंजाब में रह रहे हैं। आंकड़ों की दृष्टि से केवल 70-72 लाख सिख पंजाब में रह रहे हैं। जहां तक हमारे गुरुओं का संबंध है, धर्म का संबंध है, हमारी सभ्यता और संस्कृति का संबंध है हमारे गुरुओं ने कहा है कि सभी सिख भारतीय पहले हैं तथा और कुछ बाद में है। इसलिए मेरा उनसे यह अनुरोध है कि वह इस समूचे प्रश्न पर एक बड़े परिप्रेक्ष्य को मस्तिक में रखते हुए विचार करें। तभी स्थिति ठीक होगी और हम सबको स्थिति को सुधारने में सहयोग करना होगा। न के केवल इसका एक ही पक्ष देखना होगा जैसा कि लोग काफी पहले कह रहे थे स्वर्ण मन्दिर गुरुद्वारे में घुस जाओ। मैं इस तथ्य को स्वीकार करता हूं कि न तो गुरुद्वारा अधिनियम 1925 और न ही भारत, का संविधान, कानून का पालन करने वाले अधिकारियों को मुजरिमों को किसी भी धर्मिक स्थल से पकड़ कर लाने से रोकता है। किन्तु परिपाटी ऐसी रही है (स्वर्ण मन्दिर में न घुसने की। यह सिखों द्वारा अपनी मातृभूमि के लिए दिए गए बलिदानों के कारण हो सकता है; यह उनकी रण भूमि में की गई सेवाओं के बदले में हो सकता है। ईसलिए, हम वह लोग है जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा में लिए हंसते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। यह किसी और कारण से भी हो सकता है कि यह परिपाटी बनी; यह एक अच्छी बात है कि हिन्दुओं, सिखों हरिजनों, ईसाइयों और सयी (सरबत दा भला) द्वारा पूजे जाने वाले स्थल के संबध में यह परिपाटी बनी। मैं वहां पर काफी वार्षों तक रहा हूं और प्रसगवश यदि आप स्वर्ण मन्दिर जाए—मैं वहां पर जाता था तो सुबह के समय आपको वहां पर प्रभात फेरी अथवा चौकी देखने को मिलेगी, जहां पर 70 प्रतिशत से अधिक हिन्दु होते थे; अमृतसर के हिन्दु (सुख वसदी रामदास गुरू तेरी नगरी) जब तक गुरु द्वारा जाकर प्रार्थना नही कर लेते और वहां से फूल ले जाकर अपनी दुकानों में नहीं रख लेते अपनी दुकाने नहीं खोलते थे और उसके पश्चात ही वे अपना दिन का काम काज आरम्भ करते। आप आज वहां जाएं और देखे की परिक्रमा और अन्य

स्थानों पर क्या है। सेवा करायी किसके द्वारा 91-1/2 लाख रुपए लाला ढोलन दास द्वारा सेवा का 80 प्रतिशत और वहां पर होने वाला व्यय प्रमुखत: हिन्दु और सिखों से तथा अन्यों से प्राप्त होता है। इसलिए यह हमारा साझा स्थान है। आप कितनी भी कोशिश करें पंजाबी अपने आप को हिन्दुओं और सिखों से अलग नहीं कर सकते। कोई जितनी चाहे कोशिश कर सकता है। कुछ लोगों द्वारा खून खराबा हो सकता है किन्तु हम एक साथ रहेंगे; वे अब भी इकट्ठे रह रहे है। आप चुप चाप जहाँ आपकी इच्छा हो, किसी भी गांव में जाएं। मैं इस बात का दावा करता हूं, क्योंकि मैं अभी हाल ही में गया हूं। किसी भी शहर में चुपचाप जाइए, सिख/हिन्दु ठीक ठाक है। इसलिए हमें इस आधार पर काम करना होगा और प्रत्येक संभव तरीके से स्थिति को संभालना होगा।

अन्त में एक बार, फिर मैं विपक्षी नेताओं से अनुरोध करूंगा कि यदि वह त्रिपक्षीय वार्ता आरम्भ करना चाहते हैं, तो इसका दायित्व विपक्षी नेताओं पर है ?

श्री चन्द्रजीत यादव : क्यों ?

श्री आर. एस. स्पैरो : आप पहल क्यों नहीं करते ? इसमें कोई बुरायी नहीं है। केवल अपनी महानता, बढप्पन और चिन्ता दर्शाने के लिए, इस बात का ध्यान रखे कि यह मेरा मत है आप अदबदी हो सकते है। किन्तु, क्या मैं अपना मत व्यक्त नहीं कर सकता ? मैंने अपनी राय प्रकट की है कि आप जिम्मेदारी स्वीकार करें। यह भारत का प्रश्न है। इस बात को साबित करने के लिए हम इस तरीके से कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते। इस प्रकार की सिफारिश करने में कोई हर्ज नहीं है। बहुत से आयाम खुले है। यदि श्री यादव नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, कोई कठोर नियम नहीं है। मैं यह कहूँगा कि इस प्रकार के राष्ट्रीय मसले पर सौदेबाजी नहीं होनी चाहिए। किसी और बात पर सौदेबाजी हो सकती है। व्यंग करना और किसी को यह कहना कि वह गल्ती पर एक है अलग बात है, किन्तु राष्ट्रीय मामले में ऐसा नहीं होना चाहिए। इन्ही शब्दों के साथ में एक बार फिर इस अध्यादेश विशेष का समर्थन करता हूं। मुझे बोलने का अवसर देने के लिए बहुत धन्यवाद।

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद) : मान्यवर सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने सदन में नेशनल सोक्यूरिटी एक्ट अमैंडमैंट बिल प्रस्तुत किया है जो एक आर्डिनैंस में कुछ संशोधन लाने के लिये है। सिद्धान्त: आर्डिनैंस सही प्रकार से जारी नहीं किया गया था, फिर भी हमारी पार्टी ने न तो उसका समर्थन किया और न विरोध ही किया। लेकिन 5 अप्रैल, 1984 को हमारे दिमाग में एक बात आई कि जब पंजाब की सिचुएशन इतनी खराब है तो कहीं सरकार घबरा कर किसी अच्छे और मजबूत कदम उठाने के स्थान पर कोई गलत सिद्धांत न अख्तयार कर ले। मान्यवर आप देखेंगे कि इसमें कितने मजे की बात है, जब माननीय मंत्री जी ने इस सम्बन्ध में अपना वक्तव्य दिया तो उन्होंने कहा कि उग्रवादी अपने विरुद्ध कोई बात कहने वाले लेखकों और मामलों की जांच करने वाले तथा गवाह पुलिस कर्मचारियों पर प्रहार करते हैं और उनको धमकियां देते हैं। उन्होंने सभाओं पर विस्फोटक प्रयोग किए हैं। मान्यवर, इसी बात को मैं और आगे बढ़ाना चाहूंगा कि आप एक स्थान पर कह रहे हैं कि इन गतिविधियों के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई स्थिति से निपटने और पंजाब तथा चण्डीगढ़ के

विक्षुब्ध क्षेत्रों में शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिये कारगर और सख्त कार्यवाही करने के लिये संसद में और उसके बाहर निरन्तर मांगें की गई थीं। इस हालत में यह आवश्यक हो गया। लेकिन महोदय मांग तो यह की गई कि इन गतिविधियों पर कुछ नियंत्रण किया जाए, किसी आर्डिनैंस की मांग नहीं की गई थी। मैं जानना चाहता हूं कि जब इस विषय पर कई बार चर्चाएं हुई और लगातार 2। महीनों से यह सिलसिला चला आ रहा है और 5 अप्रैल को आर्डिनैंस जारी करने के बाद भी कोई उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं हुई, आज के अखबारों में भी है कि एक बस में कुछ लोग जब सफर कर रहे थे तो उनमें बन्दूकों और राइफलों से लैस कुछ उग्रवादी भी थे। पता नहीं इस दौरान आपका नेशनल सीक्यूरिटी एक्ट प्रभावी भी था या नहीं। पंजाब में आपका कोई लॉ था या नहीं था, लेकिन आपकी पुलिस कुछ नहीं कर पाई, यह सत्य है। मान्यवर अभी वायुसेना के एक स्क्वैडन लीडर प्रेम सिंह वालिया की हत्या कर दी गई और शृंखला बराबर चली आ रही है। रविवार को भी कुछ लोग मार दिए गए, आज भी मार दिए गए। जब आपने नेशनल सीक्यूरिटी एक्ट 5 अप्रैल से लागू कर रखा है तो मैं जानना चाहता हूँ कि उसके तहत आपने क्या कोई कार्यवाही की। आपको बहुत से अधिकार मिले हैं, लेकिन आप उनका उपयोग नहीं करना चाहते। लाला जगत नारायण की हत्या के अपराध में जब संत जरनैल सिंह भिंडरावाला को गिरफ्तार किया गया और उस पर 302 का केस बना, उसके बावजूद आपने उसको क्यों छोड़ दिया। आप नेशनल सीक्यूरिटी एक्ट को लागू करने की बात छोड़ दीजिए, आपने उसको छोड़ किस आधार पर दिया। माननीय मंत्री जी बतायें कि उसके छोड़े जाने के क्या कारण थे। आपने कानून को मखौल नहीं बना दिया है, क्या ? यदि आपके यही कानून हैं तो हमें आप पर सन्देह है। जैसा यहां पर हमारे आदरणीय सोमनाथ चटर्जी जी बता रहे थे कि यह सब आपकी भागने की तरकीब है, आप अपने आपको बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। मान्यवर, स्वयं प्रधानमंत्री जी ने भी स्वीकार किया है जब वे हिमाचल प्रदेश में मण्डी नामक जगह पर बोल रही थीं और कल राज्यसभा में दरबारा सिंह जी ने भी अपने भाषण में स्वीकार किया है कि पंजाब की पुलिस और गुप्तचर एजेन्सियों में आतंक और उग्रवादियों का बाहुल्य है। हाउस में भी उसकी चर्चा आई और कुछ साथियों ने भी उसको उठाया, पहले प्रधान मंत्री जी ने जनता पार्टी के जमाने की बात की, लेकिन बाद में उसका स्पष्टीकरण भी आ गया, मैं उसमें जाना नहीं चाहता कि वह जनता के लोगों ने किया या किसी दूसरी पार्टी के लोगों ने किया। लेकिन जब हमारी पुलिस और गुप्तचर एजेन्सियों में उग्रवादी मौजूद हैं तो आप कैसे उनको पकड़ सकेंगे। आखिर नेशनल सीक्यूरिटी एक्ट को कौन इम्पलीमेंट करेगा। जब पुलिस में वे लोग हैं तो वे एक्ट को लागू नहीं करेंगे। इसलिए उन राष्ट्र विरोधी तत्वों के खिलाफ नेशनल सीक्यूरिटी एक्ट का इस्तेमाल करने की सम्भावनाएं लगभग नगण्य हैं। मान्यवर, मैं जानना चाहता हूँ कि जब हम यह चाहते हैं कि अकालियों से वार्ता हो, जब हम किसी राजनैतिक हल की बात करते हैं और कहते हैं कि वार्ता हो, परन्तु गृह मंत्री जी क्या बताने की कृपा करेंगे कि आप सन्त जरनैल सिंह भिंडरावाला को किसी राजनैतिक दल का नेता मानते हैं। क्या लोकतंत्र में आस्था रखने वाले व्यक्ति मानते हैं ? क्या उग्रवादियों को प्रोत्साहन देने वाले व्यक्तियों के खिलाफ एन० एम० ए० के अधीन आप कोई कार्यवाही करेंगे ? नहीं करेंगे। आपको माफ करना पड़ेगा, नहीं तो वह स्थिति पैदा होगी जो राष्ट्रीय तत्व हैं, जो राष्ट्रीय सिख समुदाय के लोग हैं, जो देश

की अखंडता को कायम रखना चाहते हैं वह भी दब जाएंगे। क्योंकि ऐसी स्थिति आपने बता दी है।

प्रधान मन्त्री ने एक बात और कही, कल माननीय दरबारा सिंह ने भी वह बात कही है कि विदेशियों का हाथ है। पता नहीं किसका हाथ है ? कौन से विदेशी है ? आप क्यों नहीं कहते साफ ? इंटेलीजेंस की रिपोर्ट है तो आपको साफ बताना चाहिये कि किन विदेशियों का हाथ है ? रोज पाकिस्तान की चर्चा आती रहती है, हम लोग भी कहते हैं, अखबारों में भी आता है। लेकिन सरकार स्पष्ट रूप से नहीं कहना चाहती। मैं चाहूंगा ऐसी स्थिति में साफ करना चाहिये और सख्ती का कदम उठाना चाहिये उग्रवादियों से निपटने के लिए। यदि सरकार सुदर्शन बनी रही तो देश विघटन की ओर बढ़ेगा।

आज के अखबारों में रिपोर्ट है स्वर्ण मन्दिर में जो वहां आतंकवादी ठहरे हुए हैं क्या वह इसकी गिरफ्त में आ सकते हैं ? गोल्डन टैम्पिल की यह स्थिति है कि संत भिन्डरवाले और संत लौंगेवाल, दोनों के समर्थक शस्त्रों से लैस होकर देश में एक दूसरी शासन चला रहे हैं और सार्वभौम सत्ता में विश्वास रखने वाला मुल्क पता नहीं कहां इसकी सार्वभौमकता रह गई ?

मैं जानना चाहता हूं कहीं ऐसा तो नहीं है प्रधान मंत्री ने कहा कि कुछ कदम उठाने जा रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा यह दोहरी सरकार चल रही है– एक पंजाब में और एक यहां। और अब एक तीसरी सरकार बनने जा रही है कल परसों समाचार-पत्रों में था "गृह मंत्रालय द्वारा पंजाब के उग्रवादियों से निपटने" में असफल रहने तथा विभिन्न कानून व्यवस्था और गुप्तचर एजेन्सियों के कामकाज में तालमेल बनाये रखने में पूरी तरह असफल हो जाने के कारण गृह मंत्रालय में पंजाब समस्या से सम्बन्धित कामकाज को अब प्रधान मंत्री सचिवालय को सौंप दिया गया।" वहीं ऐसा तो नहीं है कि गृह मत्री जी कहीं जा रहे हो। आपको हटाने की कोशिश हो रही हो ? यदि ऐसी बात नहीं है तो आपको दृढ़ता से कहना चाहिये।

पंजाब के बड़े बड़े अधिकारी उग्रवादियों के नेताओं के सामने सर झुकाते हैं। आपके आदेश बुक होते हैं और इमप्लीमेंटेशन कुछ होता है और ट्रिपिल शासन की पद्धति और हो गई। गृह मंत्रालय अलग, पंजाब प्रशासन अलग, और प्रधान मंत्री का सचिवालय अलग। पता नहीं देश का क्या हाल होगा ? और स्वर्ण मन्दिर की सरकार चौथी है। इस पर आपको गम्भीरता से सोचना चाहिये।

अकाली दल के लोगों को भी सोचना चाहिये कि यदि वह मन से भी कहीं खालिस्तान की बात सोचते हैं तो वह आगे नहीं चल सकेंगे। और रूलिंग पार्टी से कहना चाहता हूं कि यदि कोई काम्प्रोमाइज अकाली दल से हो जाता है तो आप ऐसा न सोचें.....

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़ौर) : नहीं करेंगे।

श्री राजेश कुमार सिंह : यदि कोई समझौता हो भी जाता है तो आप सोच लें पंजाब में उग्रवादियों का जो सक्रिय काम है उसको रोकने में वक्त लगेगा। आप उसे एक दिन में नहीं रोक पायेंगे।

खाली आपका टारगेट दूसरा हो जायेगा। आज दो टारगैट आपके समक्ष बने हुए हैं।

आज अकाली दल को भी साफ तरीके से स्पष्ट करना चाहिए, माननीय स्पैरो साहब कह रहे थे, मैं उनकी बात का तहेदिल से स्वागत करता हूं कि सही मायनों में अकालियों को भी चाहिये कि वह स्पष्ट करें कि उग्रवादियों से उनका कोई सम्बन्ध नहीं है, लेकिन वह कैसे स्पष्ट करेंगे ? आज ही समाचार-पत्रों में था कि संत हरचन्द सिंह लोंगोवाल ने कह दिया कि फिरोजपुर में सी०आर०पी०एफ० की मुंठभेड़ में जो 7 उग्रवादी मारे गये हैं, उनका बदला ले लिया जायेगा। पता नहीं आप किससे बात करना चाहेंगे, मुझे कुछ संदेह होता है। अकाली दल यदि वार्ता में विश्वास करता है तो उसे साफ शब्दों में कहना चाहिये कि हम उग्रवादियों और भिंडरवाला के साथ नहीं हैं। अगर ऐसी स्थिति नहीं बनी तो दूसरी स्थिति बनेगी।

4.46 म प.

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

पंजाब में टैररेज्मि के बारे में मैं दो बातें कहना चाहूंगा। वहां निरीह लोगों की बस में हत्या करने के बाद उग्रवादियों का आतंक शुरू हुआ। दो चीजें सामने आई, एक तो उग्रवादियों का आन्दोलन और दूसरे उसके कई फेज 1 इन 21 महीनों में उग्रवादियों का यह सिलसिला कई फेजों में पहुंच चुका है।

शुरूआत में निरंकारियों पर हमला हुआ और उसके बाद नान-कन्फर्मिंग सिखों पर हमला हुआ। दूसरा हमला पुलिसवालों पर हुआ। पुलिस फोर्स को डिमोरेलाइज करने की बात आई। तीसरा हमला हिन्दुओं पर हुआ। बिना सोचे-समझे हिन्दुओं की हत्याएं शुरू हुईं। चौथा फेज पीलिटिकल मर्डर्स हुए। इसमें कुछ नेताओं की हत्या कर दी गई। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं पांचवां फेज न शुरू हो जाए कि आर्मी आफिसरों का भी काम शुरू कर दिया जाए। वे लोग अपनी चालाकी में कामयाब हो गये। आपने देखा होगा कि एक साथ एट ए टाइम उन्होंने 39 स्टेशनों को पंजाब में आग लगा दी। वह यह दिखा रहे हैं कि पंजाब में हमारा बर्क लोगों को मारने का ही नहीं है, हम एक ही टाइम सारे पंजाब में कुछ भी कर सकते हैं। आपकी सारी नेशनल सिक्योरिटी को उन्होंने ताक पर रख दिया है। आप कहते हैं गम्भीरता नहीं, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि उनकी मंशा क्या है ? उनकी मंशा है कि हिन्दुस्तान में हिन्दुओं और सिखों का फिसाद करा दिया जाए और सरकार को बाध्य कर दिया जाए कि वह ऐसा कोई कदम उठाये।

उपाध्यक्ष महोदय : आठ मिनट का समय नियत किया गया था और आप पहले ही 14 मिनट ले चुके हैं। अभी भी बहुत से वक्ता शेष हैं और आज इस विधेयक पर विचार पूरा किया जाना है।

श्री राजेश कुमार सिंह : सरकार बड़ी सुस्ती से चल रही है। जब डी० आई० जी० अटवाल साहब की गोल्डन टैंपल के अन्दर से गोली मारकर हत्या कर दी गई, तो सिखों के दिल से भी आवाज आ रही थी कि कोई कार्यवाही होनी चाहिये। उस समय कुछ हिन्दू भी

मार दिये गये थे। पूरे पंजाब में यह बात आ गई थी कि यदि गोल्डन टैंपल में भी घुसने की जरूरत हो तो घुसा जाए और अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए। लेकिन अब बहुत देर हो गई है, वक्त निकल चुका है और बहुत खराब वक्त आ रहा है।

26 जनवरी से लेकर अब तक 98 हिन्दुओं की हत्या कर दी गई है। मैं हिन्दू और सिखों के सम्प्रदाय को दूर नहीं समझता हूं। मेरी ट्राइब के लोग पंजाब में रहते हैं जो सिख हैं। ऐसा कोई न सोचे। लेकिन अगर प्रतिशोध की भावना अन्य प्रान्तों में फैलेगी तो इसकी जिम्मेदारी सरकार पर होगी और सरकार इस जिम्मेदारी से हट नहीं सकती।

मैं पंजाब के बारे में कुछ सुझाव देना चाहता हूं। पंजाब की और देश की जनता को पंजाब की पुलिस पर भरोसा नहीं है। पंजाब पुलिस को हटाकर आपको कोई दूसरी व्यवस्था करनी पड़ेगी। वहां पर सैंट्रल रिजर्व पुलिस को सारे अधिकार और शक्ति देनी पड़ेगी। आई. जी. पुलिस, मि० भिंडर, के बारे में बहुत सी शिकायतें हैं। सरकार को उनकी जगह सैकुलर दृष्टिकोण वाले अधिकारियों को नियुक्त करना पड़ेगा, जो सिख और हिन्दू की बात न सोचकर देश की बात सोचें। अगर ऐसा न किया गया, तो स्थिति और बिगड़ेगी।

जहां तक कानून का सवाल है, आप कानून बदल सकते हैं और बना सकते हैं। हमारे विरोध करने के बावजूद आप संशोधन पास करा ही लेंगे। मत पास करने हेतु धर्म का उपयोग किये जाने से लोकतंत्र पूरी तरह भ्रष्ट हो जाता है। यह काम सत्तारूढ़ दल करता हो या और कोई दल करता हो, यह डेमोक्रेसी के साथ मखौल है।

अल्पसंख्यक समुदाय के कुछ नेता आते हैं जो सांप्रदायिक भावना से बात करते हैं और मुझ से मिलकर बताते हैं कि वे वास्तव में जैसा सोचते हैं वह ऐसा नहीं हैं। परन्तु उन्हें समुदाय में अपना नेतृत्व बनाए रखने के लिए ऐसा बोलना पड़ता है। यह किसी साम्प्रदायिकता अथवा सांप्रदायिक दलों के साथ एक तरह का सैद्धांतिक समझौता है। यदि कुछ लोग प्रधान मंत्री को कहते हैं कि वे अपने सम्प्रदाय में अपनी लीडरशिप को कायम रखने के लिए कम्युनलिज्म की बातें करते हैं, तो इसकी सारी जिम्मेदारी इस सरकार पर है, जिसने जनरनैल सिंह भिंडरांवाले को प्रोत्साहित किया था, महज इसलिए कि पंजाब में अकालियों के मुकाबले में एक शक्ति को खड़ा किया जाए। यह इन लोगों की सबसे बड़ी भूल थी। इस राष्ट्र में सभी सांप्रदायिक दलों पर प्रतिबन्ध लगाने की आवश्यकता है। साम्प्रदायिक पार्टियों पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिए, वर्ना स्थिति और बिगड़ जाएगी।

या तो हिन्दुस्तान की प्रधान मंत्री को चाहिए कि वह अपनी पार्टी के नेताओं को बुलाकर कहें कि पंजाब में अकालियों और कांग्रेस की संयुक्त सरकार बना दी जाए—यदि यह सत्ता की लड़ाई नहीं है तो—या उन्हें कांग्रेस पार्लियामैंटरी पार्टी से किसी अन्य नेता का चुनाव कराना चाहिए, वर्ना मैं आपके माध्यम से उनसे अर्ज करूंगा कि वह इस्तीफा दे कर पंजाब के इस्यु पर सारे देश का मत लें। यदि हिन्दुस्तान की जनता उनके साथ है, तो वह पुन: सत्ता में आएंगी और यदि जनता उनकी नीतियों का विरोध करती है, तो उन्हें निश्चित रूप से पराजय का मुंह देखना पड़ेगा। इस सरकार को जाना ही होगा।

मैं समझता हूं कि नैशनल सिक्युरिटी एक्ट से कुछ नहीं होने वाला है। मानवीय गृह मंत्री ने इतने आश्वासन दे रहे हैं। मेरा सुझाव है कि आप सेठी साहब से कह दें कि यदि उनका बिस्तर गोल होने वाला है, तो श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की तरह वह स्वयं ही अपने पद से हट जाएं।

श्री रिजक राम (सोनीपत) : उपाध्यक्ष महोदय, आप पंजाब की जिस समस्या के बारे में यह विधेयक सदन के सामने है, उस पर कई बार चर्चा हो चुकी है, उस पर एजार्नमेंट मोशन भी आई और बजट पर डिसकशन के दौरान भी चर्चा हुई। चाहे विरोधी दल की तरफ से और चाहे सरकार की तरफ जिस किसी ने भी अपने विचार प्रकट किए, उसे यह मानना पड़ा कि पंजाब की समस्या बहुत जटिल है और इसको आसानी से हल नहीं किया जा सकता। मेरे ख्याल में गृह मंत्री भी इस बात का दावा नहीं करेंगे कि इस बिल के पास हो जाने से पंजाब की समस्या का संपूर्ण रूप से हल हो जाएगा। लेकिन जितनी कठिन और जटिल समस्या आज है उस को हल करने की ओर यह कदम सही है और इस के अलावा और दूसरा कोई चारा नहीं है। इस बात से भी किसी को इनकार नहीं हो सकता। मैं दो तीन बातें सदन के सामने रख कर यह जाहिर करने की कोशिश करूंगा कि आज के हालात में यह जो विधेयक जो सदन के सामने आया है यह बिल्कुल आवश्यक है। इस के अलावा इस वक्त इस समस्या को हल करने के लिए या जो आज भयानक स्थिति पंजाब में बन गई है, उस का मुकाबिला करने के लिए ओर चारा नहीं है बल्कि यह एक सही कदम है और इस वजह से मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

कई दफा चर्चा हुई और सदन में बड़े जोर के साथ विरोधी दल की तरफ से बार-बार में कहा गया कि पंजाब की समस्या बहुत गंभीर है और वह रोजना गंभीर होती चली जा रही है। लेकिन इसके साथ साथ इस विधेयक का बिरोध ज्यादातर विरोधी पार्टियों की तरफ से बोलने वाले माननीय सदस्यों ने एक मुख्य आधार पर और वह यह कि सिद्धान्त रूप से वे इस के विरोधी हैं कि आम तौर पर किसी भी शहरी की स्वतंत्रता पर इस तरह से आक्षेप हो। मुकदमा चले मुकद्दमें में सबूत पेश हो, फिर चाहे उस को सजा हो या वह छूटे, वह तरीका अख्त्यार करना चाहिए। लेकिन इस तरीके से एक साल या 6 महीने के लिए बिना मुकद्दमा चलाए किसी को नजर बन्द किया जाए, इस बात का सिद्धान्त रूप में वह विरोध करते हैं।

लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि जो स्थिति आज पंजाब में है क्या उस में यह सिद्धान्त लागू हो सकता है? क्या वह परिस्थिति आज पंजाब में ऐसी है कि दिन प्रतिदिन जहां रेलवे स्टेशन जलाए जा रहें हैं, जहां आए दिन आदमी कत्ल किए जा रहे हैं डाके डाले जा रहे हैं, उग्रवादी लोगों ने भयंकर परिस्थिति पैदा की हुई है उस हालत में क्या आप यह समझते हैं कि मुकद्दमे चला कर कामयाबी मिल सकती है? अभी और पहले भी विरोधी पार्टियों की तरफ से बोलने वाले माननीय सदस्यों ने कहा कि इस वक्त पंजाब पुलिस घबड़ाई हुई है। पंजाब की पुलिस में घबराहट है और यह तथ्य भी है। अखबारों में इस प्रकार की खबरें छपी हैं कि 220 के करीब आदमी पंजाब में कत्ल हुए जो उग्रवादियों द्वारा मारे गए और उनमें 190 सिख भी थे, जिनमें काफी संख्या में पुलिस के आदमी भी थे। पुलिस

के आदमी भी थे। पुलिस वालों के घर वाले, उनकी बीवी, उनके बच्चे और दूसरे लोग भी मरने वालों में शामिल हैं जिस कारण पुलिस वालों में घबराहट है, इस से कोई इनकार नहीं कर सकता। फिर आप बताइए ऐसी हालत में सरकार के लिए क्या चारा है ? ऐसी हालत में जब न कोई गवाह मिले न पुलिस वाले की हिम्मत हो कि किसी आदमी को गिरफ्तार कर ले या उसके खिलाफ कार्यवाही कर सके या तफतीश ही कर सके तो बताईए क्या चारा है सिवाय इसके कि वह आदमी जो उग्रवादी हैं, या जो लोग उन का साथ देते हैं, जो उन को असलाह सप्लाई करते हैं, जो उन को पनाह देते हैं ऐसे आदमियों की जहां जहां पुलिस या सरकार को इतिला मिले उन को नजरबन्द करे। जब कोई गवाह न मिल सके तो इस के सिवाय और चारा क्या है ? आज 300 के करीब आदमी मारे गए हैं इस वक्त तक पंजाब में और सिर्फ 12-14 आदमी गिरफ्तार हुए हैं। कोई आदमी शहादत देने के लिए तैयार नहीं। कोई पुलिस का अफसर उनके खिलाफ तफतीश करने के लिए तैयार नहीं, कोई मैजिस्ट्रेट भी उन के मुकद्दमें में सामान्य मुजरिमों की भांति जमानत आदि भुगतान के लिए तैयार नहीं तो जो व्यवहार करते हैं वह भी डरे बैठे हैं तो इस परिस्थिति में चारा क्या है ? वह आदमी जिन पर मुबहा है, जिन के बारे में पुलिस को इतिला है, जिन के बारे में सरकार के पास यह शहादत है कि यह उग्रवादी है या आतंक फैला रहा है, जो रोज स्टेशन जलाते हैं असला सप्लाई करते हैं और दूसरे गैर-कानूनी काम करते हैं मगर उनके खिलाफ कोई शहादत देने के लिए तैयार नहीं तो सरकार के पास चारा क्या है सिवाय इसके कि उसको नजरबन्द करके रखे। यह जो आर्डिनेन्स था या अब जो बिल लाए है इसके लिए तो मैं समझता हूं गृह मंत्री जी धन्यवाद के पात्र है। उन्होंने एक अकलबन्दी का कदम उठाया है। जिनके खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकती, उनको जेल में रखने का उन्होंने एक रास्ता निकाला है। मैं उम्मीद करता था कि सूरजभान जी इसका समर्थन करेंगे लेकिन उन्होंने तो इसका विरोध किया है। आज पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में हर आदमी घबराया हुआ है और आतंकवादियों के खिलाफ कोई कार्यवाही करने वाला नहीं है तो फिर सरकार के पास दूसरा चारा क्या है ? मैं यह नहीं कहता कि इस कानून से सारी समस्या हल हो जायेगी लेकिन यह एक सही कदम है-इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। इसलिए मैं इसका समर्थन करता हूँ।

यहां पर बहुत सी बातें कही गई हैं कि इस समस्या का समाधान होना चाहिए मैं भी आपके माध्यम से इस बारे में दो एक बातें कहना चाहूँगा। प्रश्न यह है कि इस समस्या का हल क्या है, किस के द्वारा इस समस्या को सुलझाया जाए ? इस समय देश में जो मारकाट और घबराहट का वातावरण है और खास तौर से पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में उसको कैसे खत्म किया जाए ? इस सिलसिले में कई तजवीजें सरकार के सामने आई हैं। अपोजीसन की तरफ से बार-बार जोर देकर कहा गया है कि सरकार कमजोरी दिखाती है, सरकार को दृढ़ता से कदम उठाने चाहिए। कुछ साहबान ने यह भी तजवीज किया कि पुलिस को गुरुद्वारों में दाखिल होकर सख्ती से कार्यवाही करनी चाहिए। मगर देखना है कि लेकिन जो उग्रवादी और आतंकवादी लोगों का ध्येय क्या है ? और ऐसा करने से उनके प्रोग्राम को सहारा तो नहीं मिलता ? खालिस्तान की मांग सामने आई लेकिन इस बात को सभी मानेंगे कि यह सभी

सिखों की मांग नहीं है। थोड़े से आदमी ही इसके लिए आवाज उठाते हैं। सारे आम सिख इसके हामी नहीं है। आज पंजाब में जो कुछ हो रहा है हिन्दुओं-निरंकारियों के खिलाफ मारकाट बारे या खालिस्तान की माँग के बारे में सिख कुछ आतंकवादी ही गड़बड़ कर रहे हैं। गुरिल्लाज की शक्ल में आतंकवादी वारदातें करते हैं। आप देखें कि उनके काम करने का क्या तरीका है ? आज वे भटिण्डा में वारदात करते है तो कल दिल्ली में करते हैं और उसके बाद किसी तीसरे शहर में करते हैं। जिस तरह से गुरिल्लाज लड़ाई लड़ते हैं उसी तरह से ये लोग भी कर रहे है। अब पंजाब, हरियाणा, दिल्ली का इतना बड़ा फ्रंट है, कहीं भी जाकर वे वारदात कर सकते हैं जिस पर काबू पाने में कठिनाई है लेकिन फिर भी सरकार द्वारा कुछ कदम उठाये गये हैं। आज आतंकवादियों की सारी कोशिश इस बात की है कि सरकार कोई ऐसे कदम उठाए जिससे सिख मासेज उनके सहयोगी हो जायें, जिससे सिखों में आग भड़क उठे और सिख सरकार के खिलाफ हो कर इनके प्रोग्राम में शामिल व सहयोगी हो जावे। सरकार की और कुछ कदम उठाए गए हैं, स्कूटर्स और मोटर साइकिल पर पाबन्दी लगाई है और पुलिस तथा बी. एस. एफ. आदि को घरों की तलासियां लेने की इजाजत दी गई है जिससे जन साधारण को कठिनाई पैदा हुई है और सरकार के विरुद्ध नाराजगी भी। मगर जैसा कि मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि थोड़े आदमियों को मांग है खालिस्तान के बारे में और वह यह कोशिश कर रहे हैं कि सरकार कोई ऐसा कदम उठाए, जिससे आम सिक्ख मासिज उग्रवादियों के हिमायती बन जाएं। गुरुद्वारों में पुलिस दाखिल होने से हो सकता है कि सिख भड़क उठे और फिर पंजाब की समस्या को संभालना मुश्किल हो जाए। इसलिए जो साथी यह सुझाव देते हैं कि गुरुद्वारों में पुलिस को दाखिल करना चाहिए, उनसे मैं नम्रता के साथ निवेदन कराना चाहता हूं कि यदि ऐसा कदम उठाया गया तो सरकार भूल करेगी। सरकार ने सब दिखाया है, इसके लिए सरकार को मैं बधाई देता हूं। सरकार का इस बारे में ठीक फैसला है। जिनको यह राय है कि गुरुद्वारों में पुलिस को भेज दिया जाना चाहिए, उनसे में कहना चाहता हूं कि यह कोई सही राय नहीं है।

सदन के सामने कई तजवीज आई हैं। यह भी कहा गया है कि चण्डीगढ़ पंजाब को दे दिया जाए। मैं आपके द्वारा अर्ज करना चाहता हूं कि सन् 1970 में जब पानी के फैसले और चंडीगढ़ के फैसले की बात आई, और 1976 में पानी का फैसला किया गया उसके बाद अकाली दल की सरकार पंजाब में बनी केन्द्र में भी वह सरकार में साझीदार थे। उस समय उन्होंने इस बारे में कोई आपत्ति नहीं उठाई। किसी नहीं कहा कि यह गलत बात हुई है। उस वक्त किसी ने किसी से नहीं कहा। कि चंडीगढ़ अबोहर याजलका के बारे में फैसला ठीक नहीं है मैं कहना चाहता हूं कि न सवाल चंडीगढ़ का है और न ही कोई और किसी मांग में तत्व है। मैं पंजाब में इरिगेशन मिनिस्टर रहा हूं। सन् 55 में जो फैसला पंजाब सरकार ने पानी के बारे किया था उसको प्राइम मिनिस्टर ने मान्यता दी है। उनकी मांग सिर्फ आन्दोलन को चलाने का बहाना है। वास्तविकता यह है कि अकाली पार्टी ने पंजाबी सूबे की मांग की थी, लेकिन उनके ख्वाब के मुताबिक उनको पंजाबी सूबा नहीं मिला। हिमाचल प्रदेश बना, हरियाणा बना, वे पंजाबी सूबे में अपेक्षा में बहुमत चाहते है, और सारा झगड़ा पंजाब में सत्ता प्राप्त करने का है। आज वे सत्ता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, कहीं कोई मसला पानी का नहीं है और कहीं कोई दूसरी

मांग में बजन है। इसीलिए वे बार-बार अपनी मांगे बदलते रहते हैं। जो भाई यह समझते हैं कि चंडीगढ़ देने से या पानी का मसला ट्रिब्यूनल्स को सौंपने से समस्या हल हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। वह गलती पर है को रास्ता निकालने की जरूरत है। आज वह चाहते हैं कि उनके ख्वाब के मुताबिक पंजाबी सूबा बने और उनको सत्ता में रहने का मौका मिले। मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर उनको सत्ता में आने का रास्ता न निकाला गया तो वह झगड़ा खत्म न हो सकेगा और आएगा एक दिन जब खालिस्तान की बात को मानना पड़ेगा। इसलिए सरकार इस बात को भी ध्यान में रखे कि चंडीगढ़ के लिए हरियाणा के नौजवानों ने खून दिया है, गोलियां खाई हैं, खून की होली खेली है और शाह कमीशन ने चंडीगढ़ को हरियाणा के लिए दिया था। स्वामी जी चीप पोपुलैरिटी हासिल करने के लिए इस तरह की बात करते हैं कि चंडीगढ़ पंजाब को दे दिया जाए। हक देखिए, इंसाफ देखिए कि इंसाफ क्या मांगता है। यह आसान बात नहीं है कि चंडीगढ़ पंजाब को सौंप दिया जाए। इसको हरियाणा के लोग वर्दाश्त नहीं करेंगे।

इन शब्दों के साथ उपाध्यक्ष महोदय आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री रवीन्द्र वर्मा (बम्बई उत्तर) : मैं अध्यादेश के निरनुमोदन करने हेतु सभा से अपील करने में अम्बाला से आये अपने मित्र का साथ देता हूं। मैं ऐसा इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मैं पंजाब में तत्काल शांति और सदभाव कायम करने के लिए उत्सुक नहीं हूँ। मैं सभा में सभी माननीय सदस्यों द्वारा पंजाब में चल रहे निरर्थक हत्याकांड के प्रति व्यक्त की गई समवेदना का समर्थन करता हूं। मैं चाहता हूं कि इस अराजकता, आतंकवाद और हिंसा का तत्काल अन्त हो जिसने समूचे पंजाब राज्य और उसके पडौसी राज्यों को अपनी चपेट में ले लिया है। मैं समझता हूं कि जानमाल की सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी सरकार पर है और मैं समझता हूँ कि जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने और यह सुनिश्चत करने के लिए कि सांप्रदायिक भावना से राज्य का वातावरण दूषित न हो, सांप्रदायिक भडकाने और को बल न मिले, सरकार को पर्याप्त शक्तियों प्राप्त होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि ऐसा करने के लिए सरकार को पर्याप्त शक्तियां प्राप्त होनी चाहिए और मैं इस बात को भी मानता हूं कि यदि सरकार निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु इन शक्तियों का उपयोग न्यायसंगत रूप से करती है, तो इससे किसी को कोई दुःख नहीं होना चाहिए। इसलिए, जहां तक इन उद्देश्यों का संबन्ध है, विचारों में भिन्नता का सवाल ही नहीं उठता। इस बारे में भी कोई मत भेद नहीं है कि इस समस्या को राष्ट्रीय समस्या के रूप में देखा जाये और इस दिशा में शांति और सदभाव कायम करने तथा इसका समाधान ढूँढने में जिनको जिम्मेदारी है, उन्हें पूरा सहयोग दिया जाना चाहिए।

परन्तु, महोदय, सवाल यह है कि क्या इस विधेयक द्वारा उक्त उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है जिसे मेरे माननीय मित्र ने इस सभा में पेश किया है ?

महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि मुझे इस बात का डर है और कि इस विधेयक के माध्यम

से सरकार और अधिक शक्तियां प्राप्त करना चाहती है यह बात उस बात की दृष्टिकोण घातक है कि जिसके कारण व्यापक जन असन्तुष्टि और अव्यवस्था युक्त स्थितियों से निबटने में लगातार असफलता मिली और इसकी अदक्षता, अकल्पनाशीलता और अवास्तविकता भी सिद्ध हुई है। महोदय, यह दृष्टिकोण कुछ मान्यताओं पर आधारित है। एक मान्यता यह है कि राजनैतिक समस्याओं के प्रति उपेक्षा दिखाई जाये जिससे वह अपने आप समाप्त हो जायें और उस रास्ते पर आ जायें जहां पर वह कानून और व्यवस्था के क्षेत्र के अन्तर्गत आ जायें और उसके बाद दंडात्मक तथा कठोर कार्यवाही से उक्त आन्दोलन का सामना किया जाए। यह उक्त सिद्धांत पर आधारित है। मैं नहीं कहना चाहता कि किसने इस देश के प्रशासकों के मन में यह सिद्धांत बिठा दिया है। दूसरी मान्यता यह है कि सरकार के पास स्थिति से निपटने के लिए पहले, पर्याप्त शक्तियों नहीं थीं। तीसरी मान्यता यह कि सरकार ने हर संभव कोशिश की, अपनी पूरी शक्तियों को उपयोग कर लिया और जब उन्होंने पाया कि ये शक्तियां पर्याप्त नहीं हैं, तो न चाहते हुए भी, वे और शक्तियों प्राप्त करने हेतु इस सभा के समक्ष आई। चौथी मान्यता यह है कि अपर्याप्त शक्तियों कारण उक्त समस्या का समाधान नहीं हो सका। पांचवी मान्यता यह है कि समस्या को सुलझाने के लिए सरकार को अधिक शक्तियों की आवश्यकता है।

महोदय, मैं इस सम्बन्ध में कुछ प्रश्न उठाना चाहता हूं। इस अध्यादेश के जारी होने के समय, सरकार के पास क्या-क्या शक्तियां थीं ? क्या वे शक्तियों से रहित थी। महोदय, केन्द्रीय सरकार ने इस आशय पर पंजाब का प्रशासन अपने हाथ में लिया था कि पंजाब सरकार इस स्थिति का सामना करने में विफल सिद्ध हुई है और हिंसा बढ़ रही थी तथा तनाव बढ़ रहा था। यह समझा गया कि पंजाब इस स्थिति से निपटने के लिए अक्षय है। मेरे माननीय मित्र आज वास्तव में बहुत दुखी होंगे। उनकी आशाएं ठीक नहीं उतरीं उनके आश्वासन प्रभावहीन सिद्ध हुए है। मैं नरम शब्दों का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं कि नन्दपाल ने मेरे माननीय मित्र विधेयक को सभा में पेश कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप हमेशा नरम शब्दों का ही प्रयोग करते आए हैं।

श्री रवीन्द्र वर्मा : जी, हां, महोदय, आप के वहां होते हुए, मैं भटक नहीं सकता। अब तब से क्या हो रहा है ? हिंसा बढ़ गई है, हत्याएं बढ़ गई हैं; और ऐसा लगता है कि आग की लपटें किसी और जगह फैल रही हैं। क्या मेरे माननीय मित्र बता सकते हैं कि जब से उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया, तब से ऐसी घटनाओं में कमी आई और सुरक्षा की स्थिति बनी है ? नहीं, मैंने एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है कि क्या उनके पास पर्याप्त शक्तियों नहीं थीं यह प्रश्न इस समूचे वाद-विवाद के लिये बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल तथा अन्य अर्द्ध-सैनिक बलों का प्रयोग किया। फिर भी वीभत्स निर्मम और बर्बर हत्यायें बढ़ती रही हैं। धार्मिक नेता मारे गये। उच्च पादों के पुलिस अधिकारियों की हत्या की गई। एक संसद सदस्य को मार दिया गया। पत्रकार मारे गये, वायु सेना का एक अधिकारी मारा गया। राजनीतिक दलों के पराधिकारियों की हत्या की गई। बसों में जाने वाले बेगुनाह लोगों को छांट-छांट कर भेड बकरियों की तरह कत्ल कर दिया गया। ये सारी घटनाएं केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रशासन को हाथ में लिये जाने के बाद हुई हैं।

पूजा स्थलों में कई हत्याएं हुई हैं। पूजास्थलों को जला दिया गया है। पंजाब में व्याप्त इस तरह की स्थिति में आप यह नहीं कह सकते कि घटना के बाद ही आप कार्यवाही करेंगे। इस लिए मैं यह नहीं कहता हूं कि सरकार को निवारक कार्यवाही करने के अधिकार से वंचित किया जाये। कभी-कभी एहतियात के तौर पर लोगों के इकट्ठा होने को रोकने, संगठनों पर प्रतिबन्ध लगाने और हथियार ले जाने पर रोक लगाने, निवारक गिरफ्तारियों और नजर बन्दियों की आवश्यकता पड़ सकती है। परन्तु इस अध्यादेश के जारी होने के समय सरकार के पास क्या क्या शक्तियां थी ? क्या मैं उन्हें पढ़ूं ? वे हैं (1) दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय दण्ड संहिता; (2) आयुध अधिनियम; (3) पंजाब सुरक्षा अधिनियम; (4) पंजाब अशांत क्षेत्र अधिनियम; (5) 'नासा'; (6) चंडीगढ़ अशांत क्षेत्र अधिनियम; (7) सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम; (8) विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (नवारण) अधिनियम; (9) राष्ट्र गौरव उपमान निवारण अधिनियम; (10) 'एसमा' (आवश्यक सेवाएं बनाए रखने का अधिनियम; (11) विदेशी मुद्रा सरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, और (12) पंजाब का दंड प्रक्रिया संहिता। आप के पास में पूरे एक दर्जन अधिनियम थे। क्या वारंट के बिना गिरफ्तार करने और निवारक नजरबन्दी के उपबन्ध नहीं थे ? क्या आपने उनका प्रयोग किया ? थोड़ी देर पहले मेरे माननीय मित्र उठे और उन्होंने कहा है कि केन्द्रीय सरकार ने पंजाब को छोड़कर किसी अन्य मामले में 'नासा' के अन्तर्गत नजरबन्द करने के आदेश नहीं दिए हैं। क्या ऐसा इसलिए हुआ है कि आप के पास शक्तियां नहीं थीं जिसकी वजह से ऐसी स्थिति पैदा हो गई। आपको इसे सिद्ध करना पड़ेगा। मेरा अभिप्राय यह है कि शक्तियां थीं। इन अधिनियमों के बावजूद, एक अधिनियम के बाद दूसरा अधिनियम होने के बावजूद, हत्याओं, हमलों और डकैतियों की संख्या बढ़ती गई। ये हत्याएं और हमले स्पष्ट रूप से विरोधियों का सफाया करने, लूट पाट रोकने में पुलिस की असमर्थता को नंगा करने, बदला लेने, हथियार छीनने, और आतंक फैलाने के लिये किए गये थे। अब, इतनी शक्तियां होते हुए, कितने लोग गिरफ्तार किये गये, कितने लोग गिरफ्तार किए गये, कितने लोगों पर अभियोग चलाया गया, कितने लोगों को जेलों में भेजा गया ?

कुछ दिन पूर्व राजापुर के मेरे मित्र ने कहा कि 220 हत्याएं हुई 50 गिरफ्तारियां हुई और कोई भी मामला दायर नहीं हुआ। शायद, मेरे माननीय मित्र, गृहमन्त्री इसे अद्यतन बनायेंगे और कहेंगे कि कुछ मामले दायर किये गये हैं। मैं नहीं जानता। परंतु तथ्य यह है कि लोग हत्याएं करके भाग सकते हैं। धर्म के नाम पर हत्या के लिये प्रवचन मंच से लोगों का गुणगान किया जाता है उनकी सराहना की जाती है। यदि सरकार यह सब कुछ रोकने में असफल रही है, तो क्या कम से कम उसने अपराधियों की धर-पकड़ के लिए कोई विनीत कार्यवाई की है। क्या आपने उक्त घटना के बाद सक्षमता से कार्रवाई की है ? मेरी इच्छा है कि इसका उत्तर देने के लिए वहां कोई और होता जिससे मैं कम से कम यह प्रश्न तो पूछ सकता।

परन्तु भिंडरांवाले का यह विशिष्ट उदाहरण आपका मुझे चिढा रहा है। यदि आप भिंडरावले से उसी तरह से पेश आते रहे जैसे कि अभी तक आते रहे हैं तो उसका आंतक इस देश को और भी कई महिनों तक सताता रहेगा, ऐसा प्रतीत होता है कि आपने उससे

निपटने के लिए कुछ चमड़े के और कुछ मखमल के दस्ताने आयात किये हैं। क्या उसने अनेक अवसरों पर साम्प्रदायिक घृणा का प्रचार नहीं किया है। क्या साम्प्रदायिक रोकने के लिए इस देश में कोई कानून नहीं है। क्या बिना लाइसेंस के हतियार रखने तथा निजी सेवा की भर्ती करने, शास्त्र प्रदर्शित करने, राजधानी में आप की नाक के नीचे, बेधिड़क हथियार लेकर चलने की रोकथाम का प्रयास करने के लिए तथा अनुयायियों की उग्रवादी तरीके अपनाने हेतु प्रेरित करने, जैसा कि स्वयं अपने अपने वक्तव्य में कहा है रोकने और उन्हें दंड देने हेतु कोई कानून नहीं है ? उससे सबक क्यों नहीं सिखाया गया ? भिंडरावाले का रक्षा कवच कौन बना हुआ है ? कौन हैं वे लोग ? क्या हममें कोई विदेशी हाथ है जो उसकी छत्र छाया कर रहा है।

दूसरी ओर, मैं संविधान को जलाने के लिए लोंगोवाल तथा अन्य लोगों की वकालत नहीं करता। मैं इसका समर्थन नही करता। मैंने इसकी निदां की है। मैं इसकी निंदा करूगा। आगे भी मैं इसकी निंदा करता सहूंगा। परन्तु आपने उस पर राजद्रोह का आरोप लगाया है हो सकता है कि आपकी समस्या के अनुसार यह अरोप सही हो। क्या आप दोहरे मानदंड अपनाने का उदाहरण पेश नही कर रहे हैं ? उग्रवादियों प्रति दायरा नर्म रखा है जबकि मध्यमार्गियों की आप उत्पीड़ित कर रहे हैं और राजद्रोह के मामले में उनपर मुकद्दमा चलाएंगे। यदि आप उग्रवादियों को बढ़ावा नही दे रहे हैं, यदि आप उग्रवादियों संरक्षण नही दे रहे हैं, यदि आप मध्यमार्गियों की जड़े नहीं काट रहे हैं, तो फिर और आप क्या कर रहे हैं ?

प्रो. एन जी रंगा : मध्यमार्गी कौन हैं ?

श्री रवीन्द्र वर्मा : यही प्रश्न है। यही है प्रश्न। आप उन्हें भी बीच में मिला देंगे जो मध्यमर्गी हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे प्रिय मित्र, प्रो. रंगा—मेरे माननीय मित्र ने यह प्रश्न पूछा है। मेरे दिल में उनके लिए बहुत आदर है और यह आदर सदा रहेगा। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। मुझे पता है कि यदि वे हमारी तरफ होते तो उन्होंने और भी अधिक कड़े शब्दों का प्रयोग किया होता। मैं उनकी बराबरी नही करूगा। परन्तु मुझे यह पूछना है कि क्या मेरे यह मित्र इतना दृष्टिविहीन हैं कि उन्हें भिंडरावाले और लोगोवाल में कोई अन्तर दिखाई नही देता ? क्या यह सरकार का दृष्टिकोण है ?

प्रो. एन. जी. रंगा : यह मेरा दृष्टिकोण है।

श्री रवीन्द्र वर्मा : मैं नही जानता। यदि यह सरकार का दृष्टिकोण है, तो यह उसका दृष्टिकोण हो सकता है। यदि यही सरकार का दृष्टिकोण है है—परन्तु मेरे माननीय मित्र का दृष्टिकोण उस समय ऐसा नहीं हो सकता जब उन्हें चर्चा में किसी के साथ भाग लेना होता है। उनका अपना व्यक्तिगत मत अलग हो सकता है है जो छिपी राहों के रूप में व्यक्त होता है। परन्तु इस समय हम उनका दृष्टिकोण अलग कर देते हैं।

महोदय, इस प्रकार यह सिद्ध हो गया है कि अपराधियों को पकड़ने तथा अपरान्त करने

से रोकने या आराधियों को पकड़ने तथा अपराध करने पर उन्हें दंड देने में आप अपनी असीम शक्तियों का प्रयोग नहीं कर पाए हैं। इस प्रकार आप इस बारे में बुरी तरह से असफल रहे हैं । क्या यह असफलता कानूनों की कमी के कारण रही हैं ? क्या यह असफलता पर्याप्त शक्तियों की कमी के कारण है या पर्याप्त इच्छाशक्ति के न होने के कारण है या असक्षम प्रशासन के कारण है ? यदि मैं आपसे यह पूछ सकता हूं तो मैं यह पूछना चाहता हूँ कि इस नपुसंकता का राज क्या है ?

अब आप हमें अधिक शक्तियां देने के लिए कह रहे हैं। वे शक्तियां कौन सी हैं ? वास्तव में इन शक्तियों में से एक तो यह है कि कारणों की जानकारी .....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से यह उचित शब्द नही है। मैं नहीं समझता कि आपने जो शब्द प्रयोग किया है वह संसदीय है।

मैं कार्यवाही वृतांत को सुनूंगा ।

श्री रवीन्द्र वर्मा : अजी नहीं। परन्तु मैं आपकी व्यवस्था मानूगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अक्षम कह सकते हैं। मैं कार्यवाही वृतांत देखूंगा ।

श्री रवीन्द्र वर्मा: मेरा यह कहना है कि यह शब्द असंसदीय नही है। मैं "शक्तिविहीनता" कह सकता हूँ। यह तो ठीक है। यदि इससे आपको चोट पहुंची है तो मैं दूसरा शब्द प्रयोग कर सकता हूँ। मैं "शक्तिविहीनता" कह सकता हूं । कृपया यह व्यवस्था मत दीजिए कि यह संसदीय नही है।

उपाध्यक्ष महोदय : केवल एक सामान्य नियम है आपका विचार मुझसे भिन्न हो सकता है परन्तु मैं नही समझता कि जो शब्द आपने प्रयोग किया है वह संसदीय है। मैं कार्यवाही वृतांत को फिर से पढूगा ।

श्री रवीन्द्र वर्मा : जब आप पीठासीन होंगे तो मेरी आपसे कभी मत-भिन्नता नही होगी ।

इस शक्तिविहीनता का राज क्या है ? आप अपनी शक्तियां बढ़ाना चाहते हैं। यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप समयावधि दुगनी करना चाहते हैं या नजरबंदी के लिए आधार देने संबंधी कोई चीज चाहते हैं, आप सलाहकार बोर्ड को दिया जाने वाला समय बढ़वाना चाहते हैं। दूसरे शब्दों में आप व्यवहारिक रूप से इसे बढ़वाना चाहते हैं और किसी व्यक्ति को सलाहकार बोर्ड की राय के बिना 6 महीने तक गिरफ्तार रखना चाहते हैं किसी व्यक्ति को एक वर्ष की बजाय दो वर्षों तक बन्द रखना चाहते हैं।

महोदय, अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आप कहते हैं कि इसी कारण से आप प्रभावकारी कार्रवाई नहीं कर पाए। परन्तु आप किसी व्यक्ति को पकड़ने के कारणों के बारे मेंउसे पकड़ने के बाद ही बता सकते हैं। आप तो घोड़े के आगे गाड़ी खड़ीकर रहे हैं । आप कहते हैं कि मैं गिरफ्तार नहीं कर पाया। एक बार मैं उन्हें पकड़ता हूं, तो पांच दिनों के भीतर मुझे उसे गिरफ्तारी के कारण बताने होंगे। आप उलटी प्रकिया क्यों चला रहे हैं ?

अब मुझे इस बात का डर है कि कहीं मेरे अच्छे मित्र थोड़ा नाराज न हो जायें। यहां तक कि गट्टूर से मेरे श्रद्धेय और माननीय मित्र भी जिनसे कि मैंने बहुत कुछ सीखा है, इसे पसंद न करें।

मैं निवारक नजरबन्दी के, जिसका जादवपुर से आये माननीय मित्र ने हवाला दिया है, सभी पहलुओं को देख रहा था। आप नजरबन्दी के कारण बताने के लिये अधिक समय चाहते हैं, आप नजरबन्दी की अधिकतम अवधि बढ़ाना चाहते हैं। 'मीसा' के अंतर्गत नजरबन्दी की अवधि एक वर्ष थी। 'नासा' के अंतर्गत यह अवधि एक वर्ष थी, निवारिक नजरबन्दी अधिनियम के अन्तर्गत यह अवधि एक वर्ष है। युद्ध के दौरान भारत सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत यह अवधि एक वर्ष है तथा रोलेट एक्ट के अंतर्गत यह अवधि एक वर्ष थी। मुझे रोलेट एक्ट का हवाला देना चाहिये जिसकी मेरे माननीय मित्र को काफी जानकारी है। रोलेट एक्ट को "काला अधिनियम" और काला विधेयक कहकर निन्दा की गई थी और जब इस अधिनियम की घोषणा की गई थी तो पूरे देश में आग भड़क उठी थी। मैं इस प्रकार की उत्तेजनात्मक कार्रवाई का सुझाव नहीं दे रहा हूँ। परन्तु रोलेट एक्ट में यह स्पष्ट कहा गया है कि गिरफ्तारी या नजरबन्दी के आदेश जारी करने से पहले सरकार ऐसे व्यक्ति से राय लेगी जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किये जाने योग्य हो। समयाभाव के कारण मैं रोलेट एक्ट की, जो कि एक जाना पहचाना और बदनाम एक्ट है, की धारा 22 और 25 नहीं पढ़ना चाहता हूं। रोलेट एक्ट का नाम क्या था? इसे "अराजकतावादी और क्रांतिकारी अपराधों" से निपटने वाला एक्ट कहा जाता था। उस एक्ट में यह कहा गया था कि नजरबन्दी के आदेश जारी करने से पहले सरकार को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के उपयुक्त न्यायिक अधिकारी को इस बारे में सन्तुष्ट करना चाहिए। मैं इस बारे में अधिक नहीं कहना चाहता हूँ। अब, आप निवारक कार्रवाई कैसे करते हैं? निवारक कार्रवाई के लिये, जो एक महत्वपूर्ण घटक है, वह है जानकारी। मुझे पता है कि मेरे माननीय मित्र में जानकारी की कमी नहीं है। परन्तु इस सरकार के साथ यदि कोई कठिनाई है, तो वह यह है कि इसे बहुत अधिक जानकारी है। मुझे डर है कि देश कहीं उनकी जानकारी का शिकार न हो जाये। जानकारी के लिये क्या आवश्यक है? जानकारी की क्या प्रकृति है? एक रात में एक साथ 39 रेलवे स्टेशनों पर हमला किया गया। आपको इसकी कोई जानकारी नहीं थी। इसकेसाथ-साथ बहुत से स्थानों पर इसी प्रकार की कार्रवाई हुई। यह सारी कार्रवाई बिना किसी योजना के, बिना किसी षडयन्त्र के, बिना किसी प्रशिक्षण के, बिना प्रशिक्षित लोगों को नियुक्त किये, बिना किसी तर्क के, बिना आदमियों, सामग्री और विस्फोटकों के परिवहन के, बिना उत्तेजना भड़काने वालों के, बिना संचार की व्यवस्था के तथा नेतृत्व के यह कार्य नहीं हो सकता था और इतना कुछ होने पर भी आपको इसकी पूर्व जानकारी नहीं हो सकी। अब आप यह बहाना करते हैं कि आसूचना सेवाओं में घुसपैठिये भर गये थे या आसूचना सेवाओं में कुछ आदमियों को अन्यों द्वारा भर्ती किया गया था। यह एक बहुत संवेदनशील क्षेत्र है जिसे हलके-फुलके ढंग से लेने से बात नहीं बनेगी। यदि आप कोई आरोप लगाते हैं तो उसके लिये आपको साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिये। नहीं तो यह बात उच्च पदाधिकारियों के लिये एक निन्दनीय और अशोभनीय बात बन जायेगी। इसलिये, अन्य लोगों पर दोष डालकर एक प्रभावकारी आसूचना प्रणाली प्रदान करने की जिम्मेदारी से बचने का प्रयास मत करिये।

मेरे माननीय मित्र द्वारा की गई इस विधेयक की वकालत से ऐसा प्रतीत होता है कि वह केवल किसी बलि के बकरे की खोज कर रहे हैं। मेरे माननीय मित्र को यह भली-भांति पता है कि इस अध्यादेश के लागू होने के बाद से पंजाब में और अधिक हत्याएं हुई हैं। परन्तु शायद वह कह सकते हैं कि यह बुझती हुई लौ है। मैं उन्हें इस आशा से वंचित करना नहीं चाहता।

इस मामले का मूलसार यह है कि ऐसी स्थितियां उत्पन्न करने के लिये कौन जिम्मेदार है जो आतंकवाद को जन्म दे सकती हैं तथा जिनमें आतंकवाद फल-फूल सकता है। यदि आप मध्यमार्गियों को प्रभावहीन बनाते हैं, राजनीतिक समस्या को कटुतापूर्ण बनने देते हैं, वास्तविक परेशानियों के समाधान में विलम्ब करते हैं, समझौता वार्ता में ज्यादा चालाक हो जाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि ऐसा लगे हैं कि बातचीत के जरिये कोई लाभकारी प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा और यदि बातचीत से किसी समझौते पर पहुंचा जाता है तो उसे कार्यान्वित नहीं किया जायेगा; तब आप ऐसी स्थितियां पैदा कर देते हैं कि लोग यह सोचने लग जाते हैं कि बातचीत निरर्थक है। यह एक खतरनाक स्थिति है। मैं जानता हूं कि मेरे माननीय मित्र, इस तरह की स्थितियां उत्पन्न नहीं करना चाहेंगे। वह तथा साथ ही मैं और यह सदन इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि यह समस्या उदारपंथियों, मध्यमार्गियों की सहायता के बिना और दूसरे उदार-पंथी खोज किये बिना (यदि कोई मध्यमार्गी नजर भी आता है तो) हल नहीं की जा सकती।

उपाध्यक्ष महोदय : दोनों में ज्यादा चालाक कौन है ?

श्री रवीन्द्र वर्मा : निर्णय देने के लिये आप बैठे है। इसलिये, यदि आप ऐसी स्थितियां उत्पन्न करते हैं जिनमें लक्ष्यों और साधनों के संयोजक को समझौतावाद, कायरता अथवा धोखे का रंग दिया जाता है तो तब वे ऐसी स्थितियां उत्पन्न करने मे सहायक होती हैं जिनम कोई हल नहीं खोजा जा सकता।

मैं अपने मित्र की सरकार के फूहड़पन की, अनुच्छेद 25 में संशोधन करने पर विचार करने के लिए सहमत होने की भावना, लोंगोवाल द्वारा मांग करने पर केन्द्रीय आरक्षी पुलिस बल को वापस बुलाने की भावना की चर्चा करने में सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। लेकिन मैं केवल यह कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा कि यह समस्या एक राजनीतिक समस्या है और इस लिये इस समस्या को अधिक भौतिक शक्ति लगाकर हल नहीं किया जा सकता। आप मिटास की चीज मांगते हैं कि जिसका आप प्रयोग नहीं कर सकते और इसमें अन्तर्ग्रस्त वास्तविक मुद्दों को, जो ऐसी स्थितियां उत्पन्न करने के लिये जिम्मेदार हैं जिनसे राज्य में संघर्ष की स्थिति पैदा हो सकती है, टाल-मटोल कर आप इस समस्या का समाधान नहीं कर सकते। मुझे आशा है मेरे माननीय मित्र अन्य लोगों को भी समस्या के इस पहलू पर विचार करने और इसका समाधान खोजने की सलाह देंगे और उस झूठे विश्वास में नहीं रहेंगे कि व्यापक पैमाने पर भावनाओं को दबाया नहीं जा सकता और राजनीतिक का समाधान डंडे की भाषा से किया जा सकता है।

श्री चिरंजी लाल शर्मा (करनाल) : उपाध्यक्ष महोदय, संकल्प पर बोलते हुये श्री

सूरजभान ने टिप्पणी की थी कि देश में अध्यादेशों का शासन है। अध्यादेश का दुरुपयोग किये जाने की संभावना है। सरकार के पास पहले से ही पर्याप्त शक्तियां हैं। उन्होंने एक प्रश्न किया था कि यह अध्यादेश 5 अप्रैल को क्यों लाया गया था ? 4 अप्रैल को इसकी एक प्रति सभापटल पर क्यों नहीं रखी गई ? 23 मार्च और 5 अप्रैल के बीच ऐसी कौन-सी परिस्थितियां थीं जिनसे सरकार यह अध्यादेश जारी करने के लिए बाध्य हुई ? लेकिन महोदय, मुझे कल इस सदन में उनके द्वारा दिये गये भाषण के एक अंश का उल्लेख करने की अनुमति दी जाये जिसमें उन्होंने कहा है, "दूसरा विकल्प यह हो सकता था कि लोक सभा में विधेयक पारित कराने के बाद एक अध्यादेश जारी किया गया होता और राज्य सभा इसको उस समय पारित कर सकती थी जब इसकी बैठक होती थी।" इसका अर्थ यह है कि उनकी आपत्ति यह है कि लोक सभा ने क्यों नहीं विधेयक पारित किया और अध्यादेश की घोषणा क्यों की गई। इसका अर्थ है कि वह सिद्धान्त: इस बात से सहमत हैं कि इन परिस्थितियों में अध्यादेश की घोषणा तो अपरिहार्य थी। इसके बाद वह कहते हैं, "कौन-सी परिस्थितियां थीं ?" संभवय: उन्हें उन परिस्थितियों की जानकारी नहीं है जिन्होंने सरकार को 5 अप्रैल को यह अध्यादेश जारी करने के लिए बाध्य किया। अमृतसर में श्री हरवंस लाल खन्ना की हत्या की गई, चंडीगढ़ में प्रो. तिवारी की हत्या की गई।

महोदय, मैं आपकी अनुमति से विपक्ष के माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि वहां न केवल अकाली लोग अपितु विपक्ष भी इन मांगों पर जोर दे रहा था कि वहां की लोकप्रिय सरकार को हटाकर राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। यद्यपि वहां कांग्रेस दल बहुमत में था, यद्यपि वहां दरबारा सिंह को बहुमत का समर्थन प्राप्त था, तब भी सरकार ने पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू करने का निर्णय किया। क्यों ? क्योंकि एक शाम को वहां एक समुदाय के छ: व्यक्तियों की निर्दयता और बेरहमी के साथ उस समय हत्या कर दी गई जब वे एक बस में यात्रा कर रहे थे। ये परिस्थितियां थीं वहां पर, जिनसे बाध्य होकर सरकार ने वहां की लोकप्रिय सरकार को तत्काल हटा दिया और राज्यपाल को भी बदल दिया।

श्री सूरजभान ने एक अत्यन्त ही प्रासंगिक प्रश्न पूछा—सरकार के पास शक्तियां तो हैं लेकिन उन्हें उपयोग में लाने का संकल्प नहीं है। क्या मैं उनसे एक छोटा-सा प्रश्न पूछने की धृष्टता कर सकता हूं ? क्या नागा समस्या को इस सरकार ने हल नहीं किया, क्या यहां मिजो समस्या नहीं थी, जिसको इस सरकार ने हल किया ? क्या यहां आनन्द मार्गियों की समस्या नहीं थी जिसे इस सरकार ने हल किया था ? क्या आसाम समस्या नहीं थी जिसे इस सरकार ने हल किया।

एक माननीय सदस्य : यह आप कैसे कह सकते हैं कि आसाम समस्या हल हो गई है।

श्री चिरंजी लाल शर्मा : आसाम में पूरी तरह शान्ति और व्यवस्था है और सिवाय कुछ दलों के जो राज्य के शांत समुद्र में कुछ हलचल पैदा करना चाहते हैं।

महोदय, मेरे से पहले बोल चुके विपक्ष के माननीय सदस्य ने अत्यन्त ही सुन्दर भाषण

दिया और कहा कि वहां 12 अधिनियम हैं। आई.पी.सी. सी.आर.पी.सी. और शस्त्र अधिनियम तथा ये सभी अधिनियम हैं। इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता लेकिन यह बारादिव सुरक्षा अधिनियम क्यों लाया गया ? वहां 'मीसा' क्यों लागू किया गया ? इसका एक मात्र उत्तर यही है कि पंजाब राज्य में विद्यमान परिस्थितियां इस प्रकार की हैं कि किसी में भी आगे आकर न्यायालय में बयान (डिपोजीशन) देने की क्षमता नहीं है। कोई भी सरकारी साक्ष्य के रूप में उपस्थित होने को तैयार नहीं है। यह समस्या है। इसके साथ ही साक्ष्य एकत्रित करके की समस्या है। श्रीमन्, आपात काल के दौरान क्या हुआ जबकि तस्करी अपनी चरमसीमा पर थी ? उस समय देश में तस्करों को 'मीसा' के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया। उन्हें जेलों में डाल दिया गया और बड़ी सीमा तक तस्करी नियंत्रित कर दी गई थी। लेकिन जब कांग्रेस के स्थान पर जनता पार्टी सत्ता में आयी तो उनके अनुसार उन्होने एक अच्छा कार्य यह किया—मेरी दृष्टि में अच्छा कार्य नहीं है—कि उसने उन सभी तस्करों को रिहा कर दिया। उसके बाद क्या हुआ ? सारा सदन और सारा देश इस बात को जानता है।

महोदय, श्री सूरजभान ने श्रीमती इन्दिरा गांधी वक्तव्य का उल्लेख करते हुए एक दूसरा प्रश्न किया। उन्हें (श्रीमती गांधी को) किस के साथ बात करनी चाहिए। क्या इस बात की कोई गारंटी है कि वे इसे मान लेंगे। आपकी अनुमति से मैं विगत इतिहास पर कुछ प्रकाश डालना चाहूंगा। पंजाब किस तरह अस्तित्व में आया ? हरियाणा किस तरह बना ? किस तरह हिमाचाल प्रदेश बना ? सरकार ने शाह आयोग नियुक्त किया था। शाह आयोग ने 1966 में अपना निवेय (अवार्ड) दे दिया था। उस निर्णय में संशोधन किया गया। शाह आयोग के अनुसार समस्त अम्बाला जिला हरियाणा को दिया जाना था संत फतेहसिंह ने अपना आत्मदार करने की धमकी दी। श्रीमती इन्दिरा गांधी ने उस निर्णय में परिवर्तन करना वांछनीय समझा और उस निर्णय में परिवर्तन किया गया। सात गांव कम करके चंडीगढ़ पंजाब को दिया जाना था और और अबहोर तथा फाजिल्का के 114 गांव हरियाणा को दिए जाने थे। सारे पंजाब में खुशी और प्रसन्नता थी जबकि हरियाणा में इस निर्णय का विरोध कर रहे 12 नौजवान पुलिस द्वारा मार दिए गये। लेकिन महोदय, क्या संत ने इस बात को माना ? संत फ्तेहसिंह अब इस संसार में 'नहीं' हैं। अब उनका स्थान एक दूसरे सन्त, सन्त, लोगों वालने लिया है जिनको विपक्ष के मेरे माननीय मित्र श्री वर्मा ने एक नरमपंथी व्यक्ति कहा है। मैं संत लोगों वाला द्वारा समाचार पत्रों को दिए गये उस वकाव्य का उल्लेख करना चाहूंगा। संत लोंगोवाल ने कहा, 'हम केन्द्रीय आरक्षी पुलिस बल के हाथों सात आतंक वादियों की हत्या के लिए जिम्मेदार लोगों से बदला लेंगे।" मैं नहीं समझता कि उनको नरम पंथी कहना ठीक है अथवा अंय आतंकवादियों के समान मानना ठीक है। क्या यह देश के किसी संत के लिए उचित है ? क्या उन आतंक-वादियों के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करना देश के किसी जिम्मेदार नागरिक के लिए उचित है, क्या उन आतंकवादियों के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करना देश के किसी जिम्मेदार नागरिक के जो अपनी आतंकवादी गतिविधियों से राष्ट्र के शांत समुद्र में गड़बड़ पैदा कर कर रहे हैं। जो निर्दोष लोगों की हत्याएं कर रहे हैं और निर्दोष लोगों के जीवन से खेल रहे हैं ? जब पुलिस उनके विरुद्ध कार्यवाही करती है मुझे अफसोस है कि उन्होंने कहा कि वे 'उदारपन्थी' है और यह महाशय इस प्रकार के गैर—जिम्मेदाराना वक्तव्य देते हैं। उनके बाद

उनके स्थान पर फिर कोई दूसरा सन्त आजायेगा। मैं एक बात कहना चाहता हूं—यह मैंने इस सदन में पहले भी कहा था, कि निर्णय पहले ही लिया जा चुका है, चंडीगढ़ अबहोर और फाजिल्का के सम्बन्ध में 1970 में न्याय निर्णय दिया गया था। रानों-व्यास के जल के सम्बन्ध में वर्ष 1976 में न्यायनिर्णय दिया गया था। क्योंकि पंजाब में इसका उग्र विरोध किया गया था, 31 दिसम्बर, 1981 को इस पंचार में और आगे संशोधन किया गया। राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों ने इस पर हस्ताक्षर किए और सिंचाई मंत्री द्वारा इसकी पुष्टि की गई और प्रधानमत्री ने इस पर प्रति हस्ताक्षर लिए। वे कहते हैं, हम इसे स्वीकार नहीं करना चाहते।' इसलिए श्रीमती इन्दिरा गांधी ने उचित ही कहा था "हम किसके साथ बात करें और इस बात की क्या गारंटी है कि वे इसे मानेंगे।" (व्यवधान) अब विपक्ष के मेरे माननीय मित्र संभवत: प्रश्न को नहीं समझ सके हैं श्री वर्मा ने ठीक ही टिप्पणी की थी और में भी उससे सहमत हूं कि यह एक राजनीतिक समस्या है ? इसका राजनीतिक समाधान क्या है ? प्रश्न है कि यदि कांग्रेस (इ) की लोक प्रिय सरकार अथवा राष्ट्रपति शासन को समाप्त कर श्री बादल अथवा तोहड़ा अथवा लोगोंवाल अथवा उस दल के किसी व्यक्ति को लाया जाता है तो क्या समस्या हल हो जाएगी, क्या कोई हो हल्ला नहीं होगा, कोई हत्याएं नहीं होंगी। लेकिन, क्या महोदय क्या यह उचित होगा ? क्या देश का कोई समझदार व्यक्ति इस बात से सहमत होगा कि कुछ लोगों को संगीन की नोक पर राजनीतिक सत्ता छीनने की अनुमति दी जानी चाहिए। यह समस्या का हल नहीं है। वहां समस्या का समाधान पहले से ही है। प्रोफेसर चक्रवर्ती साहिब वहां उपस्थित थे और कल मैंने सेंट्रल हाल में उनसे इस विषय पर बातचीत की थी। उन्होंने कहा, "चण्डीगढ़ पंजाब को क्यों नहीं देते और अबहोर तथा फाजिल्का का मसला किसी आयोग को क्यों नहीं भेज देते !' क्या एक आयोग बनाया जाना चाहिए ? कोई आयोग क्यों बनाया जाए जबकि उसी मेज पर कलम के उसी प्रवाह और उसी भावना के साथ इसका निर्णय किया गया था ? उसे उसी भावना से, उसी तरीके से कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : उसे पांच वर्षों में कार्यान्वित कर दिया जाना चाहिए था।

श्री चिरजी लाल शर्मा : मान लीजिए, इसे किसी एक या दूसरे कारण से कार्यान्वित नहीं किया गया तब क्या-क्या पंजाब सरकार ने उस अवधि के दौरान इसे कार्यान्वित करने का प्रयास किया जब वे उनके हाथ में सत्ता थी उस अवधि के दौरान जब वे देश के भाग्य के पथ प्रदर्शक थे ? और केन्द्रीय सरकार में श्री घन्नासिंह गुलशन और श्री सुरजीत सिंह बरनाला उनके प्रतिनिधि थे। वे चुप रहे और उनका केवल एक ही जवाब था कि श्री मोरारजी देसाई इससे सहमत नहीं हैं। श्री मोरारजी देसाई 'न' कहने के लिए काफी सक्षम व्यक्ति थे, और अब वे कह रहे हैं। कि इन्दिरा गांधी एक महिला है जो उनकी अनुचित मांगों के लिए भी 'हां' कह देंगी। उनके सपने पूरे नहीं होंगे। वह एक ऐसी महिला है जिनमें आज, निर्णय और पहल करने की क्षमता है और चाहे कुछ भी हो जाये वह इस तरह की धमकियों से डरती नहीं। यह एक सामान्य प्रश्न है। (व्यवधान) सदन में विपक्ष में बैठे अपने मित्रों के प्रति मेरा आदर है

और उनसे क्षमता याचना करते हुए मैं कहूंगा कि वे समस्या के हल में अड़ंगा बन रहे हैं, क्योंकि वे अकालियों को निरन्तर अत्यधिक सहयोग दे रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि वे दिसम्बर या जनवरी में आगामी चुनाव को ध्यान में रखकर स्थिति का राजनैतिक लाभ उठा रहे हैं। वे अब उलझन में हैं और उनकी सब प्रकार से सहायता कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, आप को इस बात की जानकारी है कि विपक्ष का एक सदस्य स्वर्ण मन्दिर में विश्राम कर रहा है और पंजाब के भविष्य के बारे में निदेश देने के लिए दो संतों से विचार विमर्श कर रहा है।

क्या किसी विरोधी दल ने अकालियों की इन कार्यवाहियों की निंदा की है? यह हिन्दू या सिक्ख का सवाल नहीं है। यह सारे देश की अखंडता या विघटन का सवाल है।

इस मामले में पूर्णरूप से विचार किया जाना चाहिए और जल्दी बाजी नहीं की जानी चाहिए। समस्याओं का समाधान पाने के लिए हमें तिल का ताड़ नहीं बनाना चाहिए।

इस अधिनियम में यह एक साधारण सा संशोधन जो कि बहुत आवश्यक है। यह अधिनियम इस सदन में 4 वर्ष पहले पारित हुआ था और परिस्थितियों के अनुसार यदि कुछ संशोधन इसमें आवश्यक हैं, तो विपक्ष को बिना किसी संदेह के इसका समर्थन करके अपनी उदारता का परिचय देना चाहिए।

श्री सूरजभान ने अपने वकतव्य में कहा है कि कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि पंजाब के मामले में विदेशी ताकतों का हाथ है। इसके काफी प्रमाण हैं। आप प्रत्यक्ष प्रमाण चाहते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण श्री सूरजभान ने स्वयं ही दिया है कि एक मुसलमान निहंग के वेष में बस में यात्रा कर रहा था। यह सब क्या है? वह मुसलमान कौन था? उग्रवादियों द्वारा प्रयोग में लाए जा रहे अवैध हथियार, स्टैनगन, कारबाईन और अन्य हथियार कहां से आए? मैं पूरे दावे के साथ कहता है कि ये विदेशों से प्राप्त हुए हैं।

यदि आप हुसैनी वाला सीमा या किसी अन्य सीमा पर जा कर देखें, जहां पाकिस्तान और भारत के खेत साथ-साथ मिले हुए हैं और एक दूसरे की गेहूं की फसल साथ-साथ खड़ी है जिनमें कोई सीमा रेखा या सीधी रेखा नहीं है, तो वहां पाकिस्तानी स्टैनगन और हथ गोले भारत के सीमावर्ती खेतों में रख जाते हैं और वही हथियार आसानी से तस्करी से भारत पहुच जाते हैं। क्या यह विदेशी हस्तक्षेप नहीं है? भारत सरकार इसको समाप्त करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। सीमा सुरक्षा बल और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस को तैनात किया गया है अन्य अर्द्ध सैनिक बलों में वृद्धि की गई है।

यदि आप किसी अपराधी को बिना सबूत के पकड़ते हैं, तो वह बच जायेगा। मैं एक वकील होने के नाते यह जानता हूँ कि यदि कोई सबूत नहीं है, तो अपराधी को छोड़ दिया जायेगा।

यह विधेयक ऐसे व्यक्तियों से निपटने का एक मात्र उपाय है। यह एक स्थायी समस्या

है जिसका हमें सामना करना पड़ता है। यह एक या दो वर्ष के लिए समस्या का प्रश्न नहीं है। जो देश द्रोही हैं वे देश का विनाश कर रहे हैं। उनके साथ सख्ती से निबटना चाहिए और सरकार इसी कार्य के लिए अपने हाथ मजबूत करने हेतु यह कानून लाई है और विपक्ष को इसपर आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

मेरे मित्र और पूरा सदन जानता है कि बलात्कार, दहेज विरोधी मामलों और हत्याओं के मामलों में काफी असंतोष और दोष व्याप्त है और अपराधी आजादी से घूम रहे हैं। संशोधन करने के लिए एक समिति भी बनाई गई थी। बलात्कार के मामलों में आजीवन कारावास का दण्ड मिलना चाहिए। यह मांग क्यों की गई ? यह इसलिए की गई की लोग मामले की गंभीरता और दंड की ओर ध्यान दें। ऐसे जघन्य अपराधों के लिए जब तक कठोर दंड की व्यवस्था नहीं होगी इन अपराधों को समाप्त या इनको कम नहीं किया जा सकता।

पंजाब में लगभग दो लाख छात्रों का भविष्य अन्धकार में हैं। पंजाब में तीन विश्व विद्यालयों में, अर्थात् गुरु नानक विश्वविद्यालय, पंजाब 'विश्व- विद्यालय और पंजाबी विश्व विद्यालय में उप कुलपतियों ने परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। यह कब तक चलेगा ? आज के समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है कि तीनों विश्वविद्यालयों के तीन उपकुलपतियों ने राज्यपाल से ए. आई. एस. एस. एफ. पर से प्रतिबंध हटाने की प्रार्थना की है। इस मामले पर सरकार को विचार करना है। क्या विपक्ष के सदस्य इस बात पर विचार करेंगे ? क्या वे कुछ सुझाव देंगे ? क्या वे इस बात से सहमत है कि प्रतिबंध हटा लिया जाए ?

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : आपका सुझाव क्या है ?

श्री चिरजी लाल शर्मा : मेरा सुझाव है कि "यदि विश्वविद्यालयों के उप कुलपति यह समझते हैं कि पंजाब में ऐसी स्थिति नहीं है परीक्षाएं आयोजित की जा सकें, तो छात्रों का समय बर्बाद किए बिना उन्हें तथा पंजाब राज्य पाल को चाहिए कि वे मेरे राज्य में हरियाणा सरकार से परीक्षाओं के आयोजन के लिए अनुरोध करें। हम शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी लेते हैं।"

हरियाणा में क्या हुआ ? श्री वेदपाल पर हमले और इस सम्बन्ध में करनाल युवा कांग्रेस के दो पदाधिकारियों की बात कही गई है। मैं करनाल जिला युवा कांग्रेस के दो युवकों के बारे में श्री सूरजभान द्वारा कही बात का खण्डन नहीं करता। जैसे ही यह पता चला कि उन्होंने पंजाब के उग्रवादियों का शरण दी है, तो उन्हें कानून के हवाले कर दिया गया और संगठन से निकाल दिया गया। ये लोग युवा कांग्रस के पदाधिकारी किस प्रकार बने ? उस समय आंतक-वाद नहीं था और हरियाणा में इस प्रकार की कोई बात नहीं थी। मैं इस बात के लिए हरियाणा पुलिस की प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने सफलता पूर्वक अपराधियों को पकड़कर इस मामले की की जांच की। लगभग 10-12 व्यक्ति ऐसे हैं जिनके खिलाफ सबूत हैं और उन्होंने कबूल किया है कि उग्रवादियों के साथ उनके सबंध थे। उन्हें कानून के हवाले किया गया है। भारत और

पाकिस्तान सीमा के एक गांव, जोकि सीमा से केवल 35 गज की दूरी पर है, के तीन उग्रवादियों को पकड़ा नहीं जा सका है।

यह पता लगाने का श्रेय हरियाणा पुलिस को है अभी हाल ही की एक घटना का हवाला दिया गया है कि अम्बाला में दो पुलिस कर्मचारी उग्रवादियों को ले जा रहे थे, तो आप तो सामने की सीट पर बैठ गये और उग्रवादियों को पीछे बैठा दिया गया, हरियाणा पुलिस ने उनमें से पंजाब पुलिस के एक कांस्टेबल श्री कुलदीप सिंह को पकड लिया है। मुझे विश्वास है कि बाकी तीन को जल्दी ही पकड़ लिया जायेगा।

मैं चाहता हूं कि पंजाब पुलिस भी हरियाणा पुलिस की तरह कार्य करे। इस विषय पर अधिक कुछ नहीं कहा जा सकता और मैं नहीं चाहता कि इस संबन्ध में सदन का अधिक समय लिया जाय। इन शब्दों के साथ मैं अपना वकतव्य समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री चित्रबसु बोलेंगे।

श्री चित्रबसु (बारसाट) मैं प्रारम्भ में यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम विपक्ष के

(व्यवधान)

मैं प्रारम्भ में यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि विपक्ष का कोई भी सदस्य राष्ट्रीय सुरक्षा का विरोधी नहीं है कृपया मेरी बातें सुनें, मैं पुन: कहता हूं कि विपक्ष का कोई भी सदस्य राष्ट्रीय सुरक्षा का विरोधी नहीं है। बल्कि हम तो इसे मजबूत करना चाहते हैं और उनके विरुद्ध युद्ध छेड़ना चाहते हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा का विरोध कर रहे हैं या इसे कमजोर बना रहे हैं। परन्तु मैं राष्ट्रीय सुरक्षा विधेयक का जोरदार शब्दों में विरोध करता हूं। मैं शायद अपनी बात स्पष्ट रूप से नहीं कह रहा हूं। महोदय, हम राष्ट्रीय सुरक्षा का समर्थन करते हैं परन्तु राष्ट्रीय सुरक्षा विधेयक का विरोध करते हैं क्योंकि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत नहीं होगी। इससे वे लोग मजबूत हो जाएंगे, जो राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा को खतरा पैदा करना चाहते हैं। इस सम्बन्ध में बोलने के लिए मुझे अधिक समय नहीं दिया गया है। मैं चाहता हूं कि इस विधेयक पर बहस होनी चाहिए।

सरकार ने अपने व्याख्यात्मक ज्ञापन में कहा है कि सरकार इस अध्यादेश के जरिये पुलिस और अन्य पदाधिकारियों को और अधिक शक्तियां देना चाहती है। मेरे प्रश्न को मेरे मित्र रवीन्द्र वर्मा ने उठाया है। मैं इस पर विस्तार से चर्चा नहीं करना चाहता। हमने कई बार कहा है कि स्थिति से निबटने के लिए सरकार के पास पर्याप्त शक्तियां हैं। शक्ति का अभाव नहीं है। मैं सशस्त्र सेना पंजाब और चंडीगढ़ विशेष शक्तियां विधेयक, 1983 का उल्लेख करना चाहता हूँ। यह इस सदन में पारित हुआ था और मैं समझता हूँ कि यह 7 अक्तूबर, 1983 से लागू हुआ है। अब इस विधेयक को देखें। सरकार का दावा है, मैं सरकार से प्राप्त सूचना प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं गृह मंत्रालय द्वारा परिचालित एक महत्वपूर्ण दस्तावेज को पढ़ता हूं। इसमें लिखा है कि छापों में 10.10.1983 से 31.3.1984 तक 1032 हथियार, 2961 गोलियां और 4 हथगोले पकड़े गये हैं यदि ये शक्तियां स्थिति पर काबू पाने के लिए पर्याप्त

नहीं है, तो अन्य शक्तियां हैं, कानूनी शक्तियां हैं, कुछ प्राधिकारी हैं जो इनका उचित उपयोग कर सकते हैं। यह आपका देश है। सरकार का कहना है कि शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत 1797 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं। महोदय, मैं इससे अधिक सूचना नहीं देना चाहता। मैंने जो कुछ कहा है, वह आपके द्वारा दिए गए वक्तव्य में से कहा है। जब आपके पास 1797 व्यक्तियों को गिरफ्तार करने की शक्ति है, तो अन्य 2000 व्यक्तियों या कितने भी व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के लिए अधिक शक्तियों की क्या आवश्यकता है? महोदय, यदि आप शस्त्र अधिनियम की धारा 4 को पढ़ें, तो पता चलेगा कि एक साधारण अधिकारी मामूली संदेह पर किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। इस अधिनियम से सरकार को इतना अधिकार भी है कि यदि सरकार समझती है कि प्रत्येक सिख खालिस्तानी है, तो वह प्रत्येक सिख को गिरफ्तार कर सकती है क्योंकि इस अधिनियम में यह अधिकार दिया गया है कि मामूली संदेह पर भी ऐसा किया जा सकता है।

6.00 म.प.

उसे नजरबन्द किया जा सकता है। इस पर कार्यवाही की जा सकती है। अब स्थिति स्पष्ट हो गई है। इतनी अधिक शक्तियां प्राप्त होने पर भी वह उन्हें गिरफ्तार नहीं करना चाहते हैं क्योंकि तथ्य यह है कि वह उन्हें बिना मुकदमा चलाए बरी करना चाहते हैं। आपको एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति है, उस पर मुकदमा चला सकते हैं परन्तु आप ऐसा करना नहीं चाहते हैं। मैं तो यह कहूँगा कि आप अब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने और अपनी इच्छानुसार अवधि के लिये नजरबंद रखने की शक्तियां प्राप्त करना चाहते हैं। इसीलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि यह प्रजातांत्रिक नहीं है। यह अहितकर है। सभी व्यक्ति सिद्धान्त रूप में इसका विरोध करेंगे। आप चाहते हैं कि बन्दीकरण के आधार प्रस्तुत किए जाने की अवधि 5 दिन बढ़ा दी जाए।

हम 'मीसा' के शिकार रहे हैं। उस समय, सरकार शक्तिशाली थी क्योंकि वह आरोप-पत्र की साइक्लोस्टाइल्ड प्रतियां संबंधित अधिकारियों को भेज देती थी कि उस खाली प्रति को भर दिया जाए। यह आपकी प्रथा रही है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि हम आपको वह शक्तियां दे सकते हैं जबकि हम 'मीसा' के शिकार रहे हैं। उस खाली आरोप-पत्र में यह करने के लिये कि आपको बंदी के विरुद्ध आरोप-पत्र प्रस्तुत करने के लिए और 10 दिन चाहिए। वे इतने अक्षम हैं कि 5 दिन के भीतर भी आरोप प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। आपको 5 दिन के अरोप प्रस्तुत करना चाहिए। अब आप 'मीसा' लागू करने का अनुभव प्राप्त करने के पश्चात इस स्थिति में नहीं हैं।

हम भी राष्ट्र की सुरक्षा चाहते हैं; हम राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करना चाहते हैं; हम भी चाहते हैं कि उग्रवादी गतिविधियों से निपटा जाए। परन्तु यह इस तरीके से नहीं किया जा सकता है क्योंकि सरकार के असफल रहने का मूल कारण आसूचना एकत्र न कर पाना है। पंजाब पुलिस और केन्द्रीय आरक्षी पुलिस बल के बीच मतभेद के कारण और सरकार की ओर से राजनीतिक अनिच्छा द्वारा वह इसका अपने हित के लिए लाभ उठाना चाहते हैं। आप यह

कहने का यदि साहस नहीं कर सकते हैं और इन उग्रवादियों और विदेशी ताकतों के बीच बढ़ते सम्पर्कों के विरुद्ध कार्यवाही भी नहीं कर सकते हैं। पंजाब की स्थिति बिगड़ने के यही मूल कारण हैं। जब तक इन चीजों को नहीं सुधारा जायेगा, इन कमजोरियों को दूर नहीं किया जाएगा, केवल इस प्रकार का संशोधन करने से, जो कि अलोकतांत्रिक है और नागरिक स्वतंत्रता का हनन करने वाला है, समस्या हल नहीं होगी। हम ऐसे लोगों को, जो कि सत्ता के भूखे हैं और जो काष्ठ मस्तिष्क नौकरशाहों और हिंसा प्रिय पुलिस के माध्यम से काम कराने में प्रसन्न होते हैं, इस प्रकार की शक्तियां प्रदान करने की गैर जिम्मेवारीपूर्ण कार्य नहीं कर सकते हैं। उसके लिए राजनीतिक हल की आवश्यकता है। हमने कई अवसरों पर यह सुझाव दिया था कि इसको किस प्रकार हल किया जाए। यह मामला केवल कानून और व्यवस्था का नहीं है; इस समस्या में राजनीतिक मामले शामिल हैं और उनका राजनीतिक हल निकालना होगा। जब तक ऐसा नहीं किया जाता है इस प्रकार के संशोधन से स्थिति सामान्य बनाने में सहायता नहीं मिलेगी। मैं इस विधेयक का विरोध करता हूँ।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री सूरज भान के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूँ और माननीय मंत्री जो विधेयक लाए हैं, उसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

जब से पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, तब से सारा देश जानता है कि स्थिति दिन प्रति दिन बिगड़ती चली जा रही है। इससे स्पष्ट होता है कि हमारी केन्द्रीय सरकार पंजाब की स्थिति को सुधारने में पूरे तरीके से विफल हो चुकी है। अब तो जो नई सरकार बनेगी, तभी हम समस्या बनेगी, तभी हम समस्या के समाधान की उम्मीद कर सकते हैं। क्योंकि वर्तमान सरकार से समाधान की कोई आशा नहीं रह गई है लगातार स्थिति बिगड़ने की वजह से हत्यायें हो रही है, ऐसा लग रहा है कि पंजाब में कोई सरकार इस समय काम नहीं कर रही है। सरकार के पास पहले से ही कानून थे, तमाम अधिनियम बनाए गए और उनका इस्तेमाल करके स्थिति को सुधारा जा सकता था, लेकिन अभी तक सही ढंग से उनका इस्तेमाल नहीं किया गया। अभी माननीय मंत्री जी ने स्वयं कहा है कि नैशनल सिक्योरिटी एक्ट का इस्तेमाल केन्द्रीय सरकार ने नहीं किया, यदि आपने इसका इस्तेमाल ही नहीं किया तो·····

श्री पी. वेंकटसुब्बैया : मैं देश के अन्य भागों के बारे में बोल रहा हूं। जहां तक पंजाब और चंडीगढ़ का प्रश्न है, अध्यादेश जारी करने के बाद हमने उसका उपयोग नहीं किया है।

श्री हरिकेश बहादुर : पंजाब के अलावा दूसरी जगहों पर इसका इस्तेमाल कर भी नहीं सकते हैं। क्योंकि आपकी सरकार राष्ट्रपति शासन लागू करें, अपनी सरकारों को बर्खास्त करें, तभी जाकर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए आप पंजाब में इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बावजूद भी स्थिति में सुधार नहीं हो सका है। वास्तविकता यह है कि जो भी कानून आपने बनाये हैं, उसका इस्तेमाल करने वाली जो आपकी मशीनरी है, वह ठीक ढंग से काम नहीं कर रही है। आपके आदेशों का ठीक ढंग से पालन नहीं हो रहा है। आप और अधिक

शक्ति अपने हाथ में लेते जाएं, इस्तेमाल सही तरीके से न हो तो स्थिति में सुधार नहीं आ पाएगा। इसलिए हम यह समझते हैं कि यह जो आप नया कानून बनाने की बात कर रहे हैं, इससे स्थिति में सुधार नहीं हो पाएगा। हम नहीं चाहते हैं कि आप इससे और अधिक शक्ति अपने हाथ में लें।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं। गृह मंत्री जी आज कल वक्तव्य दे रहे हैं कि खालिस्तान नहीं बनने दिया जाएगा। यह एक बहुत ही गम्भीर बात है, मैं समझता हूं कि गृह मंत्री जी को इस बात को कहने की कोई आवश्यकता नहीं थी। क्योंकि बार-बार आप कहते रहेंगे और सोचते रहेंगे कि खालिस्तान नहीं बनाया जाएगा और वे लोग खालिस्तान चाहते हैं तो यह देश के लिये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी। मैं बहुत लम्बे इतिहास में नहीं जाना चाहता हूँ। आजादी हासिल करने के समय पाकिस्तान के बारे में इसी प्रकार की बातें हो रही थी, जैसा कि लोग बताते हैं, लोग कहने लगे थे कि पाकिस्तान नहीं बनने दिया जाएगा। खास तौर से जब जिम्मेदार लोगों ने इस बात को कहना शुरू किया तो नतीजा यह हुआ कि बाद में पाकिस्तान बन कर रहा और काफी बड़े समाज के वर्ग का ध्यान पाकिस्तान बनने की ओर चला गया। इसलिये मेरी दृष्टि में इस बात को कहने की कोई आवश्यकता नहीं थी कि खालिस्तान नहीं बनने देंगे। क्योंकि अब भारत की जनता भारत का आगे कोई विभाजन स्वीकार करने नहीं जा रही है। इसलिये यह निहायत अनुचित है कि बार-बार इस तरह की बात को गृह मंत्री जी या सरकार के किसी उच्च पदाधिकारी द्वारा की जाए।

अभी कुछ दिनों पहले समाचार पत्रों में छपा था कि प्रधान मन्त्री जी और लोगोंवाल के बीच में बातचीत हुई थी, लेकिन बाद में पता लगा कि कोई बात नहीं हुई थी, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह बातचीत हुई थी या नहीं—वास्तविकता क्या है? माननीय मन्त्री जी जब उत्तर दें, तो इसके बारे में स्पष्टीकरण दें। अभी प्रधान मन्त्री जी के वक्तव्य को लेकर काफी शोर-शराबा हुआ और तरह-तरह की बातें कही गई। मैं चाहता हूं कि जिम्मेदार लोग पंजाब के बारे में बात कहें, क्योंकि पजाब की स्थिति आज बहुत ही विस्फोटक हो चुकी है...और सारा देश इस बात से चिन्तित है। इसलिये जो उच्च पदों पर बैठे हुए लोग हैं वे सोच-समझ कर कोई बात कहें, यों ही कह कर स्थिति को बिगाड़ने से कोई लाभ होने वाला नहीं है।

आज के अखबारों में खबर छपी है और शून्य काल में उस पर चर्चा भी हुई थी कि श्री लोंगोवाल ने सम्भवत: कहा है कि सी. आर. पी. एफ. के द्वारा जो कुछ लोगों की हत्या हुई है, उसके बारे में उन को काफी नाराजगी है और वह कोई जांच करवाने जा रहे हैं। यह भी कहा है कि इस से बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया होगी। यह बात अपने आप में बहुत गंभीर हैं। मैं चाहता हूँ कि जिन तथ्यों को लेकर उन्होंने ऐसा वकतव्य दिया है, उनके बारे में सरकार स्वयं जांच कराये, बल्कि न्यायिक जांच कराये। असलियत का पता लगाये, कि उन्होंने ऐसा कोई वक्तव्य दिया है जिस का परिणाम कुछ और हत्याओं के रूप में सामने आने वाला है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और गम्भीर मामला है, इस पर तत्काल ध्यान देना चाहिये।

अन्तिम बात यह कहना चाहता हूं—इस समस्या के बारे में बहुत चर्चा हो चुकी है, इस लिये इसके विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। हत्याओं की चर्चा की जरूरत नहीं है बैंक डकैतियों की चर्चा की जरूरत नहीं है, केवल एक बात कहने की जरूरत है, जिस के बारे में अन्य माननीय सदस्यों ने भी कहा है, खासतौर पर रविन्द्र वर्मा जी ने बहुत विस्तार से सारी बातों को कहा है और वह यह है कि इस समस्या का कोई राजनीतिक हल ढूढ़ने की जरूरत है जिस के लिये प्रयास करना चाहिये। लोगों को एक वार्ता-मेज पर लाने की कोशिश करनी चाहिये।

1970 के एवार्ड के बारे में माननीय सदस्य श्री चिरंजीलाल शर्मा अभी कुछ कह रहे थे। मैं उस के बारे में सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं—1970 का एवार्ड स्वयं प्रधान मन्त्री जी ने दिया था। उन्होंने कहा था—चण्डीगढ़ पंजाब को दिया जाय और फाजिल्का तथा अबोहर हरियाणा को दिया जाय। उन्होंने यह भी कहा था कि यह फैसला 5 वर्षों में कार्यान्वित कर दिया जाय। मैं जानना चाहता हूँ-1970 से लेकर 1977 तक कांग्रेस की सरकार थी और प्रधान मन्त्री जी ने एवार्ड दिया था, तो उन पांच सालों के अन्दर इस को कार्यान्वित क्यों नहीं किया गया ? अगर यह काम उस समय कर दिया जाता तो आज जो स्थिति पैदा हो रही है, वह नहीं होती तथा इतनी बदतर न हुई होती। इस लिये साबित होता है कि सत्ता में जो लोग हैं उन्होंने ही समस्या को इतना विचराल रूप दिया, है, इसलिये उनको ही इसके सुधार के लिये गम्भीरतापूर्वक विचार कर के काम करना चाहिये। हम निश्चित रूप से उन के साथ सहयोग करने को तैयार हैं, बशर्ते कि वे इस समस्या का समाधान करने के लिये दिमाग बनायें।

इन शब्दों के साथ मैं श्री सूरजभान जी के मौशन का समर्थन करता हूं।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : हमारा दल भी इस विधेयक का पूर्ण रूप से विरोध करता है।

श्री आरिफ मोहम्मद खान : मैंने समझा था कि आप प्रगतिवादी हैं।

श्री नारायण चौबे : यदि मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं, तो मैं प्रगतिवादी बन जाऊंगा। आप कई बार जेल नहीं गए हैं।

श्री पी. वेंकटसुबय्या : इनका जन्म 1942 के पश्चात हुआ था।

श्री नारायण चौबे : राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत अब जो सरकार सत्ता में है उसीने श्री रामावतार शास्त्री को 1948 में जेल भेजा था। उन पर क्या आरोप थे ? शास्त्री जी काशी विद्यापीठ के विद्यार्थी थे।। काशी विद्यापीठ का जन्म राष्ट्रीय आन्दोलन के दौरान हुआ था। शास्त्री जी माननीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे जो कि कानून द्वारा मान्यता प्राप्त था। अंग्रेजी राज के दिनों में शास्त्री जो को वाराणसी से निकाल दिया गया और वह पटना से प्रकाशित एक समाचार पत्र के सम्पादक थे। इन आरोपों पर उन्हें $2\frac{1}{2}$ वर्ष तक

बन्द रखा गया। मुझे भी 3 वर्ष से अधिक समय तक इस आरोप पर कि मैं पश्चिम बंगाल में माकड्डीप में, जहां मैं अपने जीवन में कभी नहीं गया, गुरिल्ला युद्ध का संगठन कर रहा हूं। अत: यह शक्तियां कभी भी नहीं दी जा सकती हैं। पंजाब समस्या अत्याधिक गम्भीर है परन्तु फिर भी इस मंच से, जो कि ससद कही जाती है, मैं भारत और पजाब के महान लोगों का धन्यवाद करता हूं और अभी वहां कोई साम्प्रदायिक भावना नहीं है जैसी कि वहां विभाजन के पूर्व थी और इसी कारण संतभिडरावाने हतोत्साहित हैं। मुझे पता चला है कि वे कहते हैं कि पंजाबी और सिख लोग कायर हैं और वे पंजाब में हिन्दुओं की हत्यायें नहीं कर रहे हैं जिससे कि ऐसी स्थिति पैदा की जा सके जिसमें अन्य राज्यों में भी सिखों पर हमले हों और वे पंजाब आकर हिन्दुओं की हत्यायें करें। वास्तव में, पंजाब के लोगों के महान संत, सिख और हिन्दू दोनों ही जीवित हैं और उन्हीं के कारण भिंडरावाले की आशा के अनुसार पंजाब में साम्प्रदायिक दंगे नहीं हो पा रहे हैं। इसके लिए पंजाब के लोगों को शाबासी मिलनी चाहिए। परन्तु महोदय, यह आपके द्वारा कराया हुआ है। यह सब आपने प्रारम्भ करवाया और अब आप इस पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। यह सब आपने किसलिए प्रारम्भ करवाया? जब वह संत ट्रकों पर चढ़कर अपने हथियारों का प्रदर्शन करते हुये नई दिल्ली आया—उस समय एक और महान व्यक्ति माननीय गृह मंत्री थे—उस समय आपके कई व्यक्ति उस संत के जिसे आज आप बुरा व्यक्ति कह रहे हैं पांव छूने गए थे। मेरे मित्र श्री शर्मा ने वर्तमान स्थिति के लिए विरोधी दलों पर आरोप लगाया हैं। यह बड़ी विचित्र बात है, जब गेहूं कि फसल अच्छी होती है केन्द्रीय सरकार उसके लिए जिम्मेदार बन जाती है, जब चावल का अच्छा उत्पादन होता है सरकार उसका श्रेय ले लेती है। जब हमारा उपग्रह अन्तरिक्ष में जाता है, कीमार को उसका श्रेय मिलया है। जब राकेश शर्मा अन्तरिक्ष में जाते हैं, तो सरकार को शाबासी मिलती है, परन्तु जब पंजाब में कोई उपद्रव होता हैं, तो उसके लिए विपश को दोषी ठहराया जाता है। यह अच्छी तर्क है।

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : जहां श्रेय का काम हो वहां श्रेय दिया जाना चाहिए।

श्री नारायण चौबे : और जहां जरूरत न भी हो तो वहां आरोप लगा देना चाहिए : बहुत अच्छे, जिसकी वास्तव में आवश्यकता है, वह है राजनीतिक हल। मैं जानता हूं शायद आप इस प्रकार के प्रयत्न कर रहे हैं। श्री लोंगोवाल के काम किसी 'हाट-लाइन' अथवा 'कोल्ड-लाइन' पर बातचीत हो रही होगी। कुछ अफवाहें चल रही हैं कि आप पंजाब में निकट भविष्य में अकालियों के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। यही सब बातें सुनाई दे रही हैं। अत: महोदय, हमने कई अवसरों पर कहा है कि इस समस्या के लिए राजनीतिक हल की आवश्यकता है। पंजाब से सत्ताधारी दल में मेरे मित्रों को पता है कि हमारा दल और भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी वहां क्या कर रही है। हाल ही में हमारे युवा संगठन (मूक फैडरेशन) की रैलियां, दिल्लीय के खूनी दरवाजे से हुसैनीवाला, जहां शहीदे-आजम भगतसिंह का दाह-संस्कार किया गया भी, भेजी गई थी। आपकी युवा रैली पर राश्ते में सिख उग्रवादियों द्वारा चार-पांच बार हमले किए गए। हमारे लोगों ने पंजाब के लोगों की सहायता से उनकी रक्षा की। उनमें सिख

और हिन्दू दोनों थे। मेरे साथी इन्द्रजीत गुप्त ने प्रस्ताव किया कि हमारे साथ ही कांग्रेसियों का मोर्चा भी बनाया जाए और यदि वह एक व्यक्ति लाएंगे तो हम दो लाएंगे—एक हिन्दू होगा, दूसरा सिख। पुनः मैं कहता हूँ कि केवल इन विधेयकों और अधिनियमों को पारित करने से काम नहीं चलेगा। वास्तव में, आप उनका समय-समय पर उपयोग कर सकते हैं परन्तु यह एक राजनीतिक समस्या है और इसके लिए राजनीतिक हल होना चाहिए। मुझे यह जानकर दुःख है कि कांग्रेस दल में हरियाणा से ऐसे तत्व हैं, जिन्होंने अभी भाषण दिए हैं, जो अकालियों में उदारवादियों की मौजूदगी नहीं मानते हैं। तब इस समस्या का कोई हल नहीं हो सकता है। यदि आप इसका राजनीतिक हल चाहते हैं, आपको उदारवादियों का पता लगाना होगा। कभी-कभी उदारवादी भी उग्रवादियों की भाषा बोलते हैं, क्योंकि उन्हें अपने दल को कायम रखना है। उसी समय, आप यह नहीं भूल सकते हैं कि पंजाब की परम्परा खतरे में है। पंजाब के साथ ही लगा हुआ देश पाकिस्तान है, जहां प्रजातंत्र नहीं है और वे यह प्रयत्न कर रहे हैं—यदि आप कहें कि यह जलती आग में हाथ फेंकना है तो मैं कहूंगा कि यह ऐसा न इससे कहीं अधिक है। और इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका भी शामिल है। मेरे माननीय मित्र को स्वर्ण मंदिर में सोवियत संघ के हाफ होने का भी पता चला है।... ..(**व्यवधान**)

श्री सूरजभान : इसका प्रेस ने भी उल्लेख किया है।

श्री नारायण चौबे : यदि इसका उल्लेख प्रेस ने किया है, तो उसके लिए यह शर्म की बात है। सोवियत संघ भारत में इस प्रवृत्ति का कभी समर्थन नहीं करता है। सोवियत संघ हमारा सबसे अच्छा मित्र है और इस देश की एकता और प्रभुसत्ता का वादा करता है। वास्तव में यह अमेरिकी साम्राज्यवाद की विश्वव्यापी गतिविधि है, जो भारत को चारों ओर से घेरना चाहता है। पंजाब के अतिरिक्त, असम और श्रीलंका में भी समस्या है। हर कोई जानता है और हमारी सरकार भी इन सारे खेलों को जानती है।

अब महोदय, मैं आपको सावधान करना चाहता हूं। पन्जाब समस्या को गम्भीरता से हल करना होगा और हमें उसमें अवश्य सफलता मिलनी चाहिए। अन्यथा, सिख साम्प्रदायिकता से हिन्दू साम्प्रदायिकता को बढ़ावा मिलेगा। हम जानते हैं कि हिन्दू सम्प्रदाय खाली नहीं बैठा है। वे भी इधर-उधर कार्य कर रहे हैं। वे पानीपत में सफल रहे हैं। हरियाणा में कांग्रेस (आई) राज्य सरकार वहां इस साम्प्रदायिकता को रोकने में असफल रही है। यह केन्द्रीय सरकार के हस्तक्षेप से हुआ।

श्री जगदीश टाइटलर (दिल्ली-सदर) : नहीं, यह ठीक नहीं है।

श्री नारायण चौबे : हाँ, हरियाणा सरकार असफल रही है। मैं हरियाणा और पानीपत गया था।

श्री जगदीश टाइटलर : मैं भी हरियाणा गया था।

श्री नारायण चौबे : यदि हिन्दू सांम्प्रदायिकता अन्य राज्यों में सिखों पर हमले करने में

सफल हो जायेंगी, तो यह वही होगा भिंडरावाले और उग्रवादी चाहते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि इनके लिए राजनीतिक हल चाहिए। इस संशोधन को पारित करके और आपके हाथ सुदृढ़ करके इस समस्या को पर्याप्त रूप से हल करने में सफलता नहीं मिलेगी। अत: हम इसका विरोध करते हैं। वास्तव में इस मंच से यह मांग की जाती है कि इस समस्या का शीघ्र राजनीतिक हल निकाला जाए।

प्रो. सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : उपाध्यक्ष महोदय, इस समस्या पर मैं बड़े भारी दिल से बोल रहा हूं, क्योंकि मैं यह महसूस करता हूं···

श्री जगदीश टाईटलर (दिल्ली सदर) : जब सदन जम्मू और कश्मीर पर चर्चा कर रहा था, तब उनके दिल में काफी दर्द हो रहा होगा।

प्रो. सैफुद्दीन सोज : टाईटलर महोदय, मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय हित मुझे आपसे अधिक प्रिय है।

महोदय, मैं आपको बता दूं कि पंजाब की चर्चा के बारे में मैं क्या अनुभव करता हूं। पंजाब पर चर्चा करके हमने संसद के सम्मान को घटा दिया है और यह सत्ताधारी दल है, जिसने संसद के मान को कम किया है।

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : इसीलिए सदस्य, जम्मू और कश्मीर के बारे में चर्चा करने के इच्छुक हैं।

प्रो. सैफुद्दीन सोज : आप चर्चा कीजिये। आप मुझे सन्तुष्ट कीजिये, मैं आपकी बात मानने के लिये तैयार हूं। आपके सामने केवल एक ही समस्या है कि आप राज्य सरकार को अस्थिर बनाना चाहते हैं। आप उस पर चर्चा कीजिये। मैं उत्तर देने के लिये तैयार हूं।

महोदय, पंजाब पर कई बार चर्चा की गई है किन्तु मैं अनुभव करता हूं कि संसद की बदनामी हुई है क्योंकि देशवासी यह सोचते हैं कि संसद में इसके बारे में, बिना कोई हल ढूंढ़े हर बार चर्चा होती है।

अध्यक्ष महोदय : अब हम पंजाब पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम अध्यादेश पर चर्चा कर रहे हैं।

प्रो. सैफुद्दीन सोज : चूंकि, मैं अध्यादेश पर असहमति प्रकट करने वाला संकल्प प्रस्तुत करने वालों में से एक था इसलिए मुझे इसके बारे में बोलना है।

महोदय, कल श्री सूरजभान और आज श्री रवीन्द्र वर्मा ने इस समस्या के कानूनी पहलू के सम्बन्ध में बताया। उन्होंने बताया कि सरकार के हाथ में बहुत से कानून हैं। श्री सूरजभान ने एक मजेदार बात सुनाई। एक आदमी अपने हाथ में तलवार लेकर जा रहा था और किसी ने आकर उससे मुंह पर थप्पड़ मार दिया। उसने अपना दूसरा गाल भी आगे कर दिया। उसने

फिर थप्पड़ मारा। तभी वहां पर एक तीसरा आदमी आया, उसने पूछा कि उसने उस आदमी से थप्पड़ क्यों खाया ? उसने जवाब दिया कि उसके हाथ रुके हुये हैं, क्योंकि उसके दोनों हाथों में तलवार है। यही स्थिति वर्तमान सत्ताधारी दल की है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो. आपसे अलग कहानी सुनानी चाहिये।

प्रो. सैफुद्दीन सोज : यह कथा इस स्थिति से सम्बन्धित है। वास्तव में अध्यादेश जारी करने की जल्दी नहीं थी। 4 तारीख को माननीय गृह मंत्री ने लोक सभा में एक वक्तव्य दिया और उसी दिन राष्ट्रपति ने अध्यादेश पर अपने हस्ताक्षर कर दिये, हालांकि यह 5 तारीख को प्रकाशित हुआ। इसीलिये मैं कहता हूँ कि संसद की अपमानना हुई है। मैं अनुभव करता हूं कि हमें वाद-विवाद में भाग नहीं लेना चाहिये था क्योंकि सरकार का रवैया संसद के प्रति अवमानना-पूर्ण है। कोई और कानून बनाने की जल्दी नहीं थी क्योंकि सरकार के पास पहले से ही काफी शक्तियां हैं। जब वह पंजाब (उपद्रवग्रस्त क्षेत्र) विधेयक, चण्डीगढ़ (उपद्रवग्रस्त क्षेत्र) विधेयक लाये, तो उसी समय लोगों ने महसूस किया कि वर्तमान कानून में भी पंजाब में हिंसा को दबाने की काफी गुंजायश है, किन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया। मैं जानता हूं कि इस सदन में आपका बहुमत है और आप इसे अभी पारित करवा लेंगे किन्तु मैं महसूस करता हूं कि यह सदन का अपमान है कि आप अपनी शक्ति से हर बार अध्यादेश और विधेयक पारित करवा लेते हैं और करते कुछ नहीं, आप स्थिति में सुधार नहीं करते। किन्तु आप बाजार में विश्वसनीयता नहीं खरीद सकते। आपने अपनी साख खो दी है। श्री वी. एन. तिवारी, शिक्षा और संस्कृति संबंधी संसदीय परामर्शदात्री समिति में मेरे सहयोगी थे। मैं जानता हूँ कि वह कितने भले व्यक्ति थे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जिस दिन उनकी हत्या हुई, उस रात भी मैं सो नहीं सका। अभी केवल 4 या 5 दिन पहले हां हिन्दू रक्षा समिति, चण्डीगढ़ के अध्यक्ष की हत्या कर दी गई। हर बार जब आप पंजाब में हिंसा दर्शाने वाला चार्ट बनाएंगे तो मैं बिना किसी हिचक के साबित कर सकता हूँ कि आज पंजाब में हिंसा बढ़ी है। जब से उन्होंने राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया है और अपने आपको पंजाब (उपद्रवग्रस्त क्षेत्र) विधेयक और चण्डीगढ़ (उपद्रवग्रस्त क्षेत्र) विधेयक जैसे कानूनों से सज्जित किया है, पंजाब में हिंसा भड़की है क्योंकि जो निर्णय वे यहां पर करते हैं, उन्हें कार्यान्वित नहीं करते और देश भर में संसद का मान इस हद तक घटा है कि देश भर में लोग पूछ रहे हैं कि "यह कैसी संसद है, जो हर रोज पंजाब पर चर्चा करती है।" पंजाब में हिंसा की बहुत-सी घटनाएं हो रही हैं। पंजाब जल रहा है। किसी को भी अपने जीवन का भरोसा नहीं है; जब वह सुबह अपने घर से निकलता है, तो उसे इस बात का भरोसा नहीं होता कि शाम को अपने घर लौटेगा भी या नहीं और पंजाब के बाहर लोग यह सोच रहे हैं कि यह संसद इस समस्या का हल ढूंढ़ने की स्थिति में नहीं है। सभापति महोदय, इस सीमा तक कि संसद ने देशवासियों की नजरों में अपनी गरिमा खो दी है।

प्रो. के. के. तिवारी (बक्सर) : क्या आप फासिस्ट हिंसा का समर्थन करते हैं, जो जम्मू कश्मीर में की गई है। (व्यवधान)

प्रो. सैफुद्दीन सोज : मैं हर स्थान पर हिंसा का विरोध करता हूं किन्तु जम्मू और कश्मीर देश का सर्वाधिक शान्त राज्य है।

श्री जगदीश टाईटलर : अभी कल ही किसी ने बताया कि वे कितने शान्त हैं।

(व्यवधान)

प्रो. सैफुद्दीन सोज : उस 'किसी व्यक्ति' को कोई जन-समर्थन प्राप्त नहीं है। **(व्यवधान)**। आज शून्यकाल में उन्होंने मामला उठाया 'वह गुलाम मोहम्मद शाह का समर्थन क्यों कर रहे हैं, यदि वे असतुष्ट नेता हैं ?' क्योंकि कांग्रेस (ई) जम्मू और कश्मीर में स्थिति को अस्थिर करना चाहती है। जम्मू-कश्मीर ही एक ऐसा राज्य है, जहां पर कोई महिला रात को निडर होकर घूम सकती है। क्या वह भारत में और कहीं ऐसा कर सकती है। आपको यह बात जान लेनी चाहिये कि हमारा राज्य सर्वाधिक शान्तिपूर्ण राज्य है। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय। आप कृपया समाप्त करिये। अब हम कश्मीर के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। **(व्यवधान)**

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : मुझे खुशी है कि उन्हें बताया गया है कि कलकत्ता में फारुख अब्दुल्ला के साथ क्या किया गया। **(व्यवधान)**

प्रो. सैफुद्दीन सोज : महोदय मैं बता रहा था कि उनके हाथ में काफी कानून है। वह उसे लागू नहीं कर रहे हैं।

पंजाब में प्रतिदिन जितनी भी हत्याएं होती हैं, वह रेडियो और टेलीविजन पर बताएंगे। वह कहेंगे कि हत्याएं 'अज्ञात लोग' द्वारा की गईं। क्या उन्होंने लोगों का पता लगाया है ? **(व्यवधान)** क्या उन लोगों को हिरासत में लिया गया। आपके हाथ में कितना ही कानून क्यों न हो, हरबार आप यही कहते हैं 'अज्ञात व्यक्ति'। **(व्यवधान)** जब मैं इसका विरोध करता हूं, तो केवल विरोध के लिये विरोध नहीं करता हूं, मैं ऐसा इसलिये करता हूं कि हम चाहते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : इस प्रकार से नहीं।

प्रो. सैफुद्दीन सोज : किन्तु इस प्रकार से नहीं क्योंकि इस प्रकार से वह अपने आपको सज्जित करते हैं कि वे अपना तेज खो चुके हैं। वह पंजाब में हिंसा को नियन्त्रित नहीं कर सकते।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अनुभव करता हूं कि उन्होंने अध्यादेश में से विधेयक में एक खण्ड दोहराया है। यह यहां पर भी यही है और आप सब इसे जानते हैं। यह भय व्याप्त है कि वह अपराधियों को कभी नहीं पकड़ पाएगे। हर बार वह कहेंगे 'अज्ञान लोग' इससे एक प्रकार का भाव व्याप्त हो गया है कि वे भोले भाले लोगों को पकड़ेगे। 14(क) इस प्रकार है :

> "14 क(1) इस अधिनियम में पूर्वगामी उपबन्धों में किसी बात के होते हुये भी 30 अप्रैल, 1985 के पहले किसी समय कोई व्यक्ति, जिसकी बाबत निरोध आदेश इस अधिनियम के अधीन किया गया है, सलाहकार बोर्ड की राय प्राप्त किये बिना, अपने

निरोध की तारीख से तीन मास से अधिक की, किन्तु छह मास से अनाधिक की अवधि तक विरुद्ध रखा जा सकेगा·····"

इसका मतलब कोई सूचना नहीं, किसी से कोई सलाह नहीं। किसी को भी हिरासत में लिया जा सकता है। वे उन अपराधियों को नहीं पकड़ते, जो हत्याएं करते हैं। अब तक किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तार नहीं किया जा सका। यह आशंका है कि वह इस कानून को निर्दोष लोगों पर लागू करेंगे।

मैं एक-दो बातें और कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको बताया था कि हम आपको और समय नहीं दे सकते।

प्रो. सैफुद्दीन सोज : मैं महसूस करता हूं कि इस नाजुक मौके पर प्रधान मंत्री को विपक्ष का विश्वास प्राप्त करना चाहिए क्योंकि पंजाब जल रहा हैं और यदि वे विपक्ष को विश्वास में लेते हैं, तो उन्हें समस्याओं के मसौदे पर विचार करना चाहिए और अकाली नेताओं को आमंत्रित करना चाहिए।

जहां तक पंजाब का सम्बन्ध है, दलितों, रिक्शा चालकों, टैक्सी ड्राइवरों और दिहाड़ी पर काम करने वालों की दशा खराब है। पूंजी पंजाब से बाहर जा रही है। जम्मू और कश्मीर पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। ग्राफ से पता चलता है कि पंजाब में गड़बड़ी के कारण पर्यटकों का आवागमन समाप्त हो गया है। यह तो हमारा सप्लाई मार्ग है। इसलिए, हमारे दोहरे हित जुड़े हैं। यह देश की एकता से सम्बन्धित हैं। इससे हमारी अर्थव्यवस्था और सुरक्षा को भी खतरा है। सर्दियों के मौसम में यह हमारा जीवन स्रोत है। इसलिए पंजाब के साथ हमारे दोहरे हित जुड़े हैं। हम चाहते हैं कि सरकार कोई निर्णय ले, न केवल कानून पास करे और फिर उसे लागू न कर पाए।

इससे पहले कि मैं समाप्त करूं, मैं यह अवश्य रहूंगा कि चूंकि मुझे पूरा विश्वास है कि यह इस विधेयक को अवश्य पास करवा लेंगे और मैं यह भी जानता हूं कि देशवासी यह सोचते हैं कि संसद में चर्चा से कोई हल निकलने वाला नहीं हैं, अपना भाषण समाप्त करनेके साथ मैं बाहर चला जाऊंगा और मैं विपक्ष के सदस्यों से भी अनुरोध करूंगा कि यह बाहर चलें जाए क्योंकि हम कभी भी यह शब्द नहीं सुनना चाहेंगे विधेयक का समर्थन करने वालों की विजय हुई। वे ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वह देशवासियों को यह आश्वासन दिये बिना भी यह इसे लागू कर पाएंगे, वह इसे परित कर रहे हैं

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चन्द्रजीत यादव

प्रो. सैफुद्दीन सोज: मैं मंत्री महोदय को सुनूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने न जाने का निर्णय किया है मैंने उनसे यहां उपस्थित रहने का अनुरोध किया है।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) यह राष्ट्रीय सुरक्षा (संशोधन) विधेयक इसलिए लाया गया है कि सरकार यह अनुभव करती है कि पंजाब और चण्डीगढ़ अशान्त क्षेत्र में उग्रवादियों की गति विधियां चिन्ता का विषय है और वह महसूस करती है कि यह विधेयक उन्हें इन गति-विधियों को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त शक्तियां प्रदान करेगा। यदि ऐसा है, तो हमें इस विशेष स्थिति पर कोई आपत्ति नहीं है, यद्यपि सिद्धान्त रूप में हमने तथा प्रत्येक ने हमेशा ही यह माना है कि बिना उचित मुकदमे से किसी को भी नजरबन्द नहीं किया जाएगा क्योंकि यह अमानवीय है। यह सभी सिद्धान्तों के विरूद्ध है। किन्तु शायद देश में एक ऐसी स्थिति है, जहां एक प्रकार का आतंक व्याप्त हैं और सरकार विशेष शक्तियां प्राप्त करना चाहती है। मैं सरकार से अनुरोध करुंगा कि वह शान्ति पूर्वक विचार करे कि क्या उसके पास शक्तियों की कमी है और वह स्थित पर काबू पाने में सक्षम नहीं हैं ?वास्तव में सरकार के पास आज इतनी शक्तियां है जितनी उनके लिए आवश्यक हैं। उनके पास शक्तियों की कोई कमी नहीं है। स्थिति प्रतिदिन बदसे बहतर होती जा रही है। आज भी जब हम चर्चा कर रहे हैं, तो शक्तियां आपके पास पहले से ही विद्यमान हैं। आपने यह आदेश द्वारा प्राप्त कर लीं है।

6.35 म. प.

(डा. राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी पीठासीन हुई)

परन्तु अध्यादेश जारी होने के बाद क्या हुआ है ? भारतीय वायु सेना के एक अधिकारी की भी हत्या कर दी गई। यहां तक की सीमा सुरक्षा बल से सबद्ध लोग भी मारे गये। आम जनता की बात क्या पंजाब पुलिस के कर्मचारी मारे गये। उसके बाद रेलवे स्टेशन जला दिये गये।

इसलिए, सरकार को इस बात पर गभीरता से सोचना चाहिये कि क्या कमजोरियां रहती हैं।

मैं इस विधेयक का केवल इस दृष्टिकोण से विरोध कर रहा हूँ कि यद्यपि आप को इस विधेयक के माध्यम से कुछ असाधारण शक्तियां प्राप्त हो जायेगी, तथापि इस से आपको पर्याप्त सक्षमता प्राप्त नहीं होगी क्योंकि कुलआर्य कमजोरियां है जिन के बारे में आप को विचार करना चाहिये

ये कमजोरियां क्या हैं ? लिए गये निर्णयों को कौन कार्यान्वित करेंगा ? क्या पंजाब पुलिस और प्रशासन इन निर्णयों को कार्यान्वित करेगे ?

एक स्थिति में सरकार ने सोचा था कि शायद कोई लोकप्रिय सरकार स्थिति की देख-भाल करने में समर्थ नहीं है। इसलिए उन्होंने अपने ही मुख्य मंत्री को हटा दिया। परन्तु मुराय मंत्री के हटाये जाने के सात महीने से अधिक समय से पहले ही स्थिति बहतर हो गई। मुख्य मंत्री के हटाये जाने के बाद भी स्थिति और अधिक खराब होती गई। एक राज्य पाल भेजा गया। इसे भी राज्य सरकार से विचार-विमर्श किये बिना चुना गया था शायद, यह सोचा

गया था कि वह एक अनुभवी, सरकारी अधिकारी है और वह देखभाल करने में समर्थ होगा उसके क्या परिमाण निकले ? क्या इससे आपको कुछ मदद मिली ? एक व्यक्ति को पंजाब पुलिस का महानिरीक्षक नियुक्त किया गया, जो किसी अन्य काडर का था और कनिष्ठ, व्यक्ति था तथा इससे कई अन्य व्यक्तियों का अधिक्रमण और तैनात किया गया । उनको पता था कि इसका का विरोध होगा । इस विरोध से बचने के लिए पंजाब में पुलिस के तीन अधिकारी को महानिरीक्षक के रुप में नियुक्त किया गया । क्या वे स्थिति को सम्भाल सके ? नहीं। इसलिये, मैं कहता हूं कि आप को वर्तमान स्थिति की वास्तविकता को अवश्य देखना चाहिये। वर्तमान पुलिस प्रशासन में गुटबन्दी है । पंजाब पुलिस में इस तरह की गुटबन्दी के कारण। कर्मचारियों का मनोबल गिरने लगा है। ये अधिकारी अपने पुलिस जिलों में अपने अधिकारियों को कहते हैं "यह देखो, एक आदमी को हमारे सिर मढ़ दिया गया है। देखेंगे वह किस प्रकार स्थिति से नियंत्रित करना है।" इस प्रकार सिद्धांत कार्यवाही से कोई सहायता नहीं मिलती ।

यह सरकार के लिये एक सबक है । यदि कोई कार्यवाही करना चाहते हैं; तो उन्हें नियमों और विनियमों तथा सेवाओं के आचरण के विपरीत कुछ नहीं करना चाहिये ।

पंजाब पुलिस में ऐसे तत्व हैं जो इस आन्दोलन में उग्रवादियों के प्रति पूरी सहानुभूति रखतेहैं। क्या सरकार ऐसे लोगों का पता लगा सकी ? यह बात समाचार पत्रों में प्रति दिन आ रही है। किसी जिले के एक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, कुछ पुलिस निरीक्षकों और कुछ अन्य अधिकारियों को उग्रवादियों से साठगांठ रखे हुये पाया गया। क्या सरकार इन लोगों का पता लगा पाई ? वह उनका पता कैसे लगायेगी ?

मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि इस देश का खुफिया विभाग पूरी तरह विफल रही और वह हमारे हम सोमवर्ती राज्य म मनोबल हीनता की विकट भावना पैदा कर रहाहै ।है वह सीमा अत्यंत सक्रिय सीमा है जहां विदेशी ताकतें स्थिति का पूरा लाभ उठा रही हैं। वे देश के उस भाग में स्थिति को बिगाड़ना चाहती हैं।

पंजाब में गुप्तचर विभाग की कार्यवाही इतनी खराब रही है कि सरकार को इस बात का भी पता नहीं लगा सका कि 35 रेल स्टेशनों को रातों रात या तो जला देने या क्षति पहुंचाने की ऐसी एक योजना चल रही है । पंजाब में गुप्तचर विभाग को इसका जरा सा सुराग नहीं मिला ।

प्रतिदिन, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान हथियार भेज रहा है और उन्हें प्रशिक्षण दे रहा है तथा पाकिस्तान पंजाब में ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है । ऐसा कहकर आप केवल अपनी ही कमजोरियां प्रकट कर रहे हैं । आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि पाकिस्तान पंजाब में यह सब कर रहा है ? आप ? जनता को क्या जवाब देने जा रहे हैं ? आप जनता को इस के बारे में किस प्रकार समझा रहे हैं आप जनता के समक्ष इन कार्यवर्ग घटनाओं के लिये अपनी अनभिज्ञता की तर्क रखेंगे ? कुछ लोगों को प्रशिक्षित किया जा रहा है और उन्हें गुप्त रूप से पंजाब में भेजा जा रहा है का मतलब है कि यह एक अत्यंत गंभीर मामला है ।

इसलिये, मैं कहता हूं कि इस तरह के प्रशासनिक उपाय और नीति से पंजाब समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। हम सभी इस समस्या के संबंध में बहुत चिंतित हैं। श्री आर. एस. सुरजीत ने कहा है कि इसकी जिम्मेदारी विपक्षी दलों पर है और विपक्षी दलों को त्रिपक्षीय वार्ता के लिये पहल करनी चाहिये, "मैंने पूछा "क्यों' तब उन्होंने कहा—

यह विपक्षी दलों का देश भक्ति पूर्ण कर्तव्य है क्योंकि यह एक राष्ट्रीय समस्या है। क्या हमने अपना देशभक्ति पूर्ण कर्तव्य नहीं निभाया है ? क्या इसी सभा में गृह मन्त्री महोदय ने कई बार नहीं कहा है कि विपक्षी दलों की पहले से त्रिपक्षीय बैठक बुलाई गई थी। हमने प्रधान मन्त्री से अनुरोध किया था। गृह मंत्री ने बताया है कि क्यों कि यह एक राष्ट्रीय समस्या है, इसलिये, सरकार, विपक्षी दलों और आन्दोलन के नेताओं को एक साथ बैठ कर इसका समाधान ढूंढ़ना चाहिये। हमने अपना देश भक्ति पूर्ण कर्तव्य निभाया और मामलों को सुधारा। हम मामलों को यहां तक लाये कि मांगों की संख्या 45 से घटकर 10 या 12 तक आ गई। एक या दो छोटी मोटी बातों को छोड़कर लगभग सभी मामले सुलझ गये थे। गृहमंत्री ने वास्तव में विपक्षी दलों के प्रति अपना आभार प्रकट किया था और उन्होंने कहा था कि उन्हीं (विपक्ष) के कारण यह विवाद कम हो सका। क्या हमने अपना देशभक्ति पूर्ण कर्तव्य नहीं निभाया है ?

दूसरी त्रिपक्षीय बैठक की पहल विपक्ष की ओर से न हो कर प्रधान मंत्री की ओर से हुई थी और प्रधान मन्त्री ने विपक्षी नेताओं को आमंत्रित किया था। क्या हमने जवाब नहीं दिया। हम प्रधान मन्त्री की बैठक में गये थे। प्रधान मन्त्री ने कहा कि एक त्रिपक्षीय बैठक फिर आयोजित की जायेगी और हमने हां भरी तथा हमने सहयोग दिया और त्रिपक्षीय बैठक आयोजित की गई। दुर्भाग्य वश वहां कुछ घटनाएं हुई। इसलिये, स्थिति बराबर हो गई। मैं यह सब प्रशंसा पाने केलिये नहीं कह रहा हूँ और मै राष्ट्रीय हित को नजर अन्दाज करके राजनीतिक लाभ उठाने के लिये यह सब नहीं कह रहा हूं। यदि किसी तरह की निन्दा की जाती है, तो सत्ताधारी दल की निन्दा की जानी चाहिये। मैं तो शुरू से ही यह कहता आ रहा हूं कि प्रमुख राष्ट्रीय मामलों, लोगों के मामलों, जल चण्डीगढ़, सीमाक्षेत्र आदि से सम्बन्ध मामलों पर पहले ही निर्णय लिया जाना चाहिये था। उन पर तो निर्णय नहीं लिया गया पर धार्मिक मांगें अति महत्वपूर्ण बन गई। प्रधान मन्त्री ने संसद में, प्रेस सम्मेलन में किसी विज्ञप्ति में अथवा उन नेताओं को बुला कर और उन्हें बना कर घोषणा कर ने के बजाय, गुरुद्वारा में जाकर घोषणा करना उचित समझा। यदि उन्होंने प्रशंसा प्राप्त करनी चाही थी तो ठीक है बहुत अच्छा है। यही तो कारण है कि अब आप लोग भुगत रहे हैं। केवल आप ही नहीं समूचा देश भुगत रहा है आज का प्रश्न यह है कि समूचा देश चिन्तित है। महोदय, सिख और हिन्दू साथ-साथ भाई-भाई की तरह रहते आये हैं। परन्तु, जो चीज आज परेशान कर रही है, वह है सन्देह का वातावरण, जो अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है। पहले बड़े पैमाने पर नुकसान हो चुका है और उसे भरना है। यद्यपि यदि आप कोई समाधान देख लेते हैं, तो भी उसमें समय लगेगा। परन्तु जो कुछ भी नुकसान हुआ है, उसे अवश्य ही पूरा करना पड़ेगा। इसके लिए मैं सुझाव दूंगा कि अब समय आ गया है कि कुछ उपाय किये जाय। फिर भी, मैं कहूँगा कि पंजाब का

सिख समुदाय हमारी बधाई के पात्र है। पन्जाब के सिख समुदाय को बधाई देने में मुझे कोई दुविधा नहीं हैं वह अभी तक इसमें अन्तर्ग्रस्त नहीं है। यदि कोई विफलता है; तो वह प्रशासन की ओर से ही है। वे पंजाब में उग्रवादियों और हिंसक तत्वों से प्रभावी रूप से निपटने में समर्थ नहीं हो पाये। परन्तु सिख समुदाय हजारों में बाहर नहीं आया। वह मंदिरों, हिन्दू मुहल्लों और गांवों में नहीं गया और उन्हें नहीं जलाया। ऐसा नहीं हुआ है। यह एक बहुत अच्छा संकेत है और बहुत अच्छा लक्षण है तथा मैं समझता हूं कि ऐसे रुख को मजबूद बनाया जाये और प्रोत्साहित किया जाये। लगता है कि प्रधान मंत्री चिन्तित हैं और वह ठीक भी है क्योंकि स्थिति उनके हाथों से निकल गई है। प्रधान मंत्री के रूप में, देश के नेता के रूप में अथवा किसी पार्टी के नेता के रूप, जो कुछ भी हों उन्हें शांत रूप से इस मामले पर विचार करना चाहिए। मेरी राय में, प्रधान मन्त्री आगे आये और संत लोंगोंवाल श्री प्रकाश सिंह बादल, श्री बरनाला तथा अन्य नेताओं सहित अकाली दल के मध्यम मार्गी नेताओं को आमंत्रित करें। उन्हें उन नेताओं के साथ उग्रवादियों अथवा धर्माधों के साथ जैसा बर्ताव नहीं करना चाहिये। अकाली दल कुछ धार्मिक और उस प्रकार के बुनियादी मामलों पर आधारित एक पार्टी हो सकता है। फिर भी वे खालीस्थान के पक्ष में नहीं हैं और वे भारत विरोधी नहीं हैं। मेरी अपनी उपस्थिति में संत लोंगोवाल ने एक प्रेस सम्मेलन में बताया है कि जो कोई भी खालिस्तान की मांग करता है। अकाली दल का उससे कोई सम्बन्ध नहीं है। यह एक राष्ट्र-विरोधी मांग है। मैं स्वयं उस प्रेस सम्मेलना का एक गवाह हूँ। मैं फिर जोर देता हूँ कि श्री प्रकाश सिंह बादल, श्री बरनाला, श्री बलवंन्त सिंह जैसे अकाली नेता और कई अन्य लोग हमारे जैसे देशवक्त भारतीय हैं। उनका अपना निजी दृष्टिकोण है।

यह हो सकता है कि उनका अपना राजनीतिक दृष्टिकोण हो। इसलिए उन्हें इसके अन्तर्गत लाना चाहिए और पहल की जानी चाहिये। यदि उनके साथ बात करने से कोई समाधान निकल आता है तो बहुत अच्छी बात है; यदि नहीं निकलता है तो फिर भारत सरकार को एकतरफा निर्णय लेना चाहिए।

चण्डीगढ़ का प्रश्न, क्षेत्र अन्तरण का प्रश्न, पंजाब और हरियाणा के बीच समझौता, नहर का मामला, इन बातों को अनिश्चित काल के लिए नहीं लटकाया जा सकता; इन मसलों के लटकते रहने से भारी नुकसान होगा। इसलिए पूरे देश को जानना चाहिए कि क्या गलत है और क्या सही है। यदि वे इससे सहमत हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है; यदि वे सहमत नहीं होते हैं तो आप जाइए और इसके लिये जनमत तैयार करिए। यदि प्रधान मत्री पहल करना उचित समझती हैं तो उन्हें करने दीजिये क्योंकि सरकारी खर्चे के कारण आज हमारे पहल करने का कोई अर्थ नहीं है। यदि सरकार यह समझती है कि विपक्ष उनके लिए कुछ सहायक होगा, तो हम उनके साथ सहयोग करने को तैयार हैं क्योंकि हम ऐसा समझते हैं कि यह एक राष्ट्रीय मुद्रा है। परन्तु यदि वे हमारी बात नहीं सुनते तथा यदि सरकार और विपक्ष के बीच कोई सहमति हो जाती है तो सरकार और विपक्ष दोनों मिलकर स्थिति का सामना कर सकते हैं। मैं यह केवल इसलिए कह रहा हूं कि जब प्रधान मंत्री ने कुछ दिन पूर्व मंत्री में इसके

बारे में कहा तो श्री शर्मा और कई अन्य लोग भी इस बारे में कह रहे थे तथा गृह मंत्री ने अभी-अभी सदन में भी इसके बारे में कहा है। यह कोई गोपनीय बात नहीं है। इसमें विदेशी हाथ हैं; और यदि विदेशी हाथ हैं तो फिर तो आपको और भी अधिक सर्तक रहना पड़ेगा और घर की बातों पर ध्यान देना चाहिए। आपको यह देखना होगा कि आंतरिक स्थिति अराजकता का रूप न ले ले और अस्थिरता की स्थिति न व्याप्त हो जाये

विदेश मंत्री ने कल कहा कि आज भारत के चारो ओर प्रतिकूल स्थिति है। मैं कहता हूं कि प्रतिकूल ही नहीं बल्कि यह कहिए कि शत्रुता रखने वाले तत्व हैं, शत्रुता रखने वाला देश है। हमें इस बात पर गहराई से सोचना चाहिए कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है। केवल यह कहने से, कि एक विदेशी देश, संयुक्त राष्ट्र अमरीका इसके लिए जिम्मेदार है और वही यह सब करा रहा है, समस्या का समाधान नहीं होगा। संयुक्त राष्ट्र अमरीका भारत को मजबूत देखकर खुश नही है। वह तब से खुश नही है जबसे भारत गुट-निरपेक्ष देशों का अध्यक्ष बना है; वह खुश नहीं है क्योंकि हमारी एक शानदार परम्परा है। भारत की जनता और सरकार, दोनों को अमरीका की पूरे विश्व में साम्राज्यवादी और हस्तक्षेप की नीति के विरोध में आवाज उठानी चाहिये। परन्तु क्या हम अपने देश के भीतर इस प्रकार की अस्थिरता और अराजकता की स्थिति पैदा करके उनके लिए अनुकूल वातावरण बनाये जा रहे हैं। यह खतरनाक है। इसलिए आज इस बात का और भी अधिक महत्व है कि हमें यह देखना चाहिये कि हम अपनी समस्याओं का निपटारा अपने देश के भीतर ही कर लें क्योंकि ये जनता की समस्याए हैं। आखिरकार, पानी की समस्याएं या चण्डीगढ़ की समस्या, या कुछ गांवों के इधर या उधर होने की समस्या, सीधे जनता की समस्याएं हैं। परन्तु मेरी वेदना यह है कि सरकार ने लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए कदम उठाने की बजाए, यह बात उचित समझी—शायद कुछ लोगों ने सरकार को यह गलत सलाह दी और हो सकता है सरकार का यह अपना दृष्टिकोण हो, कि यह एक धार्मिक आंदोलन है और यह सोचकर इसका समाधान करने का प्रयास किया कि यह आंदोलन समाप्त हो जायेगा; परन्तु यह बढ़ रहा है और उग्रवादी तत्व इसका लाभ उठा रहे हैं।

उस पक्ष के कई लोग यह कहते रहे हैं कि आप उग्रवादियों की गतिविधियों की निन्दा क्यों नहीं करते; आप भिंडरावाले की निन्दा क्यों नही करते ? मेरा विचार है कि वह ऐसा अज्ञानतावश कह रहे हैं। राजनीतिक दलों ने और विपक्ष ने कई बार सामुहिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से पंजाब में हिंसा की निन्दा की है। यह विपक्ष ही है जिसने भिंडरावाले और उसके सहयोगियों के विरुद्ध इस प्रकार की हिंसक गतिविधियों में लिप्त होने के कारण वास्तव में कठोर कार्यवाई करने की मांग की है। हमने इसके बारे में कहा है, परन्तु हमारा कहना काफी नही है। हम आपको केवल अपना नैतिक समर्थन दे सकते हैं। इस सब के बावजूद भी यदि आप कार्यवाई नही करते हैं तो फिर इसके लिये कौन जिम्मेदार है। इसलिये मैं यह कह रहा हूँ कि हमें दोनों तरफ से कोई राजनीतिक हल निकालने का प्रयास करना चाहिये, जैसा कि मेरे सहयोगी श्री रवीन्द्र वर्मा ने कहा है और हम कहते रहे हैं। कोई राजनीतिक हल खोजिये। यदि वे नहीं मानते हैं तो आप एकतरफा घोषणा कर दीजिये और फिर जनता के सामने जाकर

लोगों को समझाइए कि 'देखिये यह उचित बात थी जो हमने की है और उन्हें इसे समझना चाहिए'। ऐसा करने के बाद कड़ाई से काम लीजिये और उग्रवादी तत्वों के साथ सख्ती से निपटिए। परन्तु प्रश्न यह है कि आप उनसे निपट नहीं सकते। लोग दिन-दहाड़े आते हैं, बाजार में आते हैं चौक और विश्वविद्यालय में आते हैं और यहां तक कि निजी मकानों में घुसते हैं, हत्या करते हैं और भाग जाते हैं। उन्हें कोई नहीं पकड़ पाता। और इस प्रकार की घटनाओं से मनोबल गिर रहा है। इसलिए, पंजाब प्रशासन को सुदृढ़ बनाने के लिए जो कुछ भी आवश्यक है, वह करिए। हमने सोचा था कि वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू करने के बाद और अपने हाथ में शक्ति लेने के बाद शायद आप इस स्थिति से प्रभावपूर्ण ढंग से निपट सकेंगे। परन्तु आपने प्रभावपूर्ण ढंग से कार्यवाही नहीं की। हमारा यह आरोप है। इस समय सरकार या हमें ऐसा प्रतीत होता है कि पंजाब में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है और लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया है कि पंजाब में कोई सरकार नहीं है। आगे क्या होगा ? स्वर्ण मंदिर के भीतर भी लोगों को मारा जा रहा है। क्या इस बात की कोई जांच की जाती है ? क्या कोई पुलिस अधिकारी स्वर्ण मंदिर के भीतर जाने की हिम्मत कर सकता है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, इलेक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : आप हत्यारों को दोष क्यों नहीं देते ?

श्री चन्द्रजीत यादव : हम हत्यारों को दोष दे रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ ? मैं और क्या कह रहा हूं ?

श्री शिवराज वी. पाटिल : आप सरकार को दोष दे रहे हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव : मैं सरकार को दोष दे रहा हूं क्योंकि सरकार हत्यारों के विरुद्ध कुछ नहीं कर रही है।

श्री शिवराज वी. पाटिल : आप इस तरह से समस्या हल नही कर सकते।

श्री चन्द्रजीत यादव : श्री शिवराज पाटिल आप अपने तरीके से इसे हल कर दीजिए। आप इसे देख रहे हैं।

श्री शिवराज पाटिल : आप यह बात मानते हैं कि वे विदेशी सहायता ले रहे हैं। आप उनकी आलोचना नहीं करते।

श्री चन्द्रजीत यादव : अध्यक्ष महोदय, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे के लिए वास्तव में इस प्रकार का दृष्टिकोण ही जिम्मेदार है।

श्री शिवराज वी. पाटिल : कैसे ? क्या हत्यारों की आलोचना करना राष्ट्र के लिए खतरनाक है ?

श्री चन्द्रजीत यादव : ठीक है, यदि आप समझने से इन्कार करते हैं तो मैं आप के साथ बहस नहीं करना चाहता हूं। श्री पाटिल, आप मेरे अच्छे मित्र हैं। परन्तु यह...(**व्यवधान**)

श्री शिवराज वी. पाटिल : इससे समस्या हल नहीं होती। इससे समस्याएं पैदा होती हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव : यदि आप ऐसा सोचते हैं कि आलोचना असहनीय है तो मैं आपके साथ बहस नहीं करता। यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो मैं बैठ जाता हूं और आपकी बात सुनना चाहता हूं मैं एक मंत्री से यह अपेक्षा नहीं करता कि वह इस प्रकार मेरी बात में व्यवधान डालते रहें। यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो कह दीजिए।

श्री शिवराज वी० पाटिल : मेरे माननीय मित्र बैठ गये है। और मैं यह कहना चाहूंगा कि वह कहते हैं कि निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। वे यह कहते हैं कि विदेशी सहायता प्राप्त हुई है। और वह उनके विरुद्ध कुछ नहीं कहते। वह केवल सरकार की आलोचना कर रहे हैं और वह चाहते हैं कि समस्या हल की जाए।

6 53 अ.प.

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात अब समाप्त करिये।

श्री चन्द्रजीत यादव : उनका दिमाग कहीं और है। मेरे ख्याल से शायद वे सुन नहीं रहे थे।

श्री शिवराज वी. पाटिल : हम देख सकते हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव : मैं आपको अपने भाषण की एक प्रति भेजूंगा ताकि आप अपना ज्ञानवर्धन कर सकें।

श्री शिवराज पाटिल : कार्यवाही वृतांत उपलब्ध है। हम उसमें देख सकते हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव : उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं अपना भाषण समाप्त कर रहा हूँ—मैं, यह कह रहा हूं कि पंजाब की स्थिति के बारे में आज केवल सरकार ही चिन्तित नहीं है बल्कि सारे राष्ट्र को इस स्थिति के बारे में भारी चिन्ता है और इसीलिए मैं पुनः यह दोहराऊंगा और पूरा जोर देकर कहूँगा कि सरकार को राजनीतिक हल खोजना चाहिये और साथ-साथ सरकार को अपना प्रशासन चुस्त बनाना चाहिए तथा हत्यारों और हिंसक गतिविधियों में लिप्त लोगों के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से निपटना चाहिए तथा पंजाब में सिक्ख और हिन्दू समुदाय के बीच और पूरे देश में भी इन समुदायों के बीच पुनः विश्वास पैदा करना चाहिए तथा ऐसे तत्वों को कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाना चाहिये जो इस प्रकार के अवसरों की राह देख रहे हैं। इन शब्दों के साथ ही मैं यह आशा करता हूं कि सरकार कार्रवाई करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मन्त्री महोदय उत्तर देंगे।

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : मैं उन सभी माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया है तथा श्री सूरज भान का और भी अधिक आभारी हूँ जिन्होंने यह सांविधिक संकल्प प्रस्तुत किया है।

शुरू में तो मैं माननीय सभा को यह सूचित कर देना चाहता हूं कि सरकार संसद के प्रति कोई अनादर का भाव नहीं रखती। हमारी प्रधान मंत्री और सरकार संसद का बहुत आदर करती हैं। हम जो कुछ भी करते हैं उस समय हम संसदीय गरिमा और सभा की प्रभु-सत्ता को निश्चित रूप से ध्यान में रखते हैं।

प्रधान मंत्री ने आज प्रात: जो कुछ कहा है उसे अध्यक्ष को लिखे एक पत्र के द्वारा स्पष्ट किया गया है। सरकार अकाली नेता से बातचीत करने की सदा इच्छुक रही है। प्रधान मंत्री ने और इस सभा में गृह मंत्री ने बार-बार यह बात दोहराई है।

ऐसी स्थिति में पंजाब के लोगों के प्रति नतमस्तक होना चाहूंगा क्योंकि गंभीर रूप से कड़काने के बावजूद उन्होंने साम्प्रदायिक सद्भाव बनाए रखा है।

इस विधेयक का विरोध करने के लिए माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों से मैं इस बारे में अब और भी संतुष्ट हो गया हूँ कि यह विधेयक आवश्यक है। ऐसे लोगों को संतुष्ट करना बहुत कठिन है, जो संतुष्ट नहीं होना चाहते हैं। पंजाब और चंडीगढ़ में हत्याओं आदि के सम्बन्ध में वर्तमान विस्फोटक स्थिति के बारे में उन्होंने जो भी तर्क दिए हैं उनसे मेरा यह विश्वास और भी पक्का हो गया है कि पंजाब में विस्फोटक स्थिति को नियंत्रित करने के लिए इस प्रकार का अधिनियम आवश्यक है।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा विचार है कि उन्होंने आपके हाथ मजबूत किए हैं।

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : जी हाँ। श्री सूरज भान संसद के एक बहुत ही विनीत और सौम्य सदस्य हैं। (**व्यवधान**) मैंने जानबूझ कर 'विनीत' शब्द का प्रयोग किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप कारण जानते हैं। श्री सूरज भान ने और मैंने, दोनों ने कुछ समय के लिए डाक-विभाग में कार्य किया है।

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : डाक विभाग में बहुत धैर्य और साहस की आवश्यकता होती है। अनेक ग्राहकों की आवश्यकताएं पूरी करने वाला डाक कर्मचारी धैर्य और साहस की प्रति-मूर्ति है।

श्री सूरज भान ने केवल उस तरीके का विरोध किया है जिस तरीके से यह अध्यादेश लागू किया गया है।

श्री सूरज भान : मैंने मूल अधिनियम का भी विरोध किया है।

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : मूल अधिनियम के बारे में केवल हल्की सी आलोचना की गई

है। उनकी सारी आलोचना उस विधि के बारे में की गई थी जिस विधि से यह अध्यादेश लागू किया गया है। इस बारे में मैं यह कहना चाहूँगा कि अध्यादेश लागू करने में कोई सांविधिक अनौचित्य नहीं है। यह संविधान के प्रावधानों के अनुसार किया गया है। उन्होंने उस विधि का भी उल्लेख किया है जिस विधि से अध्यादेश लागू किया गया है और यह भी कहा है कि जब इसे लागू किया जा रहा था तो इसे सभा के ध्यान में नहीं लाया गया। मैं माननीय सभा को यह बताना चाहूंगा कि 'लागू करना' शब्द का अर्थ है लोगों को इसकी जानकारी देना। जनता को अध्यादेश जारी करने की सूचना भारत के राजपत्र में इसके प्रकाशन द्वारा ही दी जाती है, यह उस प्रकार नहीं है जैसे कि राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत विधेयक उसी तारीख को लागू हो जाते हैं, जिस तारीख को राष्ट्रपति ने स्वीकृति दी हो। अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत एक अध्यादेश किसी भी क्षण इसके प्रख्यापित होने के समय से ही लागू माना जाता है, चाहे राष्ट्रपति द्वारा इस पर किसी समय हस्ताक्षर किए गए हों। अत: जहां तक अध्यादेश का सम्बन्ध है, इस बारे में यही सांविधानिक स्थिति है। मेरे माननीय मित्र को इस पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

7.00 म.प.

सांविधानिक अनुपयुक्तता के बारे में मैं माननीय सदस्यों को यह सूचित करना चाहता हूं कि निवारक नजरबन्दी सम्बन्धी कानून संविधान के लागू होने के समय से ही भारतीय सांविधिक पुस्तक में लगातार रहा है। अनुच्छेद 22 के उपबन्ध के अनुसरण में दिनांक 25 फरवरी, 1950 को निवारक नजरबन्दी अधिनियम, 1950 लागू किया गया। अत: इस अध्यादेश को प्रख्यापित करने के सम्बन्ध में सरकार के लिए कोई सांविधानिक अनुपयुक्तता नहीं है।

मेरे माननीय मित्र श्री रवीन्द्र वर्मा तथा कुछ अन्य मित्रों ने इस अध्यादेश के प्रख्यापन के सम्बन्ध में आपत्ति की हैं और उन्होंने यह भी कहा है कि यह नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन है। इस बारे में मैं केवल श्री ए. के. राय के मामले में उच्चतम न्यायालय के हाल के फैसले का हवाला देता हूं। मैं केवल सम्बद्ध भाग का ही उद्धरण दूंगा। फैसला सुनाते समय, माननीय न्यायाधीशों ने निम्नलिखित शब्दों में अपना निष्कर्ष दिया :

> "लेकिन किसी व्यक्ति-विशेष की स्वतन्त्रता जनता की भलाई की उपयुक्त सीमा के अधीनस्त होती है। इसलिए, जनहित में कार्य करते हुए संविधान सभा ने निवारक नजरबन्दी के कानून पारित करने के लिए अनुच्छेद 246 द्वारा संसद और राज्य विधान-मंडल को प्राधिकृत करते हुए सूची एक की प्रविष्टि 9 और सूची 3 की प्रविष्टि 3 में उपबन्ध बनाये। इस पृष्ठभूमि को देखते हुए तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि संविधान में मूलत: यह संकल्पना की गई थी और पारित किया गया था कि लोगों की आजादी को कम करने के एक अनुमत उपाय के रूप में निवारक नजरबन्दी को मान्यता दी जाती है, यद्यपि यह भाग तीन द्वारा आरोपित सीमाओं के सशर्त हो।"

एक अन्य महत्वपूर्ण मामला उन्होंने यह उठाया है कि यह अध्यादेश अथवा यह विधेयक

सरकार को क्रूर शक्ति सौंपता है। यह अध्यादेश केवल पंजाब और चण्डीगढ़ तक सीमित है। मैं यह कह सकता हूँ कि इसका मात्र एक सीमित सीमा-क्षेत्र है। छः महीने से अनाधिक अवधि तक, जिस दौरान सलाहकार बोर्ड की राय प्राप्त करनी होती है, किसी व्यक्ति की नजरबन्दी, निस्सन्देह पहले से कहीं अधिक है, लेकिन यह उपबन्ध केवल कुछेक मामलों में लागू होता है न कि उन सब मामलों में, जिनमें मूल राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लागू है। ये ऐसे मामले हैं जिनमें किसी व्यक्ति को भारत की सुरक्षा राज्य की सुरक्षा या जन-व्यवस्था बनाये रखने के सम्बन्ध में अथवा लोगों के लिए आवश्यक पूर्ति और सेवा बनाये रखने के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार उत्पन्न करने से रोकना जरूरी हो।

अतः यह संशोधन केवल उन्हीं क्षेत्रों के लिए लागू हो सकता है, जो अशान्त घोषित किए गए हों और यदि पजाब और चन्डीगढ़ में इस हद तक स्थिति सामान्य हो जाती है कि ये अशान्त क्षेत्र अधिसूचित नही रहते, तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में किया गया संशोधन भी लागू नहीं रहेगा।

इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन का केवल एक सीमित प्रयोजन है, जो यह है कि पंजाब में कानून और व्यवस्था वर्तमान स्थिति को नियंत्रित करने के लिए यह अन्य उपायों का सहयोगी हो।

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का ही यदा-कदा प्रयोग हुआ है और राजनीतिक विरोधियों के विरुद्ध तो कभी नहीं हुआ है। विशेष रूप से पंजाब में ही, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लागू होने के समय से लगभग 54 व्यक्तियों को नजरबन्द किया गया है। जो अधिकारी इसे कार्यान्वित कर रहे थे, वे उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का अन्धाधुन्ध प्रयोग न करने की सरकार की हिदायत थी। चूंकि हिंसा और आतंक की लहर के कारण स्थिति गम्भीर बन गई थी ऐसे में वे अधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के संशोधित उपबन्ध का उचित प्रयोग करने में समर्थ रहे और अध्यादेश के प्रख्यापन के बाद अब 38 व्यक्तियों को नजरबन्द किया गया है।

मैं यह पहले ही बता चुका हूं कि अनेक बार माननीय सदस्यों ने यह मांग की है कि सरकार द्वारा कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए। कुछ सदस्यों का यह रवैया कि "यदि ऐसा है, तो क्या ऐसा है, यदि नहीं, तो क्यों नहीं" सरकार के लिए अजीब स्थिति पैदा कर देगा। यदि हम कोई अति कठोर कार्यवाही करना चाहते हैं, तो वे कहते हैं "क्यों" और यदि हम कोई ऐसी कार्यवाही नहीं करते, तो वे कहते हैं "क्यों नहीं।" पेशोपश की ऐसी स्थिति में हमें डाल दिया गया है। सरकार ने यह कार्यवाही क्यों की, मैं इसके कारणों का ब्योरा दूँगा। क्या मैं आपको यह बताऊं कि सरकार यह कार्यवाही करने लिए क्यों बाध्य हुई। कुछ उग्रवादियो और आतंकवादियों की गतिविधियों के कारण पंजाब और चन्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र की स्थिति बिगड़ गई है। ऐसी हालत में उन तत्वों की गतिविधियों की रोकथाम करने में प्रशासन को भारी कठिनाई महसूस हो रही थी, जो इस क्षेत्र में हिंसा फैला रहे हैं और हत्यायें कर रहे हैं। वर्तमान स्थिति में मामलों का पता लगाने और जांच करने में भी दिक्कत हो रही है, क्योंकि आतंकवादियों की कार्यवाही के डर से लोग साक्ष्य देने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। पूछताछ

और गवाहियों से सम्बद्ध कुछ हत्यायें भी की गई हैं। उन मामलों में भी, जिनमें गिरफ्तारियां की गई, वे लोग जमानत पर छूटने में समर्थ रहे। तथ्य यह है कि राज्य सरकार भारी संख्या में मामले सफलता पूर्वक अदालत में नहीं लड़ सकी और इसी प्रकार के कुछ कारणों से साक्षी अपने पूर्व ध्यानों से मुकर गए, तो ऐसी हालत में निवारक नजरबन्दी सबसे बढ़िया उपाय है। दिनांक 1-8-1981 से 31-3-1984 तक 893 मामले दर्ज किए गए और 882 मुजरिम गिरफ्तार किए गये। इनमें से केवल आठ मामलों में ही अभियुक्त को न्यायालयों द्वारा दण्ड दिया गया। अनेक मामलों में कानूनी कार्यवाही लम्बे समय तक चलती रही और कुछ मामलों में अभियुक्तों की जमानत हो गई। पंजाब में यह स्थिति चल रही है। इसलिये वर्तमान स्थिति को मद्देनजर रखते हुए हमने इस अधिनियम में संशोधन करने का विचार किया और इस स्थिति को मुकाबला करने के लिए अध्यादेश को प्रख्यापन भी किया। सरकार की यह मंशा नहीं है कि वह इसका राजनीतिक प्रयोजन के लिये या किसी अन्य राजनीतिक बदले की भावना के लिए प्रयोग करे।

महोदय, पंजाब की समस्या के हल के बारे में विपक्ष के माननीय सदस्यों ने अनेक सुझाव दिए हैं इस मामले पर कई बार यहां विचार हो चुका है। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि इस सभा में हुए किसी विचार विमर्श से इस समस्या का हल निकालने में कोई मदद मिली हो यह बात मैं विपक्ष के माननीय सदस्यों से जानना चाहता हूं।

श्री नारायण चौबे : आप इसे हल कीजिए। आप इसे हल क्यों नहीं करते ?

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : हमने विपक्ष के सहयोग का स्वागत किया है। प्रधान मंत्री ने बार-बार यह कहा है कि हम इस मामले में विपक्ष का सहयोग चाहते हैं इसलिए उन्हें ऐसा रवैया नहीं अपनाना चाहिए कि वे चोट करने की इच्छा तो करें, लेकिन जख्मी करने से डरें। विपक्ष का यह रवैया नहीं होना चाहिए।

श्री नारायण चौबे : माननीय मंत्री जी द्वारा किया जा रहा यह भाषण सबसे अधिक अपरोपकारी भाषण है।

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : महोदय, मामले में राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य का ध्यान रखना होगा। इस समस्या को हल करने के लिए राष्ट्रीय मतैक्य हेतु, हम सबको मिलकर प्रचार करना चाहिए। पंजाब में कानून और व्यवस्था तथा शांति बनाए रखने के लिए राष्ट्र का, बिशेष रूप से भारत सरकार का निहित स्वार्थ है। अनेक प्रस्ताव किए गये हैं। प्रधान मंत्री से कई बार इन उपायों की घोषणा की है, जो क्षेत्रीय और नदी-जल विवादों के बारे में सरकार करना चाहती है प्रधान मन्त्री ने तथा भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की है। मेरी समझ में नहीं आता कि विपक्ष सरकार से और क्या आशा करता है। हम अपना पक्ष प्रस्तुत कर दिया है और अकाली नेतृत्व के समक्ष विकल्प रख दिए हैं, लेकिन हर बार सरकार पर ही दोष मढ़ा जाता है। मेरी समझ में नहीं आता कि कुछ विपक्षी दलों ने यह रवैया क्यों अपना रखा है। समस्या को हल करने के लिये मैं केवल उनकी सहायता चाहता हूं और श्री सूरजभान से यह अनुरोध करता हूँ कि वे अपना संकल्प वापिस ले लें।

प्रो० एन.जी. रंगा : हमने भी हर बार इस बात का स्वागत किया है कि विपक्ष इस मामले पर चर्चा करना चाहता है। हमने कभी इसमें बाधा नहीं डाली है।

श्री सूरज भान (अम्बाला) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय न लेते हुए कुछ बातें मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि क्या आप मानते हैं कि आदरणीय राष्ट्रपति जी ने इस अध्यादेश पर 4 अप्रैल को दस्तखत किए थे? न आपने इस बात से इंकार ही किया है न आपने इसको माना ही है। आप साफ क्यों नहीं कहते हैं कि आदरणीय राष्ट्रपति जी 4 अप्रैल को डिबेट से पहले ही आर्डिनेस पर साइन कर चुके थे, तो फिर इस माननीय सदन को अन्धेरे में क्या रखा गया? चार अप्रैल को जब मंत्री महोदय जवाब दे रहे थे, उस वक्त सदन को कांफिडेंस में क्यों नहीं लिया गया, उस समय आपको कहना चाहिए था कि हालात ऐसे हैं, आर्डिनेंस लाना चाहते हैं। तो शायद इतनी लम्बी डिबेट की आवश्यकता नहीं पड़ती। मैं आपसे जानना चाहता हूं आदरणीय राष्ट्रपति जी ने कब दस्तखत किये और इसकी डिसक्लोज क्यों नहीं किया गया?

दूसरा सवाल, जैसा कि मन्त्री जी ने बताया है कि इसके जारी होने से शायद अब तक 138 आदमियों को गिरफ्तार किया गया।

श्री पी. वेंकटसुब्बय्या : 38।

श्री सूरजभान : मैं पूछना चाहता हूं—जिन 38 आदमियों को आर्डिनेन्स के बाद गिरफ्तार किया है, यदि आर्डिनेन्स न भी होता तो भी वे गिरफ्तार हो सकते थे। सवाल यह था कि कितने ऐसे आदमी थे जो आर्डिनेन्स न होता, तो छूट जाते? उन को तीन महीने के बजाय 6 महीने, एक साल के बजाय दो साल रखना चाहते हैं, आप उन का नम्बर बतलाइये जिनको इस आर्डिनेन्स से कवर किया है?

परसों इण्डियन एक्सप्रेस अखबार में छपा है—स्वर्ण मन्दिर के पास 12 से ज्यादा प्राइवेट मकानों पर आंतकवादियों ने कब्जा कर लिया है। उनमें से एक रिटायर्ड पुलिस आफिसर का मकान भी है। सी.आर पी.एफ. ने सब मकानों की लिस्ट पुलिस को दे दी है और पुलिस ने आज तक कोई कार्यवाही नहीं की है। उन आंतकवादियों ने साफ कहा है कि हमने इन मकानों को रखना है, इनमें हथियार जमा करना है, इनको अपना अड्डा बनाना है। इस तरह के हालात वहां पर हैं, आज उन्होंने 12-13 मकानों पर कब्जा किया है, कल पूरे अमृतसर पर कब्जा कर सकते हैं।

19 अप्रैल के हिन्दुस्तान टाइम्स में छपा है—

"पंजाब सशस्त्र पुलिस कर्मी दल के चुने हुए लोगों की एक उच्च गोपनीय कम्प्यूटर नियन्त्रित जांच से काफी संख्या में ऐसे लोगों का पता चला है जो पहले अपराधियों से सम्बद्ध रहे हैं।

हाल में प्राप्त सूचनाओं से भी यह उजागर हुआ है कि स्थानीय पुलिस बल के कब्जे में रखे हथियारों और गोला-बारुद में काफी कमी हुई है।"

अगर आप यह मानते हैं कि वे पास्ट क्रिमनल्ज हैं जो आप के इन्टैलिजेन्स में आ गये हैं तो क्या आप उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे ? मैंने मांग की थी कि पंजाब पुलिस पर, मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं, कुछ पर से भरोसा उठ गया है। इस लिये अगर दाढ़ खोखली हो जाय तो एक बार जरूर दर्द होगा, लेकिन उसको फौरन निकलवा देना चाहिये, उसके बाद आराम हो जाएगा। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक हल नहीं होगा।

जिन इलाकों में आंतकवादियों का चक्कर ज्यादा चल रहा है, कहीं रेल की पटड़ी उखाड़ते हैं, कहीं रेल्वे स्टेशन को जलाते हैं, कहीं पोस्ट आफिस को जलाते हैं, बैंक को लूटते हैं, उन जिलों को आप सीधे सी आर.पी.एफ. और बी.एस.एफ. के सुपुर्द कर दीजिए। उन पर ड्यूअल रेस्पोंसिबिलिटी मत डालिए। पंजाब पुलिस को कहीं और रखना हो तो रखिये, लेकिन ऐसे जिलों को उन को सीधे तौर पर हैण्डिल करने दीजिये।

आप उन से बात करने को तैयार हैं—यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्रधान मंत्री जी कहती हैं कि बात किस से करें ? उनका यह बयान छपा है जिस को मैंने सुबह पढ़ कर सुनाया था। इस लिये मेरा कहना है—जहां आप बात करें, साथ-साथ आतंकवादियों के साथ कड़ाई से डील करें। आपने अपने भाषण में कहा है कि कुछ लीडर्स हैं जो भड़काव की बात कर रहे हैं। यह ठीक है कि भड़काव की बात नहीं होनी चाहिये लेकिन मुझे एक बात का अफसोस है—न आप ने और न आपकी पार्टी के लोगों ने भिंडरावाले के खिलाफ कुछ भी कहा है। जब तक आप भिंडरावाले को गिरफ्तार नहीं करेंगे पंजाब की हालत सुधार नहीं सकेंगे। आप एशोरेंस दीजिये कि आप भिंडरावाले को गिरफ्तार करेंगे तभी आप समस्या का समाधान कर सकेंगे। इन शब्दों के साथ मैं कहता हूं कि मैं अपने मोशन को वापस नहीं लेना चाहता।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है।

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 5 अप्रैल, 1984 को प्रख्यापित राष्ट्रीय सुरक्षा (संशोधन) अध्यादेश, 1984 (1984 का अध्यादेश संख्या 5) का निरनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

———

7-14 म. प.

राष्ट्रीय सुरक्षा (संशोधन) विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि पंजाब राज्य तथा चन्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र पर लागू करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ करेंगे। प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 से 6 तक विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

"खंड 2 से 6 तक विधेयक में जोड़ दिये गये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खड एक, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

"खण्ड-एक, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक जोड़ दिए गये।"

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री अब यह प्रस्ताव कर सकते हैं कि विधेयक में पारित कर दिया जाये।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वेंकटसुब्बय्या) : मैं प्रस्ताव करता हूं

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) मैं इस सम्बन्ध में कुछ बोलना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपके दल का व्यक्ति अपनी बात कह चुका है और यह तीसरा वाचन है।

श्री रामावतार शास्त्री : मुझे बोलने का अधिकार है। मुझे दो वर्ष के लिए नजरबन्द कर दिया गया था।

उपाध्यक्ष महोदय : आप को अधिकार नहीं है। आपके दल के श्री चौबे बोल चुके हैं। आपको दो मिनट दिए जाते हैं। कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए। आप समय को भी देखें।

श्री रामावतार शास्त्री : मुझे दो वर्ष के लिए नजरबन्द कर दिया गया था। इसलिये बोलना चाहता हूँ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो कुछ मंत्री जी ने कहा है, ये उसका खंडन करेंगे। उन्होंने राजनीतिक लोगों के विरुद्ध निवारक नजरबन्दी

का कभी प्रयोग नहीं किया। लेकिन यहां एक ऐसे माननीय सदस्य हैं और यह कार्रवाई उनके विरुद्ध की गई है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको यह कैसे पता कि वे क्या बोलेंगे ? कृपया बैठ जाइए।

श्री रामावतार शास्त्री, कृपया कम से कम शब्दों में अपनी बात कह लीजिए। कृपया बैठ जाइए और इसे पढ़िए।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : उपाध्यक्ष जी, मैं राष्ट्रीय सुरक्षा (संशोधन) विधेयक 1984 का इसके तीसरे वचन में तीव्र विरोध करते हुए निम्न बातों का उल्लेख करना आवश्यक समझता हूँ।

यह ठीक है कि पंजाब और चंडीगढ़ के विक्षुब्ध क्षेत्रों में उग्रवादियों और आतंकवादियों की गतिविधियां गंभीर चिन्ता का विषय बनी हुई हैं। वे तत्व हिंसात्मक कार्य करते हैं और आतंकवाद का रास्ता अपनाते हैं। उनकी इस राष्ट्रविरोधी एवं जन विरोधी कार्यवाहियों का, उन के खालिस्तान के नारे का, पंजाब की शान्ति व्यवस्था को भंग करने के उन के नापाक इरादे का कोई भी जनतंत्र प्रेमी, देश की एकता की आंख की पुतली की तरह रक्षा करने वाला व्यक्ति, धर्म-निरपेक्षता की नीति में विश्वास करने वाले लोग, पंजाब में चल रही हिंसक घटनाओं का कोई भी विवेकशील व्यक्ति समर्थन नहीं कर सकता। मैं भी वहां की पागलपन एवं हिंसक कार्यवाहियों का जोरदार विरोध करता हूँ।

सरकार के पास इस प्रकार की विद्रोही कार्यवाहियों को रोकने के लिए एक दर्जन से अधिक कानून हैं। उनके बावजूद इन्दिरा जी की सरकार ने सन् 1980 में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जैसा काला कानून बनाया। उस समय भी सभी विरोधी दलों ने उस काले कानून का जम कर विरोध किया था और पग-पग पर सरकार के नापाक इरादे का सामना किया था। कालान्तर में उस काले कानून का इस्तेमाल देशद्रोहियों एवं भारत की एकता को तोड़ने वालों, तस्करों, सम्प्रदायवादियों एवं दूसरे समाज विरोधी तत्वों के विरोध में इस्तेमाल नहीं कर मुख्यतः विरोधी राजनीतिक दलों के कार्यकर्त्ताओं, ट्रेड यूनियन कार्यकर्त्ताओं एवं दूसरे जनवादी तत्वों के खिलाफ किया गया और बहुतों को उस काले कानून के अन्तर्गत महीनों जेल के सीखंचों में बन्द रखा गया। मैं जानना चाहूँगा कि आज ऐसे कितने लोग जेलों की काल कोठरी में बन्द हैं। नक्सलवाद के नाम पर कितने नौ जवानों एवं अपनी रोजी रोटी, कानूनी मजदूरी के लिए तथा सामाजिक उत्पीड़न के विरुद्ध लड़ने वाले खेत मजदूरों, हरिजनों, आदिवासियों को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का निशाना बनाया गया है।

इतने दमनात्मक एवं काले कानूनों के बावजूद पंजाब और चंडीगढ़ के उग्रवादियों एवं हिंसक तत्वों को दबाने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में वर्तमान कानून बनाने की आवश्यकता क्या है। अगर सरकार सचमुच में उन तत्वों को समाप्त करना चाहती है तो उसके पास कानूनों की कमी नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : इस पर पहले ही विचार हो चुका है। आप सभा के एक बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। आप नियम जानते हैं। यह अब तीसरा वाचन है। इस समय आपको फिर पूरा विषय नहीं उठाना चाहिए। आपको नए मुद्दे ही उठाने चाहिए। आप नियमानुसार चलने पर जोर दे रहे हैं। आपको नए मुद्दे ही उठाने चाहिए। क्या आपको इस नियम की जानकारी है ? हर बात की एक सीमा होती है। **व्यवधान**

श्री रामावतार शास्त्री : इस संशोधन को लाए बगैर भी सरकार पंजाब की स्थिति पर काबू पा सकती है। पर ऐसा करने के लिए साधारण कानूनों के इस्तेमाल के साथ-साथ पंजाब की समस्याओं का राजनीतिक हल निकालना होगा। जिससे सरकार अब तक कतराती रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप केवल नए मुद्दे उठा सकते हैं।

श्री रामावतार शास्त्री : मुझे बोलने दें। मुझे बोलने का अधिकार है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको नये मुद्दे ही उठाने चाहिए। माननीय मंत्री जी इन सब मुद्दों पर चर्चा कर चुके हैं। सभा का कोई भी सदस्य इस बात से संतुष्ट नहीं होगा, यदि आप वही मुद्दे बार-बार उठाते रहे। आप जो भी करें, वह नियमों के अनुसार होना चाहिए।

श्री रामावतार शास्त्री : कृपया नजरबन्दी का यह आधार सुनिये।

उपाध्यक्ष महोदय : इन सबका कौन जवाब देगा।

श्री रामावतार शास्त्री : इसे कार्यवाही-वृत्तान्त में शामिल होने दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आप केवल कार्यवाही-वृत्तान्त में शामिल करवाना चाहते हैं ?

श्री रामवतार शास्त्री : इस ढुलपुल नीति को छोड़कर फौरन राजनीतिक हल निकालने की आवश्यकता है ताकि देशद्रोहियों एवं उग्रवादियों को जनता से अलग-थलग किया जा सके और पंजाब में शान्ति कायम की जा सके।

मुझे भय है कि इस संशोधित कानून का उग्रवादियों के विरुद्ध इस्तेमाल में लाये जाने के बजाये जनतांत्रिक आन्दोलनों को दबाने में भी किया जायेगा।

नजरबन्दी के ग्राउंड भी ठीक से नहीं दिये जाते। मैं स्वयं अपना उदाहरण पेश करना चाहता हूं। सन् 1948 की बात है। बिहार में डा. श्री कृष्ण सिंह के मुख्यमंत्रित्व में कांग्रेस की सरकार राज कर रही थी। उस सरकार ने कम्युनिस्ट आन्दोलनों को दबाने के लिए बिहार मेंटिनेंस आफ पब्लिक आर्डर एक्ट बनाया। उसके अधीन मुझ पर मुकदमा चलाये बगैर अप्रैल 1948 से मार्च 1950 तक करीब दो साल नजरबन्द रखा गया। डिटेंशन का ग्राउन्ड इस प्रकार था :—

'काशी विद्यापीठ का एक भूतपूर्व छात्र, जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य और 'जनशक्ति' समाचार-पत्र का सम्पादक है, बनारस से निष्कासित कर दिया गया।"

उपाध्यक्ष महोदय : ये सब बातें इससे सम्बन्ध नहीं रखती हैं।

श्री रामावतार शास्त्री : ये सम्बन्ध रखती हैं। इसका अर्थ था कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के कर कमलों द्वारा स्थापित श्री काशी विद्यापीठ का छात्र होना, अंग्रेजी सरकार द्वारा 1941 में बनारस से निष्कासित कर बिहार में नजरबन्द किया जाना, कानूनी पार्टी का सदस्य होना और एक दैनिक समाचार पत्र का संपादक होना कांग्रेस का सरकार की दृष्टि में अपराध था। इस ग्राउन्ड पर मुझे दो वर्षों तक जेलों में रहना पड़ा। सलाहकार समिति पटना हाई कोर्ट और उस समय के फेडरल कोर्ट ने भी जिसका इजलास संसद के वर्तमान पुस्तकालय भवन में बैठता था, इस लचर ग्राउन्ट को गलत नहीं बताकर मेरे हेबियस कार्पस के आवेदन-पत्रों को बराबर खारिज कर दिया। अतः मैं इस प्रकार के जनतन्त्र विरोधी कानून का समर्थन कदापि नहीं कर सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : आप कृपया नियम 94 देखें।

प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ :

———

उपाध्यक्ष महोदय : एक छोटे से विधेयक पर और विचार करना है। लेकिन संसदीय कार्य मंत्री की अनुमति से, हम उस पर कल विचार करेंगे।

सभा अब कल 11 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित होती है।

7.28 म. प.

तत्पश्चात् लोकसभा गुरुवार, 26 अप्रैल, 1984/6 बैशाख, 1906 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

———

गुप्ता प्रिंटिंग वर्क्स, दिल्ली-6